लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण
SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र / Twelfth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On 1-9-92
Parliament Library

[खंड 46 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. XLVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

ल्य : दो रुपये

Price · Two Rupees

विषय-सूची CONTENTS

अंक 14, मंगलवार, 3 दिसम्बर, 1974/12 अग्रहायण, 1896 (शक)

No. 14, Tuesday, December 3, 1974/Agrahayana 12, 1896 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
चैकोस्लोवाक समाजवादी गणतन्त्र के प्रधान मंत्री महामहीम डा० लूबोमिर स्ट्रोगल का स्वागत ।	Welcome to his Excellency Dr. Lubomir Strogal, Prime Minister of the Czechoslovakia Socialist Republic .	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता०प्र०संख्या S. Q. No.		
285 विगत रेलवे हड़ताल के बाद टिकट चैकिंग स्टाफ के वे कर्मचारी जिन्हें बर्खास्त किया गया/मुअत्तल किया गया/जिन पर मुकदमा चलाया गया	Ticket Checking Staff dismissed/suspended/prosecuted after last Railway Strike	1
286 सोडा ऐश का आयात	Import of Soda Ash	7
287 बेतिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उप-चुनाव	By-Election from Beltiah Parliamentary Constituency . . .	10
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
288 राजस्थान में गोतारू एव लेंगवाला क्षेत्र में तेल की खोज	Oil Exploration at Gotaru and Longwala in Rajasthan	14
289 पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में रेल-सेवाओं में सुधार करने के लिये कार्यवाही करना	Steps to Improve Train Services on North, East Fronteir Railway	14
290 बरौनी तेल शोधक कारखाने में फेर-बदल करने संबधी योजना	Scheme to Modify Barauni Refinery .	14
291 खड़गपुर और भुवनेश्वर के बीच रेल गाड़ियों में डकैतियां	Dacoities on Trains between Kharagpur and—Bhubaneswar . . .	15
292 झरिया से कोयले के वैगनों में लदान का घोटाला और उनका पाकिस्तानी सीमाओं से लगे हुए स्थानों में परिवहन	Racket involving loading of wagons with Coal from Jharia and their Transportation to points close to Pakistan Borders	15

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign † marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
293	रेलवे स्टेशनों पर 'क्लोज सर्किट टैलीविजन सिस्टिम' का लगाया जाना	Installation of Close Circuit Television System at Railway Stations . .	16
294	कुछ अरब देशों द्वारा तेल का मूल्य घटाया जाना	Reduction in Price of Oil by certain Arab Countries	16
295	खपत के संदर्भ में तेल का उत्पादन और मूल्य	Production and Price of Oil in Relation to its Consumption . . .	17
296	पर्वतीय एंव पिछड़े राज्यों में नई लाइनों के लिये धन का नियतन करना	Allocation for New Lines in Hilly and Backward States . . .	18
297	इंडियन आयल कारपोरेशन के गैस के उत्पादन में कमी	Short Fall in Production of Gas by IOC	18
298	कोयले पर आधारित उर्वरक संयत्रों की लागत	Cost of Coal based Fertiliser Plants .	19
299	अगस्त, 1973 से अगस्त, 1974 के दौरान रेल गाड़ियों में डकैतियां	Robberies in Trains during August 1973—August 1974 . . .	19
300	उच्च न्यायालयों में जजों के रिक्त पद	Vacant Posts of Judges in High Courts	20
301	ठेकेदारों द्वारा रेलवे पुलों के निर्माण में घटिया और मिलावटी सीमेंट का कथित उपयोग	Alleged use of Adulterated and Inferior Quality of Cement for Construction of Railway Bridges by Contractors .	21
302	सहारनपुर तथा पिलखारी रेलवे स्टेशनों के बीच सामान चुराने वाला गिरोह	Goods Pilfering Gang between Shahranpur and Pilkhari Stations . .	21
303	डिवीजनल सुपरिंटेंडेट, धनबाद द्वारा लोको फोरमैन पाथरडीह के अधीनस्थ स्थानापन्न कर्मचारियों का सेवा से हटाया जाना	Removal of Substitutes under Loco Forman, Patherdih from Service by D. S. Dhanbad	21
304	पैट्रोल के स्थान पर ईंधन तेल के उत्पादन के लिये योजना आयोग का सुझाव	Suggestion of Planning Commission for Production of Fuel oil in Place of Petrol	21
305	बम्बई-मंगलौर रेल लाइन का अन्तिम सर्वेक्षण	Final Survey of Bombay-Mangalore Railway Line	22

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2803	राजस्थान में भट्टी तेल तथा डीजल तेल के उपलब्ध न होने के कारण कारखानों का बन्द किया जाना	Threatened Closure of Industries for Non-availability of Furnace and Diesel Oil in Rajasthan . . .	
2804	विदेशी कम्पनियों द्वारा लघु एककों के उत्पादों की बिक्री	Foreign Companies Marketing products of Small Units . . .	23
2805	अहमदपुर, खेगांव, मोरदड़ और सिर्रा (मध्य प्रदेश) के रेलवे क्रासिंग फाटक	Level Crossing Gates at Ahmedpur, Khaigaon, Mordar and Sirra (M.P.)	23
2806	गुजरात में पैट्रोल, डीजल तथा मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Petrol, Diesel and Kerosene in Gujarat	24
2807	पंजाब के रेल स्टेशनों की मरम्मत तथा विस्तार	Repairs and Expansion of Railway Station in Punjab	24
2808	कज्जाकोट्टम रेल स्टेशन (केरल) में सुविधाओं को बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव	Proposal to Improve Facilities at Kazhakootam Station (Kerala) .	25
2809	बिहार में नवम्बर, 1974 के दौरान हुई हानि	Loss Suffered in Bihar during November, 1974	26
2810	भट्टी तेल तथा डीजल तेल के उपलब्ध न होने के कारण गोआ में औद्योगिक एककों का बन्द किया जाना	Threatened Closure of Industrial Units in Goa for Non availability of Furnace and Diesel Oil . . .	26
2811	गत तीन वर्षों में पैट्रोल का आयात	Import of Petrol during Last Three Years	26
2812	कुछ औषध फर्मों को दिये गये लाइसेंस	Licences issued to Certain Drug Firm .	27
2813	राजस्थान में स्थगित की गई रेलगाड़ियों को पुनः चलाना	Restoration of Trains Suspended in Rajasthan	27
2814	अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) का आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के डिवीजनल सम्मेलन में पारित किये गये संकल्प	Resolution passed at Divisional Conference of All India Loco Running Staff Association of Ajmer Division (Western Railway) . . .	27
2815	मीटर गेज सेक्शन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर बिहार के गन्ना उत्पादकों के लिये माल डिब्बे	Wagons for Sugarcane Growers in Bihar on Metre Gauge Section (North Eastern Railway)	28
2816	विजयवाड़ा में रेलवे वर्कशाप की स्थापना करना	Setting up of Railway Workshop at Vijayawada	28

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2817	एल०डी०पी० (लो डेन्सिटी पालीथीन) का उत्पादन तथा वितरण	Production and Distribution of L.D.P.	29
2818	औद्योगक प्रयोग के लिये यूरिया दिया जाना	Despatch of Urea for Industriai use .	30
2819	सोडा ऐश का उत्पादन और आवश्यकता	Production and requirement of Soda Ash	30
2820	भारत में राजनैतिक दल	Political Parties in India . . .	31
2821	औषधियों के उत्पादन के लिये हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स की क्षमता	Capacity of Hindustan Antibiotics for Producing Drugs . . .	32
2822	मध्य प्रदेश खनिज उद्योग को रेलवे माल डिब्बों का आवंटन	Allotment of Railway Wagons to Madhya Pradesh Mineral Industry .	34
2824	आयातित औषधियों के नाम	Names of Imported Drugs . .	34
2827	आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये रेल कर्मचारियों की रिहाई	Release of Railway Employees Arrested under MISA . . .	36
2828	दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) में कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की बकाया राशि का भुगतान न किया जाना	Non-payment of O.T. Arrears to Staff in Delhi Division (Northern Railway)	36
2829	रेलवे द्वारा चलाये जा रहे शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रिंसिपल	S.C./S.T. Principals in Educational Institutes run by Railways . .	37
2830	चरबी (टेलो) के आयात के लिये अतिरिक्त कोटा	Additional Quota for Import of Tallow	37
2831	निर्वाचन व्यय पर राष्ट्रपति अध्यादेश को चुनौती देने वाली लेख याचिका	Writ Petition Challenging Presidential Ordinance on Election Expenses .	38
2832	इराक में तेल की संभावनाओं के बारे में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अध्यक्ष के विचार	Views of the Chairman of O&NGC on Oil Prospects in Iraq . .	38
2833	नाइजीरिया द्वारा अशोधित तेल की कम मूल्य पर बिक्री	Sale of Crude Oil at Lower price by Nigeria	38
2834	केरल के गुरूवायूर के साथ नया रेल लाइन सम्पर्क	New Railway Line Connection with Guruvayoor in Kerala . . .	38

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2835	मद्रास उर्वरक कारखाने का विस्तार	Expansion of Madras Fertiliser Factory	39
2836	उड़ीसा उच्च न्यायालय में लंबित मामले	Cases pending in Orissa High Court .	39
2837	भारतीय रेलवे में नैमित्तिक श्रमिकों को स्थायी करना	Permanancy for Casual Labourers on Indian Railways	40
2838	भोपाल के लिये रेल गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव	Proposal to Introduce Fast Trains for Bhopal	40
2939	पश्चिम बंगाल के औषध नियंत्रक के औषधियों की कमी के बारे में विचार	Views of the Drug Controller of West Bengal regarding shortage of drugs	41
2840	एकाधिकार तथा प्रबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को न भेजे गये मामले	Cases which were not referred to MRTP Commission	41
2841	उर्वरक कारखानों के लिये बिद्युत् संयंत्रों की स्थापना	Setting up of Power Plants for fertiliser Units	42
2842	भारत और अमरीका तथा आटोमोबाइल कम्पनियों के बीच तेल कार्यक्रम के बारे में समझौता	Agreement between India and U.S. and Oil Company Automobiles on Oil Programme	42
2843	मद्रास तेल शोधक कारखानों के उत्पादन में कमी	Decline in production at Madras Refineries	42
2844	बर्माशैल द्वारा राष्ट्रीकरण से पूर्व अपनी परिसम्पत्तियों का निपटारा करना	Disposing of Assets by Burmah Shell before Nationalisation . . .	43
2845	अलीपुर द्वार से बामनहाट/गीतलदाह तक फिर से रेलगाड़ी चालू करने के बारे में निर्णय	Decision to Restart Trains from Alipurduar to Bamanhat/Gitaldaha .	43
2846	4 नवम्बर, 1974 के बिहार बन्द के दिन हुई हानि	Loss suffered during Bihar Bandh on 4th November, 1974 . . .	44
2847	भारतीय रेलवे में कार्मिक शाखाओं के अनुसचिवीय कर्मचारियों को पदोन्नति	Promotion of Ministerial Staff of personnel Branches in Indian Railway	44
2848	नियंत्रण हटाने से पूर्व औषधियों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices of Drugs after Decontrol	45
2849	कोयले से चलने वाले तीन उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव	Proposal from M.P. Government for setting up 3 Coal based Fertiliser Plants	45

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2850	ज्वाइंट कौंसिल आफ इंडियन फार्मास्युटिकल ट्रेड मद्रास से ज्ञापन	Memorandum from the Joint Council of Indian Pharmaceutical Trade Madras	46
2851	एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रिया अधिनियम में संशोधन	Amendment of MRTP Act	46
2852	आयकर न्यायाधिकरणों में सदस्य (एकाउन्टेंट) तथा सदस्य (ज्यूडिशियल) के रिक्त पदों को भरना	Filling up of Vacancies of Member (Accountant) and Member (Judical) in Income Tax Tribunals . .	46
2853	विभिन्न उच्च न्यायालयों के विचाराधीन पुराने से पुराने मामले	Oldest Cases pending in various High Courts	48
2854	भविष्य में तेल के मूल्य निर्धारण पर सऊदी अरब की योजना	Scheme of Saudi Arabia on Future Pricing of Oil	48
2855	पांचवीं योजना में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिये परिव्यय बढ़ाने का प्रस्ताव	Proposal to increase outlay for O&NGC during Fifth Plan	49
2856	ब्रिज इंजीनिरिंग डिपार्टमेंट, विजयवाड़ा डिवीजन (दक्षिण मध्य रेलवे) के कर्मचारियों को छंटनी के नोटिस	Retrenchment Notice on Employees of Bridge Engineering Department, Vijayawada Division (South Central Railway)	50
2857	कालटैक्स द्वारा विशाखापत्तनम स्थित अपने तेल शोधक कारखाने को कम क्षमता पर चलाना	Caltex Refinery at Visakhapatnam working below capacity . . .	50
2859	झांझरपुर-लौकाहा तथा दरभंगा समस्तीपुर से रेलवे लाइन	Railway line from Jhanjharpur-Loukaha and Darbhanga Samastipur	51
2860	साबुन के उत्पादन में प्रमुख निर्माताओं का अंश	Share of Principal producers in production of Soaps	51
2861	हावड़ा से आमता के लिये रेल लाइन का निर्माण	Construction of Railway Line from Howrah to Amta	51
2862	गाड़ियों में आग लगने की दुर्घटनाओं को रोकने के लिये किये गये उपाय	Steps taken to avoid incidents of fire in Trains	52
2863	धनबाद जिला कांग्रेस समिति और धनबाद मंडलीय रेल कल्याण समिति से अभ्यावेदन	Representation from Dhanbad District Congress Committee and Dhanbad Mandaliya Rail Kalyan Samiti .	52
2864	बम्बई के निकट गहरे समुद्र में दूसरे तेल कुएं की खुदाई	Drilling of Second Oil Well in Bombay High	53
2865	पैट्रोल की खपत को कम करने के उपाय	Measures to Curtail consumption of Petrol	53

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2866	निष्ठावान रेल कर्मचारियों के पुत्रों/बच्चों को नियुक्ति के लिये महा प्रबन्धकों को अधिकार	Powers to General Managers for appointment of sons/wards of Loyal Railway Workers	54
2867	सरकार द्वारा अमरीका में फाईज़र्स तथा अन्य औषध फर्मों के विरुद्ध अविश्वास का मुकदमा	Anti trust suit filed by Government against Pfizers and other Drug Firms in USA	54
2868	रेल किराया ढांचे में परिवर्तन के बाद यात्री तथा माल यातायात में कमी	Fall in passenger and Freight Traffic after change in Railway Fare structure	55
2869	दिल्ली अहमदाबाद रेलवे लाइन को दोहरा करना	Doubling of Delhi Ahmedabad Railway Line	56
2870	उत्तर त्रिपुरा में धर्मनगर और कुमारघाट के बीच रेल लाइन	Railway line between Dharmnagar and Kumarghat in North Tripura . .	56
2871	रेलवे में चोरी तथा उठाईगिरी रोकने के लिये कार्यवाही	Steps to check thefts and pilferage in Railways	57
2873	बम्बई हाई में तेल की खोज	Oil Exploration in Bombay High .	58
2874	तेल उत्पादन देशों द्वारा तेल के मूल्य कम करने के सुझाव	Suggestions for reduction in price of oil by oil producing countries . .	58
2875	खुर्दा रोड डिवीजन में ऊपरि पुलों का निर्माण	Overbridges to be Constructed in Khurda Road Division . . .	58
2876	पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के बर्खास्त/नौकरी से हटाये गये कर्मचारियों की बहाली	Re-instatement of dismissed/removed employees of Northeast Frontier Railway	59
2877	समय-पाबंदी बनाये रखने के लिये रेलगाड़ियों को दिया गया अतिरिक्त समय	Extra time given to trains to maintain punctuality	60
2878	रेवती बहेड़ा खेडा, मुरादाबाद डिवीजन, (उत्तर रेलवे) के रेल कर्मचारियों से मकान किराये की वसूली	House rent collection from Railway personnel working in Reoti Bahera Khera, Moradabad Division (Northern Railway) . . .	60
2880	कर्नाटक में मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करना	Conversion of metre gauge lines into broad gauge in Karnataka . .	60
2881	तलाक संबंधी कानून में छूट	Relaxation of divorce laws	60
2882	कोटा और चित्तौड़गढ़ के बीच रेल-लाइन का निर्माण	Construction of a Railway line between Kota and Chittorgarh . .	61

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2883	पालामाऊ तथा गढ़वा जिलों में गैंग-मैनों तथा अन्य अस्थायी कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of gangmen and other temporary employees in Palamau and Garhwa Districts . . .	62
2884	मध्य रेलवे में विभिन्न वर्कशापों में कार्यरत नैमित्तिक तथा अस्थायी कर्मचारी	Casual and temporary employees working in various workshops on Central Railway	62
2885	इस्तेमाल हुए तेलों का पुनः उपयोग करने की योजना की क्रियान्विति	Implementation of the scheme for recycling used oils	62
2886	मैसर्ज इंडियन ट्यूब कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के विरुद्ध जांच रिपोर्ट	Investigation report against Messrs. Indian Tube Company Limited, Calcutta	63
2887	मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड	Modi Spinning and Weaving Mills Co., Ltd.	63
2888	पांचवीं योजना में उर्वरक संयंत्रों पर व्यय की जाने वाली विदेशी मुद्रा	Foreign exchange to be spent on fertilizer plants in Fifth Five Year Plan	64
2889	पाइप लाइन के माध्यम से मथुरा तेल शोधक कारखाने से तेल की सप्लाई	Oil Supply from Mathura Refinery through pipe line	65
2890	पैर तथा मुंह के रोगों के लिये टीकों का निर्माण	Production of Foot and Mouth Disease vaccine	65
2891	जनवरी—अक्टूबर, 1974 के दौरान सियालदह डिवीजन पर रेलगाड़ियों में डकैतियां	Dacoities on trains of Sealdah Division during January—October, 1974 .	66
2892	ठेकेदारों को दिए गए खान-पान संबंधी ठेके	Catering contracts given to contractors	66
2893	दुर्गापुर उर्वरक कारखाना	Durgapur Fertiliser Factory	67
2894	विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति	Promotional Quota in various services of S.C./S.T.	68
2895	हावड़ा तथा इसके आसपास माल का जमा होना	Goods Piled up at Howrah and its neighbourhood	69
2896	जोनल रेलवेज में काम करने वाले डाक्टरों तथा इंजीनियरों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति	Doctors and Engineers on Zonal Railways belonging to SC/ST . .	70
2897	श्रमिकों को कानूनी सहायता	Legal Aid to Workers	71

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2898	पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम रेलवे में बिना टिकट यात्रा	Ticketless travelling on Western Railway during the last three years .	71
2899	राजस्थान में रेलवे स्टेशनों की मरम्मत और उनका विस्तार	Repairs and expansion of Railway Stations in Rajasthan . . .	72
2900	बाराबंकी-समस्तीपुर और समस्तीपुर दरभंगा रेल लाइनों का बड़ी लाइनों में बदला जाना	Barabanki Samastipur and Samastipur Darbhanga lines into broad Gauge lines	72
2901	मुरैथा और कोराहैया पर हाल्ट बनाने की मांग	Opening of halts at Muraitha and Korahaiya	72
2902	उड़ीसा में भट्टी तथा डीजल तेल के उपलब्ध न होने के कारण कारखानों का बंद किया जाना	Threatened closure of Industries for non-availability of Furnace and Diesel Oil in Orissa . . .	73
2903	उड़ीसा में रेलवे स्टेशनों का विस्तार और उनकी मरम्मत किया जाना	Repairs and expansion of Railway Stations in Orissa	73
2904	मध्य प्रदेश के पश्चिम निमाड़ जिले के खारगोन, धार, बड़वानी तथा महेश्वर शहरों के लिए रेल लाइनें	Railway lines for Khargone, Dhar, Badvani and Maheshwar Cities in West Nimar District of M.P. .	74
2905	मध्य प्रदेश में मीटर गेज लाइनों का बड़ी लाइन में बदला जाना	Conversion of Metre Gauge lines into Broad Gauge in Madhya Pradesh .	75
2906	छत्तीसगढ़ और विन्ध्य प्रदेश में रेल सेवा शुरू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का अनुरोध	Request by Madhya Pradesh Government to start rail service in Chhatisgarh and Vindhya Pradesh . .	75
2907	खंडवा में रेलवे पुल को चौड़ा करने के लिए सर्वेक्षण	Survey to widen Railway Bridge at Khandwa	75
2908	गुजरात में औद्योगिक एककों को भट्टी के तेल की सप्लाई ।	Supply of Furnace Oil to Industrial Units in Gujarat	76
2909	गुजरात राज्य को अधिक मात्रा में डीजल तेल का आवंटन	Allocation of more diesel oil to Gujarat State	76
2910	गुजरात में रसायन उद्योगों की स्थापना हेतु औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र	Applications for industrial licences for setting up Chemical Industries in Gujarat	77
2911	6 नवम्बर, 1974 को बिहार में रेल लाइनों को क्षति	Damage to Railway lines in Bihar on 6th November, 1974 . . .	77
2912	सोडियम सिलिकेट का निर्माण करने वाले उद्योगों को सोड़ा ऐश की सप्लाई	Supply of Soda Ash to Industries manufacturing sodium silicate . .	77

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2914	गोआ में रेलवे स्टेशनों का विस्तार और उनकी मरम्मत	Repairs and expansion of Railway Stations in Goa	78
2915	भारत में वकीलों और विधिवेत्ताओं का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	International meet of lawyers and Jurists in India	78
2916	पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के लिए जोनल रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति	Zonal Railway User's Consultative Committee for North east Frontier Railway	79
2917	भारतीय औषध उद्योग पर से विदेशी फर्मों का नियंत्रण कम करने के लिए कार्यवाही	Steps to reduce the strong hold of foreign firms on Indian Drug Industry .	80
2918	मैसर्स मे एंड बेकर को मेट्रेनाइडजोल का निर्माण करने के लिए अनुमति देना	Approval for manufacture of Metranidazole by M/s May and Baker .	81
2919	विदेशी फर्मों द्वारा 'बल्क' औषधियों का निर्माण	Manufacture of Bulk Drugs by foreign firms	82
2920	बिहार में गया राजगीर रेल लिंक के लिए सर्वेक्षण	Survey for Gaya Rajgir Rail Link in Bihar	83
2921	कुछ विदेशी औषधि फर्मों की साम्य पूंजी और अन्य आस्तियां	Equity capital and other assets of certain foreign drug firms . . .	83
2922	फूट तथा माउथ वैकसीन बनाने के लिए प्रस्ताव	Proposals for Manufacture of foot and mouth vaccine. . . .	83
2923	दिल्ली/नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर आरक्षण टिकटों की बिक्री में भ्रष्टाचार	Corruption in State of Reservation Tickets in New Delhi/Delhi Stations	84
2924	दिल्ली में तीसरा रेलवे स्टेशन	Third Terminal for Delhi . .	85
2925	पेट्रोल के आयात के लिए बंगला देश से समझौता	Agreement with Bangladesh for Import of Petrol	85
2926	कोयला और पानी की कमी के कारण महाराष्ट्र और गुजरात में रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना	Trains cancelled in Maharashtra and Gujarat due to shortage of coal and water	85
2927	रेलवे के कार्यकरण में सामान्यता लाना	Restoration of Normalcy in Working of Railways	86
2928	लड़कियों तथा लड़कों की विवाह आयु बढ़ाने हेतु विधान	Legislation to raise Marriage Age of Girls and Boys	87
2929	विशिष्ट ग्रेड के कृत्रिम रबड़ का गलत वितरक	Improper distribution of Special Grades of Synthetic Rubber	87

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2930	संसद सदस्यों द्वारा रेलवे बोर्ड की आलोचना	Railway Board's Criticism by Members of Parliament	87
2931	कर्नाटक राज्य में फास्फेटीक उर्वरक कारखाने की स्थापना	Setting up of Phosphatic Fertiliser Plant in Karnataka State . .	88
2932	सिधी जिला (मध्य प्रदेश) में नया उर्वरक कारखाना	New Fertiliser Plant in Sidhi District (M.P.)	88
2933	गत तीन महीनों में डकैती, चोरी और लूट की घटनाएं	Incidents of Dacoities, Thefts and Looting during the last 3 months .	88
2934	गत छः महीनों में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री	Ticketless Travelling during the last six months	89
2935	उत्तर बिहार में गाड़ियों का विलंब से चलना	Late Running of Trains in North Bihar	89
2937	कमजोर रेलवे लाइनों के कारण उत्तर बिहार में गाड़ियों का रद्द किया जाना	Trains cancelled in North Bihar due to Weak Railway Tracks . . .	89
2938	मारुति लिमिटेड का नवीनतम तुलन-पत्र	Latest Balance Sheet of Maruti Limited	90
2939	राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री परिषद् के लिए चुनाव और नामांकन	Election and Nomination to National Railway Users Consultative Council.	90
2940	रेल कर्मचारियों का अभी तक दमन किया जाना	Victimisation of Railmen .	91
2941	न्यायालय शुल्क में कमी	Reduction in Court Fees .	91
2942	हावड़ा और पुरी के बीच मेल और यात्री गाड़ियों में आपराधिक घटनाएं	Crimes on Mail and Passenger Trains between Howrah and Puri . .	91
2943	बरौनी रेल यार्ड को सेना को सौंपने के बारे में रेलवे मंत्री के साथ बातचीत	Discussions with Railway Minister handing over Barauni Rail Yard to Army	92
2944	अधिकारियों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि देना	Advance Increments to Officers, Class III and Class IV employees . .	92
2945	निष्ठावान रेलवे कर्मचारियों को प्रोत्साहन	Inducement to Loyal Railway Employees	93
2946	उच्च ग्रेडों में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के तथा अन्य निष्ठावान कर्मचारियों के सेवा काल में वृद्धि	Extension of Service to Officers and Staff in Higher Grades and other Loyal Workers	93
2947	सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मामले	Cases pending with Supreme Court and High Courts	94

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2948	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटड के भूतपूर्व प्रबंध निदेशक की मैसर्स जान वाइथ लिमिटेड में नियुक्ति	Ex-Managing Director of Hindustan Antibiotics Limited Joining M/s John Wyeth	95
2949	कतिपय भत्तों की संशोधित दरों को परिचालित किया जाना	Circulation of Revised Rates of certain Allowances	95
2950	गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के आपरेटरों के ड्यूटी रोस्टर में परिवर्तन	Change of duty Roster of Operators of Ghaziabad Railway Station, Delhi Division (Northern Railway) . .	95
2951	गत छः मास से बिहार में चल रहे आन्दोलन के कारण रेलगाड़ियों और सम्पत्ति को क्षति	Damage to Trains and Property due to Agitation in Bihar during the last six months	96
2952	गत तीन महीनों के दौरान रेलवे दुर्घटनायें	Railway Accidents during the last three months	96
2953	झांसी-मानिकपुर पेसेंजर गाड़ी का देर से चलना	Late running of Jhansi Manikpur Passenger Train	97
2954	मीराज-हुबली ब्राड गेज लाइन पर गोगाक कस्बे को रेलवे लाइन से मिलाना	Link with Gogak Town on Miraj Hubli Broad Gauge Line . . .	97
2955	नई रेलवे लाइनों के निर्माण के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार का अनुरोध	West Bengal Government's request on construction of new Railway lines .	98
2956	तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पदों का दर्जा बढ़ाने के बारे में निर्णय लेना	Decision on Upgradation of Posts of Class III and IV Employees . .	98
2957	बंगाल की खाड़ी में अमरीकी जहाज द्वारा तेल के निक्षेपों के लिए सर्वेक्षण	Survey for Oil Deposits in Bay of Bengal by an American Ship . . .	99
2958	ओखला (दिल्ली डिवीजन) स्थित इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी साइडिंग की माल चढ़ाने उतारने के क्षमता में वृद्धि	Increase in the Handling Capacity of IISCO siding at Okhla (Delhi Division)	99
2959	भागलपुर बरारी और साहबपुर कमल जंकशन-मुंगेर घाट (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच ब्रांच लाइनों का बंद किया जाना	Closure of branch lines between Bhagalpur Bharati and Sahedpur Kamel Junction Monghyr Ghat (North Eastern Railway)	100
2960	महेन्द्रघाट और पहलेजाघाट के बीच ट्रकों का गुजरना	Truck crossing between Mahendra ghat and Pahlezaghat	101

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2961	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के कोचीन डिवीजन में उर्वरकों का जमा हो जाना	Stockpiling of Fertilizers at Cochin Division of FACT . . .	101
2962	भारतीय साम्यवादी दल के प्रदर्शन-कारियों द्वारा बिहार में बिना टिकट यात्रा	Ticketless travelling by CPI demonstrators in Bihar	101
2963	औषधियों के उत्पादन के लिए नए लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र	Applications for new licences for manufacture of drugs	102
2964	लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक फारमूलेशनों का उत्पादन .	Production of formulations in excess of licensed capacity . . .	102
2965	तेल के खोज कार्य को तेज करने के लिए अतिरिक्त संसाधन	Additional Resources to Accelerate Oil Exploration	103
2966	रेलगाड़ियों का समय पर आना-जाना	Punctuality of Trains. . . .	104
2967	मितव्ययता के कारण नैमित्तिक श्रमिकों की छंटनी	Retrenchment of casual workers for economic reasons	104
2968	भारत में तेल की खोज के लिए विदेशी तेल कंपनियों के साथ बातचीत	Negotiations with Foreign Oil Companies for Oil Exploration in India .	104
2969	पूर्वोत्तर रेलवे में बर्खास्त किए गये सेवा से हटाए गए कर्मचारियों का बहाल किया जाना	Re-Instatement of Dismissed/Removed Employees on North Eastern Railway	105
2970	उत्तर रेलवे के बर्खास्त किए गए/ और सेवा से हटाए कर्मचारियों का बहाल किया जाना	Re-instatement of Dismissed/Removed Employees on Northern Railway .	106
2971	नया अद्यतन रेलवे कोड	New up to date Railway Code .	106
2972	लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में बिस्तरों (बेड रोल्स) की सप्लाई	Supply of Bed Rolls in Long Journey Trains	106
2973	ग्लिबेन क्लैमाइड का उत्पादन	Manufacture of Cilnenciamide .	107
2974	विभिन्न जोनों में समय पर आरक्षण प्राप्त करने में विलंब	Delay in obtaining timely Reservations in various Zones	107
2975	हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को सुविधाएं	Facilities to Members of Hindi Salahkar Samiti	108
2976	बम्बई और पूना के बीच क्वीन का प्रथम श्रेणी का किराया	First Class Fare between Bombay and Poona by Deccan Queen . .	108

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2977	नई बोगईगांव रंगिया तथा रंगिया-गोहाटी पर नई रेल लाइनें खोलने संबंधी कार्य	Work on opening of New Railway Lines New on Bonga gaon Rangia and Rangia Gauhati	109
2978	मैसर्स फाइजर द्वारा इंडियन ड्रग्स एंड फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को कुछ दवाइयां बनाने के लिए प्रौद्योगिकी पेशकश	Technology for producing Certain Medicines offered by M/s Pfizers to IDPL	110
2979	भट्टी तेल तथा डीजल तेल की अनुपलब्धता के कारण पंजाब में औद्योगिक एककों को जबरन बंद करवाया जाना	Threatened Closure of Industrial Units in Punjab for Non-availability of Furnace and Diesel Oil . .	110
2980	गुजरात में रेलवे स्टेशनों पर पेय जल की कमी	Shortage of Drinking Water on Railway Sta ions in Gujarat . . .	111
2981	गुजरात राज्य विधि आयोग	Gujarat State Law Commission	111
2982	रेलवे वर्कशाप, गोल्डन राक में भर्ती किए गए तथा वहां प्रशिक्षण दिए गए ट्रेड एप्रेन्टिस'	Trade Apprentices Recruited and given Training in Railway Workshop, Golden Rock . . .	112
2983	गोल्डन राक वर्कशाप के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Class IV employees of Golden Rock Workshop. . .	112
2984	उर्वरक एककों में विद्युत् की कमी	Shortfall of power in fertiliser units .	113
2985	दक्षिण मध्य रेलवे के एक्स-ग्रेन शाप विभाग के कर्मचारियों की वरिष्ठता और वेतन	Seniority and pay of ex-grain shop Department staff of South Central Railway	113
2986	ईरान को बिटेमन बेचने के लिए भारतीय तेल निगम द्वारा करार पर हस्ताक्षर	Agreement signed by IOC for selling Bitumen to Iran	114
2987	सितम्बर के अन्त में मद्रास में माल डिब्बों (बैंगनों) की उपलब्धता	Availability of Wagons at Madras towards end of September . .	114
2988	रेल लाइन को जम्मू तवी से श्रीनगर तक बढ़ाना	Extension of Railway line from Jammu Tawi to Srinagar	114
2989	पूर्व रेलवे को देय राशि का भुगतान न किए जाने के कारण सरकारी/गैर सरकारी फर्मों को माल डिब्बों की सप्लाई निलम्बित करना	Suspension of supply of wagons to public/private sector firms for non payment of dues to Eastern Railway	115
2990	उर्वरक की अधिष्ठापित क्षमता तथा उसका वास्तविक उत्पादन	Installed capacity and actual production of fertilizer	115

अता० प्र० संख्या विषय U.S.Q. No.	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2991 वर्ष 1971-72 से 1974-75 तक रेल माल डिब्बों के लिए माल डिब्बा उद्योग को क्रयादेश	Railway wagon orders placed with wagon industry from 1971-72 to 1974-75	116
2992 कुछ विदेशी नौवहन फर्मों द्वारा कोचीन तेल शोधक कारखाने को ठगा जाना	Cheating of Cochin Refinery by certain Foreign Shipping Firms . . .	116
2993 कलकत्ता में महानगर परिवहन परियोजना पर लागत	Cost of MTP in Calcutta .	117
2994 नियुक्ति संबंधी घोटाले	Appointment Scandals	117
2995 फर्टिलाइजर एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के कोचीन यूनिट में यूरिया का उत्पादन लक्ष्य	Production target of Urea at Cochin Unit of FACT	118
2996 रेलवे को सप्लाई किया जाने वाला घटिया किस्म का कोयला	Inferior quality of coal supplied to Railways	118
2997 अर्राह-ससराम लाइट रेलवे को बड़ी लाइन में बदलना और उसका विस्तार	Conversion of Arrah Sasaram light Railway into Broad gauge into and its extension	118
2998 मरीन एस्टेब्लिशमेंट का नियंत्रण पूर्वोत्तर रेलवे से पूर्व रेलवे को दिया जाना	Transfer of control of marine establishment from North Eastern Railway to Eastern Railway	119
2999 अनुसचिवीय कर्मचारियों के विभिन्न ग्रेडों में पदों का वितरण	Distribution of posts in various grades of Ministerial staff . . .	120
3000 टी स्टालों और खान-पान ट्रालियों के मालिकों द्वारा रेलवे के देय शुल्क की राशि	Amount of levy due to Railways from Owners of Tea Stalls and Refreshment Trollys	120
3001 मैसर्स फिजर्स द्वारा अपनी इक्विटी पूंजी का परिसमापन	Liquidation of its equity by M/s Pfzers	120
3002 चुनावों में गड़बड़ को रोकने के लिये प्रस्ताव	Proposal to take steps against rigging of election	120
आयात लाइसेंस के कांड के बारे में	Re. Import Licences Case . . .	121
सभापटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . . .	129
अविलंबनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance	130
महाकाली नदी के रज्जुपुल का कथित गिरना	Reported Collapse of the hanging rope bridge over the Mahakali River .	130
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Naval Kishore Sharma. .	130
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yashwantrao Chavan . .	130

47 LSS/74—2

अता० प्र० संख्या विषय U.S.Q. No.	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के तटदूर ड्रिलिंग प्लेट फार्म, सागर सम्राट के बारे में वक्तव्य	Statement Re-ONGC's Offshore Drilling Platform, Sagar Samrat—	135
श्री के० डी० मालवीय	Shri K. D. Malaviya . . .	135
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी	Committee on Absence of Members from the Sittings of the House—	136
समिति 17वां प्रतिवेदन—स्वीकृत	Seventeenth Report—Adopted .	136
आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अधीन नजरबंदी आदेशों के संबंध में किसी न्यायालय में जाने के नागरिक अधिकारों को निलंबित किये जाने संबंधी राष्ट्रपति के आदेश के निरनुमोदन के बारे में प्रस्ताव और विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण विधेयक :--	Statutory Resolution re. Disapproval of Maintenance of Internal Security (Amendment) Ordinance and Motion Re. Disapproval of Presidential Order suspending Citizen's Right to move a Court against detention orders under MISA and Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Bill—	137
विचार करने के प्रस्ताव	Motions to consider—	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee . .	138
श्री सी० सुब्रह्मण्यम्	Shri C. Subramaniam . .	139
श्री नूरूल हुडा	Shri Noorul Huda . .	140
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Nawal Kishore Sharma .	141
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	142
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh . .	144
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder . .	144
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga . .	146
श्री पी० जी० मावलंकार	Shri P. G. Mavalankar . . .	147

लोक सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 3 दिसम्बर, 1974/12 अग्रहायण, 1896 (शक)
Tuesday, December 3, 1974/Agrahayana 12, 1896 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे सम्वेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
Mr. Speaker in the Chair]

चैकोस्लोवाक समाजवादी गणतन्त्र के प्रधानमंत्री, महा महिम डा० लूबोमिर स्ट्रोगल का स्वागत
Welcome to His Excellency Dr. Lubomir Strougal, Prime Minister of the Czechoslovakia Socialist Republic

अध्यक्ष महोदय : माननीय, सदस्यगण, सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है।

अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यगणों की ओर से चैकोस्लोवाक समाजवादी गणतंत्र के प्रधानमंत्री, महामहिम डा० लूबोमिर स्ट्रोगल का, जो भारत के दौरे पर आये हुये है, स्वागत करते हुये मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मदाम स्ट्रोगल उनके साथ हैं। इस समय वे विशेष कक्ष में बैठे हुये हैं। हम अपने देश में उनकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं। हम उनको तथा उनके माध्यम से चैकोस्लोवाकिया की संसद्, सरकार तथा वहां की जनता के लिये शुभ कामनायें प्रेषित करते हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Ticket Checking Staff Dismissed/Suspended/Prosecuted after Last Railway Strike

*285. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the number of employees belonging to Ticket Checking staff who have been suspended or dismissed or against whom prosecutions were launched after the last Railway strike; and

(b) the zone-wise particulars thereof ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

जिन टिकट जांच कर्मचारियों को निलम्बित किया गया, बर्खास्त किया गया अथवा नौकरी से हटाया गया तथा जिनके खिलाफ मुकद्दमे चलाये गये, उनसे संबंधित वर्तमान स्थिति नीचे बतायी गयी है :

क्रम सं० रेलवे	निलम्बित कर्मचारियों की संख्या	ऐसे कर्मचारियों की संख्या जो बर्खास्त किये गये/नौकरी से हटाये गये और जिन्हें वापस नहीं लिया गया	ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिनके खिलाफ मुकद्दमे चल रहे हैं
1. मध्य .	1	कोई नहीं	19 (18 के मुकद्दमें वापस लेने की सिफारिश की गयी है)
2. पूर्व	कोई नहीं	7	कोई नहीं
3. उत्तर .	कोई नहीं	1	4
4. पूर्वोत्तर .	3	2	कोई नहीं
5. पूर्वोत्तर सीमा .	कोई नही	10	कोई नहीं
6. दक्षिण . . .	कोई नहीं	4	कोई नहीं
7. दक्षिण मध्य . .	कोई नहीं	1	2
8. दक्षिण पूर्व	1	2	1
9. पश्चिम . .	कोई नहीं	5	2

Shri Shankar Dayal Singh: After examining the statement it appears that either it is incomplete or it has deliberately been prepared in this fashion. Members of the Ticket checking staff go with the trains, they gave green signals and still they have not been given the status of running staff. They have been severely punished as against the other Categories of the Staff. On August 6, 1974 in reply to the notice given by Shri S. M. Banerjee, Shri Qureshi wanted to assure the House that the Governmentpropose to punish only those who are guilty and who are facing serious charges and want to take back those who are innocent. May I know whether the employees against whom no prosecution case is pending and who are the victims of personal prejudice will be taken back on duty ? Suppose D. S. has dismissed such a person. What is the difficulty in taking back such employees, if there is no difficulty, may I know the time by which they will be taken back on duty.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: This is our policy that no such employee is subject to victimization against whom there is no charge at all. It has been mentioned in the statement that 59 members of the Ticket Checking Staff had been suspended. Out of them 54 cases have been withdrawn. Prosecution against four employees are pending in the

Courts. 226 employees of this Category were dismissed out of them 184 have been taken back on duty. Out of those 28 cases which have not been withdrawn a decision has been taken to drop the cases against 18 employees. Thus, there remains only ten cases. It is evident from this that we do not want to harass or victimise any employee unnecessarily. We have proceeded in this regard. The remaining ten or fifteen cases will be decided very soon.

Shri Shankar Dayal Singh: The hon. Minister has said that the innocent employees will be taken back immediately but the fact is that the D.S. or C.C.S. have victimised those employees of the ticket checking staff against whom they are personally prejudiced. Take the case of Eastern Railway. Seven employees have either been dismissed or removed from service and have not so far been taken back on duty. But, I have got the names of ten such employees who have been removed. They are, three in Danapur, one in Hawra, three in Asansol, and three in Dhanbad Division. Shri N. P. Sinha in Danapur Division, Shri D. B. Rai in Hawra and B. N. Singh in Dhanbad Division are such employees against whom there is no case pending and they have not been taken back on duty. May I know whether the hon. Minister propose to issue orders to take back such innocent people against whom there is no case pending and they are losing their wages ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: The employees being harassed due to personal prejudices and those cases as well whose names have been mentioned by the hon. Member will be thoroughly looked into. Out of the 109 employees dismissed in Eastern Railway, 102 employees have been taken back. There are only seven prosecution cases pending in the Courts. I will inform the hon. Member after examining the cases.

Shri Shankar Dayal Singh: I have mentioned three names, There is no Court case pending against them but they are not being taken back on duty due to the high handedness of the D.S.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: We will look into the matter.

श्री नुरुल हसन: मंत्री महोदय ने सेवा से बर्खास्त किये गये तथा हटाये गये कर्मचारियों की संख्या बताई है और तीसरे कालम में उन कर्मचारियों की संख्या बताई है जिनके विरुद्ध मुकद्दमे चलाये जा रहे हैं। इस सूची से हमें पता चलता है कि मध्य तथा उत्तर रेलवे के अतिरिक्त बर्खास्त किये गये अथवा सेवा से हटाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कोई मुकदमें अनिर्णीत नहीं है। गत छः महीनों में उन कर्मचारियों को सेवा में वापस न लेने के क्या कारण हैं ? सरकार इस संदर्भ में क्या कार्यवाही कर रही है कि इन कर्मचारियों को सेवा में तुरन्त वापस लिया जाये।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी: यह प्रश्न टिकट चैकिंग स्टाफ के बारे में है यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं और जानकारी दे सकता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते: उन्हें इतना अधिक तकनीकी नहीं बनना चाहिये। जो स्थिति टिकट चैकिंग स्टाफ पर लागू होती है वह अन्य कर्मचारियों पर भी।

Shri Hari Kishore Singh: May I know whether the ticket checking staff also joined the strike ? So far as my information goes most of the employees of ticket checking staff did not participate in the strike and certain employees are the victims of personal prejudice. The primary question is whether they participated in the strike or not, if they did not join, how does the question of taking action against them arise ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: This is a fact that they participated in strike. After that they have done certain other things for which action has been taken against them.

Shri Bhagwat Jha Azad: Sir, the hon. Minister has said repeatedly that the Government are sympathetically considering the case of those employees against whom there is no charge of violence and arson and no Court Case is pending. We are asking time and again and Shri Shankar Dayal Singh has made a reference to those against whom there is no charge of violence and no case is pending in Court but still they have not been taken back on duty simply because the Officers are prejudiced against such employees. Three cases have been mentioned. May I know as to how it is verified that they aee not being taken back because of the Officers, prejudice. Is there any machinery to ascertain that the D.S. and certain other Officers are not doing this because of their prejudice against these employees.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: Sir, there are 5,700 cases pending in the Courts of law and Railways has conducted the enquiry in this regard in their own way. We have decided to drop 3,350 cases against whom there is no charge of violence. We will have to write to State Government for withdrawal of these cases. There is a procedure for withdrawal and we are to proceed according to that. The remaining 2,000 cases will be decided by the Courts and will act according to that.

Shri Bhagwat Jha Azad: These figures have been quoted time and again. We have asked about the action Government propose to take in regard to the cases which are the victims of their officers' prejudice and for this they are not being taken back on duty. Three such cases have been mentioned.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: I think the hon. Member is not aware of this that I have given this figure for the first time in the House.

Shri Bhagwat Jha Azad: We do not know and the hon. Minister knows every thing (*interruptions*).

Shri Shankar Dayal Singh: He has given this figure on 6th August 1974. This is available with me. He has also given the number of the employees arrested, put behind the bars and released. You may see this list. I will ask certain other things with Railway Minister.

प्रो० मधु दण्डवते : नियम 115 के अन्तर्गत प्रश्न पूछने से पूर्व मैं मंत्री महोदय द्वारा गलत उत्तर देने के बारे में अलग से एक नोटिस दूंगा क्योंकि 5 अगस्त, 1974 को वह आंकड़े दे चुके हैं। आज उन्होंने कहा है कि उन्होंने ऐसे आंकड़े पहले कभी नहीं दिये है। उसके लिये मैं अलग से नोटिस दूंगा।

अब, मैं अपने प्रश्न पर आता हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Mr. Speaker will hold the view that this is an impropriety not a breach of privilege.

प्रो० मधु दण्डवते : औचित्य का हनन तीन बार किया जा चुका है इसे विशेषाधिकार का हनन ही समझा जाना चाहिये।

Mr. Speaker: Have you steamed out your anger ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने तथा श्री लिमये ने जो प्रश्न किया था उसके अनुसरन में, जिसका उत्तर दिया जा चुका है, जब हमने पूछा कि रेल कर्मचारियों के विरुद्ध तोड़-फोड़ तथा हिंसा के कितने मामले थे और उनमें से कितने निपटा दिये गये हैं और क्या कर्मचारी तोड़फोड़ और हिंसा के लिये दोषी पाये गये तो मंत्री महोदय ने सदन में कहा था कि "उनके पास जानकारी नहीं है"। कई माह व्यतीत हो चुके हैं अब तो उन्हें जानकारी मिल गई होगी। प्रश्न टिकट चैकिंग स्टाफ तथा अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के बारे में भी था।

मुझे आज प्रातः दक्षिण रेलवे से एक तार प्राप्त हुआ है जिसमें बताया गया है कि यद्यपि तोड़-फोड़ और हिंसा का कोई मामला अनिर्णीत नहीं है फिर भी कर्मचारी बर्खास्त हैं, उन्हें बहाल नहीं किया गया है । अतः मैं विशेष रूप से यह बात जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने मामले हैं जो तोड़-फोड़ तथा हिंसा के कार्यों से सम्बद्ध हैं और उनके विरुद्ध आरोप सिद्ध हो गये हैं तथा अन्य कर्मचारियों के बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें बिना शर्त बहाल किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : टिकट चैकिंग स्टाफ तथा अन्य कर्मचारी भी ।

प्रो० मधु दण्डवते : टिकट चैकिंग स्टाफ तथा उनके मित्र ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : आज जो आंकड़े बताये गये हैं उनके बारे में मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं । पिछली बार जिन कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमें चल रहे हैं उनकी संख्या 5,800 है । आज मैंने ऐसे मामलों की संख्या 5,700 बताई है । अतः मैंने यह जानकारी आज ही सदन में दी है । पिछली बार से जब हमने प्रश्न पर चर्चा की थी हमने 100 व्यक्तियों के विरुद्ध मामले वापस ले लिये हैं । आज मैंने यह बात बताई है कि 3350 मामले वापस लेने का निर्णय किया गया है जिनके विरुद्ध तोड़-फोड़ और हिंसा के मामले अनिर्णीत थे । 5700 मामलों में से हम 3350 छोड़ रहे हैं । शेष मामलों के बारे में जांच की जा रही है और मुझे विश्वास है, और मामले भी छोड़ दिये जायेंगे । थोड़े से मामले तोड़-फोड़ और हिंसा के रह जायेंगे । वे न्यायालयों द्वारा निर्णीत होंगे और निर्णय हमें मान्य होंगे ।

प्रो० मधु दण्डवते : कितने मामलों में न्यायालयों ने कर्मचारियों को दोषी ठहराया है ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मामले न्यायालयों में अनिर्णीत हैं । जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता ।

Shri Madhu Limaye: On a point of order, Sir. This was my Question. Kindly see the direction in this regard. The answer should be complete according to your directions. We have asked this question last time also. No question that how many people have been convicted, the question is that how many employees in cases of violence and sabotage are involved. He has to give the answer.

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न टिकट चैकिंग स्टाफ के बारे में है जो मुअत्तिल किये गये है, बर्खास्त किये गये हैं अथवा जिनके विरुद्ध मुकदमे चलाये गये हैं ।

श्री मधु लिमये : यह सजा के बारे में नहीं है ।

प्रो० मधु दण्डवते : मंत्री महोदय से आंकड़े एकत्र करने में कितना समय लगेगा । आप हमारा संरक्षण न करें परन्तु रेल कर्मचारियों का तो संरक्षण करना ही चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह रेल कर्मचारियों को अथवा संसद सदस्यों को संरक्षण देने का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न बड़ा ही स्पष्ट है ।

प्रो० मधु दण्डवते : अनुपूरक प्रश्न का भी संरक्षण किया जाना चाहिये केवल मूल प्रश्न का ही नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री धामनकर ।

श्री धामनकर: रेल कर्मचारियों के ऐसे बहुत-से मामले हैं जिन्हें हड़ताल में भाग लेने के कारण बर्खास्त किया गया है। उनके विरुद्ध तोड़-फोड़ और हिंसा के मामले नहीं हैं। उन्होंने जनरल मैनेजर से अनुरोध किया है परन्तु उनके मामले रद्द कर दिये गये हैं। क्या ऐसे मामलों पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार किया जायेगा और उन्हें शीघ्रतिशीघ्र बहाल किया जायेगा।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी: आंकड़े पहले बताये जा चुके हैं। बर्खास्त किये गये और सेवा से हटाये गये 16,749 कर्मचारियों में से 12,000 कर्मचारियों को उनके अनुरोध करने पर सेवा में ले लिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि अनुरोध करने वालों में से 85 प्रतिशत को काम पर वापस ले लिया गया है। 2,500 कर्मचारियों ने अनुरोध नहीं किया है। रेल अधिकारियों तथा अपील प्राधिकारणों के समक्ष 2,000 मामले अनिर्णीत हैं।

Shri Ramavatar Shastri: The hon. Minister has repeatedly clarified the Government's policy that all those employees against whom there is no case of violence or sabotage are pending will be taken back. According to his figures there are 6 suspended. 32 dismissed and removed and 10 employees of the checking staff against whom cases are pending. May I know whether all the employees given by the hon. Minister are involved in the cases of violence and sabotage ? If they are not involved then what is the difficulty in taking back them on duty. If these employees are involved in the cases of violence and sabotage, the hon. Minister should clearly state about it.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: It will be premature to say that the employees against whom cases are pending in Courts are involved in sabotage and violence cases because the Courts will decide on the basis of evidence....

Mr. Speaker: It is for the Courts to decide the issue but what the charges that have levelled by the Government ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: Sir, According to the all India figures available with me there are 634 employees who are facing the charge of sabotage, 591 employees are facing the serious charges of obstruction to Railway working, 95 Cases of violence, thus there are 1,320 cases.

Mr. Speaker: Shouting does not solve any problem.

Shri R.P. Yadav: Is it a fact that in the name of decentralisation, powers have been delegated to the D.S.S. and they are misusing them and are taking action on the basis of pesonal grudge; the checking staff has also been included. Those who are not involved in violence and sabotage, they too are being harrassed unnecessarily. Thus quit a good munber of such cases have been represented by us and many other friends. I want to know what action is being taken in that regard ? Can't you take a decision to the effect that those who are not involved in sabotage and violence should be released ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: I do not follow one thing. If it is supposed that some persons have been proceeded againt out of personal grudge. It would not be admitted by the concerned authority. Still if certain cases are brought to our notice and they are proved to have been based on personal grudge, we whoud taken action against the responsible officers.

Shri Atal Bihari Vajpayee: Is it true that when certain dismissed railway employees' appeal was admitted by the High Court and the Railways were ordered to reinstate them. The Railway Ministry instead of taking them back on work are preparing to take the matter to the Supreme Court ? What is the need therefor ? Why should not the Government be satisfied with the verdict of the High Court and act accordingly ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: The Railway Ministry is also, under the Constitution eligible to appeal against the High Court Judgement. If we have appealed to the Supreme Court against the High Court verdict, nothing is unlawful there.

सोडा ऐश का आयात

***286. श्री डी० पी० जदेजा†:**
श्री बेकारिया :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोडा ऐश का आयात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार उसका कितनी मात्रा में आयात किया गया ; और

(ग) इसका किन देशों से आयात किया गया ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान सोडा ऐश की आयात की गई मात्रा तथा उन देशों के नाम, जिन से इस का आयात किया गया है, निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा	देश
	(मीटरी टन)	
1972-73	1780	रूमानिया
	2491	केनिया
	4271	
1973-74	2500	रूमानिया
1974-75	2500	रूमानिया

श्री डी० पी० जदेजा : इस तथ्य के विचार से कि भारत औद्योगिक नमक का एक प्रमुख निर्यात-कर्ता देश रहा है, और क्योंकि यह नमक सोडा ऐश के उत्पादन के लिये आधारभूत कच्ची सामग्री है, क्या मैं जान सकता हूं कि सोडा ऐश के बारे में देश के कब तक आत्मनिर्भर हो जाने की आशा है ?

श्री सी० पी० माझी : गत वर्षों में सोडा ऐश का उत्पादन उतना नहीं हो सका है जितनी कि उसकी आवश्यकता है और वस्तुतः इस बीच हमने अपनी क्षमता बढ़ा दी है और इस समय हम बहुत कम मात्रा में उसका आयात कर रहे हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हमें आशा है कि हम अपनी आवश्यकता स्वयं पूरी कर सकेंगे तथा कुछ मात्रा में इसका निर्यात भी कर सकेंगे।

श्री डी० पी० जदेजा : मंत्री महोदय ने कहा है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हम आत्मनिर्भर हो जायेंगें । क्या इस देश में केवल टाटा, बिड़ला, तथा साहू जैन बंधू ही गुजरात तट पर सोडा ऐश का उत्पादन करते हैं जोकि कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत भाग है, क्या सरकार ने सहकारी क्षेत्र या अन्य औद्योगिक एककों को सोडा ऐश का उत्पादन करने का प्रोत्साहन दिया है ।

श्री सी० पी० माझी : यह ऐतिहासिक तथ्य है कि सोडा ऐश का उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र में ही होता रहा है । परन्तु अब हम ने औद्योगिक विकास निगमों को आयात पत्र जारी किये हैं तथा सहकारी संस्थाओं को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं और यदि कोई विशिष्ट प्रस्ताव हमारे सामने रखा जाता है तो हम उस पर विचार करेंगे ।

श्री बेकारिया : मुझे खुशी है कि सरकार अगले पांच वर्षों में सोडा ऐश के बारे में आत्मनिर्भर होने की आशा रखती है । मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान एककों के विस्तार तथा नये एककों की स्थापना संबंधी कितने आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन हैं और उन पर निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

श्री सी० पी० माझी : हमें वर्तमान एककों का विस्तार करने के लिये भी आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और वस्तुतः सौराष्ट्र कैमिकल्स को 1 लाख टन की क्षमता बढ़ाने के लिये आयात पत्र जारी किया जा चुका है । तथा वर्ष 1975-76 तक इसकी क्रियान्विति भी हो जायेगी । मैसर्ज दरभंगा कैमिकल्स में लगभग 15,000 टन का विस्तार कार्य भी 1974-75 में पूरा हो जायेगा ।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या उन्हें यह मालूम है कि सोडा ऐश की भारी कमी है और इसे कालाबाजार में बेड़े ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है तथा उपभोक्ता इससे वंचित हैं ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इस कालेबाजार को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या वितरण प्रणाली बनाने का है तथा क्या इस संबंध में उपभोक्ता सहकारी स्टोरों को सोडा ऐश की सप्लाई करने में प्राथमिकता देने का निर्णय किया गया है और क्या उपभोक्ता सहकारी स्टोरों को सोडा ऐश सप्लाई करने के बारे में संबंधित उद्योगों ने सरकारी निदेशों का पालन किया है अथवा उनकी अवहेलना की है ।

श्री सी० पी० मांझी : सोडा ऐश की कालेबाजार में बिक्री के सम्बन्ध में सरकार को किसी प्रकार की भी शिकायतें प्राप्त नहीं हुयी हैं । अभी तक सोडा ऐश की सप्लाई की स्थिति बहुत संतोषप्रद नहीं है. . .

श्री वयालार रवि : वह ऐसा कैसे कह सकते हैं ? यह संतोषप्रद है । मैं साबित कर सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने प्रश्न पूछा है और मंत्री महोदय ने इसका उत्तर दिया है । यह उन्हीं पर छोड़ दीजिये ।

श्री पी० एम० मेहता : संभवतया मंत्री महोदय मेरा प्रश्न नहीं समझे हैं । मैं अपना प्रश्न दुहराता हूं ।

मैं मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूं कि क्या सोडा ऐश की अत्याधिक कमी है और क्या उन्हें इस तथ्य का पता है कि सोडा ऐश कालेबाजार में बहुत अधिक मूल्य पर बेचा जाता है और क्या वितरण प्रणाली के बारे में तथा सोडा ऐश का उपभोक्ता सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ।

श्री सी० पी० मांझी : हमने कुछ एजेन्सियों के माध्यम से वितरण करने का निर्णय किया है. . .

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूछा है कि क्या यह बात उनके ध्यान में आयी है कि कालेबाज़ार में इसकी बिक्री हो रही है । क्या ऐसी कोई बात है ?

श्री सी० पी० मांझी : यह बात हमारे ध्यान में आई है । बात यह है कि इसका 50 प्रतिशत उपभोक्ता उद्योगों को दिया जाता है और 50 प्रतिशत खुले बाजार में बेचा जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूछा है कि क्या यह बात उनके ध्यान में आयी है कि यह सोडा ऐश काले-बाज़ार में बेचा जाता है । यदि यह बेचा जाता है यदि यह सच है, तब, क्या इसके उचित वितरण कराने का कोई प्रस्ताव है ।

श्री सी० पी० मांझी : हमें सोडा ऐश की कालेबाज़ार में बिक्री के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं ।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : सच यह है कि सोडा ऐश की थोड़ी कमी है और इस थोड़ी कमी के कारण . . .

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप व्यवधान न डालिये; यह समझना बहुत कठिन है । कृपा शान्त राहिये ।

श्री के० आर० गणेश : सोडा ऐश की थोड़ी कमी है और इस कमी के कारण फर्म 50 प्रतिशत सोडा ऐश सीधा निर्माता तथा उपभोक्ता उद्योगों को दे रही हैं । अब, यदि थोड़ी कमी है तो हमारी अर्थ-व्यवस्था को देखते हुए काला बाजारी होने की संभावना है । काला बाजारी हर जगह पनपती है । माननीय सदस्य के विचारों पर कि क्या अच्छी वितरण प्रणाली निकाली जायेगी, सरकार द्वारा विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : श्री वयालार रवि, मैं तुम्हें अवसर देना चाहता था परन्तु आप सदैव दूसरों के वक्तव्य में व्यवधान डालते हैं । अब मैं आपको अवसर दे रहा हूं । आप जो चाहते हैं कहें ।

श्री वयालार रवि : आयातित सोडा ऐश का मूल्य स्वदेशी उत्पादन मूल्य से दुगना है । उपभोक्ताओं को सोडा ऐश नहीं मिल रहा है । एकाधिकारी वितरण जैसा चाहते हैं उस तरह से वितरण करते हैं । सोडा ऐश न मिलने के कारण मेरे जिले में एक ग्लास कारखाना छः महीने तक नहीं चल सका । क्या सरकार सोडा ऐश का वितरण उचित उपभोक्ताओं को करायेगी ?

श्री के० आर० गणेश : मेरे विचार से मैं यह बता चुका हूं सरकार इसके उचित वितरण के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जायें इस पर विचार करेगी । इस समय चार कारखाने हैं और उनमें से

तीन पश्चिमी क्षेत्र में हैं और एक पूर्वी क्षेत्र में । जहां तक सोडा ऐश के वितरण का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में इन क्षेत्रों से इसकी ढुलाई के प्रश्न पर भी विचार करना होगा ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें जानकारी अपनी पत्नी से मिलती है ।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : सरकार को इस पर विचार करना होगा ।

श्री मोहनराज कलिंगाएयर : यह बताया गया है कि अगली पंचवर्षीय योजना में सरकार का विचार सोडा ऐश का उत्पादन बढ़ाने का है ताकि हमें इसका आयात न करना पड़े । सोडा ऐश कुछ एकाधिकारवादी कम्पनियों द्वारा सप्लाई किया जाता है । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा इन कारखानों के विस्तार के लिये क्या कदम उठाये जाते हैं । सरकार सहकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना चाहती है । मैं यह जानना चाहता हूं ।

श्री के० आर० गणेश : पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जहां तक सोडा ऐश के विकास का प्रश्न है, मणिपुर स्थित टाटा रसायनों का 1.40 लाख टन विस्तार के अतिरिक्त··निम्नलिखित लाइसेंस तथा आशय पत्र दिये गये हैं, भारतीय उवर्रक निगम को 0.60 लाख टन के लिये, तूती कोरिन अलकाली लिमिटेड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र सहकारी उर्वरक, बम्बई, उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम, केरल, बिहार तथा राजस्थान औद्योगिक विकास निगम तथा सौराष्ट्र रसायन इस समय विस्तार के लिये दो फर्मों के प्रस्ताव विचाराधीन है ।

Bye-Election from Bettiah Parliamentary Constituency

*287. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Law, Justice and Company affairs** be pleased to state :

(a) whether a date had been fixed for holding bye-election from the Bettiah Parliamentary Constituency consequent on the death of late Pt. Kamal Nath Tiwari ;

(b) whether the election was postponed after completion of many preliminary stages and just before the date fixed for the voting ; and

(c) the reasons for postponing the election ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग) निर्वाचन आयोग ने बेतिया संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से उप-निर्वाचन के लिए मतदान की तारीख 18 जुलाई 1974 अधिसूचित की थी । तथापि, आयोग को अनेक राजनीतिक दलों से, जैसे भारतीय जनसंघ, बिहार ; अध्यक्ष, बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति ; भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, बिहार राज्य परिषद् ; महासचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति से और श्री अटल बिहारी वाजपेयी, संसद्-सदस्य और अन्य व्यक्तियों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें सभी ने उप-निर्वाचन को इस आधार पर मुल्तवी करने का आग्रह किया था कि बिहार की स्थिति स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराए जाने के लिए सहायक नहीं है और यह कि वह निर्वाचन-क्षेत्र उस अवधि के दौरान, जबकि आशियत निर्वाचन सम्पन्न होना है, जलमग्न भी हो जाएगा, जिससे अनेक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह जायेंगे । पूर्वोक्त अभ्यावेदन पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मानसून आरंभ होने ही वाला है, जिससे निर्वाचन संबंधी गतिविधियों बहुत हद तक प्रभावित होंगी और

निर्वाचन कराना असंभव तक हो जाएगा, आयोग ने प्रस्तावित उप-निर्वाचन के कार्यक्रम को रद्द करने का विनिश्चय किया । कार्यक्रम रद्द किए जाने संबंधी आयोग की अधिसूचना 24 जून, 1974 को जारी की गई थी ।

Shri Bibhuti Mishra : Th people in Election Commission should know the geography of the Country. The date for the nomination has been fixed. Applications have been submitted. It has also been decided that the applications are correct. The date of wit h drawal of applications has also been fixed. 18 July was fixed for voting. Aft r that this election has been postponed. May I know whether these people approached you after all these deeicions or prior to these decisions.

Dr. Sarojini Mahishi : They approached after all the decisions.

Shri Bibhuti Mishra : I come from that region. There will be total of 200 booths. The district magistrate has written to the hon. minister that due to the water there it will be difficult to reach in villages. I had also requested the election Commission that there is difficulty and hence the elction should be postponed. But my proposal was not considered. The elction Commission did complete all the formalities after that the Commission postponed this election. Opposition parties took it for granted that they are not going to win and they made a request to postpone the election and the election was postponed. Is it not a fact ?

Dr. Sarojini Mahisi : The decision was taken at the request of all political parties and their representations.

Shri Bibhuti Mishra : The election was not postponed at our request. But when Shri Vajpayee and other opposition parties made a request in this regard the election was postponed. May I know whether election commission implements only that what Jan Sangh say ?

Dr. Sarojini Mahishi : Neither elections are held nor postponed according to the reaction of one particular man or party. After the reaction from all political parties were received only then the commission has to postpone it.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I would not like to disclose all that, how Shri Dixit called me on telephone and I wrote a letter according to his wishes. I would not like to go in that. The question is very simple. In Bihar there are rains in July. May I know whether holding by elections in rainy season is in accordance of the policy of election commission Elections are not held during snowfalls or rains then, why it was decided to hold election in Bihar in rainy season. May I know whether the Government have asked any thing from election commission in this regard ?

Dr. Sarojini Mahisi : Election Commission is aware of all the things. They need not be told. It is why, they have postponed it.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, you have also contested.

Mr. Speaker : I am fed up.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Should we held elections in rainy season ?

Mr. Speaker : If it is favourable to you, it should be held.

Shri Atal Bihari Vajpayee : we do not want it.

Shri Jagannath Mishra : The house is well aware of the circumstances in which Biliah by election has been postponed. In this background I would like to know as to when the by election to parliament and to the vacant seats of Bihar Assembly is proposed to be held.

अध्यक्ष महोदय : यह बेतुका प्रश्न है, मैं इस की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

Shri Madhu Limaye : Last year, there was a calling - attention regarding the delay in holding by elections. In reply to that the Minister of Law said that adverage weather conditions and rains are the reasons of the delay. In this context I would like to know the reasons under which this by election in Bihar has been decided to be held during rainy season? Is it fact that the election Commission has decided these dates at the instance of the prime minister because she wated to accept the challenge of Shri Jayprakash Narayan ? (interruptions) was is not at the pressure of Prime Minister, if not, how these dates were decided ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, प्रश्न संसद् के लिये चुनाव के बारे में है, परन्तु उस समय विधानसभा के लिये भी 20 स्थान रिक्त थे । अब इससे अधिक हैं । मुझे बताया गया है कि रिक्त स्थान 43 हैं । यह समय राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व का समय था । बहुत से लोगों ने निर्वाचन आयोग से कहा था कि बिहार के अधिकांश लोगों को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिये और इसी आधार पर उन्होंने यह सोचा कि जब विधानसभा में बहुत से स्थान रिक्त पड़े हैं तब निर्वाचन कराना ठीक है । जिससे कि वे प्रतिनिधि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकें । परन्तु जब यह पता चला कि इस मामले में एक मत है मेरा तात्पर्य कांग्रेस दल से भी है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वे सभी बन्दरवाली चालें अपना रहे हैं ।

श्री एच० आर० गोखले : इसमें कोई चाल नहीं है । यह केवल श्री वाजपेयी की ही मांग नहीं थी जनसंघ या समाजवाद दल की ही मांग नहीं थी, इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, स्थानीय कांग्रेस, भारतीय साम्यवादी दल भी सम्मिलित थे । लगभग सभी राजनैतिक दलों ने कहा था कि निर्वाचन नहीं होने चाहियें और आयोग ने इस सुझाव को मान लिया ।

Shri Madhu Limaye : I have asked a short question whether the date was decided at the pressure from the Prime Minister despite that it was rainy season. I want a reply (*interruptions*) How it can be ruled out ? How you are disallowing my question ? Elections are not ordinarily held during the rains. May I know whether the date was decided at the pressure of the Prime Minister.

श्री एच० आर० गोखले : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं ।

Shri Madhu Limaye : Sir, my question is entirely different. I have asked, why the date was decided during rainy season. Was it at the pressure of the Prime Minister ? Why this question is not being replied ?

अध्यक्ष महोदय : यह सर्वसम्मति को देखकर किया गया था ।

Shri Madhu Limaye : Sir, my question has not been understood. Other political parties requested for postponing it but the date was decided at the pressure of the Prime Minister.

अध्यक्ष महोदय : उत्तर के पश्चात् ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

Shri Madhu Limaye : My question is entiely different and that has not been replied.

अध्यक्ष महोदय : जब सब राजनैतिक दलों ने कहा तब केवल एक व्यक्ति को आप कैसे कह सकते है । आप दोनों के लिये भी कहिये ।

Shri Madhu Limaye : I have aksed as to why the date was decided during the rainy season.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है।

Shri Madhu Limaye : The House is not taken into confidence with proper replies.

Mr. Speaker : The answer is specific and very clear.

प्रो० मधुदण्डवते : आप घोषित करदें कि प्रधान मंत्री का संदर्भ देना असंसदीय है।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में ऐसा ही है।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूं कि यदि मत सच है कि क्या श्री जयप्रकाश नारायण ने, श्री मधुलिमये के दल ने श्री वाजपेयी के दल ने तथा कांग्रेस संगठन जैसे अन्य दलों ने केवल इसी उपचुनाव को नहीं अपितु बिहार के सभी उपचुनाव को कराने का विरोध किया था। मैं मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूं. . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : 18 जुलाई, को चुनाव निर्वाचन आयोग तथा सरकार ने बाढ़ तथा वर्षा के कारण स्थगित किया है। वर्षा काल अब समाप्त हो गया है बेतिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये चुनाव की तिथि क्यों निर्धारित नहीं की गई ? क्या यह इस कारण कि बिहार के लोग श्री गफूर को भ्रष्ट सरकार को हटाने के लिये आन्दोलन कर रहे हैं और सरकार जानती है कि वे हार जायेंगे और यहां तक कि उनके अपने प्रत्याशियों की जमानत भी जब्त हो जायेगी बेतिया चुनाव के लिये तिथि क्यों नहीं निर्धारित की गई ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह नहीं है। उन्होंने अपनी जानकारी दे दी है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : प्रश्न यह है कि क्या सरकार तिथि निर्धारित करेगी अथवा नहीं ?

श्री एच० आर० गोखले : इस प्रश्न के उत्तर में, मैं यह बताना चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग यह जानता है कि उस समय जो बिहार में स्थिति थी वह आगे नहीं रहेगी। निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन के लिये आवश्यक सामग्री जुटाना आरम्भ कर दिया है. . . (**व्यवधान**)

Shri Janeshwar Mishra : This time my election was also held during the rains and only 4 day prior to my election date the election Commission postponed the Billiah by election. There was a rumour in my constituency also that this election will also be postponed. It was postponed in order to confuse the people and secondly, the Government was afraid of facing the JP movement. . . .(*interruption*)

अध्यक्ष महोदय : आप अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कोई जानकारी प्राप्त नहीं करना चाहते। आप कहते हैं ऐसा हुआ, यह हो गया इस लिये ऐसा हो रहा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Oil exploration at Gotaru and Longwala in Rajasthan

*288. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7789 on the 23rd April, 1974 regarding oil exploration in Rajasthan and state the final decision taken by Government in regard to the drilling of two deep wells in Gotaru and Longwala area ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri K. D. Malaviya) As on 22-11-1974 the drilling at Shumarwali-Talai well No. 2 had reached a depth of 2944 metres. The projected depth of this well is 3500 metres. After completion of drilling and production testing of this well, the ONGC has decided to drill, in succession, 2 deep exploratory wells at Gotaru and Longwala in Rajasthan.

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में रेल सेवाओं में सुधार करने के लिये कार्यवाही करना

*289. **श्री नुरूल हुडा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में यात्री रेल सेवाओं के अत्यधिक अनियमित और धीमी गति से चलने की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) अप्रैल से सितम्बर 1974 तक की अवधि में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में गाड़ियों का समय-पालन सन्तोषजनक नहीं रहा जिसके मुख्य कारण थे—मई, 1974 की हड़ताल और उसके पश्चातवर्ती प्रभाव, अगस्त और सितम्बर, 1974 में भारी वर्षा के कारण बाढ़ और लाइनों की टूट-फूट और खतरे की जंजीर का बार-बार खींचा जाना ।

(ख) और (ग) : सवारी ले जाने वाली गाड़ियों के समय-पालन पर सभी स्तरों पर बड़ी निगरानी रखी जाती है और परिहार्य अवरोधों का विश्लेषण किया जाता है तथा गाड़ी-चालन में सुधार के लिए उपयुक्त निवारक/दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है । आंदोलन, खतरे की जंजीर का खींचा जाना जैसे अपरिहार्य अवरोधों के मामले में उपयुक्त स्तर पर राज्य सरकार के प्राधिकारियों से निकट सम्पर्क रखा जाता है ताकि गाड़ियों के चालन पर प्रतिकुल प्रभाव न पड़े । सितम्बर और अक्तूबर, 1974 में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर समय-पालन में सुधार हुआ है और इस प्रवृत्ति को बनाये रखने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

बरौनी तेल शोधक कारखाने में फेर-बदल करने सम्बन्धी योजना

*290. **श्री एम० एस० पुरती** :
श्री एन० ई० होरो :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित कच्चे तेल का प्रयोग करने के लिये बरौनी तेल शोधक कारखाना में फेर-बदल करने सम्बन्धी योजना को त्याग दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) देशीय कच्चे तेल की उपलब्धि में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस योजना को अब त्याग दिया गया है ।

खड़गपुर और भुवनेश्वर के बीच रेल गाड़ियों में डकैतियां

***291. श्री अर्जुन सेठी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर और भुवनेश्वर (दक्षिण-पूर्व रेलवे) के बीच रेल गाड़ियों में डकैती की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो रेलगाड़ियों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या उक्त कार्यवाही के अपेक्षित परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

झरिया से कोयले का बैगनों में लदान का घोटाला और उनका पाकिस्तानी सीमाओं से लगेहुये स्थानों में परिवहन

***292. श्री मधु लिमये :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को ऐसे घोटाले के बारे में सूचना दी गयी है कि झरिया कोयला क्षेत्र से बैगनों में कोयले का लदान किया जाता है तथा पंजाब राजस्थान क्षेत्र में पाकिस्तानी सीमाओं से लगे हुए स्थानों को ले जाया जाता है तथा उन स्थानों पर कोयला उतार कर उसे ट्रकों तथा अन्य साधनों द्वारा पाकिस्तान चोरी छिपे ले जाया जाता है;

(ख) इस घोटाले से कितनी मात्रा में कोयला चोरी छिपे बाहर भेजा गया है;

(ग) क्या इस बारे में केन्द्रीय जांच एजेंसियों की सहायता मांगी गयी तथा दी गयी थी;

(घ) इस कार्य में संलग्न रेलवे अधिकारियों के नामों की सूची क्या है; और

(ङ) क्या यह सच है कि उनका स्थानान्तरण कर दिया गया था तथा बाद में उनकी पदोन्नति कर दी गयी थी और इस घोटाले में उनके शरीक होने के कारण किसी को न तो बर्खास्त किया गया और न ही सेवा से निकाला गया ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे स्टेशनों पर क्लोज सर्किट टेलीविजन सिस्टम का लगाया जाना

***श्री धामनकर :**

293. श्र। बसन्त साठे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों को गाड़ियों के मगना-गमन के बारे में बताने के लिए सिकन्दराबाद रेलवे स्टेशन पर इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन ग्राफ इण्डिया का क्लोज सर्किट टेलीविजन सिस्टम लगाया गया है;

(ख) क्या देश में ग्रन्य महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर भी क्लोज सर्किट टेलिविजन सिस्टम की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है; ग्रौर

(ग) यदि हां तो उन स्टेशनों संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं। लेकिन, इलैक्ट्रिक कारपोरेशन ग्राफ इण्डिया ने सिकन्दराबाद रेलवे स्टेशन पर 12 दिन तक क्लोज सर्किट टेलीविजन प्रणाली का प्रयोग किया था।

(ख) ग्रौर (ग) इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन ग्राफ इण्डिया ऐसा ही एक प्रयोग दक्षिण रेलवे के मद्रास सेण्ट्रल रेलवे स्टेशन पर कर रही है।

कुछ ग्ररब देशों द्वारा तेल का मूल्य घटाया जाना

***294. श्री प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या पेट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फारस की खाड़ी के कई ग्ररब देशों द्वारा तेल का मूल्य कम किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या भारत ने इनसे विश्व ग्रार्थिक संकट को ग्रौर गंभीर न होने देने के लिए तेल के मूल्यों में कमी करने का ग्रनुरोध किया है; ग्रौर

(ग) क्या इन देशों द्वारा कोई उचित कमी की गई है ग्रौर यदि हां, तो कितनी ग्रौर इससे भारतीय ग्रर्थव्यवस्था कहां तक लाभांवित होगी ?

पेट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) खाड़ी के तेल उत्पादक देशों की हाल की बैठक में साउदी ग्ररब, युनाइटेड ग्ररब ग्रमीरात तथा कतार ने निम्नलिखित निर्णय लिये हैं :—

(1) 1 नवम्बर, 1974 से प्रति वैरल 40 ग्रमरीकी सैन्ट्स तक ग्रशोधित तेल के ग्रर्जशुदा मूल्यों में कमी करना।

(2) रायल्टी की दरों में 20 प्रतिशत तक वृद्धि करना।

(3) तेल कम्पनियों को लाभ आयकर दरों में 85 प्रतिशत तक वृद्धि करना संशोधन मूल्य सूत्र जुलाई 1975 तक लागू रहेगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपरोक्त (क) में दिये गये निर्णय को ध्यान में रखकर भारत में विदेशी तेल कम्पनियों ने एक्सोन एवं कालटैक्स के संबंध में 1-11-1974 से तथा बर्मा शैल के संबंध में 14-11-1974 से अपने मूल्यों में वृद्धि करने के बारे में सूचित किया है। अतः भारत को तत्काल लाभ का प्रश्न नहीं उठता।

खपत के सन्दर्भ में तेल का उत्पादन और मूल्य

*295. **श्री राजदेव सिंह:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोल का मूल्य वर्ष 1970 में 1.80 डालर प्रति बैरल से बढ़कर वर्ष 1974 में 11.65 डालर प्रति बैरल हो जाने के समय से पेट्रोल का उत्पादन प्रतिदिन खपत से 15 से 20 लाख बैरल अधिक हो रहा है;

(ख) क्या सप्लाई मांग से अधिक होने के बावजूद भी और विशेषतया जबकि उत्पादन में कोई कटौती नहीं की गई है मूल्यों में कोई कमी नहीं हुई है; और

(ग) क्या जब से अरब देशों के अशोधित तेल के मूल्यों में असाधारण वृद्धि हुई है भारत ने उन देशों से तेल के आयात में कमी कर दी है; और यदि हां, तो कितनी प्रतिशत कमी की है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) वर्ष 1970 से 1973 तक की अवधि के विश्व तेल उत्पादन तथा खपत के आंकड़ों से यह जानकारी प्राप्त होती है कि तेल का उत्पादन तेल की खपत से अधिक रहा है। 1973 तक के वर्षवार आंकड़े निम्नलिखित हैं:—

मिलियन बैरल प्रतिदिन

वर्ष	उत्पादन	खपत	उत्पादन/खपत का अधिशेष
1970	48.77	46.26	2.51
1971	50.32	48.89	1.43
1972	52.98	52.47	0.51
1973	57.71	56.43	1.28

(स्रोत: बी० पी० एनुअल स्टैटिस्टिकल रिव्यू)।

(ख) कच्चे तेल के मूल्यों की मांग और सप्लाई के सिद्धान्त से सदैव सीधा संबंध नहीं रहता।

(ग) अक्तूबर 1973 तथा जनवरी 1974 में कच्चे तेल के मूल्यों में तीव्र वृद्धि हुई थी। वर्तमान वर्ष में तेल का आयात गत वर्ष के बराबर होने का अनुमान है। व्यापक रूप से वर्तमान वर्ष में गत वर्ष की तुलना में अरब देशों से किये जाने वाले आयात में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है।

पर्वतीय एवं पिछड़े राज्यों में नई लाइनों के लिये धन का नियतन करना

*296. **श्री नारायण चन्द पराशर**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के प्रत्येक राज्य में 31 मार्च, 1974 के दिन ब्राड, मीटर तथा नैरो गैजों की किलोमीटरों में अलग-अलग लम्बाई क्या थी;

(ख) इस समय विद्यमान राज्यों में से प्रत्येक राज्य में गत तीन वर्षों में अलग-अलग प्रत्येक गेज की कितनी नई लाईनें जोड़ी गयीं; और

(ग) क्या पर्वतीय और पिछड़े राज्यों में जो अब तक उपेक्षित रहे हैं, नई लाईनें बिछाने के लिए धन राशि का उदारता से नियतन करने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र): (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गयी है [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 8632/74**]

इंडियन आयल कारपोरेशन के गैस के उत्पादन में कमी

*297. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**: क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा उत्पादित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (इण्डेन) के उत्पादन में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) और (ख) भारतीय तेल निगम की शोधनशालाओं में एल० पी० जी० के उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई है। गत तीन वर्षों के लिये विक्रय के लिये निर्धारित किये गये लक्ष्य, उन शोधनशालाओं, जिन के उत्पादन भारतीय तेल निगम द्वारा बेचे जाते हैं, का वास्तविक उत्पादन तथा इंडेन गैस की वास्तविक बिक्री के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:—

वर्ष	लक्ष्य (मी०टन)	वास्तविक उत्पादन (मी० टन)	बेची गई एल पी जी (इंडेन) (मी०टन)
1971-72 . .	54,166	53,527	50,439
1972-73	81,117	83,930	78,735
1973-74	108,200	106,906	99,312

यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में प्रत्येक वर्ष में घरेलू गैस की बिक्री में काफी वृद्धि हुई है, इन वर्षों के दौरान लक्ष्यों के मुकाबले में वास्तविक बिक्री में कमी हो गई थी। जिस के मुख्य कारण सिलेन्डरों की अपर्याप्त सप्लाई, परिचालन संबंधी कठिनाइयों तथा रेल सड़क परिवहन के भंग होने के कारण उठाने में मौसमी कमी होना आदि थे।

कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की लागत

***298. श्री के० लकप्पा:**
श्री बनमाली बाबू:

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में स्थापित किये जाने वाले कोयले पर आधारित प्रस्तावित प्रत्येक उर्वरक संयंत्र पर कितनी लागत आयेगी?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): तालचर (उड़ीया) रामागुंडम (आन्ध्र प्रदेश) और कोरवा (मध्य प्रदेश) में सरकारी क्षेत्र की कोयले पर आधारित तीन उर्वरक प्रायोजनाओं का कार्यान्वियन किया जा रहा है। रामागुंडम में स्थित संयंत्र पर लगभग 137.3 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और तालचर तथा कोरवा में स्थित प्रायोजनाओं पर क्रमश: लगभग 143 करोड़ तथा 150 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है।

अगस्त, 1973 से अगस्त, 1974 के दौरान रेल गाड़ियों में डकैतियां

***299. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अगस्त, 1973 से अगस्त, 1974 के दौरान राज्यवार, रेलगाड़ियों में डकैती की कितनी घटनायें हुई हैं;

(ख) इस संबंध में अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं; और

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख):

राज्य	डाके के मामलों की संख्या	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	3	5
असम	—	—
बिहार	56	54
दिल्ली	1	—

1	2	3
गुजरात	5	3
हरियाणा	3	6
हिमाचल प्रदेश	—	—
केरल	—	—
मध्य प्रदेश	25	24
महाराष्ट्र	64	64
मैसूर	—	—
उड़ीसा	3	1
पंजाब	7	19
राजस्थान	17	2
तमिलनाडु	5	2
उत्तर प्रदेश	73	90
पश्चिम बंगाल	80	164

(ग) संविधान के अन्तर्गत चूंकि "रेलवे पुलिस सहित पुलिस-व्यवस्था" की जिम्मेदारी राज्यों की है, इसलिए चलती गाड़ियों में पड़ने वाले डाकों की रोकथाम के उपाय राज्य सरकारों को करने होते हैं। राज्य सरकारें इस तरह के अपराध की रोक-थाम के लिए निम्नलिखित कार्रवाई कर रही है :—

(i) महत्वपूर्ण गाड़ियों में आरक्षी दल;

(ii) पश्चिमी बंगाल क्षेत्र में सादी पोशाक में सशस्त्र पुलिसमैनों द्वारा सन्दिग्ध व्यक्तियों पर नज़र रखना;

(iii) अपराधियों और ज्ञात दुश्चरित्र व्यक्तियों की निगरानी के लिए स्टेशन प्लेटफार्मों पर और प्रतीक्षालयों में नियमित गश्ती दलों की नियुक्ति;

(iv) अपराधों की प्रबल जांच-पड़ताल और प्रकट होने वाले अपराधियों पर मुकदमा चलाना;

(v) जहां पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो, सुरक्षात्मक कानून के अधीन ज्ञात और अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करना।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

*300. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 30 अक्तूबर, 1974 को राज्यवार उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त थे;

(ख) ये पद कब से खाली पड़े हैं ;

(ग) इन रिक्त पदों को भरने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन रिक्त पदों को भरने में कितना समय लगगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है [**ग्रंथालय में रखा गया /देखिए संख्या एल०टी० 8633/74**]

Alleged use of Adulterated and Inferior Quality of Cement for Construction of Railway Bridges by Contractors

***301. Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of Railways be pleased to state

(a) whether he is aware that adulterated and inferior quality of cement is used by contractors in the construction of railway bridges and rail-cum-road bridges ;

(b) if so, the number of such cases detected during last three years ; and

(c) the measures adopted in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) No, Sir. (b) Nil.

(c) Does not arise.

Goods Pilfering Gang between Saharanaur and Pilkhari Stations

***302. Shri Mulki Raj Saini :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether a goods pilfering gang is active between Saharanpur and Pilkhari Railway Stations in Saharanpur District ; and

(b) the preventive measures Government propose to take in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No. Sir, (There is no 'Pilkhari' stations on this section. Presumably Hon'ble Member refers to "Pilkhani".

(b) This section is already being patrolled between Saharanpur and Pilkhani by Rail way Protection Force armed personnel since November, 1973 and no further steps are considered necessary.

डिवीजनल सुपरिटेंडेंट धनबाद द्वारा लोको फोरमैन पाथरडीह के अधीनस्थ स्थानापन्न कर्मचारियों का सेवा से हटाया जाना

*303. **श्री भोला मांझी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली रेलवे हड़ताल के दौरान डिवीजनल सुपरिटेंडेन्ट, धनबाद द्वारा 10 मई 1974 तथा इसके पश्चात् लोको फोरमैन पाथरडीह के अधीनस्थ कई स्थानापन्न कर्मचारियों को इस तर्क पर सेवा से हटा दिया गया कि उनके पद पालक कार्य पर नहीं आ रहे हैं ;

(ख) क्या ऐसी कार्यवाही सरकार की नीति तथा निर्देशानुसार की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Suggestion of Planning Commission for production of Fuel Oil in place of Petrol

*304. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Pertoleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the Planning Commission has made a suggestion for production of fuel oil in place of petrol ; and

(b) If so, the salient features of Government's scheme to produce fuel oil ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri K. D. Malaviya) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise in view of (a) above.

बम्बई मंगलौर रेल लाइन का अन्तिम सर्वेक्षण

*305. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रस्तावित बम्बई-मंगलौर रेल लाइन का अन्तिम सर्वेक्षण करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) इस प्रस्तावित रेल लाइन के निर्माण कार्य के एक भाग के रूप में आप्ता तथा दासगांव के बीच शुरू किये गए मिट्टी डालने के काम में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना को शामिल करने के बारे में योजना आयोग का दृष्टिकोण क्या है ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) आप्ता और दासगांव के बीच अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और रिपोर्टों की जांच की जा रही है। दासगांव और रत्नगिरी के बीच अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण, जिसमें रत्नगिरी और मेंगलूरू के बीच पिछले सर्वेक्षण की स्थल जांच शामिल है, की भी मंजूरी दे दी गयी है और यह काम हो रहा है ।

(ख) कोंकन रेल परियोजना के आप्ता-दासगांव भाग पर मिट्टी डालने का काम 1973 में सूखा राहत कार्य के रूप में शुरू किया गया था और महाराष्ट्र सरकार ने इस काम को अपने खर्च पर पूरा किया था। मिट्टी डालने के कुल 18.90 लाख घन मीटर काम में से 1.07 लाख घन मीटर काम राज्य सरकार द्वारा पूरा किया गया। सूखे की हालत में सुधार हो जाने के कारण राज्य सरकार ने 15-6-1973 को यह काम बन्द कर दिया।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए जिन रेलवे लाइनों को बनाने का प्रस्ताव है उनकी सूची में इस परियोजना को शामिल कर लिया गया है बशर्ते इस काम के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जाय। पांचवीं योजना में नयी रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए आवंटित राशि चालू निर्माण कार्यों को पूरा करने और महत्वपूर्ण क्षेत्र की मांगों के लिए अपेक्षित कार्यों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इसके लिए योजना आयोग को अतिरिक्त धन की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था लेकिन वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों के कारण वह ऐसा करने में असमर्थ है।

राजस्थान में भट्टी तेल तथा डीजल तेल के उपलब्ध न होने के कारण कारखानों का बन्द किया जाना

2803. **श्री श्रीकिशन मोदी:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में मध्यम तथा छोटे दर्जे के औद्योगिक एककों को भट्टी तेल, डीजल तेल तथा अन्य तेल उत्पादों के उपलब्ध न होने के कारण बंद किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपाय किये गये हैं।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी): (क) और (ख) सरकार द्वारा इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है। वर्तमान में कंपनियों के फुटकर बिक्री केन्द्रों पर डीजल तेल की बिक्री खुले रूप में की जाती है। तथापि कंपनियों द्वारा प्रत्येक ग्राहक को उसके द्वारा वर्ष 1973 में उठाये गए माल के आधार पर भट्टी के तेल की सप्लाई की जाती है। समस्त उपभोक्ताओं के लिए भट्टी के तेल की सप्लाई पर 10% की दक्षता बचत कटौती लगाई जाती है। 33 निर्दिष्ट महत्वपूर्ण क्षेत्र उद्योगों को छोड़कर, औद्योगिक उपभोक्ताओं की सप्लाइयों पर 10% की अतिरिक्त कटौती लगाई जाती है।

लघु एककों तथा राज्य, प्रतिष्ठानों जो किसी केन्द्रीय सामर्थक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत नहीं है, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को अलग से भी आवंटित किए गए है।

विदेशी कम्पनियों द्वारा लघु एककों के उत्पादों की बिक्री

2804. **श्री सुरेन्द्र महन्ती:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री विदेशी कम्पनियों द्वारा लघु एककों के उत्पादों की बिक्री के बारे में 27 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3676 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस जानकारी को सभा पटल पर रखेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो वह ऐसा कब तक करेंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) से (ग) सूचना एकत्र करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा इसे शीघ्रातिशीघ्र सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

Level Crossing Gates at Ahmedpur, Khaigaon, Mordar and Sirra (M.P.)

2805. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the level crossing gates at Ahmedpur, Khaigaon, Mordar and Sirra of East Nimar District of Madhya Pradesh on the Central Railway are not opened for traffic as a result of which the villagers and other people have to experience a great deal of inconvenience ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways : (Shri Buta Singh) (a) The concerned level crossings on Central Railway in those areas are opened for traffic.

(b) Does not arise.

गुजरात में पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी के तेल की कमी

2806. **श्री डी० डी० देसाई : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में पिछली निमाही में पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी के तेल की अत्यधिक कमी रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गुजरात राज्य के लिये निर्धारित किये गये कोटे की सप्लाई करने के बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) गुजरात सहित देश में कहीं पर भी गत तीन महीनों में पेट्रोल या डीजल के अभाव की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। इन उत्पादों का कोई राज्यवार आवंटन भी नहीं किया जा रहा है। इस समय डीजल आयल की खुली सप्लाई है और अपेक्षित मात्रा तक विभिन्न राज्यों में तेल कंपनियों द्वारा सप्लाई बढ़ा दी गई है।

तथापि खपत कम करने के लिए राज्यों के मिट्टी के तेल के कोटे में कमी कर दी गई थी। कुछ महीने यह कटौती 30% की मात्रा तक थी। सम्भव है कि कतिपय क्षेत्रों में मिट्टी के तेल का अभाव बढ़ गया होगा। तथापि गत तीन महीनों में गुजरात राज्य को दिया गया मिट्टी का तेल उसके आबंटन से अधिक है। कुल कटौती में लगभग 10% कमी कर मास नवम्बर 1974 से मिट्टी के तेल के आबंटन में वृद्धि कर दी गई है। गुजरात को अक्तूबर में दिए 19,550 मी० टन की तुलना में नवम्बर में 23,024 मी० ;. टन बढ़ाकर मिट्टी के तेल का आबंटन किया गया था। गुजरात को दिसम्बर में 25,316 मी० टन मिट्टी का तेल और बढ़ाकर दिया गया है।

पंजाब के रेल स्टेशनों की मरम्मत तथा विस्तार

2807. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के कुछ रेलवे स्टेशनों की मरम्मत तथा विस्तार करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने चालू वर्ष के दौरान उनके लिए धनराशि प्रदान की है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) यातायात के वर्तमान स्तर के लिए, पंजाब राज्य में रेलवे स्टेशनों की इमारतों का बड़े पैमाने पर विस्तार आवश्यक नहीं समझा जाता। फिर भी जैसाकि भाग (ग) के उत्तर में बताया गया है, बेहतर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कतिपय प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है।

संपूर्ण रेल प्रणाली पर आमतौर से आवश्यक आवधिक अनुरक्षण और मरम्मत नियमित रूप से की जाती है ।

(ख) अनुरक्षण और मरम्मत के लिए धन की व्यवस्था हर वर्ष की जाती है और इस वर्ष भी इस प्रयोजन के लिए धन की व्यवस्था की गयी है।

सम्पूर्ण रेल प्रणाली के लिए यात्री सुविधा संबंधी कार्यों के लिए भी धन की व्यवस्था की गयी है ।

(ग) पंजाब में विभिन्न स्टेशनों पर निम्नलिखित यात्री सुविधा संबंधी निर्माण कार्य चालू हैं :—

1. **भटिंडा**
   प्लेटफार्म पर छत का विस्तार।

2. **लुधियाना**
   प्लेटफार्म पर भा० रे० मा० की छत की व्यवस्था।

3. **जालन्धर शहर**
   प्लेटफार्म पर यात्री प्लेटफार्म छत की व्यवस्था ।

4. **ब्यास**
   डाउन प्लेटफार्म पर प्लेटफार्म छत का विस्तार।

5. **पटियाला**
   (1) द्वीप प्लेटफार्म पर शेड की व्यवस्था।
   (2) ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था ।

कज्जाकोट्टम रेल स्टेशन (केरल) में सुविधाओं को बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव

2808. **श्री बयालार रवि :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एर्नाकुलम त्रिवेन्द्रम रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के साथ केरल में कज्जाकोट्टम रेल स्टेशन के यात्रियों के लिये सुविधाओं को बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो शुरू किये गये प्रस्तावित निर्माण-कार्य की रूपरेखा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित कार्य इस प्रकार हैं :

(1) एक नये टिकट घर की व्यवस्था।

(2) सिगनल शाखा के लिए दो नये कमरों की व्यवस्था।

(3) फुटकर सामान की बुकिंग के लिए एक कमरा।

(4) वर्तमान पटरी की सतह के बराबर प्लेटफार्म का 61 मीटर तक विस्तार और उसे ऊंचा उठाना ।

(5) एक नये पटरी की सतह के द्वीप प्लेटफार्म की व्यवस्था।

बिहार में नवम्बर, 1974 के दौरान हुई हानि

2809. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1974 में बिहार आन्दोलन के फलस्वरूप रेलवे को कुल कितनी हानि हुई; और

(ख) ऐसे अवसरों पर रेलवे की सम्पत्ति की सुरक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारी उपाय किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 24,209 रुपये ।

(ख) राज्य सरकारों के साथ निरन्तर संपर्क रखा जाता है और उनकी सहायता से सिविल पुलिस, रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल को ऐसे मौकों पर रेल सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए तैनात किया जाता है ।

भट्टी तेल तथा डीडल तेल के उपलब्ध न होने के कारण गोआ में औद्योगिक एककों का बन्द किया जाना

2810. **श्री पुरुषोतम काकोडकर :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गोआ में बहुत बड़ी संख्या में मध्यम तथा छोटे दर्जे के औद्योगिक एककों को भट्टी तेल, डीजल तेल तथा अन्य तेल उत्पादों के उपलब्ध न होंने के कारण बंद किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपाय किये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) इस प्रकार की कोई रिपोर्ट सरकार को नहीं मिली है। कंपनी के पेट्रोल पम्पों पर इस समय डीजल आयल की खुली बिक्री है। तथापि भट्टी तेल की सप्लाई अलग अलग अपभोक्ताओं की 1973 की क्रीतमात्रा के आधार पर कम्पनियों द्वारा की जा रही है। समस्त उपभोक्ताओं को भट्टी के तेल की सप्लाई करने में 10 प्रतिशत कार्यानुसार कटौती की जा रही है। 33 निर्दिष्ट महत्वपूर्ण क्षेत्र उद्योगों से भिन्न औद्योगिक उपभोक्ताओं की सप्लाई में भी 10 प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती की जा रही है । जिन लघु उद्योग एककों और राजकीय उद्यमों की सप्लाई करने के लिऐ राज्यों को भी कोटा दिया जाता है और किसी केन्द्रीय पुरस्कर्ता प्राधिकारी के पास उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है।

Import of Petrol during last three years.

2811. **Shri B.S. Chowhan:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the names of countries from where petrol has been imported by India during the last three years;

(b) the total cost of the petrol imported; and

(c) the mode of payment made by India to each of the aforesaid countries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C.P. Majhi): (a) to (c): No petrol (Motor Spirit) was imported by India during the last three years.

कुछ औषध फर्मों को दिये गये लाइसेंस

2812. **श्री भालजीभाई परमार : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में मैसर्स ई० मर्क, ग्लैक्सो, हायस्ट तथा एंग्लो फ्रेंच को कितने आशय-पत्र, औद्योगिक लाइसेंस/अनुमति पत्र दिये गये हैं;

(ख) प्रत्येक आशय-पत्र/लाइसेंस/अनुमति पत्र के अन्तर्गत शामिल मदें क्या हैं और प्रत्येक मद की क्षमता कितनी है;

(ग) इन फर्मों द्वारा इन मदों का कितना उत्पादन किया गया है; और

(घ) उन फर्मों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है जहां अधिक उत्पादन किया है और लाइसेंस उपबन्धों का उल्लंघन किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) एक विवरण पत्र, जिस में तीसरी तथा चौथी पंच वर्षीय योजना अवधि के दौरान मैसर्स ई मर्क, ग्लैक्सो, रोश तथा एंग्लो फ्रैन्च को दिये गये अनुज्ञा पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों/आशय पत्रों, निर्माण की मद, प्रत्येक के बारे में अनुमोदित क्षमता और 1971 तथा 1972 के दौरान हुए उत्पादन के बारे में उल्लेख है, संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8634/74]।

(घ) अधिक उत्पादन किये जाने के प्रश्न पर सरकार द्वारा अलग से जांच की जा रही है।

राजस्थान में स्थगित की गई रेलगाड़ियों को पुनः चलाना

2813. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल हड़ताल के दौरान राजस्थान में किन रेल सेवाओं को स्थगित कर दिया गया था और किन सेवाओं के आने-जाने में कमी कर दी गयी थी;

(ख) क्या स्थगित की गयी सभी रेलगाड़ियों को इस बीच पुनः चला दिया गया है और अन्य रेल गाड़ियों का आवागमन बढ़ा दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अजमेर डिविजन (पश्चिम रेलवे) का आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन के डिवीजनल सम्मेलन में पारित किये गये संकल्प

2814. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजमेर डिवीजन (पश्चिम रेलवे) की आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन का एक डिविजन सम्मेलन 16 फरवरी, 1974 को आबू रोड में आयोजित हुआ था तथा उसमें पारित

संकल्प एसोसियेशन द्वारा महाप्रबन्धक को भेजे गये थे और कुछ संसद् सदस्यों ने भी वे संकल्प रेल मंत्री को भेजे थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त संकल्पों की मुख्य बातें क्या हैं और प्रत्येक पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन संकल्पों में व्यक्त की गई मदों पर अंतिम रूप से निर्णय करने में सरकार कितना समय लेगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें संकल्प में उठाये गये मुद्दे और तत्संबंधी स्थिति बतायी गयी है। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 8635/74]

मीटर गेज सेक्शन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर बिहार के गन्ना उत्पादकों के लिये माल डिब्बे

2815. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर तथा मुज्जफ्फरपुर के बीच पूर्वोत्तर रेलवे के मीटर गेज सेक्शन पर माल डिब्बों की ढुलाई के प्रस्तावित स्थगन के कारण बिहार-स्थित, सिलौट, धौली, तथा पूसा के गन्ना उत्पादकों में भारी रोष व्याप्त है ;

(ख) क्या इस कारण 5,000 से अधिक किसानों को अनुमानतः लगभग 40 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ेगी क्योंकि गन्नों की इतनी अधिक मात्रा ट्रकों के द्वारा ही वहन नहीं की जा सकती; और

(ग) यदि हां, तो किसानों तथा चीनी उद्योग को इस संकट से बचाने के लिये रेलवे का विचार क्या तात्कालिक कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) समस्तीपुर और मुज्जफरपुर के बीच मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने से संबंधित कार्यों के कारण इस खण्ड को दिसम्बर, 1974 के मध्य से लगभग एक पखवाड़े के लिए बन्द करना पड़ेगा। इसलिए आगामी गन्ना पेराई मौसम में इस क्षेत्र के स्टेशनों से रेल द्वारा ढुलाई करना संभव न होगा। फिर भी, समस्तीपुर शुगर फैक्टरी ने संबंधित प्राधिकारियों से विचार-विमर्श करके सिलौट, ढोली और पूसा रोड स्टेशनों से गन्ने की ढुलाई करने के प्रबन्ध कर लिये हैं ।

विजयवाड़ा में रेलवे वर्कशाप की स्थापना करना

2816. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा में रेलवे वर्कशाप की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत तथा क्षमता क्या होगी और क्या किसी विदेशी सहायता का उपयोग किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) दक्षिण मध्य रेलवे पर विजयवाड़ा में माल डिब्बों की मरम्मत का एक नया कारखाना स्थापित करने की एक योजना मंजूर की गयी है।

(ख) इस योजना पर कुल 14.83 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इस कारखाने में 13600 चौपहिये माल डिब्बों की मरम्मत करने की वार्षिक क्षमता तैयार करने के लक्ष्य की योजना बनायी गयी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एल० डी० पी० (लो डेन्सिटी पालीथी) का उत्पादन तथा वितरण

2817. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में घरेलू तथा अन्य उपयोगों के लिये एल० डी० पी० की अत्यधिक कमी है;

(ख) एल० डी० पी० की उत्पादन क्षमता क्या है और प्रस्तावित उत्पादन कितना है;

(ग) वर्ष 1973-74 के दौरान कुल कितनी मात्रा में एल० डी० पी० का आयात किया गया; और

(घ) इसकी वितरण प्रक्रिया क्या है तथा क्या छोटे कारखानों को इसका नियतन नहीं किया जाता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) बढ़ी हुई मांग के अनुसार उत्पादन न बढ़ सकने के कारण लो डेन्सिटी पोलीथिलोन सहित थर्मोप्लास्टिक रेजिन्स की कुछ समय से कमी बनी हुई है।

(ख) और (ग) ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

फर्म का नाम	निर्माण की मद	अनुमोदित क्षमता (मीटरी टनों में)	उत्पादन (मीटरी टनों में)	
			1973	1974 (जनवरी-अक्तूबर)
मैसर्स यूनियन कारबाईड इण्डिया लि० . . .	एल०डी०पी०	20,000	14,754	11,016
मैसर्स अलकली एण्ड कैमिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० . .	,,	13,000	13,118	9,648

वर्ष 1973-74 के अन्तर्गत कुल 3400 मीटरी टन लो डैन्सिटी पोलीथिलीन का आयात किया गया था।

(घ) लो डैन्सिटी पोलीथलीन सहित थर्मोप्लास्टिक रेजिन्स पर कोई वितरण नियंत्रण नहीं है। तथापि बड़े उद्योग उपभोक्ताओं को लो डैन्सिटी पोलीथलीन का 20 प्रतिशत वितरण किये जाने की तुलना में लघु क्षेत्र उपभोक्ताओं को इसका लगभग 80 प्रतिशत वितरण किया जाता है।

औद्योगिक प्रयोग के लिये यूरिया दिया जाना

2818. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक प्रयोग के लिये यूरिया के अनियमित रूप से दिये जाने के बारे में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) औद्योगिक प्रयोग के लिये आबंटित किये गये यूरिया की अपर्याप्त सप्लाई के बारे में कुछ शिकायतें हुई हैं। सरकार ने तब से औद्योगिक प्रयोग के लिये यूरिया की अनुमानित आवश्यकताओं को उचित रूप से पूरा करने के लिये यूरिया की अतिरिक्त मात्रा का आबंटन किया है।

सोडा एश का उत्पादन और आवश्यकता

2819. **श्री रानेन सेन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी मात्रा में सोडा एश का उत्पादन होता है तथा किस के द्वारा और देश में इस की आवश्यकता कितनी है तथा कितनी मात्रा में इसका आयात किया जाता है;

(ख) क्या इसके मूल्य तथा वितरण पर कोई नियंत्रण है और लघु क्षेत्र के सिलीकेट निर्माताओं को इसकी किस प्रकार सप्लाई की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो 1 अप्रैल, 1974 को इसका कितना मूल्य था और आज कितना है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी जाती है :—

1. वर्ष 1973 में उत्पादन	(लाख मीटरी टनों में)
1. मैसर्स टाटा कैमीकल्स लिमिटेड मीठापुर (गुजरात)	2.22
2. मैसर्स सौराष्ट्र कैमीकल्स पोरबंदर (गुजरात) . . .	1.70
3. मैसर्स धरगन्धा कैमीकल्स वर्क्स धरगन्धा (गुजरात) . .	0.57
4. मैसर्स साहू कैमीकल्स (दि न्यू सेंट्रल जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड) साहुपुरी, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) . . .	0.20
कुल	4.69

2. अनुमानित आवश्यकताएं	5.00
3. वर्ष 1973 के दौरान किए गए आयात	0.025

(ख) सोडा एश के मूल्य एवं वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है। तथापि लघु-क्षेत्रीय सिलिकेट निर्माता, अपनी अधिकतम सप्लाइयां सोडा एश के निर्माताओं से सीधे प्राप्त करते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में राजनैतिक दल

2820. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा (1) राष्ट्रीय दल, (2) राज्यीय दल के रूप में मान्यता दिये जाने के लिए राजनैतिक दलों को क्या शर्तें पूरी करनी आवश्यक हैं;

(ख) सभी राष्ट्रीय दलों तथा राज्यीय दलों के नाम क्या हैं तथा उन्हें क्या-क्या प्रतीक दिये गये हैं;

(ग) क्या नये बने भारतीय लोक दल को राजनैतिक दल के रूप में मान्यता दे दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो, कब से और इस दल को क्या प्रतीक दिया गया है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) राजनैतिक दलों को राष्ट्रीय दलों और राज्यीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें पूरी करनी होती हैं वे निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 6 के साथ पठित पैरा 7 में अधिकथित हैं।

(ख) विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(ग) और (घ) यह विनिश्चय करने के लिए कि भारतीय लोक दल राष्ट्रीय दल होना चाहिए या राज्यीय दल और इसे कौन सा प्रतीक आबंटित किया जाना चाहिए, उपर्युक्त निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश के पैरा 16 के अधीन यथाअनुध्यात जांच, निर्वाचन आयोग द्वारा की जा रही है।

विवरण

मान्यताप्राप्त दलों और उनके लिये आरक्षित प्रतीकों की सूची

I. राष्ट्रीय दल

दल का नाम	आरक्षित प्रतीक
1. इंडियन नेशनल कांग्रेस	गाय और बछड़ा
2. इंडियन नेशनल कांग्रेस (संगठन)	चरखा कातती हुई महिला
3. भारतीय जनसंघ	दीप
4. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी	बाल और हंसिया
5. स्वतन्त्र पार्टी	सितारा
6. सोशलिस्ट पार्टी	पेड़
7. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	हथौड़ा, हंसिया और सितारा

II. राज्यीय दल

1. विशाल हरियाणा पार्टी	उदीयमान सूर्य
2. अखिल भारतीय आर्य सभा	वृत के भीतर स्वस्तिक
3. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग	सीढ़ी
4. केरल कांग्रेस	घोड़ा
5. रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी	फावड़ा और बेलचा
6. पीजेन्ट्स एंड वर्कर्स पार्टी	गाड़ी
7. मणिपुर पीपुल्स पार्टी	साइकिल
8. आल पार्टी हिल लीडर्स कान्फ्रेंस	फूल
9. नागालैण्ड नेशनलिस्ट आरगेनाईजेशन	मिथुन
10. यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट	मुर्गा
11. उड़ीसा जन कांग्रेस	तराजू
12. उत्कल कांग्रेस	रहट तथा हल (हलचक्का)
13. शिरोमणि अकाली दल	तराजू
14. द्रविड़ मुन्नेत्र खड़गम	उदीयमान सूर्य
15. भारतीय क्रांति दल	हलधर
16. महाराष्ट्रवादी गोमांतक	शेर
17. यूनाइटेड गोअन्स (सैक्विरा ग्रुप)	हाथ
18. मिज़ो यूनियन	हाथी

औषधियों के उत्पादन के लिये हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स की क्षमता

2821. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत सी ऐसी औषधियों के उत्पादन के लिये जो बाजार में दुर्लभ हैं, हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स के पास लाइसेंस प्राप्त क्षमता उपलब्ध है परन्तु वे उन औषधियों का उत्पादन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं अथवा कर रहे हैं तो नाममात्र को;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार लाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या भारतीय तथा विदेशी निजी फर्में इन औषधियों का उत्पादन अपनी लाइसेंसप्राप्त क्षमता से बहुत अधिक मात्रा में कर रही हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) लाइसेंस प्राप्त क्षमता वाले औषधों, जिनका हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स लि० द्वारा बिल्कुल उत्पादन नहीं किया जा रहा है अथवा उत्पादन नगण्य है, और बाजार में जिनका अभाव है उनका गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन और कम उत्पादन के कारण नीचे दिए गए हैं :--

मद	लाइसेंस प्राप्त क्षमता	उत्पादन (मी० टनों में)			कारण
		1972	1973	1974 (जनवरी—सितम्बर)	
विटामिन सी .	125 मी०टन	--	--	0.139	विटामिन सी संयंत्र की स्थापना मार्च 1973 में पूरी की गई थी। तथापि स्थापना के तुरन्त बाद संयंत्र के प्रशीतन एकक में यांत्रिक खराबियां पैदा हुई जिन्हें 1974 के मध्य तक ठीक किया जा सका। यह खराबी कुछ प्रौद्योगिकी परिचालन संबंधी समस्याओं के अतिरिक्त थी। तथापि सौराबीतल, एक मध्यवर्ती उत्पाद का उत्पादन 1973-74 के दौरान प्रति मास 5.6 मी० टन और अप्रैल—अक्तूबर 1974 के दौरान 15.3 मी० टन की दर से किया गया है। विटामिन सी के उत्पादन के अंतिम दो चरण स्थायीकरण के अन्तर्गत हैं और उत्पादन जो कि विभिन्न स्तरों पर है जारी है।
एम्पिसिलीन .	5000 कि० ग्राम	--	—	0.08	इस उत्पाद के लिए औद्योगिक लाइसेंस हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० को 20-3-72 को जारी किया गया था और अगस्त 1974 में परीक्षण उत्पादन आरंभ किया गया है।

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान निजी फर्मों और आयात द्वारा विटामिन सी के उत्पादन और लाइसेंस प्राप्त क्षमता निम्नलिखित हैं :—

पार्टी का नाम	लाइसेंस प्राप्त क्षमता	उत्पादन (मी० टन)		
		1972	1973	1974 (जनवरी—सितंबर)
साराभाई कैमिकल्स	120 मी० टन	204.9	217.6	123.9
	आयात (मी० टन)			
		1971-72	1972-73	1973-74
विटामिन सी		133.63	280.62	306.0

मध्य प्रदेश खनिज उद्योग को रेलवे माल डिब्बों का आबंटन

2822. **श्री आर० बी० बड़े** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के खनिज उद्योग रेल माल डिब्बों की अपर्याप्त सप्लाई होने के कारण कठिनाई हो रही है; और

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने तेल प्राधिकारियों से क्या कदम उठाने के लिये सुझाव दिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

आयातित औषधियों के नाम

2824. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी औषधियों का आयात किया जाता है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे आयातों पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) राज्य व्यापार निगम द्वारा जिन औषधों का आयात किया जाता है उनके नाम संलग्न विवरण में दिए हैं। वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा आयातित अन्य प्रपुंज औषधों से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा गत तीन वर्षों में अपने आयातों पर व्यय की गई राशि नीचे दी गई है :—

वर्ष	रुपये/करोड़
1971-1972	8.84
1972-1973	9.11
1973-1974	9.43

अन्यों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित मदों की सूची

1. एम्पसिलीन एन्हाइड्रास/सोडियम/ट्राइहाईड्रेट
2. कैल्शियम डी-पेन्टीथिनेट
3. क्लोरमकेनिकोल पालमिटेट/पाउडर/स्टियरेट/सल्फोनेट/सोडियम
4. क्लोरोक्वीन डिफोसफेट/सल्फेट
5. साइट्रिक एसिड
6. एम्टी हार्ड गेलाटाइन कैपसूलस
7. एरिथ्रोमाइसिन बेस/एस्टोलेट/एथिल सस्किनेट/स्टियरेट
8. फ्यूरेसा माइड
9. इण्डोमेथासिन
10. आयोडिन क्रूड
11. एल बेस (एक्टिव ए मिनोडायल)
12. मेथिल डोपा
13. नाइट्रोफुरनटायन
14. डी-पेन्थेनोल (पेन्टोथिनियल अल्कोहल)
15. थैलिल सल्फाथाइजोल
16. प्रेनिलामाइन लक्टेट
17. सोडियम डी पेन्टोथिनेट
18. टारटरिक एसिड
19. विटामिन बी-6 (पिरिडिन एचसिएल)
20. बीटा और गामा पिकोलाइन
21. विटामिन सी सादी
22. एमिडो पिरीन
23. अनल्जिन
24. पोलिक एसिड
25. मेटा ऐमिनो फीनाल
26. फीनोबार्बिटोन
27. पिपराजा इन और इसके लवण
28. स्ट्रेप्टोमाईसिन सल्फेट
29. सल्फाडिमिडाइन (सल्फामेथजाइन)

30. सल्फागुनाडाइन

31. टेट्रासाइक्लिन बेस

32. टट्रीसाइक्लिन हाईड्रोक्लोराइड

33. विटामिन बी-I एच सी एल (थयमिन एच सी एल)

34. विटामिन बी-I मोनोनाइट्रेट (थयामाइन मोनो नाइट्रेट)

35. विटामिन बी-II (रिवोफ्लेविन)

36. विटामिन बी-II 5-फासफेट सोडियम

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गये रेल कर्मचारियों की रिहाई

2827. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने संबंधी अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये छः रेल कर्मचारियों को अभी तक रिहा नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या राज्य सरकारों को इन कर्मचारियों को अविलम्ब छोड़ देने के लिए कहा गया है।

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) :(क) और (ख) मई, 1974 की हड़ताल के संबंध में गिरफ्तार किये गये केवल चार रेल कर्मचारियों को ही अभी तक नहीं छोड़ा गया है। इन में से दो कर्मचारियों को अदालत द्वारा सजा दे दी गयी है और उन्हें नौकरी से बरखास्त कर दिया गया है। दो अन्य कर्मचारी जो आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किये गये थे, अभी तक हिरासत में है।

(ग) कानून के अनुसार जो उचित होगा किया जायेगा।

दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) में कर्मचारियों की समयोपरि भत्ते की बकाया राशि का भुगतान न किया जाना

2828. **श्री के० एम० मधुकर :**
श्री राजदेव सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की बकाया राशि संशोधित दर पर 1 जनवरी, 1973 से भुगतान करने के आदेश दिये थे;

(ख) क्या रेलवे प्रशासन को दिल्ली डिवीजन में कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की बकाया राशि का भुगतान न किये जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली डिवीजन में कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की राशि का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं और समयोपरि भत्ते की बकाया राशि का भुगतान कराने के लिये प्रशासन ने क्या कदम उठाये हैं और इसका भुगतान किस तिथि तक कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) बकाया समयोपरि का भुगतान शुरू हो गया है और इसके 31 मार्च, 1975 तक पूरे जाने की संभावना है।

रेलवे द्वारा चलाये जा रहे शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रिंसिपल

2829. **श्री अम्बेश :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा कितने इन्टरमीडिएट कालिज चलाये जा रहे हैं;

(ख) इन्टरमीडिएट कालिजों, हायर सैकेन्ड्री स्कूलों तथा हाई स्कूलों के प्रिंसिपलों को पृथक पृथक क्या क्या वेतन मान दिये जाते हैं; और

(ग) इन्टरमीडिएट कालेजों, हायर सेकेन्ड्री स्कूलों तथा हाई स्कूलों में पृथक-पृथक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कितने कितने प्रिंसिपल हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तीन।

(ख) इंटरमीडिएट कालेजों/हायर सेकेण्डरी स्कूलों और हाई स्कूलों के प्रिंसिपलों के प्राधिकृत वेतनमान नीचे दिये गये हैं :--

इंटरमीडिएट कालेज/हायर सेकेण्डरी स्कूल	700—1100 रुपये
हाई स्कूल	400—800 रुपये

(ग) हायर सेकेण्डरी स्कूलों में 1 प्रिंसिपल और एक हेडमास्टर, और हाई स्कूल में एक हेड-मास्टर अनुसूचित जाति का है। इंटरमिडिएट कालेजों में अनुसूचित जाति का कोई नहीं है।

चरबी (टैलो) के आयात के लिये अतिरिक्त कोटा

2830. **श्री मधु दण्डवते :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साबुन के निर्माताओं को चरबी के आयात के लिये अतिरिक्त कोटे की मंजूरी दी है;

(ख) क्या सरकार की कोई रोक अथवा गारंटी है कि आयातित चरबी का उपयोग पूर्णतया साबुन निर्माण के लिये ही किया जायगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी रूप-रेखा क्या है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जहां तक संगठित क्षेत्र का प्रश्न है उनके बारे में यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह निर्णय लिया गया है कि साबुन के निर्माण हेतु अब और अधिक चर्बी का आयात नहीं करने दिया जायगा। बाजार में आयातित चर्बी देशीय चर्बी से सस्ती होती है।

निर्वाचन व्यय के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के अध्यादेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका

2831. **श्री मान सिंह भौरा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन व्यय के संबंध में राष्ट्रपति के हाल ही के अध्यादेश को एक स्थानीय अधिवक्ता द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका द्वारा चुनौती दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी हां।

(ख) पिटीशनर ने यह दलील दी है कि राष्ट्रपतीय अध्यादेश, अन्य बातों के साथ, कतिपय सांविधानिक उपबन्धों का भी, जिनके अन्तर्गत अनुच्छेद 14 भी है जो समता-अधिकार की गारंटी देता है, अतिक्रमण करता है।

इराक में तेल की संभावनाओं के बारे में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अध्यक्ष के विचार

2832. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अध्यक्ष के अनुसार इराक में भारत द्वारा प्राप्त "रियायती क्षेत्र" में तेल की संभावनायें बहुत अच्छी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या संभावनायें हैं ?

पेट्रोलियम और रसयन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० माझी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नाइजीरिया द्वारा अशोधित तेल की कम मूल्य पर बिक्री

2833. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नाइजीरिया द्वारा अशोधित तेल को बाजार भाव से कम पर बेचे जाने के निर्णय की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत ने उक्त निर्णय का कहां तक लाभ उठाया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) बताया जाता है कि नाइजीरिया ने केवल अफ्रीका के विकासशील देशों को कच्चे तेल की उस मूल्य, जिस पर कि यह अन्य खरीदारों को बेचा जाता है, से कम मूल्य पर सप्लाई करने का निर्णय किया है।

केरल के गुरुवायूर के साथ नया रेल लाइन सम्पर्क

2834. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के गुरुवायूर को जोड़ने वाली एक नयी रेल लाइन का निर्माण करने संबंधी सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध करा दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)। (क) जी नहीं, सर्वेक्षण का काम जारी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Expansion of Madras Fertilizer Factory

2838. Shri Mahadeepak Singh Shakya: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether Government propose to expand Madras fertilizer factory; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K.R. Ganesh) : (a) & (b) Yes, Sir. A proposal of the Madras Fertilizers Limited for setting up additional capacity for the production of 181,500 tonnes per annum of NPK fertilisers has been approved by Government at a total cost of Rs. 10 40 crores.

उड़ीसा उच्च न्यायालय में लम्बित मामले

2836. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों को निपटाने की दृष्टि से कुछ उपाय करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) उड़ीसा उच्च न्यायालय में कितने मामले लम्बित हैं ;

(घ) क्या सरकार ने इन मामलों को शीघ्र निपटाने के बारे में निदेश दिये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ङ) राज्य प्राधिकारियों को यह सलाह दी गई है कि वे इस बात को ध्यान में रख कर कि कितने मामले संस्थित किए गए हैं, कितने निपटा दिए गए हैं और कितने लम्बित हैं, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या का समय-समय पर पुनर्विलोकन और पुननिर्यतन करें। उनको यह भी सलाह दी गई है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए कार्रवाई काफी पहले ही प्रारंभ कर दी जानी चाहिये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जिस तारीख को स्थान रिक्त हो उसी तारीख से उनकी पूर्ति हो जाए।

उच्च न्यायालयों की बकाया मॉमलों से संबंधित समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं जो पूर्णतः प्रशासनिक प्रकृति की है और जिनका उद्देश्य मामलों के निपटारे में होने वाले विलम्ब को समाप्त करना है। राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को यह सलाह दी गई है कि ऐसी सिफारिशों को तुरन्त कार्यान्वित किया जाए।

विधि आयोग ने आपराधिक मामलों से संबंधित प्रक्रिया विषयक विधि में संशोधन करने के लिए अनेक सिफारिशें की थीं। इन सिफारिशों के आधार पर एक नई दण्ड प्रक्रिया संहिता अभी हाल ही में अधिनियमित की गई है ।

विधि आयोग ने सिविल मुकदमों में होने वाले विलम्ब को समाप्त करने और कम करने तथा इस प्रकार उनमें होने वाले खर्च में कमी करने की दृष्टि से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में कुछ संशोधन करने के सुझाव भी दिए हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने के लिए एक विधेयक संसद के समक्ष है।

30 जून, 1974 को उड़ीसा उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या 5,865 थी।

भारतीय रेलवे में नैमित्तिक श्रमिकों को स्थाई करना

2837. **श्री पी० जी० मावलंकर:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेलवे में कोई नैमित्तिक श्रमिक स्थायी किये जा रहे हैं: और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूप रेखा क्या है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) नैमित्तिक श्रमिकों की सेवा की शर्तों के अनुसार उन्हें सीधे स्थायी नहीं किया जाता उन्हें पहले अस्थायी पदों पर लगाया जाता है, तदुपरान्त यदि उपयुक्त पाये गये, नियमित पदों पर समाहित कर दिये जाते हैं। तब, उनकी वरिष्ठता और स्थायी रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार उन्हें स्थायी किया जाता है।

भोपाल के लिये रेल गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव

2838. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुत सी जोनल रेलों ने कलकत्ता और बम्बई तक जाने वाली लखनऊ मेल और एक्सप्रेस, जी० टी० एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस जैसी गाड़ियों की तरह राज्यों की राजधानियों तक चलने वाली अलग गाड़ियों की व्यवस्था की है और यदि हां, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को इस सुविधा से वंचित करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का भोपाल तक एक तेज गति की गाड़ी चलाने अथवा मध्य रेलवे के ट्रंक रूट पर बम्बई और नई दिल्ली अथवा दिल्ली तक के लिए एक तेज गति की गाड़ी चलाने का है; और

(ग) मध्य जोनल रेलवे में लगभग आधी शताब्दी से चलती आ रही पंजाब मेल और अमृतसर एक्सप्रेस गाड़ियों के साथ साथ नई दिल्ली और बम्बई के बीच गाड़ियों की संख्या न बढ़ाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी नहीं। भोपाल जाने वाले और भोपाल से आने वाले यात्रियों के लिए यात्रा संबंधी उचित सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है जिनमें तीन स्लिप सवारी डिब्बे शामिल हैं जो भोपाल और दिल्ली नयी/दिल्ली के बीच महत्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में लगाये जाते हैं। दिल्ली/नयी दिल्ली-मद्रास-बम्बई मार्गों पर चलने वाली पांच जोड़ी मेल /एक्सप्रेस गाड़ियां और बम्बई–लखनऊ मार्ग पर हफ्ते में दो बार चलने वाली जनता एक्सप्रेस गाड़ियां भोपाल के यात्रियों की आवश्यकताएं पूरी करती हैं। भोपाल से यात्रा प्रारम्भ करने वाले यात्रियों के लिए अलग से नियतांश आबंटित किया गया है। महत्वपूर्ण टर्मिनल स्थानों से यात्रा प्रारम्भ करने और समाप्त करने

वाली गाड़ियों का चलना मुख्य रूप से यातायात की यात्रा और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर हैं। फिर भी, एक जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ी अर्थात् 35/36 बिलासपुर एक्सप्रेस गाड़ी ने भोपाल से यात्रा प्रारम्भ और समाप्त करने के लिए निर्धारित की गयी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) दिल्ली/नई दिल्ली से भोपाल होकर बंबई वी० टी० तक एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना फिलहाल मार्ग के खंडों पर अतिरिक्त लाइन क्षमता और बम्बई तथा दिल्ली/नयी दिल्ली में टर्मिनल सुविधाओं के अभाव में परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

पश्चिम बंगाल के औषध नियंत्रक के औषधियों की कमी के बारे में विचार

2839. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल के औषध नियंत्रक ने यह स्वीकार किया था कि कुछ प्रकार की औषधियों की कमी है और वर्तमान औषध मूल्य नियंत्रण आदेश में कुछ कमियां हैं जिसके कारण कुछ प्रकार की औषधियों की लाभ के लिए जमाखोरी की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल में कुछ औषधों की कमी होने के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। संबंधित निर्माताओं से उन क्षेत्रों, जहां से कमियों के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है, को औषध की शीघ्र सप्लाई करने का अनुरोध किया गया है।

पश्चिम बंगाल के औषध नियंत्रक ने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश की किसी त्रुटि की ओर संकेत नहीं किया है।

एकाधिकार तथा प्रतबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को न भेजे गये मामले

2840. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी कानून विभाग एकाधिकार वादियों के सभी मामले चाहे वे विस्तार संबंधी हों अथवा नये उपक्रम स्थापित करने संबंधी एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को नहीं भेजता है और यदि हां. तो इसके क्या कारण हैं, और

(ख) एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को कितने मामले नहीं भेजे गये ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) इस अधिनियम की योजना के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार के लिए, अध्याय 3 के अन्तर्गत सभी आवेदन-पत्रों को एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग को निर्देशित करना अधिदिष्ट नहीं है। इस बाबत नीति, दिसम्बर 1973 में सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई 31 दिसम्बर, 1972 के कलैन्डर वर्ष समाप्ति की एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के कार्य-कलाप एवं प्रशासन पर, द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 1 के पैरा 4 में स्पष्ट की गई है।

(ख) अब तक धारा 21 के अन्तर्गत 394 नोटिस तथा धारा 22 के अन्तर्गत 141 आवेदन-पत्र आयोग को जांच एवं रिपोर्ट के लिए निर्देशित नहीं किये गये थे। केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोग को निर्दिष्ट अथवा बिना निर्दिष्ट किये, निपटाये गये नोटिसों/आवेदन-पत्रों में से कुछ के ब्यौरे, संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट में दिये गये हैं।

उर्वरक कारखानों के लिये विद्युत् संयंत्रों की स्थापना

2841. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्रीमती सावित्री शयाम :

श्री नवल किशोर शर्मा :

श्री एम० राय गोपाल रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उर्वरक कारखानों के लिये स्वतन्त्र विद्युत् संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बात क्या है और इस से उर्वरक कारखानों की आवश्यकता किस हद तक पूरी हो सकेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख): जी, नहीं। उर्वरक एककों में कैपृटिव पावर प्लांट की स्थापना प्रत्येक मामले के गुणों के आधार पर की जाती है। कुछ संथलों में जैसे कोटा, गोआ, कोचीन और सिन्द्री में कैप्टिव पावर सुविधायें पहले से ही विद्यमान है; गोरखपुर में भी कैप्टिव पावर सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

भारत और अमरीकी आटोमोबाइल तथा रेल कम्पनियों के बीच तेल कार्यक्रम के बारे में समझौता

2842. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) क्या भारत सरकार और अमरीकी आटोमोबाइल तथा तेल कम्पनियों के बीच भारत में तेल संबंधी अनुसंधान कार्यक्रम के बारे में कोई समझौता हो गया है;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार को प्रतिवेदन के कब तक पेश किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता;

मद्रास तेल शोधक कारखाने के उत्पादन में कमी

2843. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास तेल शोधक कारखाने में इस वर्ष प्रतिस्थापित क्षमता से बहुत कम उत्पादन होने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या उपचारी उपाय करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जुलाई 1974 से जून 1975 की अवधि के दौरान, जो कम्पनी का वित्तीय वर्ष है, मद्रास शोधनशाला से अशोधित तेल के उत्पादन की क्रमशः 2.46 मिलियन मी० टन की संभावना है जबकि प्रति वर्ष 2.5 मिलयन मी० टन की क्षमता की परिकल्पना थी।

(ख) उत्पादन में कुछ कमी का मुख्य कारण सितम्बर, 1974 में आयोजित बन्द (जो दो वर्षों में एक बार होता है) और मद्रास फर्टीलाइजर्स लि० के बन्द से नेप्या कमी (संग्रहण) की समस्याओं के कारण है। तथापि नेप्या के उत्पादन में अब सुधार किया गया है।

बर्मा शैल द्वारा राष्ट्रीयकरण से पूर्व अपनी परिसम्पत्तियों का निपटारा करना

2844. **श्री एस० ए० मूरगनन्तम :**

श्री मान सिंह भौरा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सरकार द्वारा बर्मा शैल आयल कम्पनी के राष्ट्रीयकरण की संभावना को देखते हुए कम्पनी द्वारा अपनी परिसम्पत्तियों का निपटान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इसका राष्ट्रीयकरण की बातचीत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) से (ग) बर्मा शैल भारत में अपनी कुछ परिसम्पत्तियों का व्यापार की साधारण प्रक्रिया के अन्तर्गत निपटान कर रहा है। बर्मा शैल ने सूचित किया है कि 1973 में परिसम्पत्तियों के निपटान से बिक्री-आय 1.8 करोड़ रुपये हुई। भारत में बर्मा शैल के परिसम्पत्तियों एवं कार्यों को अपने हाथ में लेने के सभी प्रश्नों तथा शर्तों पर विचार करते समय उन्हें ध्यान में रखा जायेगा। अचल परिसम्पत्तियों के निपटान के संबंध में कंपनी को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

अलीपुर द्वार से बामनहाट/गोतलदाह तक फिर से रेलगाड़ी चालू करने के बारे में निर्णय

2845. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अलीपुर जंक्शन से बामनहाट/दुर्वोत्तर सीमांत रेलवे के गोतलदाह तक उन दो रेल गाड़ियों को फिर से चालू करने का निर्णय कर लिया है। जो कोयले की कमी के कारण बन्द कर दी गयी थीं; और

(ख) यदि नहीं, तो कोयले की स्थिति में काफी सुधार हो जाने तथा कोयले की स्थिति में सुधार होने पर रेलगाड़ियां फिर से चालू करने के उनके आश्वासन के उपरान्त भी रेलगाड़ियां न चलाये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) : अलिपुर द्वार-बायमहाट खण्ड पर दो जोड़ी सवारी गाड़ियां और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर पहले रद्द की गयी अन्य गाड़ियों को कोयले

की कमी के कारण नहीं बल्कि यातायात के औचित्य के आधार पर चालू नहीं किया गया है। फिर भी, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने यह सूचित किया है कि यातायात के स्वरूप का अध्ययन किया जा रहा है और उसके आधार पर इन गाड़ियों को पुनः चालू करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

4 नवम्बर, 1974 के बिहार बन्द के दिन हुई क्षति

2846. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 4 नवम्बर, 1974 को बिहार बन्द के अवसर पर रेलवे की कुल कितनी क्षति हुई ;

(ख) क्या बन्द के दौरान किसी रेल कर्मचारी की मृत्यु भी हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसके परिवार को दिये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 17,787 रुपये

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय रेलवे में कार्मिक शाखाओं के अनुसचिवीय कर्मचारियों को पदोन्नति

2847. **श्री बी० मयावन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में कार्मिक शाखाओं के अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिये विभिन्न ग्रेडों में पदों को क्या प्रतिशतता निर्धारित की गई है ;

(ख) यह प्रतिशतता कब निर्धारित की गई थी और इसके बाद किये गए संशोधनों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) ग्रेडवार ऐसे अनुसचिवीय कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है जो बिना किसी पदोन्नति के एक ही ग्रेड में 10 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर चुके हैं; और

(घ) क्या ऐसे कर्मचारियों जिन्होंने एक ही ग्रेड में 10 वर्ष अथवा उससे अधिक की सेवा पूरी की है पदोन्नति के संबंध में सरकार ने कोई कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) रेलों की कार्मिक और अन्य निष्पादन शाखाओं में लिपकीय पदों के वितरण के लिए निम्नलिखित प्रतिशत निर्धारित है।

ग्रेड प्राधिकृत वेतन-मान	संशोधित वेतन मान	प्रतिशत
रु०	रु०	
110—180	260—400	50
130—300	330—560	40
210—380	425—700	8
335—425	अभी निर्धारित नहीं	2
350—475	550—750	
450—575	700—900	
		100

(ख) न्यायमूर्ति शंकर सरण अधिकरण की सिफारिशों की स्वीकृति के फलस्वरूप ऊपर दिया गया प्रतिशत 1-10-1962 से निर्धारित किया गया था और उसमें अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) जी नहीं।

नियंत्रण हटाने से पूर्व औषधियों के मूल्यों में वृद्धि

2848. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधियों के मूल्यों पर से नियन्त्रण के लगभग हटा लिये जाने के पश्चात् प्रमुख कैमिकल और फार्मास्यूटीकल कम्पनियों को पुराने स्टाक के लिये अधिक खुदरा मूल्य लेने की अनुमति दे दी गई है।

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध इस प्रकार की अनुमति क्यों दी गई है ;

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या उन्हें मालूम है कि इन कंपनियों ने अपने खुदरा डीलरों को आदेश दिया है कि अपने पुराने स्टाकों के लिए वे अधिक मूल्य लें; और

(घ) क्या सरकार का इस बारे में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) औषधों के मूल्य औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1970 के अन्तर्गत सांविधिक रूप से नियन्त्रित हैं। केवल उन संयंत्रों को जिनकी बिक्री प्रतिवर्ष 50 लाख रुपये से ऊपर नहीं है, अपने उत्पादों के मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए अपेक्षित सरकार की मंजूरी लेने से छूट है। सूत्रयोग के उत्पादकों और आयातकों को डीलरों को संबन्धित मूल्य सूची भी देना अपेक्षित है और उपभोक्ताओं से सही मूल्य लेने के लिए ऐसी मूल्य सूची डीलर का प्राधिकार पत्र है। मूल्य सूची प्रत्येक फुटकर विक्रेता द्वारा व्यापार केन्द्र पर प्रदर्शित करना अपेक्षित है ताकि कोई भी ग्राहक सुगम से परामर्श पा सके। सूत्रयोगों के मूल्य केन्द्रीय सरकार के निर्णय के बारे में सूचना के 15 दिनों के अन्तर्गत लागू होंगे। औषधों के मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के अन्तर्गत अभी तक नियन्त्रित हैं। तथापि श्री हाथी की अध्यक्षता में गठित समिति इस पर और इस प्रकार के अन्य विषयों पर विचार कर रही है।

Proposal From M.P. Government for Setting up 3 Coal-Based Fertilizer Plants.

2849. **Shri Narendra Singh :**
Shri Shrikrishna Agrawal :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state ;

(a) whether Madhya Pradesh Government have submitted a proposal to the Central Government for setting up of three coal-based fertilizer plants in the State; and

(b) if so, the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum anb Chemicals (Shri K. R. Ganesh): (a) & (b) The Government of Madhya Pradesh have suggested possible sites in Madhya Pradesh for locating coal based fertilizer plants. The Fertilizer Corporation of India has been asked to make techno-economic feasibility studies in respect of these locations.

Memorandum from the Joint Council of Indian Pharmaceutical Trade Madras

2850. **Dr. Laxaminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) Whether a memorandum was presented to him by the Joint Council of Indian Pharmaceutical Trade, Madras during July, 1974:

(b) if so, the main demands contained in the said memorandum; and

(c) the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. R. Ganesh): (a) Yes, Sir.

(b) It was represented that a minimum 20% trade margin on all products without distinction between ethical and non-ethical should be allowed to the Pharmaceutical Trade.

(c) One of the terms of reference of the Committee on Drugs & Pharmaceutical Industry is regarding reationalisation of the prices of drugs. The Committee therefore is expected to consider this representation which has been made to it also. The recommendations of the Committee are awaited.

एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रिया अधिनियम में संशोधन

2851. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार तथा उद्योग ने एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रिया अधिनियम की धारा 20 में संशोधन करने हेतु सरकार से अनुरोध किया है: और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

आयकर अधिकरणों में सदस्य (लेखा) तथा सदस्य (न्यायिक) के रिक्त पदों को भरना

2852. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971, 1972 और 1973 के वर्षों में तथा 1974 के पहले दस महीनों में भारत के विभिन्न आयकर अधिकरणों में सदस्य (लेखा) तथा सदस्य (न्यायिक) के कुल कितने रिक्त पद भरे गये हैं ;

(ख) इन वर्षों में प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये, अलग-अलग, इन रिक्त पदों में से कितने पद आरक्षित किये गये थे और इन आरक्षित पदों में से कितने पद अलग-अलग आरक्षित वर्गों के व्यक्तियों को नियुक्ति करके भरे जा सके; और

(ग) आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के न मिलने के कारण यदि आरक्षित रिक्त पदों में कुछ पद नहीं भरे गये तो इन रिक्त पदों के लिये अनुसूचित जाति/जनजाति के उपयुक्त उम्मीदवारों की सेवाओं को प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) अपेक्षित जानकारी यथा निम्नलिखित है :—

वर्ष	लेखा सदस्य	न्यायिक सदस्य
1971 .	9	11
1972	3	1
1973 . .	10	11
1974 . . . (31-10-1974 तक)	2	1

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित, 1971 और 1972 में की गई नियुक्तियां, 1970 में प्रारंभ की गई भर्ती में से की गईं थीं, जब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ एक सामान्य रोस्टर रखा जा रहा था और 1973 तथा 1974 में की गई नियुक्तियां, 1972 में प्रारंभ की गई भर्ती में से की गईं थीं जब न्यायिक सदस्य और लेखा सदस्य के पदों के लिए पृथक रोस्टरों की पद्धति प्रारंभ की गई थी। आरक्षित स्थानों की स्थिति निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	लेखा सदस्य और न्यायिक सदस्य			
	अनु०जा० के लिए आरक्षित पदों की संख्या	भरे गए पदों की संख्या	अनु० जन० के लिए आरक्षित पदों की संख्या	भरे गये पदों की संख्या
1971 / 1972	4	2	2	शून्य

वर्ष	लेखा सदस्य			
	अनु० जा० के लिए आरक्षित पदों की संख्या	भरे गये पदों की संख्या	अनु० जन० के लिए आरक्षित पदों की संख्या	भरे गये पदों की संख्या
1973 / 1974	2	2	1	शून्य

न्यायिक सदस्य

वर्ष	अनु० जा के लिए आरक्षित पदों की संख्या	भरे गये पदों की की संख्या	अनु० जन० के लिए आरक्षित पदों की संख्या	भरे गये पदों की संख्या
1973 / 1974	2	2	1	शून्य

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण, भरी न गई आरक्षित रिक्तियों का, सरकार के साधारण आदेशों के अनुसार, भविष्य में भर्ती के प्रयोजनार्थ, सम्यकरूप से ध्यान रखा जाएगा।

Oldest Cases pending in various High Courts

2853. **Shri Jagannathrao Joshi:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs be** pleased to state:

(a) the year to which the oldest pending case pertains in each of the High Courts;

(b) the reasons for delay in making regular appointment of the Judges to fill the vacancies; and

(c) the action taken by Government to ensure that cases do not remain pending in future ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale): (a) A statement is attached. [*Placed in Library. See. L.T. 8636/74*]

(b) Proposals for making appointments of Judges have to be initiated by the State authorities. In respect of some of the appointments proposal have been received and are being processed. In respect of the others proposals are awaited from the State authorities who have been reminded.

(c) A statement is attached. [*Placed in Library. Sec. No. L.T. 8636/74*]

भविष्य में तेल के मूल्य निर्धारण पर सऊदी अरब की योजना

2854. **श्री नवल किशोर शर्मा:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल का उत्पादन करने वाले खाड़ी के छह बड़े राष्ट्रों द्वारा भविष्य में तेल के मूल्य निर्धारण पर सऊदी अरब द्वारा पेश की गई कथित योजना की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ताओं पर विशेषकर भारत पर ऐसे प्रस्तावों का किस सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ग) देश में सस्ते मूल्य पर तेल उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(घ) देश में तेल की कमी की चुनौती का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० मांझी): (क) तेल का उत्पादन करने वाले खाड़ी के देशों; साऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात तथा कातार की हाल ही में हुई बैठक में निम्नलिखित निर्णय किये हैं:—

1. 1 नवम्बर, 1974 से प्रति बेरल 40 अमरीकी सेन्ट्स तक अशोधित तेल की दशुदा मूल्यों में कमी करना।
2. रायल्टी की दरों में 20 प्रतिशत तक वृद्धि करना।
3. तेल कंपनियों को लागू आयकर दरों में 85 प्रतिशत तक वृद्धि करना।

संशोधित मूल्य सूत्र जुलाई, 1975 तक लागू रहेगा।

तथापि ईरान, ईराक एवं कुवैत, इस बैठक में भाग लेने वाले अन्य तीन राष्ट्रों ने इस निर्णय पर असहमति व्यक्त की है।

(ख) इस निर्णय से भारत स्थित विदेशी तेल कंपनियों ने एकसोन तथा कालटैक्स के बारे में 1-11-1974 से तथा बर्मा शैल के बारे में 14-11-1974 से अपने मूल्यों में वद्धि करने की सूचना की है।

(ग) द्विपक्षीय आस्थगित, अदायगी के अन्तर्गत कच्चे तेल के आयात की व्यवस्था ईराक एवं ईरान से की गई है।

(ङ) निम्नलिखित उपाय किये गये :—

(1) देशीय अशोधित तेल के उत्पादन को अधिकतम करने के प्रयासों में तेजी की गई है।

(2) विभिन्न अनुकूलतम प्रयोगों से शोधनशालाओं में कच्चे तेल के उत्पादन पैटर्न का इस ढंग से समायोजन किया गया है ताकि अधिकतम उत्पादन किया जा सके। इस प्रयोजना के लिए उत्पादन विशिष्ठियों का भी यथासंभव समायोजन किया गया है।

(3) मोटर गैसोलीन, लुब्रीकेटिंग आयल्स, विट्मैन आदि कुछ उत्पादों की खपत पर रोक लगाने के आर्थिक उपाय उठाये गये हैं। कोयले के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए भट्टी के तेल के मूल्य में भी वद्धि की गई है ईंधन का प्रयोग दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाये गये हैं। मिट्टी के तेल, जो निज प्रयोग की वस्तु है, की उपलब्धि में यथा-संभव स्तर तक कमी की गई है।

(4) उन पेट्रोलियम उत्पादों जो हमारी आवश्यकताओं से अधिक हैं, का निर्यात किया जा रहा है। मूल्य मिश्रित उत्पादों के निर्यात को भी अधिकतम किया गया है।

(5) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा की निधि से तेल सुविधाओं से भी सहायता प्राप्त की गई है।

पांचवीं योजना में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिये परिव्यय बढ़ाने का प्रस्ताव

2855. **श्री एम० कत्तामुत्तु** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का पांचवी योजना में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिए परिव्यय में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और उसका उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाएगा?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) और (ख) कुछ भौतिक लक्ष्यों के संदर्भ में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की पंचवर्षीय योजना तैयार की गई है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के आन्तरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं की अपेक्षा समय-समय पर कम पड़ने पर सरकार का प्रयास रहेगा कि वह आयोग की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करे।

ब्रिज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, विजयवाड़ा डिवीजन (दक्षिण मध्य रेलवे) के कर्मचारियों को छटनी के नोटिस

2856. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा डिवीजन में ब्रिज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कितने कर्मचारियों को छंटनी के नोटिस दिए गए :

(ख) केडर पुनरीक्षण से पूर्व और विशेष रूप से तब जब वह कई वर्ष सेवा कर चुके हैं, इनकी छंटनी के क्या कारण हैं : और

(ग) क्या दक्षिण मध्य रेलवे में अन्य विभागों तथा अन्य स्थानों पर उनके खपाये जाने के लिए कोई प्रयास किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) निर्माण-कार्यों के पूरे हो जाने के कारण तेंतीस नैमित्तिक श्रमिकों को छंटनी के नोटिस दिये गये थे।

(ग) जी हां, परन्तु निर्माण-कार्यों में कमी हो जाने के कारण उन्हें समाहित करने के लिए कोई रिक्तियां उपलब्ध नहीं थीं ।

कालटैक्स द्वारा विशाखापत्तनम स्थित अपने तेल शोधक कारखाने को कम क्षमता पर चलाना

2857. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालटैक्स द्वारा विशाखापत्तनम स्थित अपने तेल शोधक कारखाने की बहुत कम क्षमता पर चलाया जा रहा है।

(ख) गत वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन की तुलना में चालू वर्ष का उत्पादन कितना है ;

(ग) क्या क्षमता के आयोजन के कारणों का पता लगाया गया है ; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) तेल शोधक कारखाने को उसकी पूरी क्षमता पर चलाने हेतु कंपनी की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) काल्टैक्स शोधनशाला अपने 1.25 मिलियन मी० टन प्रतिवर्ष सामान्य कार्यस्तर से कुछ कम स्तर पर कार्य कर रही है।

(ख) जनवरी-अक्टूबर 1974 में शोधनशाला का अपरिष्कृत उत्पादन 0.97 मिलियन मी० टन था जबकि 1973 की उसी अवधि में 0.94 मिलियन मीटरी टन था।

(ग) और (घ) शोधनशाला आयातित अपरिष्कृत तेल का शोधन कर रही है। अपरिष्कृत तेल/उत्पादों का आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा की सीमित उपलब्धता को देखते हुए काल्टैक्स सहित शोधनशालाएं आयातित अपरिष्कृत तेल का शोधन कार्य कर रही है उनके अपरिष्कृत तेल के ग्रहण का हिसाब-किताब इस ढंग से ठीक करना पड़ा था कि उससे अनुकूलतम लाभ उठाया जाता तथापि इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है कि उपलब्ध विदेशी मुद्रा के अन्दर ही अपरिष्कृत तेल की अधिकतम मात्रा का आयात किया जा सके।

झांझरपुर-लुकाहा तथा दरभंगा-समस्तीपुर से रेलवे लाईन

2859. श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेल मंत्री समस्तीपुर-दरभंगा मीटर गेज को बड़ी लाइन में बदलने तथा नई झांझरपुर-लुकाहा रेल लाइन बिछाने के संबंध में 13 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2314 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झांझरपुर-लुकाहा मीटर गेज लाइन तथा दरभंगा-समस्तीपुर बड़ी लाइन बिछाने का कार्य किस स्थिति में है और क्या इन कार्यों को अगली वर्षा ऋतु तक पूरा करने का विचार है;

(ख) क्या दरभंगा-रक्सौल मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के प्रस्ताव को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) झंझरपुर-लोकाहा बजार मीटर लाइन पर मिट्टी डालने का काम और पुल संबंधी काम चल रहा है और यह लाइन जून 1975 तक बनकर तैयार हो जायेगी।

समस्तीपुर-दरभंगा मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का ब्यौरेवार अनुमान तैयार किया जा रहा है और अनुमान मंजूर हो जाने के बाद काम शुरू कर दिया जायेगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) दरभंगा-रक्सौल मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और इसके विकल्प के रूप में मुजफ्फरपुर-रक्सौल के आसान परिवर्तन के तुलनात्मक गुण-दोष का पता लगाने के लिए जांच-पड़ताल की जा रही है। पूर्वोत्तर रेल प्रशासन से संबंधित रिपोर्ट के मिल जाने और उसकी जांच कर लिये जाने के बाद ही अंतिम निर्णय किया जायेगा।

साबुन के उत्पादन में प्रमुख निर्माताओं का अंश

2860. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973 के दौरान और 1974 की पहली छ: माही के दौरान साबुन के कुल उत्पादन में से संगठित क्षेत्र के साबुन के प्रमुख निर्माताओं द्वारा कितना उत्पादन किया गया ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : साबुन के मुख्य सात उत्पादकों के शेयर और उसकी तुलना में संगठित क्षेत्र में 1973 और 1974 के प्रथम 6 महीनों के दौरान 39 उत्पादकों द्वारा कुल उत्पादन क्रमशः 88 प्रतिशत और 89 प्रतिशत था।

हावड़ा से आम्ता के लिये रेल लाइन का निर्माण

2861. श्री सोमनाथ चटर्जी :

श्री समर गुह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हावड़ा से आम्ता तक की रेल लाइन, जो पहले मार्टिन रेलवे के अंतर्गत थी, का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ होगा;

(ख) उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा;

(ग) क्या रेल लाइन अथवा उसके किसी अंश के निर्माण के व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) बड़गछिया से चम्पाडांगा तक एक शाखा लाइन सहित हावड़ा से आम्ता तक एक बड़ी लाइन के निर्माण का अनुमोदन संसद् द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखकर, कि यह लाइन अलाभप्रद किस्म की है और राज्य सरकार ने विकास संबंधी प्रयोजनों के लिए इसे बहुत महत्व दिया है, इस आधार पर किया गया कि इन लाइनों के निर्माण और परिचालन की लागत का 50 प्रतिशत राज्य सरकार को वहन करना होगा। राज्य सरकार को लिखा गया है कि वह निर्माण और परिचालन की लागत का 50 प्रतिशत वहन करने की अपनी स्वीकृति की सूचना दे किन्तु राज्य सरकार से अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है। इस परियोजना का निर्माण कार्य, जो निर्माण प्रारंभ किये जाने के बाद काम करने के दो-तीन मौसमों में पूरा हो सकेगा, राज्य सरकार से लागत का हिस्सा वहन करने का अनुमोदन प्राप्त होने के तुरन्त बाद ही शुरू कर दिया जायेगा।

गाड़ियों में आग लगने की दुर्घटनाओं को रोकने के लिये किये गये उपाय

2862. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे ने विशेष रूप से लम्बी दूरी की मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों के संबंध में मार्ग, रेल पथ और इंजन की आवश्यक जांच के लिए क्या उपचारी उपाय कर रखे हैं और 31 अक्टूबर, 1974 को अपर इण्डिया एक्सप्रेस गाड़ी के एक डिब्बे में आग लगने जैसी दुर्घटनाओं से बचने हेतु यात्रियों के लिए क्या एहतियात निर्धारित हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8637/74**]

धनबाद जिला कांग्रेस समिति और धनबाद मण्डलीय रेल कल्याण समिति से अभ्यावेदन

2863. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें धनबाद जिला कांग्रेस समिति और धनबाद मण्डलीय रेल कल्याण समिति की ओर से डिवीजनल सुपरिन्टेण्डेट, और डी० पी० ओ० धनबाद पूर्व रेलवे के गलत कार्यों और समाज विरोधी कार्यवाहियों के बारे में अनेक अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) केवल धनबाद जिला कांग्रेस समिति से पूर्व रेलवे में धनबाद के मंडल अधीक्षक और मंडल कार्मिक अधिकारी के तथाकथित गलत कामों और समाज विरोधी गतिविधियों के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं:

(ख) इन आरोपों की जांच की गयी थी लेकिन वे निराधार सिद्ध हुए हैं।

बम्बई के निकट गहरे समुद्र में दूसरे तेल कुएं की खुदाई

†2864. **श्री पी० गंगा देव :**

श्री डी० डी० देसाई :

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के निकट गहरे समुद्र में दूसरे तेल कुएं की खुदाई और परीक्षण कार्य कब तक पूरा होने की आशा है;

(ख) यह कुआं कितनी गहराई तक खोदा जायेगा; और

(ग) क्या दूसरे तेल कुएं का कार्य कम विदेशी सहायता और कम विशेषज्ञों से किया जा सकेगा?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) बम्बई के निकट गहरे समुद्र के नीचे भूमिगत ढांचे में दूसरे कुएं की खुदाई से संबंधित कार्य 15 नवम्बर, 1974 को पूरा हुआ था। परीक्षण सम्बन्धी कार्य में प्रगति हो रही है और अभी इसमें कुछ और समय लगेगा।

(ग) जी हां।

Measures to Curtail Consumption of Petrol

2865. **Shri M.C. Daga:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the extent to which the various measures taken by Government to curtail the consumption of petrol were complied with :

(b) the quantity of petrol saved during the months of April, May and June, 1974 respectively and in which fields the petrol was saved; and

(c) the number of Government cars and jeeps the use of which discontinued or curtailed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C.P. Majhi): (a) to (c) In order to reduce the consumption of petrol, following measures were taken by Government :--

(i) Price of petrol was increased w.e.f. 3-11-1973.

(ii) In November, 1973 instructions were issued to the various offices of Government of India, State Governments and Public Sector Undertakings for curtailing the use of Government vehicles.

Necessary action was taken by the various Government Departments, State Governments and the Public Sector Undertakings on the instructions issued at (ii) above. No statistics are, however, available of the number of Government vehicles whose use was discontinued or curtailed.

There has been a decrease of about 122,000 tonnes in the consumption of petrol during April to June, 1974 compared to the consumption during the same period in 1973. It is not possible to indicate in which field this saving in petrol was achieved.

निष्ठावान रेल कर्मचारियों के पुत्रों/बच्चों की नियुक्ति के लिए महाप्रबन्धकों को अधिकार

2866. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1974 को राष्ट्रव्यापी रेल हड़ताल के बाद महा प्रबन्धकों को रेल सेवा आयोग के माध्यम के बिना ही निष्ठावान रेल कर्मचारियों के पुत्रों/बच्चों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है;

(ख) क्या 28 मार्च, 1972 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1286 के उत्तर में रेल मंत्री ने यह कहा था कि संविधान लागू होने के बाद रेल कर्मचारियों के पुत्रों और आश्रितों को नौकरी के मामले में कोई प्राथमिकता देना सम्भव नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित संविधान का पहले संशोधन किया गया था और उसके बाद आदेश जारी किये गये थे; और यदि नहीं, तो भाग (ख) में उल्लिखित स्थिति का उल्लंघन करते हुये भाग (क) में उल्लिखित आदेश किस प्रकार जारी किये गये?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) महाप्रबन्धकों को पहले भी अनुग्रह के आधार पर नियुक्तियां करने का अधिकार प्राप्त था। फरवरी, 1974 में आदेश जारी करके अनुग्रह के आधार पर नियुक्ति की गुंजाइश उन कर्मचारियों के संरक्षितों के लिये भी कर दी गई जो डराये धमकाये जाने और हिंसा के बावजूद उत्कृष्ठ कर्तव्यनिष्ठा दिखाते हैं जबकि रेल कर्मचारियों को ऐसी घटनाओं का अधिकाधिक सामना करना पड़ रहा है। 27-2-74 को रेलवे बजट पेश करते समय रेल मंत्री ने अपने भाषण में संसद के समक्ष इसका उल्लेख किया था।

(ख) जी हां। अतिरिक्त अंक देकर रेल कर्मचारियों के बच्चों को तरजीह देने की पहले विद्यमान प्रक्रिया को बन्द कर देना पड़ा।

(ग) भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित आदेशों में कोई अतिरिक्त अंक अथवा तरजीह देने की व्यवस्था नहीं है। इनमें तो सीमित रिक्तियों के लिये अनुग्रह के आधार पर नियुक्तियां देने की उस प्रणाली के क्षेत्राधिकार को केवल बढ़ाया गया है जो कि संविधान लागू होने के बाद भी रेलों में प्रचलित थी।

सरकार द्वारा अमरीका में फाईजर्स तथा अन्य औषध फर्मों के विरुद्ध अविश्वास का मुकदमा

2867. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अमरीका में फाईजर्स तथा अन्य चार औषध निर्माता कम्पनियों के विरुद्ध हमारे देश में ब्रांड स्पैक्ट्रम एन्टीबायोटिक्स के टेटरासाईक्लीन ग्रुप के निर्माण तथा विक्रय में अविश्वास सम्बन्धी कानूनों के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा चलाया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार को किन कारणों से यह मुकदमा चलाने को बाध्य होना पड़ा;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में उनके मंत्रालय के सचिव ने अमरीका का दौरा किया था; यदि हां, तो उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है; और

(घ) क्या भारत में मैसर्ज फाईजर्स के हितों को बचाये रखने के उद्देश्य से इस मुकदमें के बारे में पर्याप्त प्रचार नहीं किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) अमेरिका में लागू शर्मन एन्टी ट्रस्ट कानूनों के अन्तर्गत फाईजर, सिनामिड, स्क्विब, ब्रिस्टल एंड अपजौन के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के दावे के लिये 11-10-1974 को एक दीवानी दावा दायर किया गया था।

(ख) सीमेट कमेटी (अमेरिका) द्वारा की गई जांच-पड़ताल के आधार पर यह पाया गया कि 5 अमेरिकी फर्में, जिनकी ऊपर चर्चा की जा चुकी है, ई० एस० ए० आई० डी० या किसी अन्य तरीके से खरीदी गई औषधों (ब्रौड स्पैक्टरम एन्टीबायोटिक्स) पर सांठगांठ द्वारा अधिक पैसे ले रहीं थीं और इस प्रकार वे अमेरिका में लागू एन्टी शर्मन कानूनों का उल्लंघन कर रहीं थी। तदनुसार क्षतिपूर्ति हेतु मुकदमा दायर किया गया था क्योंकि भारत में भी वर्ष 1953–67 में कतिपय ब्रौड स्पैक्टरम एन्टीवायोटिक्स का आयात किया था :

(ग) पैट्रोलियम और रसायन सचिव ने उर्वरक प्रायोजनाओं के बारे में जब अमेरिका का दौरा किया था तब उन्होंने एक कानूनी फर्म और भारतीय दूतावास व अधिकारियों के साथ अनौपचारिक रूप में विचार विमर्श किया था। विचार विमर्श के ब्यौरे देना वाँछनीय नहीं होगा।

(घ) जी, नहीं।

रेल किराया ढांचे में परिवर्तन के बाद यात्री तथा माल यातायात में कमी

2868. **श्री समर गुह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रेल किराया ढांचे में परिवर्तन के बाद से यात्री तथा माल यातायात में उल्लेखनीय कमी हुई है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ख) वर्ष 1973 तथा वर्ष 1974 के सितम्बर तथा अक्तूबर मासों के दौरान वसूल किये गये (एक) यात्री किराये, तथा (दो) माल भाड़े से प्राप्त रेलवे राजस्व के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या रेल किराये में वृद्धि के बाद (एक) राजधानी एक्सप्रैस तथा (दो) डीलक्स जैसी गाड़ियों के यात्रियों की संख्या में बहुत कमी हो गई है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1973 तथा 1974 में इन गाड़ियों से यात्रा करने वाले यात्रियों की तुलनात्मक संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या इन तुलनात्मक आंकड़ों को देखते हुये किराया ढांचे पर पुनर्विचार करना जरूरी होगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) यात्री और माल यातायात किराया और भाड़ा संरचना में परिवर्तनों के अलावा औद्योगिक और आर्थिक गतिविधि के रुख आदि पर निर्भर करता है और इनमें से प्रत्येक के प्रभाव को अलग-अलग दिखाना संभव नहीं है ।

उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि सितम्बर और अक्तूबर 1974 के महीनों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में यात्री यातायात कुछ घटा है लेकिन माल यातायात में वृद्धि हुई है ।

(ख) सितम्बर और अक्तूबर 1974 के महीनों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में रेलों द्वारा अर्जित राजस्व के आंकड़े नीचे दिये गये हैं।

(करोड़ रुपयों में)

	सितम्बर की वास्तविक आमदनी		अक्तूबर के वास्तविक आंकड़े	अक्तूबर के अनुमानित वास्तविक आंकड़े
	1973	1974	1973	1974
यात्री . . .	27.43	32.01	31.91	34.90
माल . . .	54.32	71.88	59.47	83.51

(ग) वातानुकूल दर्जे और वातानुकूल कुर्सीयानों में उपयोग का प्रतिशत घटा है।

(घ) 15-9-74 से 31-10-74 तक इन गाड़ियों में उपयोग का प्रतिशत पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में संलग्न विवरण में दिखाया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 8638/74]

(ङ) किराया संरचना में कोई परिवर्तन करने अथवा ऊंचे दर्जे के सवारी डिब्बों की जगह दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बे लगाने के प्रश्न पर कोई निर्णय करने से पहले इन गाड़ियों के उपयोग के रुख पर अभी और नजर रखनी होगी।

रेल किराया संरचना में परिवर्तन के बाद यात्री और माल यातायात में गिरावट के बारे में 3-12-74 को लोक सभा में श्री समर गुह द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न 2868 के भाग (घ) के उत्तर से संबधित विवरण।

Doubling of Delhi-Ahmedabad Railway Line

2869. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have taken up the work of doubling Delhi-Ahmedabad railway line ; and

(b) if so, the progress made in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) No.

(b) Does not arise.

उत्तर त्रिपुरा में धर्मनगर और कुमारघाट के बीच रेल लाइन

2870. **श्री बीरेन दत्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर त्रिपुरा में धर्मनगर से कुमारघाट तक रेल लाइन बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) धर्मनगर और कुमारघाट के बीच रेल लाइन के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव को चालू वर्ष के रेलवे बजट में शामिल कर लिया गया है, बशर्ते उत्तर पूर्वी परिषद् द्वारा इसके लिये धन उपलब्ध करा दिया जाये ।

चूंकि उत्तर पूर्वी परिषद् ने इसके लिये अपेक्षित धन उपलब्ध नहीं कराया है, इसलिये इस परियोजन का काम अभी तक शुरू नहीं किया जा सका।

रेलवे में चोरी तथा उठाईगिरी रोकने के लिए कार्यवाही

2871. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने इस बात का कोई अनुमान लगाया है कि रेलवे के वभिन्न जोनों में चोरी तथा उठाई-गिरी रोकने के लिये किये गए विभिन्न उपायों को गत दो वर्षों के दौरान कहां तक सफलता मिली है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सुरक्षा बल (सीक्योरिटी फोर्स) की सतर्कता विंग को और सुदृढ़ बनाने और वर्तमान बल को उपयुक्त हथियार आदि देने, ताकि वे अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें, के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं और यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी हां, चोरी और उठाईगिरी रोकथाम के लिये अपनाये गये उपायों के परिणामों का निर्धारण क्षतिपूर्ति के दावों के आधार पर किया जाता है। ऐसे दावों की सख्या में कमी हो रही है। 1973-74 में दर्ज किये गये दावे 1972-73 में दर्ज किये दावों की तुलना में 49,804 कम थे।

कुल दावों के भुगतान की तुलना में खो जाने चोरी होने और उठाईगिरी के दावों के भुगतान का प्रतिशत भी 1972-73 के 74.13 से घटकर 1973-74 में 72.25 हो गया है।

(ग) रेलवे सुरक्षा दल को, जिसमें अपराध और अपराधियों के बारे में आसूचना रखने वाला इसका एक विंग भी शामिल है, अभी हाल में, नवम्बर, 1973 में पुनर्गठित किया गया है ताकि निम्नलिखित उपायों द्वारा इसे अधिक प्रभावी बनाया जा सके :—

(i) सभी स्तरों पर बेहतर पर्यवेक्षण की व्यवस्था करना।

(ii) अन्वेषण विंग को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिये अन्वेषण कर्मचारियों सुरक्षा विंग का अलग किया जाना और इस प्रकार अपराध और अपराधियों के विरुद्ध आसूचना इकट्ठी करने में तेजी आना।

(iii) दल के फैलाव में अधिक लचीलापन लाने के लिये निश्चित स्थल ड्यूटी की अपेक्षा बीट प्रणाली प्रारम्भ करना।

(iv) सुरक्षा कर्मचारियों के वाहनों में वृद्धि करके अधिक गतिशीलता की व्यवस्था करना।

(v) मण्डल में उपलब्ध आसूचना कर्मचारियों को प्रबलित करना।

(vi) संदेहास्पद अपराधियों और माल लेने वालों पर निरन्तर निगाह रखने के लिये मण्डल सुरक्षा अधिकारियों के नियंत्रण में सादे पोशाक वाले कर्मचारियों की व्यवस्था करना।

"बम्बई हाई में तेल की खोज"

2873. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**

श्री आर० वी० स्वामिनाथन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई हाई से वर्ष 1976 तक तेल प्राप्त हो जाने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

(ग) क्या अभी तक खोदे गये सभी 10 कुओं में तेल पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो वहां तेल निकलना आरम्भ हो जाने के बाद देश में तेल की स्थिति किस सीमा तक सुधर जायेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) जब बम्बई हाई संरचना पर तेल हड़ताल की वाणिज्य उपयोगता स्थापित हो जायेगी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की यथा संभव इस संरचना से, तेल उत्पाद करने की योजना है।

(ग) बम्बई हाई संरचना पर अब तक केवल दो कुओं की खुदाई की गई है और दोनों में हैड्रो-कारबन पाया गया है।

(घ) इस मामले में, इस समय कुछ कहना अपरिपक्व होगा।

"तेल उत्पादक देशों द्वारा तेल के मूल्य कम करने के सुझाव"

2874. **श्री आर० वी० स्वामिनाथन्** . क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र सघ के महासचिव और अनेक बड़े देशों ने विश्व से बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति का सामना करने के लिये, तेल उत्पादक देशों से तेल का मूल्य कम करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या तेल उत्पादक देशों ने इस अनुरोध पर विचार करना स्वीकार कर लिया है;

(ग) क्या इस विषय पर विचार करने के लिए इन देशों की हाल ही में कोई बैठक हुई थी;

(घ) यदि हां, तो कितने देश मूल्य कम करने के पक्ष में हैं, और

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप से कोई निर्णय हो गया है तथा उस बारे में भारत सहित विभिन्न देशों को बता दिया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

खुर्दा रोड डिविजन में ऊपरि-पुलों का निर्माण

2875. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में खुर्दा रोज डिविजन में वर्ष 1974-75 के दौरान निर्मित किये जाने वाले नये ऊपरि-पुलों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : 1974-75 के दौरान उड़ीसा में खुरदा रोड मंडल में किसी नये ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का कोई विचार नहीं है।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के बर्खास्त/नौकरी से हटाये गये कर्मचारियों की बहाली

2876. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के उन स्थाई, अस्थाई, और मासिक वेतन तथा दैनिक वेतन पर नैमितिक कर्मचारियों की डिविजन वार तथा वर्कशाप वार संख्या कितनी हैं, जिन्हें मई, 1974 की हड़ताल के कारण नौकरी से बर्खास्त किया गया अथवा सेवा से अलग किया गया;

(ख) प्रत्येक श्रेणी के उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है, जिन्हें नौकरी पर वापस ले लिया गया है;

(ग) प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत ऐसे कितने कर्मचारी है जिन्हें अभी काम पर वापस नहीं लिया गया है; और

(घ) उनकी बहाली में विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत अपीलों पर अलग-अलग मामलों के आधार पर विचार किया जाता है। यह प्रक्रिया जारी है और रेल प्रशासन इन मामलों की यथासंभव शीघ्र समीक्षा करने का भरसक प्रयास कर रहा है। नैमित्तिक श्रमिकों को फिर लगाना काम की अपेक्षाओं और संसाधनों की स्थिति पर निर्भर करता है।

विवरण

मंडल/कारखाना	स्थाई कर्मचारियों की बर्खास्तगी/हटाया जाना			अस्थाई कर्मचारियों की सेवा समाप्ति			एवजी/नैमित्तिक श्रमिक जिन्हें सेवा मुक्त किया गया		
	जितने बर्खास्त/हटाये गये	जितने वापस लिये गये	शेष	जितनों की सेवा समाप्त की गई	जितने वापस लिये गये	शेष	जितने सेवा मुक्त किये गये	जितने वापस लिये गये	शेष
मण्डल :									
कटिहार	509	403	106	405	275	130	1	—	1
लमडिंग	308	221	87	782	183	599	266	1	265
तिनसुकिया	59	41	18	67	46	21	15	4	11
अलीपुर दुआर	283	218	65	161	146	15	24	—	24
कारखाने :									
न्यू बोगाई गांव डिब्रूगढ़	63	55	8	69	49	20	20	—	20

समय पाबन्दी बनाये रखने के लिए रेलगाड़ियों को दिया गया अतिरिक्त समय

2877. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समय पाबन्दी बनाये रखने के लिये विभिन्न रेलगाड़ियों को दिल्ली से 50 किलोमीटर की परिधि में अतिरिक्त समय दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जब लम्बी दूरी की सवारी गाड़ियां दिल्ली/नई दिल्ली जैसे महानगरों में पहुंचने वाली होती हैं, तो उनकी अनुसूची में जहां व्यावहारिक होता है, एक समय अन्तराल की व्यवस्था रहती है ताकि मार्ग में अपूर्वदृष्ट कारणों से यदि कुछ विलम्ब हो जाये तो उससे इन स्टेशनों पर परिचालन की पूरी व्यवस्था अस्त-व्यस्त न हो जाये। इसके अतिरिक्त, उन क्षेत्रों में यह व्यवस्था आवश्यक हो जाती है, जहां उपनगरीय गाड़ी संचालन के कारण विशेषकर प्रातः-कालीन/सांयकालीन भीड़-भाड़ के समय लम्बी दूरी की गाड़ियों के लिये पथ सम्बन्धी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं और उन बड़े-बड़े कस्बों में पर्यन्त सुविधाओं की कमी का ध्यान रखना होता है।

खेती बहेड़ा खेड़ा, मुरादाबाद डिवीजन, (उत्तर रेलवे) के रेल कर्मचारियों से मकान किराये की वसूली

2878. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेती बहेड़ा, खेड़ा, मुरादाबाद डिवीजन, (उत्तर रेलवे) के रेल कर्मचारियों से उन क्वार्टरों के लिये किराया वसूल किया जा रहा है जिनको रेलवे की सम्पत्ति रखने के लिये काम में लाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो रेल कर्मचारियों को आबंटित मकानों को रेलवे की सम्पत्ति रखने के लिये गोदामों के रूप में इस्तेमाल किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) रेल कर्मचारियों से वसूल किये गये मकान किराये की वापस अदायगी करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस समय खेती बहेड़ा खेड़ा स्टेशन पर किसी क्वार्टर का उपयोग रेलवे सम्पत्ति को रखने के लिये नहीं किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में मीटर गेज लाईन को बड़ी लाईन में परिवर्तित करना

2880. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक में मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाईनों में परिवर्तित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) विनिर्दिष्ट खंडों को बड़ी लाइन में बदलने के लिये, जबकि किसी अन्य कम खर्चीले तरीके से लाइन क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकती, प्रत्येक

मामले के गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो। कुछ प्रस्तावों के लिये सर्वेक्षण किये गये थे और उनकी स्थिति इस प्रकार है:—

(i) **बैंगलूर-मैसूर:**– इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण की रिपोर्टें मिल गई हैं और उनकी जांच की जा रही है। जब जांच का परिणाम मालूम हो जायेगा उसके बाद ही कोई अन्तिम विनिश्चय किया जायेगा।

(ii) **मिरज-हुबली-होसपेट:**—सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच की जा रहीं है। खान और धातु मंत्रालय द्वारा एक अध्ययन दल गठित किया गया है जो कि बेलारी होसपेट लौह अयस्क निक्षेपों के समन्वित विकास के विभिन्न पहलुओं की जांच करेगा। जब सर्वेक्षण रिपोर्ट के सभी पहलुओं की जांच कर ली जायेगी उसके बाद ही कोई विनिश्चय किया जा सकेगा।

(iii) **सेलम-बैंगलूर (अंशतः कर्नाटक राज्य में):**—सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है। जब जांच का परिणाम मालूम हो जायेगा तभी अन्तिम विनिश्चय किया जायेगा।

(iv) **गुन्तकल्ल-बैंगलूर (अंशत. कर्नाटक राज्य में):**—काम जारी है।

विवाह-विच्छेद संबंधी कानून में छूट

2881. **श्री वनमाली पटनायक** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विवाह विच्छेद सम्बन्धी कानूनों में छूट देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उक्त प्रस्ताव कब तक संसद् के सामने पेश हो जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) विधि आयोग ने इस विषय में हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया है। उसकी सिफारिशें 59 वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट हैं, जो 19 नवम्बर, 1974 को लोक सभा के पटल पर रखी गई थी। इन सिफारिशों में विवाह विच्छेद से संबंधित उपबन्धों को उदार बनाने के लिये सिफारिशें भी सम्मिलित हैं।

(ग) विधि आयोग की 59वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों को क्रियान्वित करने के विषय पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

कोटा और चित्तोड़गढ़ के बीच रेल-लाईन का निर्माण

2882. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोटा और चित्तौड़गढ़ के बीच बड़ी रेल लाइन का निर्माण प्रारम्भ करने के लिये राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से जोरदार सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार ने क्या निर्णय किया है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1965-66 में एक यातायात सर्वेक्षण किया गया, और इसके बाद 1969-70 में पुनर्मूल्यांकन किया गया जिससे पता चला कि यह सम्पर्क अर्धक्षम नहीं होगा। नई लाइनों के लिये बहुत सीमित धनराशि की उपलब्धता के कारण, फिलहाल इस अलाभप्रद लाइन के निर्माण पर विचार करना कठिन होगा।

पालमाऊ तथा गढ़वा जिलों में गैंग-मैनों तथा अन्य अस्थायी कर्मचारियों की छंटनी

2883. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे, सामान्यतः पालामाऊ जिले में तथा विशेष रूप से गढ़वा में गैंग-मैनों तथा अन्य अस्थाई कर्मचारियों की विशेषतः ऐसे समय में छटनी की जा रही है जबकि पालामाऊ जिला भारी अभाव तथा अकाल से त्रस्त हैं; और

(ख) यदि हां तो क्या सरकार का विचार इस मामले पर फिर से गौर करने तथा तुरन्त ही इन गैंग मैंनों की छंटनी को रोकने का है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) किसी गैंग मैन या अन्य अस्थाई कर्मचारी की छटनी नहीं की जा रही है। किन्तु, निर्माण कार्य में कमी और धीमेपन के कारण 182 कार्यप्रभारित नैमित्तिक मजदूरों को नौकरी समाप्त करने का नोटिस दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Casual and temporary employees working in various workshops on Central Railway

2884. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of casual employees working at present in the workshops of the various Divisions of Central Railway separately; and

(b) the number of temporary employees working there separately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) Nil.

(b) 260 in Mechanical Workshops and 9 in Signal and Tele-communication Workshops.

"इस्तेमाल हुए तेलों का पुन: उपयोग करने की योजना की क्रियान्विति"

2885. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्तेमाल हुये तेलों को पुनः इस्तेमाल करने की योजना को क्रियान्वित करने में प्रक्रिया सम्बन्धी अनेक कठिनाइयां हैं;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य रूप रेखा क्या हैं; और

(ग) इसकी क्रियान्विति में क्या कठिनाइयां हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) सरकार खपत में बचत के लिये अभी इस्तेमाल हुये तेल के दुरुपयोग को रोकने के लिये भी इस्तेमाल हुये स्नेहक तेलों के पुनर्शोधन को बढ़ावा दे रही है। भारतीय पैट्रोलियम संस्था और अनेक अन्य संगठनों ने इस क्षेत्र में आवश्यक जानकारी का विकास किया है। गैर-सरकारी पार्टियां भारतीय पैट्रोलियम संस्था की जानकारी

का उपभोग करती है। उनको भारतीय पेट्रोलियम संस्था ने इस्तेमाल हुये तेल के पुनर्शोधन के लिये लाइसेंस जारी किये हैं। यह व्यवस्था मुख्य रूप से पुनर्शोधित तेलों की उचित परीक्षा और निरीक्षण के अभाव के कारण सन्तोषप्रद साबित नहीं हुई है जिसे तेल का पुनर्शोधन करने वाले बेचते हैं। इस दृष्टि से भारतीय पेट्रोलियम संस्था ने स्थापित कैपिटल एककों के प्रयोजन को छोड़ कर और लाइसेंसों को जारी न करने के अनुदेश दे दिये हैं। विद्यमान गैर सरकारी पार्टियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे स्नेहक तेलों के प्रमुख उपभोक्ताओं जैसे रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के साथ शोधन शुल्क आधार पर प्रयुक्त तेलों के पुनर्शोधन के लिये समझौता करें और अधिक सन्तोषजनक समझौता तैयार करने के लिये तेल कम्पनियों के साथ विस्तृत ब्यौरों से संबंधित मामले का अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) मुख्य कठिनाइयां हैं:—

1. सर्विस स्टेशनों, गराजों आदि जैसे बहुत से अलग अलग स्त्रोतों से प्रयुक्त तेल का एकत्र करना;

2. विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त प्रयुक्त तेलों का विविध प्रकार;

3. जो पार्टियां इस क्षेत्र में काम कर रही हैं उनके पास तकनीकी दक्ष विशेषज्ञों की कमी।

मैसर्ज इंडियन ट्यूब कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

2886. **श्री एस० एन० सिंह देव** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स इंडियन ट्यूब कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के कामों की जांच हेतु नियुक्त निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या है; और

(ख) इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरूआ) : (क) इंडियन ट्यूब कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के कार्यकलापों की जांच करने के लिये कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कोई निरीक्षक नियुक्त नहीं किये गये थे।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड

2887. **श्री सरजू पांडे** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोदी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड का अरोडा रोरसाच ए० जी० आफ स्विटजरलैंड (हेवरलेम ग्रुप) के सहयोग के साथ सिलाई के सिन्थेटिक धागे का उत्पादन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मोदी उद्योग समूह के विरुद्ध इस समय कोई सरकारी जांच चल रही है; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की ?

47 LSS/74—6

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) सिलाई के सिन्थेटिक धागे के 300 टन प्रतिवर्ष के उत्पादन हेतु कम्पनी का प्रस्ताव सरकार द्वारा इसलिये अनुमोदित किया गया था क्योंकि विदेशी बहुमतीय कम्पनी, जिसका इस मद के उत्पादन में इस समय एकाधिकार था, को प्रभावी प्रतियोगिता देना वांछनीय समझा गया था।

(ग) तथा (घ) हां, श्रीमान् जी। मोदी समूह की कतिपय कम्पनियों के विरुद्ध एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा आयोग की निम्नलिखित जांच प्रगति पर हैं :—

(1) 2000 टन नाइलोन टायर धागे के वार्षिक उत्पादन हेतु मैसर्स मोदीपन लिमिटेड के प्रस्ताव के सम्बन्ध में एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 21(3) (ख) के अन्तर्गत जांच।

(2) नाइलोन धागा कताई कर्त्ताओं और अन्यों का उनके द्वारा 9-9-73 को हुये अनुबन्ध के आधार पर निरत बहुत सी निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथाओं के सम्बन्ध में मैसर्स मोदीपन लिमिटेड सहित कतिपय कम्पनियों के विरूद्ध एकाधिकार एवं निर्बन्ध नकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 37 के साथ पठित धारा 10(क) (4) के अन्तर्गत जांच।

(3) कम्पनी द्वारा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथाओं में निरत होना आरोपित किया गया था में, मोदी यार्न मिल्स (प्रो० मोदी स्पि० एंड विविंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड) के विरुद्ध एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 37 के साथ पठित धारा 10(क)(iii) के अन्तर्गत जांच।

"पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उर्वरक संयंत्रों पर व्यय की जाने वाली विदेशी मुद्रा"

2888. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के स्थापित किये जाने वाले प्रत्येक उर्वरक संयंत्र पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा का व्यय किया जाना है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : सरकारी क्षेत्र में पांचवीं योजना अवधि के दौरान 5 नये उर्वरक प्रायोजनाओं की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इन प्रायोजनाओं के लिये विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं का अनुमान निम्नप्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

प्रायोजना का स्थल	विदेशी मुद्रा लागत
1. भटिंडा	53.00
2. पानीपत	50.60
3. मथुरा	50.00
4. ट्राम्बे 5	27.80
5. पैरादीप	अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया

उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र में फूलपुर में एक उर्वरक प्रायोजना स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है जिसकी विदेशी मुद्रा लागत का अनुमान 51.70 करोड़ रुपया है। कोटा (विस्तार) काकीनन्दा एवं बरौदा (विस्तार) पर उर्वरक प्रायोजनाओं को स्थापित किये जाने के लिये आशय पत्र भी जारी किए गये हैं। इन प्रायोजनाओं के लिये विदेशी मुद्रा के अनुमानों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

Oil Supply from Mathura Refinery Through Pipeline

2889. **Shri Chandulal Chandraker:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether oil will be supplied from Mathura Refinery to various States by direct pipelines; and

(b) if so, the names of those States ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C.P. Mahi): (a) & (b) Mathura Refinery is being set up to meet the requirements of petroleum products of the North-West Region of the country. Since transportation of petroleum products through pipeline is generally more economical than other modes of transportation, the Indian Oil Corporation has been asked to prepare a feasibility study for laying a product pipeline from Mathura to Ambala and Jullundur. From the pipeline, products will be taken to the various consuming centres in the North West Region by other modes of transport viz. rail and road.

पैर तथा मुंह के रोगों के लिए टीकों का निर्माण

2890. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स भारतीय एग्रो फाउन्डेशन के अतिरिक्त कुछ अन्य संस्थान भी पैर तथा मुख के रोगों के लिये टीकों का निर्माण कर रहे हैं, इन टीकों के लिये देश में उनकी स्थापित क्षमता कितनी है ;

(ख) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इनका टीका लक्ष्य 150 लाख खुराकें हैं तथा इन में से 130 लाख खुराकों के लिये भारतीय एग्रो फाउन्डेशन को ही अनुमति दी गई है ;

(ग) क्या इन टीकों के निर्माण के लिये तकनीकी जानकारी भारतीय संस्थानों के पास उपलब्ध है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो पैर तथा मुंह के रोगों के टीकों के निर्माण के लिये फाइजर्स तथा होश्ट जैसी विदेशी फर्मों को लाइसेंस देने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) भारतीय एग्रो इण्डस्ट्रीज फाउन्डेशन इस समय पैर तथा मुख रोगों के लिये टीकों का निर्माण नहीं कर रहा है। इनकी प्रायोजना केवल प्रतिस्थापन स्तरों में है। मैसर्स होचेस्ट फार्मास्यूटिकल्स लि० एवं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, मुक्तेश्वर इस टीके के केवल मात्र उत्पादक संस्थायें हैं। इन कम्पनियों ने प्रतिवर्ष क्रमश: 5 लाख एवं 2 लाख खुराके उत्पादन करने की क्षमता प्रतिस्थापित की है।

(ख) पैरों तथा मुंह की बिमारियों के टीकों के लिये पांचवीं पंच वर्षीय योजना का लक्ष्य 15 मिलियन खुराकें हैं और और भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज़ फडरेशन को इस टीके को प्रतिवर्ष 3.2 मिलियन खुराकों की क्षमता के लिये एक आशय पत्र दे दिया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, जो इस टीके की सीमित मात्राओं में निर्माण कर रहा है, को पैरों एवं मुंह की बिमारियों के टीके निर्माण करने की जानकारी उपलब्ध है। सरकार ने पांचवीं योजना अवधि के दौरान डैरी के विकास का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाया है और देश में पैरों एवं मुंह की बिमारी के टीकों की बहुत बड़ी मात्राओं की जरूरत होगी।

चूंकि किसी भारतीय यूनिट से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था, अतः मैसर्स होचेस्ट फार्मास्यूटिकल्स लि० तथा मैसर्स फाइजर लि० बम्बई को तदनुसार आशय पत्र दिये गये थे ताकि देश की मांग को पूरा किया जा सके।

जनवरी-अक्तूबर, 1974 के दौरान सियालदह डिवीजन पर रेलगाड़ियों में डकैतियां

2891. **श्री माधुर्य्य हालदार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1974 से अक्तूबर, 1974 के बीच पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन की रेलगाड़ियों में कुल कितनी डकैतियां हुई; और

(ख) इसके संबंध में क्या कार्यवाही की गई तथा उनकी रोकथाम की क्या व्यवस्था की गई ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 12

(ख) (i) दिन तथा रात की महत्वपूर्ण सवारी गाड़ियों में राज्य पुलिस द्वारा सशस्त्र आरक्षी भेजे जा रहे हैं।

(ii) बदमाशों की गतिविधियों पर निगाह रखने तथा आसूचना इकट्ठी करने के लिये चलती गाड़ियों में और रेलवे स्टेशनों पर होम गार्डों की सेवाओं का भी उपयोग किया जा रहा है।

(iii) ऐसी वारदातों की रोकथाम करने के लिये गाड़ियों में सामान्य सादी पोशाक वाले कर्मचारियों को भी तैनात किया जा रहा है। विशेष क्षेत्री स्टेशनों में सशस्त्र टुकड़ियां भी रखी गयी हैं। महत्वपूर्ण स्टेशनों पर प्रतिरोधी दल भी बनाये गये हैं।

(iv) चालू वर्ष में आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत 41 व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया जिनमें 19 व्यक्ति डकैत और लुटेरे थे। कई दलों का पता लगाया गया है और अनुवर्ती कार्रवाई के फलस्वरूप उसके सदस्य पकड़े जा रहे हैं।

ठेकेदारों को दिए गए खान-पान संबंधी ठेके

2892. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लम्बी दूरी वाली गाड़ियों में यात्रियों के लिये खान-पान व्यवस्था का प्रबन्ध ठेकेदारों को सौंपने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या उनके कार्य पर कोई समुचित निगरानी रखी जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) लम्बी दूरीवाली गाड़ियों में खान-पान की सुविधाओं की व्यवस्था ठेकेदारों तथा रेलवे के विभागीय यूनिटों द्वारा की जाती है ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

"दुर्गापुर उर्वरक कारखाना"

2893. श्री शशि भूषण : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूर्गापुर उर्वरक कारखाने का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था ;

(ख) क्या इस कारखाने में अभी तक उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है क्योंकि बहुत से आयातित प्रमुख कल-पुर्जों का कार्यकरण त्रुटिपूर्ण है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विलम्ब के लिये संबंधित सरकारी अधिकारियों को जिम्मेवार ठहराया है अथवा इसमें उनका हाथ होने के बारे में जांच की है ।

(घ) इसमें कुल कितनी कीमत के विदेशी कल-पुर्जे हैं और उन्हें किन विदेशी फर्मों ने सप्लाई किया; और

(ङ) इस गलती के कारण उर्वरक उत्पादन की अनुमानतः कुल कितनी हानि हुई और दूर्गापुर कारखाने में संभवतः कब तक उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ङ) जिस संयंत्र का उत्पादन अक्तूबर, 1973 में आरम्भ हुआ था वह आयातित मशीनरी और संघटकों सहित कई दोषग्राहि उपकरणों की मदों के खराब होने और विफल होने के फलस्वरूप आशावान स्तर तक उत्पादन करने में अब तक समर्थ नहीं हो पाया । चूंकि इस प्रकार के रसायनिक संयंत्र को इष्टतम उत्पादन करने में लगभग दो से तीन वर्ष का समय प्रायः लग जाता है । इस कारण प्रति वर्ष लगभग 2 लाख यूरिया मीटरी टन की हानि होने का अनुमान लगाया जा सकता है ।

4 करोड़ रुपये के मूल्य वाले उपकरण और संघटकों की आयातित मदों को सप्लायर क्रेडिट के अन्तर्गत अमोनिया संयंत्र के मामले में सोसिएटा इम्पैन्टि इटालिमाना (एस०आई०आई०) और यूरिया संयंत्र के मामले में मान्टेडिसन जैसी प्रसिद्ध फर्मों की मार्फत खरीदा गया था जो न्युओवोपिगनोन (इटली) थर्मोमैकानिका (इटली), लेन्टजेसा रेकुयेरेटर (पश्चिमी जर्मनी) के सदृश सुप्रसिद्ध निर्माता है । बहुत से मामलों में, देशी और विदेशी दोनों उपकरण सप्लायर प्रथमबार अपेक्षिक आकार और भार के अनुरूप उपकरणों की मदों का निर्माण कर रहे थे । इस प्रकार कई पार्टियां इस प्रायोजना के कार्यान्वयन में लगी हुई थी जो देशीय उपकरण और विशेषज्ञ का अधिकतम उपयोग करने के आधार पर देशीकरण की ओर पहला प्रमुख प्रयास था ।

उसका सन्तोष जनक प्रचालन सुनिश्चित करने का ध्यान रखते हुए विभिन्न यान्त्रिक खराबियों और अन्य समस्याओं पर काबू पाने और उनका पता लगाने के लिये समय समय पर क्रमबद्ध प्रयास किये जाते हैं । कई मामलों में उपकरणों का दोष पता लगने पर उन उपकरणों के स्थान पर अन्य उपकरण लिये गये हैं । चूंकि ये कारवाइयां पूरी तरह सफल नहीं हुई थी अतः जो मैसर्स टेकिनार्भाट उस प्रायोजना का डिजाइन बनाने, सप्लाई करने आदि के कार्य में सीधे लगे हुए थे उनको इसका

आद्योपान्त विस्तृत सर्वेक्षण करने और सन्तोषपूर्वक विश्वास के साथ इसका प्रचालन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक उपायों का सुझाव देने के लिये आमन्त्रित किया गया था । आद्योपान्त सर्वेक्षण रिपोर्ट मिल गई है और इस रिपोर्ट का ख्याल रखते हुए आवश्यक समझे गये प्रतिकारी और अन्य उपायों के द्वारा उचित कारवाई को किया जा रहा है । आशा की जाती है कि आगामी 18 महीनों में इन संशोधनों को पूरा कर लिया जायेगा और अब से लगभग 24 महीनों में संयंत्र को उत्पादन सुस्थिर करने में समर्थ हो जाना चाहिये ।

उक्त निदिष्ट प्रौद्योगिक समस्याओं के अतिरिक्त, संयंत्र की बार-बार बिजली बन्द होने और बिजली की सप्लाई की प्रणाली की अनिश्चितता के कारण उत्पादन को सुस्थिर करने में भी कठिनाइयां आ रही हैं । इस मामले पर राज्य सरकार से बातचीत चल रही है जो बिजली की पर्याप्त और नियमित सप्लाई को सुनिश्चित करने के वास्ते आवश्यक कारवाई कर रही है । संयंत्र प्राधिकारियों को आशा है कि यदि बिजली की सप्लाई निरन्तर बनी रहे तो यह संयंत्र अपनी 50 प्रतिशत क्षमता का उत्पादन कर सकता है ।

इस मामले में सरकार ने किसी प्रकार की जांच करने का कोई आदेश नहीं दिया है ।

विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति का कोटा

2894. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण विषय संसदीय समिति (पांचवीं लोक सभा) के 13 वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के अनुसार रेलवे के अधीन विभिन्न पदों एवं सेवाओं में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के पदोन्नति कोटे में सुधार करने के लिय रास्ता निकालने के लिय कोई कदम उठाए गय हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त उपायों की रूपरेखा क्या है और यदि कोई उपाय नहीं किय गय हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) रेलों में विभिन्न सेवाओं और पदों के पदोन्नति कोटे में अनुसूचित जाति/जनजाति की स्थिति सुधारने के लिये के लिये जो उपाय किये गये हैं; उनका विवरण संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है ।

विवरण

30-9-1973 को समाप्त होने वाली छमाही में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों की भर्ती के संबंध में रेलों में की गयी प्रगति की रिपोर्ट, जिसकी प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, के अध्याय 11 में उल्लिखित रियायतों के अलावा रेलों में पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के अधिक उम्मीदवार लेने के लिये निम्नलिखित और उपाय किये गये हैं :—

1. रेलवे बोर्ड में एक विशेष कक्ष की स्थापना की गयी है जिसके अध्यक्ष एक अपर निदेशक हैं और उनकी सहायता के लिय दो सलाहकार हैं ।

2. केवल इन समुदायों के उम्मीदवारों की सीधी भर्ती और पदोन्नति के मामले निबटाने के लिये प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी का एक वरिष्ठ वेतनमान पद बनाया गया है । उसकी सहायता के लिये निरीक्षक और अन्य कर्मचारी हैं ।

3. रेल प्रशासनों को फिर कहा गया है कि अतिक्रमण के सभी मामलों को पुनरीक्षा के लिये महाप्रबन्धक/सम्बन्धित प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत किया जाये ।

4. हाल में ये आदेश जारी किये गये हैं कि पदोन्नति के मामले में यदि पहले से स्वीकृत विभिन्न रियायतों के बावजूद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवार पेनल में रखे जाने के लिये अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हों तो उनमें से सर्वश्रेष्ठ को अर्थात् जो सर्वाधिक अंक प्राप्त करें, उसको, उन समुदायों के लिय आरक्षित रिक्तियों की सीमा तक पेनल में रखने के लिये निर्दिष्ट कर लेना चाहिये । ऐसे व्यक्तियों के नामों को छोड़ते हुए पेनल अनन्तिम रूप घोषित कर दिया जाना चाहिये । उसके बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के इस तरह निर्दिष्ट उम्मीदवारों को उनके लिये आरक्षित रिक्तियों पर 6 महीने की अवधि के तदर्थ आधार पर पदोन्नत कर देना चाहिये । 6 महीने की अवधि बीतने के बाद इन उम्मीदवारों के कार्य-कलाप के बारे में विशेष रिपोर्ट मांगी जानी चाहिये और सम्बन्धित विभाग को पुनरीक्षा के लिये मामला महाप्रबन्धक को प्रस्तुत करना चाहिये ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन उम्मीदवारों को उन पदों पर बनाये रखा जा सकता है और आरक्षित रिक्तियों पर अन्तिम रूप से पदोन्नत किया जा सकता है ।

5. वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर भरे जाने वाले श्रेणी I, II, III और IV के पदों और इन कोटियों में पदोन्नति करते समय आरक्षण की व्यवस्था करने के आदेश जारी किये गये हैं बशर्ते इन ग्रेडों में सीधी भर्ती, यदि कोई हो तो, 50% से अधिक न होती हो ।

6. इस आशय के भी आदेश जारी किय गये हैं कि श्रेणी III से श्रेणी II और श्रेणी II-से श्रेणी I सेवा की निम्नतम कोटि में प्रवरण के आधार पर पदोन्नति करते समय यहां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति को आरक्षण दिया जाये जहां सीधी भर्ती 50% से अधिक न होती हो।

हावड़ा तथा इसके आसपास माल का जमा होना

2895. श्री आर० एन० बमन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1974 के दौरान हावड़ा तथा इसके आसपास रेलवे माल शैडों में बहुत मात्रा में माल जमा हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने उन व्यापारियों से अतिरिक्त राशि प्राप्त की जो काफी समय से रेलवे माल शेडों से अपना माल न उठाने के लिये जिम्मेदार थे; और

(ग) क्या व्यापारियों ने माल के उतार-चढ़ाव के कारण आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी नहीं ली थी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सितम्बर, 1974 के दौरान , हावड़ा रामकिस्तोपुर और शालीमार के माल गोदामों से व्यापारियों से 18.41 लाख रु० विलम्ब शुल्क/स्थान शुल्क के रूप में वसूल किये गये ।

(ग) परेषितियों द्वारा माल विलम्व से उठाने के कारणों की जानकारी रेल प्रशासन को नहीं है ।

जोनल रेलवेज में काम करने वाले डाक्टरों तथा इंजीनियरों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्ति

2896. **श्री एस० एम० सद्ध्या** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रेलवे में और रेलवे बोर्ड में 1 अक्तूबर, 1974 के दिन कितने डाक्टर एवं इंजीनियर काम कर रहे थे ;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के हैं;

(ग) क्या उनकी भर्ती की स्थिति में सुधार करने के लिये विशेष भर्ती की जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेष बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) राजपत्रित पदों पर इंजीनियरों और डाक्टरों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतियोगी परीक्षाओं और/या साक्षात्कारों के आधार पर की जाती है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये रिक्तियों का आरक्षण वर्तमान नियमों के अनुसार किया जाता है। फिलहाल विशेष भर्ती के लिये कोई विचार नहीं है ।

विवरण

क्षेत्रीय रेलों और रेलवे बोर्ड में डाक्टरों और इंजीनियरों (राजपत्रित) की संख्या

रेलवे	डाक्टर			इंजीनियर		
	जोड़	अनु-सूचित जाति	अनु-सूचित जनजाति	जोड़	अनु-सूचित जाति	अनु-सूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6	7
मध्य	254	21	—	378	21	—
पूर्व	303	17	2	355	11	—
उत्तर	317	7	—	436	11	—
पूर्वोत्तर	139	4	—	228	10	1
पूर्वोत्तर सीमा	175	2	—	177	3	3
दक्षिण	232	13	2	343	10	1
दक्षिण मध्य	165	16	2	274	15	2
दक्षिण पूर्व	257	19	2	413	19	3
पश्चिम	294	15	1	418	12	—
रेलवे बोर्ड	2	—	—	65	—	—

श्रमिकों को कानूनी सहायता

2897. **श्री बसन्त साठे :**

श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :

श्री अरविन्द एम० पटेल :

श्री अनादि चरण दास :

श्री पी० गंगादेव :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिक वर्ग को मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह उपलब्ध करने के बारे में कानूनी व्यवस्था करने की सिफारिश सरकार की एक विशेषज्ञ समिति ने की है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त समिति ने अन्य क्या सिफारिशें की हैं और उन पर विचार इस समय किस स्थिति में है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) कानूनी सहायता संबंधी विशेषज्ञ समिति की 'जनता के लिये प्राक्रयात्मक न्याय' शीर्षक के अन्तर्गत की गई सफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम रेलवे में बिना टिकट यात्रा

2898. **श्री डी० पी० जनेजा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने के आरोप में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या का वर्ष वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उनसे जुर्माने के रूप में कितनी राशि वसूल हुई; और

(ग) जुर्माने की राशि की नकद अदायगी न करने के कारण कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

वर्ष	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	जुर्माना किये गये व्यक्तियों की संख्या	न्यायलयों द्वारा वसूल किये गये जुर्माने	जेल भेजे गये व्यक्तियों की संख्या	मजिस्ट्रेट द्वारा छोड़े गये व्यक्तियों की संख्या
			रुपये		
1971-72 .	43,515	22,182	87,874.00	18,630	2,703
1972-73 .	45,660	20,928	68,427.00	19,755	4,977
1973-74 . .	42,346	20,874	88,745.00	15,916	5,556

नोट:—प्रश्न के भाग (ग) के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि बिना टिकट यात्रियों का चालान करके उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है, वह मुकदमें को सुनता है और उन पर जुर्माना करता है या उन्हें जेल भेज देता है । मजिस्ट्रेट अपने प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए भिखारियों और निस्सहाय व्यक्तियों को छोड़ भी देता है ।

राजस्थान में रेलवे स्टेशनों की मरम्मत और उनका विस्तार

2899. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कुछ रेलवे स्टेशनों की मरम्मत और उनका विस्तार करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वर्ष के दौरान इसके लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई धनराशि मंजूर की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) यातायात के वर्तमान स्तर को देखते हुए, राजस्थान राज्य में रेलवे स्टेशनों का अधिक विस्तार आवश्यक नहीं समझा जाता । किन्तु प्लेटफार्मों पर छत, स्नानघर, शौचालय, विश्राम कक्ष जैसी यात्री सुविधाओं में सुधार की व्यवस्था राजस्थान के कुछ स्टेशनों पर हो रही है । एक सामान्य पद्धति के रूप में, समूची रेल-प्रणाली में, आवधिक अनुरक्षण और मरम्मत के आवश्यक काम नियमित रूप से किये जाते हैं ।

(ख) मरम्मत और अनुरक्षण के लिये प्रति वर्ष निधियों की व्यवस्था की जाती है और इस प्रयोजन के लिये इस वर्ष भी निधियों की व्यवस्था की गयी है । यात्री सुविधा के लिये प्रस्तावित कामों को करने के लिये भी निधि की व्यवस्था की गयी है ।

बाराबंकी-समस्तीपुर और समस्तीपुर-दरभंगा रेल लाइनों का बड़ी लाइनों में बदला जाना

2900. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी-समस्तीपुर और समस्तीपुर-दरभंगा रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने और झांझरपुर-लोन्काहा सकारी-हसनपुर मीटर गेज लाइनों के निर्माण के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : बाराबंकी-समस्तीपुर मीटर लाइन के समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर मार्ग को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य पूरा होने और इसे यातायात के लिये जनवरी, 1975 में खोले जाने और इसके शेष भाग को 1977 तक पूरा किये जाने का अनुमान है।

हाल की बाढ़ों के स्तर को ध्यान में रखते हुए, समस्तीपुर-दरभंगा मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये विस्तृत अनुमान तैयार किये जा रहे हैं और स्वीकृति मिलने के पश्चात् ही कार्य शुरू किया जायेगा । झांझरपुर-लौकहा बाजार मीटर लाइन पर मिट्टी और पुल संबंधी कार्य जारी है । इसे जून, 1975 तक पूरा किया जाना है । हसनपुर सकरी मीटर लाइन के अनुमान कार्य को शीघ्र ही स्वीकृति मिलने वाली है ।

मुरैया और कोराहैया पर हाल्ट बनाने की मांग

2901. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री मुरैया और कोराहैया पर हाल्ट बनाने की मांग के बारे में 6 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न सं० 1673 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरैया और कोराहैया पर हाल्ट बनाने के लिये कोई तारीख निश्चित की गई है, और यदि हां, तो कौन सी तारीख निश्चित की गई है; और

(ख) इन हाल्टों के नामों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) [: (क) जयनगर और खजौली स्टेशनों के बीच कोराहैया के समीप "किलोमीटर 41/80" के अस्थायी नाम से एक हाल्ट 1-9-1974 को खोला गया था। कमतौल और जोगियाश स्टेशनों के बीच मुरैया के समीप हाल्ट खोलने के लिये अभी कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है।

(ख) इन हाल्टों के नामों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

"उड़ीसा में मट्ठी तथा डीजल तेल के उपलब्ध न होने के कारण कारखानों का बन्द किया जाना"

2902. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा में बहुत बड़ी संख्या में मध्यम तथा छोटे दर्जे के औद्योगिक एककों को मट्टी तेल, डीजल तेल, तथा अन्य तेल उत्पादों के उपलब्ध न होने के कारण बन्द किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान आवंटन पद्धति में परिवर्तन करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) सरकार को इस प्रकार की कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली है। कंपनी के पैट्रोल पम्पों पर इस समय डीजल आयल की खुली बिक्री होती है। तथापि मिट्टी के तेल की सप्लाई अलग-अलग उपभोक्ताओं की 1973 [की क्रीत मात्रा के आधार पर कम्पनियों द्वारा की जा रही है। समस्या उपभोक्ताओं को मिट्टी तेल की सप्लाई करने में 10% कार्यानुपात कटौती लागू की जा रही है। 33 निर्दिष्ट महत्वपूर्ण क्षेत्र उद्योगों से भिन्न औद्योगिक उपभोक्ताओं को सप्लाई में भी 10% की अतिरिक्त कटौती की जा रही है। जिन लघु उद्योग एककों और राजकीय उद्यमों को सप्लाई करने के लिये राज्यों को भी कोटा दिया जाता है किसी केन्द्रीय पुरस्कर्ता प्राधिकारी के पास उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है।

(ग) इस समय वर्तमान आवंटन प्रणाली में कोई पविर्तन करने का विचार नहीं है।

उड़ीसा में रेलवे स्टेशनों का विस्तार और उनकी मरम्मत किया जाना

2903. **श्री पी० गंगादेव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कुछ रेलवे स्टेशनों का विस्तार और उनकी मरम्मत करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वर्ष के दौरान इसके लिये केन्द्रीय सरकार ने धन की मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) यातायात के वर्तमान स्तर के लिये, उड़ीसा राज्य में रेलवे स्टेशनों की इमारतों का बड़े पैमाने पर विस्तार आवश्यक नहीं समझा जाता। लेकिन, जैसाकि भाग (ग) के उत्तर में बताया गया है, बेहतर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये कतिपय प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है।

सम्पूर्ण रेल प्रणाली पर आम तौर से आवश्यक आवधिक अनुरक्षण और मरम्मत नियमित रूप से की जाती है ।

(ख) अनुरक्षण और मरम्मत के लिये धन की व्यवस्था हर वर्ष की जाती है और इस वर्ष भी इस प्रयोजन के लिये धन की व्यवस्था की गयी है ।

सम्पूर्ण रेल प्रणाली के लिये यात्री सुविधा संबंधी कार्यों के लिये भी धन की व्यवस्था की गयी है ।

(ग) उड़ीसा में विभिन्न स्टेशनों पर निम्नलिखत यात्री सुविधा सम्बन्धी निर्माण कार्य चालू है :—

1. भद्रक—प्लेटफार्म पर यात्री छत की व्यवस्था ।

2. बामड़ा—प्लेटफार्म का विस्तार ।

3. बेहरामपुर—(i) प्लेटफार्म का विस्तार।
(ii) प्लेटफार्म पर यात्री छत की व्यवस्था ।

4. भुवनेश्वर—प्लेटफार्म पर यात्री छत की व्यवस्था ।

5. कटक—प्लेटफार्म पर यात्री छत की व्यवस्था ।

6. झारसूगुडा—पेय जल की सप्लाई में सुधार ।

7. खोरधा रोड—(i) प्लेटफार्म पर यात्री छत की व्यवस्था ।
(ii) ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था ।

8. पुरी—प्लेटफार्म पा यात्री छत की व्यवस्था ।

Railway lines for Khargone, Dhar, Badvani and Maheshwar Cities in West Nimar District of M.P.

2904. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of Railway be pleased to state:

(a) whether the main cities such as Khargone, Dhar, Badvani and Maheshwar in West Nimar District of Madhya Pradesh are lagging behind as these are not linked with railway lines; and

(b) if so, whether Government propose to take any action in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) & (b) Railway development is not envisaged on any State-wise or region-wise concepts but on over-all considerations in the national interest. Railway development is planned primarily keeping in view the needs of industrial projects as also rail transport demands likely to be generated in various parts of the country by the developmental activities in the fields of heavy industry, expansion of port facilities, exploitation and utilisation of mineral and natural resources' strategic considerations and the Railways' own operational necessities having regard to the monetary ceiling laid down by the Planning Commission.

In the Fifth Five Year Plan, an amount of only Rs. 100 crores has been tentatively allocated by the Planning Commission, which would barely be sufficient for the works in progress, the lines required for meeting the transport needs of the core sector and firm commitments already made. There is at present, no proposal to provide new lines in the East Nimar district owing to the very limited availability of funds as mentioned above.

Conversion of Metre Gauge Lines into Broad Gauge in Madhya Pradesh

2905. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the broad outlines of Government's decision regarding conversion of metre gauge lines into broad gauge lines in Madhya Pradesh ;

(b) whether a survey has been conducted in respect of many lines, but the work has not been started so far; and

(c) if so, the broad outlines in regard to these lines and the reaction of Government there to?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) No proposal for conversion of metre gauge lines into broad gauge is under consideration in the Madhya Pradehs.

(b)&(c) The reference appears to be regarding the conversion of Northern portion of Satpura N.G. Railway System with its various branches. In this connection it is stated that based on the recommendations of the Uneconomic Branch Lines Committee, the traffic surveys for the following conversions falling in the State of Madhya Pradesh were ordered:—

(1) Conversion of the Northern portion of the Satpura N.G. Rly. System with its branches consisting of (a) Parasia-Chhindwara-Seoni-Nainpur-Mandla Fort (b) Jabalpur Nainpur-Balaghat-Gondia and Balaghat-Katangi and (c) Chhindwara-Nagpur. Total length-665 kms. Approx. cost Rs. 66.34 crores.

(2) Conversion of Raipur-Dhamtari N.G. section into B.G. Length 89 kms. Approx. cost Rs. 4.54 crores.

The survey for item (1) above has been completed and the report is under consideration. The survey for item (2) is in progress. A final decision on these conversions will be taken after the reports are examined from all angles and subject to availability of funds.

Request by Madhya Pradesh Government to Start Rail Service in Chhatisgarh and Vindhya Pradesh

2906. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Madhya Pradesh Government have requested Central Government for starting railway service in Chhatisgarh and Vindhya Pradesh areas; and

(b) if so, Central Government's reaction thereto and the action taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) Yes.

(b) A final location-cum-traffic survey from Dhalli-Rajhara to Jagdalpur, falling in Chhatisgarh & Vindhya Pradesh areas of Madhya Pradesh is in progress, and is expected to be completed by December, 74. The proposal will be considered for being taken up for construction after the survey reports are received, examined and also subject to availability of funds for the purpose.

Survey to widen Railway Bridge at Khandwa

2907. **Shri G.C. Dixit:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the Survey for widening the railway bridge at Khandwa town in Madhya Pradesh on Central Railway over the track leading to courts has been completed;

(b) if so, the time by which this bridge is likely to be widened; and

(c) in case the widening work is not proposed to be executed in the near future, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railway (Shri Buta Singh): (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Widening of the existing bridge is not feasible. A new bridge can, however, be constructed provided such a proposal is sponsored by the State Government together with an undertaking to bear their share of the cost as per extent rules. The Railway Administration has not received any firm proposal for such a facility from the State Government so far.

"गुजरात में औद्योगिक एककों को भट्टी के तेल की सप्लाई"

2908. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के प्रतिष्ठित प्रयोक्ताओं तथा औद्योगिक एककों को भट्टी तेल देने के लिये क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है ।

(ख) क्या भारतीय तेल निगम गुजरात के लघु औद्योगिक एककों को भट्टी तेल की सप्लाई नहीं कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) भट्टी के तेल के स्थाई उपभोक्ताओं को इस तेल की सप्लाई करने वाली कम्पनियों से सप्लाई प्राप्त करने की हकदारी है । सप्लाइयां करते समय वर्ष 1973 में उठाये गये माल के आधार पर 33 प्राथमिकता वाले उद्योगों पर 10% की कटौती तथा अन्य उद्योगों के मामले में 20% की कटौती की जाती है । किसी भी अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकताओं के लिये, पार्टियों को भट्टी के तेल की स्थाई समिति की आवंटन उप समिति, जो तकनीकी विकास के महानिदेशक तथा सचिव के नेतृत्व में कार्य करती है, के पास आवेदन पत्र भेजने होते हैं । उप-समिति के अनुमोदन के पश्चात्, तेल कम्पनियों को अतिरिक्त मात्रा की सप्लाई जारी करने के लिये आवश्यक अनुज्ञप्ति दी जाती है ।

लघु-एककों तथा राज्य प्रतिष्ठानों, जो किसी केन्द्रीय समर्थक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत नहीं है, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये राज्य सरकारों को 1-7-1974 से प्रपुंज कोटे दे दिये गये हैं । इस कोटे के आवंटन हेतु, राज्य सरकारों को ही स्वयं आवश्यक व्यवस्था करनी होती है । गुजरात को इस कार्य हेतु चालू वर्ष 73,233 किलोमीटर का आवंटन किया गया है ।

आई०ओ०सी समस्त ग्राहकों को उनके द्वारा वर्ष 1973 में उठाये गये माल उनकी हकदारी के अनुसार भट्टी के तेल की स्थाई समिति द्वारा किये गये आवंटन, के आधार पर भट्टी के तेल की सप्लाई करती है । आई०ओ०सी० उन ग्राहकों को भी भट्टी के तेल की सप्लाई करती है जिन्हें राज्य समिति द्वारा भट्टी के तेल का आवंटन किया गया है ।

(ग) उपरोक्त (ख) में दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

"गुजरात राज्य को अधिक मात्रा में डीजल तेल का आंबटन"

2909. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य को अधिक मात्रा में डीजल तेल का आवंटन करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ।

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, 1974 के दौरान गुजरात को कितनी मात्रा में डीजल तेल सप्लाई किया गया ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) जी हां । गुजरात सरकार ने इस मंत्रालय को राज्य का डीजल आवंटन बढ़ाने के लिये अनुरोध किया है । तथापि, इस समय डीजल तेल की सप्लाई निःशुल्क है कोई कोटे राज्यवार आवंटित नहीं किये जा रहे हैं । गुजरात की मांग पूर्ण रूप में पूरी की गई है और तेल कम्पनियों द्वारा अपेक्षित वृद्धि की सप्लाई की गई है । डीजल सप्लाई के आंकड़े राज्यवार रखे नहीं जाते हैं ।

"गुजरात में रसायन उद्योगों की स्थापना हेतु औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र"

2910. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में रसायन उद्योगों की स्थापना हेतु औद्योगिक लाइसेंसों के लिए नवम्बर, 1974 तक कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे; और

(ख) उनमें से कितने आवेदन-पत्रों का निपटान कर दिया गया था ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) गुजरात में रसायन उद्योग स्थापित करने के लिए 1 नवम्बर, 1973 से 26 नवम्बर, 1974 के बीच औद्योगिक अनुमतियों के लिए प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों की कुल संख्या 112 थी ।

(ख) 71 ।

6 नवम्बर, 1974 को बिहार में रेल लाइनों को क्षति

2911. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 नवम्बर, 1974 को 'बिहार बन्द' के अवसर पर अनेक रेल लाइनों को उखाड़ा पाया गया और फिश प्लेटें हटी पाई गईं; और

(ख) यदि हां, तो इस सिलसिले में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) कोई नहीं ।

"सोडियम सिलिकेट का निर्माण करने वाले उद्योगों को सोडा ऐश की सप्लाई"

2912. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सोडा ऐश की अत्यधिक कीमत और उसकी अनियमित सप्लाई के कारण सोडियम सिलिकेट का निर्माण करने वाले कुछ छोटे उद्योग एककों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो मूल्य-वृद्धि को रोकने और उसकी सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) इस समय मांग की अपेक्षा सोडा ऐश का उत्पादन कम होने के कारण सोडियम सिलिकेट उत्पाद करने वाले लघु उद्योग एककों सहित उपभोक्ताओं को अपनी पूरी आवश्यकताओं को पूरा करने में कुछ कठिनाइयां हो रही हैं।

सोडा ऐश के वितरण के लिए मूल्य पर कोई नियन्त्रण नहीं है। तथापि, सिलिकेट उद्योग अधिकांश अपनी आवश्यकताओं को सोडा ऐश उत्पादकों से सीधे पूरी करते हैं। देश की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त और अधिक उत्पादन क्षमता स्वीकृत की गई है और सोडा ऐश के उत्पादन के लिए पंचवर्षीय योजना के 11 लाख मी० टन के लक्ष्य की तुलना में 14.55 लाख मी० टन की क्षमता लाइसेंस/आशय-पत्रों द्वारा पहले ही मंजूर की गई है।

गोआ में रेलवे स्टेशनों का विस्तार और उनकी मरम्मत

2914. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में कुछ रेलवे स्टेशनों का विस्तार और उनकी मरम्मत करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) वर्तमान यातायात को देखते हुए, गोआ क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों की इमारतों के विस्तार का कोई विचार नहीं है। सम्पूर्ण रेल प्रणाली में सामान्य नीति के अनुसार, समय-समय पर इमारतों के अनुरक्षण और अपेक्षित मरम्मत का कार्य नियमित रूप से किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में वकीलों और विधिवेत्ताओं का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

2915. **श्री नूरुल हुड्डा** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1974 के अन्तिम सप्ताह में भारत में आयोजित होने वाले वकीलों और विधिवेत्ताओं के प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा होने की सम्भावना है;

(ख) उक्त सम्मेलन के आयोजक कौन हैं; और

(ग) कितना व्यय होने की सम्भावना है और इसे कौन वहन करेगा ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) इन्टरनेशनल ला एसोसिएशन (अन्तर्राष्ट्रीय विधि संगम) के 56वें सम्मेलन की, जिसे 28 दिसम्बर, 1974 से 4 जनवरी, 1975 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाने का प्रस्ताव है, कार्य-सूची में निम्नलिखित विषय हैं :

1. वायुमंडल विधि और अंतरिक्ष विधि।
2. विकासशील देशों में विदेशी विनिधान।
3. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विधि।

4. अंतर्राष्ट्रीय आतंक वाद ।
5. जल साधनों संबंधी विधि ।
6. अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और सहयोग ।
7. संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा-पत्र ।
8. यातायात दुर्घटनाएं ।
9. समुद्र संबंधी विधि ।
10. अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् ।

(ख) इन्टरनेशनल ला एसोसिएशन (अंतर्राष्ट्रीय विधि संगम) की क्षेत्रीय शाखा (भारत), नई दिल्ली ।

(ग) इन्टरनेशनल ला एसोसिएशन (अंतर्राष्ट्रीय विधि संगम) की क्षेत्रीय शाखा (भारत) का अनुमान है कि यह सम्मेलन आयोजित करने में कुल व्यय लगभग 6,43,000 रु० होगा, जिसमें से 3,43,000 रु० का व्यय क्षेत्रीय शाखा द्वारा स्वयं अपने साधनों से पूरा किया जाएगा और बाकी अर्थात् 3,00,000 रु० का व्यय भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान से पूरा किया जाएगा ।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के लिए जोनल रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति

2916. **श्री नूरुल हुडा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के लिए जोनल रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति में रिक्तियां होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या आसाम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और पार्श्ववर्ती क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद् सदस्यों से रिक्तियां भरने के लिए सम्पर्क किया गया था;

(ग) वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान उक्त समिति की कितनी बैठकें हुईं; और

(घ) उक्त समिति के अनियमित कार्यकरण के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) विधान के अनुसार, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति में सभी पक्षों के प्रतिनिधि हैं। लेकिन, कूच बिहार-अलीपुरद्वार यात्री संगठन से जिसे क्षेत्रीय समिति में प्रतिनिधित्व दिया गया है, उसके एक प्रतिनिधि के नाम की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) 'विशेष वर्ग' के अन्तर्गत व्यक्तियों का नामांकन करने के लिए संसद् सदस्यों से प्राप्त सिफारिशों पर समुचित विचार किया जाता है ।

(ग) 1972-73 में दो और 1973-74 में चार बैठकें हुई थीं ।

(घ) समिति नियमित रूप से कार्य कर रही है ।

"भारतीय औषध उद्योग पर से विदेशी फर्मों का नियंत्रण कम करने के लिए कार्यवाही"

2917. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी फर्मों का नियंत्रण कम करने और आयातित कच्चे माल से बनने वाली औषधियों के अतिरिक्त उत्पादन से होने वाली आय को अनधिकृत रूप से विदेश भेजने को कम करने का है;

(ख) क्या देश में औषधियों की कमी दूर करने और लाखों रोगियों को औषधियां उपलब्ध करने के उद्देश्य से सरकार का विचार मध्यम स्तर के भारतीय औषध उद्योग को प्रोत्साहित करने का है; और

(ग) महत्वपूर्ण और आवश्यक कच्चे माल क्या हैं और पांचवीं योजना में उनकी आवश्यकता कितनी होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सरकार द्वारा विदेशी फर्मों के कार्यकलापों को नियंत्रित करने तथा भारतीय क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए जो उपाय किए गए हैं, वे निम्नलिखित हैं :

(1) निर्माण परियोजनाओं को स्वीकृति देते समय भारतीय क्षेत्र को वरीयता दी जाती है;

(2) सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से प्रपुंज औषधों का अधिकाधिक संख्या में निर्माण;

(3) विदेशी फर्मों को सूत्रयोगों के उत्पादन हेतु औद्योगिक लाइसेंस सामान्यतया तब तक नहीं दिए जाते जब तक कि वे प्रपुंज औषधों से सम्बद्ध न किए जाएं;

(4) क्षमता विस्तार या नए कार्यकलापों की स्वीकृति देने से पूर्व उन पर प्रपुंज औषधों के निर्माण कार्य को और अधिक मूल चरणों से आरम्भ करने तथा देश के असम्बद्ध सूचयोगधारियों को अपने प्रपुंज औषधों के उत्पादन का एक उचित भाग देने की शर्त लगाई जाती है। उन पर उपयुक्त निर्यात प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं।

(5) विदेशी मुद्रा विनिमय नियंत्रण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों को अपनी विदेशी साम्य पूंजी को 74% तक कम करना होता है ;

(6) अधिकांश पूंजी निवेश वाली विदेशी कम्पनियों को जब पर्याप्त विस्तार करने की अनुमति दी जाती है, तब उनके विदेशी साम्य पूंजी को निम्नलिखित सिद्धांत के आधार पर कम करने के लिए कहा जाता है :

विस्तार की 40% अनुमानित लागत	विदेशी पूंजी वाली कम्पनियों के मामले में	75% से अधिक
33-⅓% ,,	,,	60% से अधिक लेकिन 75% से अधिक नहीं।
25% ,,	,,	51% से अधिक लेकिन 60% से अधिक नहीं।

देश में 2300 से भी अधिक औषध निर्माता हैं जो हज़ारों से भी अधिक सूत्रयोगों का निर्माण कर रहे हैं। इनमें से कुछ सूत्रयोगों की कमियां उन स्थानीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं जहां पर सामान्यतः उनके विकल्प उपलब्ध होते हैं। सरकार को इन कमियों के बारे में जब कभी भी सूचना प्राप्त होती है, तब सम्भावित सीमा तक उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु व्यवस्था की जाती है। औषध निर्माण कार्य के नियंत्रित एवं शीघ्रगामी विकास को सुनिश्चित करने हेतु तथा यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि समस्त आवश्यक औषधों उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर उपलब्ध हो सकें, सरकार ने श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जिसका अन्य कार्यों के साथ-साथ एक निम्नलिखित कार्य भी है :

"औषध उद्योग विशेष रूप से भारतीय तथा लघु क्षेत्रीय उद्योग के शीघ्रगामी विकास के लिए उठाए गए कदमों की जांच करना, अपनी सिफारिशें देते समय यह समिति उद्योग के क्षेत्रीय सन्तुलन को ध्यान में रखेगी।"

"ग्राहकों के लिए औषधों के मूल्यों में कमी करने के बारे में अब तक दिए गए उपायों की जांच करना तथा ऐसे अग्रगामी उपायों के बारे में सिफारिश करना जो मूल औषधें तथा सूत्रयोगों के उचित मूल्य निर्धारण हेतु आवश्यक हो।"

"आवश्यक औषधों तथा आम घरेलू दवाइयों को सामान्य जनता, विशेषरूप से गांव के क्षेत्र की जनता तक पहुंचाने के लिए उपायों के बारे में सिफारिश करना।"

इस समिति द्वारा फरवरी, 1975 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने की सम्भावना है।

(ग) एक विवरण पत्र जिसमें प्रपुंज औषधों के लिए आवश्यक कच्चा माल तथा उनकी पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अनुमानित आवश्यकताएं दिखाई गई हैं, संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8639/74]

मैसर्स मे एण्ड बेकर को मेट्रोनाइडजोल का निर्माण करने के लिए अनुमति देना

2918. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तकनीकी विकास महानिदेशालय अथवा प्रशासनिक मंत्रालय में से किसको विविधीकरण के अंतर्गत अनुमति देने का अधिकार है;

(ख) क्या मैसर्स मे एण्ड बेकर को मेट्रोनाइडेजोल का निर्माण करने के लिए अनुमति पत्र के अन्तर्गत 1968 में अनुमति दी गई थी अथवा यह अनुमति विविधीकरण के अंतर्गत दी गई थी;

(ग) यदि विविधीकरण के अंतर्गत अनुमति दी गई थी, तो यह अनुमति उनके मंत्रालय द्वारा क्यों दी गई थी जो कि ऐसा करने का अधिकारी नहीं है;

(घ) इस फर्म को जारी किए गए इस अनुमति पत्र को अन्य को नहीं; काम चालू रखने की अनुमति में बदलने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस फर्म को जारी सभी अनुमति पत्र और 'काम चालू रखने' की अनुमति रद्द करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) 27 अक्तूबर, 1966 के प्रेस नोट के अनुसार सरकार द्वारा घोषित उदार बनाई गई औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी नीति के अन्तर्गत 'नई वस्तुओं' का निर्माण करने वाले औद्योगिक उपक्रमों को अपने संशोधित निर्माण कार्यक्रम और निर्माण की जाने वाली प्रस्तावित 'नई वस्तुओं' के संबंध में संबंधित विवरणों की सूचना तकनीकी विकास महानिदेशालय को या अन्य उचित तकनीकी प्राधिकारी को देना आवश्यक था और सन्तुलन बनाए रखने वाले छोटे संयंत्रों के प्रकार और मूल्यों की यदि उनके द्वारा उसमें कुछ और सम्मिलित किया गया हो, तो उसकी सूचना देना भी उनको आवश्यक था या तकनीकी विकास महानिदेशालय से या प्रशासनिक मंत्रालय से इस रूप में कोई अनुज्ञा लेना आवश्यक नहीं था।

(घ) औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 18-3-1970 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार औद्योगिक उपक्रमों की कुछ अन्य श्रेणियों के अतिरिक्त अधिकांश विदेशी पूंजी वाली कम्पनियों को उदार बनाई गई योजना जो 1966 से लागू थी, के अधीन उनके द्वारा स्थापित कार्यकलापों के लिए सी० ओ० बी० लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी था। तदनुसार मैसर्स मे एण्ड बेकर ने 28 अगस्त, 1970 को सी० ओ० बी० लाइसेंस की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र दिया था और उसको मेट्रोनिडाजोल और अन्य मदों का निर्माण करने के लिए दिनांक 6-7-1971 को सी० ओ० बी० लाइसेंस दिया गया था।

(ङ) इस पार्टी को दिए गए सी० ओ० बी० लाइसेंस और अनुज्ञापत्र सरकार द्वारा स्वीकृत मान्य प्राधिकार हैं।

विदेशी फर्मों द्वारा 'बल्क' औषधियों का निर्माण

2919. श्री के० एस० चावड़ा :
श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'विदेशी' फर्मों द्वारा इस समय केपटिव कंजमशन के लिए बनाई जाने वाली बल्क औषधियों के नाम क्या हैं;

(ख) इन बल्क औषधियों का निर्माण किस लाइसेंस संख्या, अनुमति पत्र संख्या तथा तिथि के अन्तर्गत अलग-अलग हो रहा है;

(ग) क्या इन कम्पनियों द्वारा बिना औद्योगिक लाइसेंस के किसी 'बल्क' औषधियों का निर्माण हो रहा है; यदि हां, तो उसका निर्माण किसके अधिकार के अन्तर्गत हो रहा है तथा कितना हो रहा है; और

(घ) निर्मित किए जाने वाले 'बल्क' औषधियों की कितनी प्रतिशतता गत तीन वर्षों के दौरान वस्तु मात्रा तथा मूल्यवार 'नान-एसोसिएटेड' फार्मूलेटरों को उपलब्ध की जाती हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) विदेशी कम्पनियों के नाम उत्पादित प्रपुंज औषधों के नाम, लाइसेंस संख्या/अनुमति पत्र/अनापत्ति पत्र संख्या और दिनांक तथा अन्य पार्टियों को सप्लाई की गई मात्रा युक्त विवरण-पत्र संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8640/74]। ये समस्त प्रपुंज औषधें औद्योगिक लाइसेंस/अनुमति-पत्र/अनापत्ति पत्र में उल्लिखित हैं तथा अधिकार पत्र औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

बिहार में गया-राजगीर रेल लिंक के लिए सर्वेक्षण

2920. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गया–राजगीर रेल लिंक के लिए सर्वेक्षण पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त सर्वेक्षण के किस तारीख तक पूरा होने की सम्भावना है और सर्वेक्षण किस तारीख को शुरू हुआ था ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) से (ग) गया और राजगीर के बीच नए रेल सम्पर्क का सर्वेक्षण करने के लिए एक प्रस्ताव को चालू वर्ष के रेलवे बजट में शामिल कर लिया गया है। यह सर्वेक्षण शीघ्र ही किया जाएगा और इसे चालू कार्यकाल में पूरा कर लिया जाएगा।

कुछ विदेशी औषधि फर्मों की साम्य पूंजी और अन्य आस्तियां

2921. **श्री औ० आर० परमार** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में मैसर्स फाइज़र्स, ग्लक्सो, मे एण्ड बेकर, सैण्डोज़ और हायस्ट की प्रारम्भिक पूंजी, वर्तमान साम्य पूंजी, बोनस और तरजीही शेयरों तथा आस्तियों का पृथक्-पृथक् ब्यौरा क्या है;

(ख) उनको किन-किन फार्मूलेशनों के लिए लाइसेंस दिए गए हैं और उनकी पृथक्-पृथक् तथा सम्मिलित क्षमताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन फर्मों को कितनी मदों की कीमतों को एकमुश्त समझौते के अधीन मंजूरी दी गई और पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों में उनकी कीमतों को घटाया गया; वर्ष 1972 में इन मदों की कितनी कीमत थी और उन्हें कितना अधिक मूल्य निर्धारित करने की अनुमति दी गई; और

(घ) उनके मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार इन फर्मों को किन-किन मदों के लिए मूल्य-वृद्धि करने की अनुमति दी गई और कीमतों में वृद्धि का मदवार ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) मैसर्स फाइज़र्स, ग्लक्सो मे एण्ड बेकर सेन्डोज़ और मैसर्स होइस्ट की प्रारम्भिक साम्य पूंजी, वर्तमान साम्य पूंजी, वोनस और तरजीही शेयरों तथा आस्तियों को बताने वाला विवरण-पत्र संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 8641/74]।

(ख) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

फूट तथा माउथ वैकसीन बनाने के लिए प्रस्ताव

2922. **श्री भालजी भाई परमार** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिनके हाल ही में फूट तथा माउथ वैकसीन बनाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है तथा प्रत्येक मामले में उनकी क्षमता तथा [illegible]य क्या हैं;

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में इस टीके की अनुमानित कितनी मांग है तथा क्या इस मांग के संदर्भ में विदेशी फर्मों को अनुमति देना आवश्यक था;

(ग) क्या इसकी जानकारी भारतीय फर्मों को थी और यदि हां, तो इसकी अनुमति विदेशी फर्मों को देने के क्या कारण हैं; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान विदेशी फर्मों को क्या अन्य फार्मुलेशन दिए गए हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :(क) ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं ।

क्रम संख्या	फर्म का नाम	अनुमोदित क्षमता	अनुमानित मूल्य
			रु०
1.	हुक्सट फार्मास्यूटिकल्स लि०	10 मिलियन खुराकें	50.0 मिलियन
2.	मसर्स फाइज़र लिमिटेड	4 मिलियन खुराकें	20.0 मिलियन
3.	मैसर्स भारतीय एग्रो इन्डस्ट्रीज फाउन्डेशन	3.2 मिलियन खुराकें	25.6 मिलियन

(ख) और (ग) वर्ष 1978-79 में 15 मिलियन खुराकों की मांग का अनुमान है। पांव तथा मुंह की बीमारी के टीकों का निर्माण संबंधी जानकारी भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्था के पास उपलब्ध है जो इन टीकों का कुछ संख्या में निर्माण कर रही है। सरकार का पांचवीं पांचवर्षीय योजना के अंतर्गत डेरी विकास का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है तथा देश में इस टीके की एक बड़ी संख्या में आवश्यकता पड़ेगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि औषधें महत्वपूर्ण वस्तुओं में से हैं, औषधों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु, प्रत्येक औषध के लिए एक से अधिक स्रोतों का बनाए रखना वांछनीय है। क्योंकि किसी भी भारतीय एकक से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए 2 विदेशी कम्पनियों अर्थात् मैसर्स हैक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और मैसर्स फाइजर लिमिटेड, बम्बई के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया था।

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के अंतर्गत अधिकांश विदेशी पूंजी निवेश वाली कम्पनियों के पक्ष में अनुमोदित सूत्रयोगों के ब्यौरे जो संबंधित कम्पनियों द्वारा उत्पादित प्रपुंज औषधों, उत्पादन की जाने वाली औषधों से सम्बद्ध नहीं हैं, संलग्न विवरण-पत्र में दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8642/74] ।

दिल्ली/नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर आरक्षण टिकटों की बिक्री में भ्रष्टाचार

2923. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली/नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर आरक्षण टिकटों की बिक्री में व्याप्त भ्रष्टाचार की सरकार को जानकारी है;

(ख) क्या अभी हाल में नई दिल्ली स्टेशन पर मंत्री महोदय के अचानक दौरे और इस बुराई को समूल नष्ट करने के उनके बेचने के बाद कोई भी अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई;

(ग) यदि हां, तो क्या यह पता करने के लिए मामले की जांच की गई है कि स्थिति में क्यों सुधार नहीं किया जा सका और मंत्री महोदय के आश्वासन को क्रियान्वित करने में प्रशासन क्यों सुस्ती दिखा रहा है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) नई दिल्ली और दिल्ली जं० रेलवे स्टेशनों पर आरक्षण टिकटों की बिक्री के सम्बन्ध में कुछ भ्रष्ट तरीकों की शिकायतें समय-समय पर मिलती रही हैं। हालांकि इन बुराइयों को दूर करना एक सतत् प्रक्रिया है, किन्तु अलग-अलग शिकायतें मिलने पर प्रभावी कार्रवाई की जाती है।

(ख) सामान्य रूप से की जाने वाली निवारक रोकथाम को रेल मंत्री के निरीक्षण के पश्चात् और तेज़ कर दिया गया है। इसके परिणाम भी लाभदायक रहे हैं।

(ग) व्यक्तिगत शिकायतों पर की जाने वाली कार्रवाई और निवारक जांच के अतिरिक्त टिकटों की बिक्री और आरक्षित स्थान के सम्बन्ध में वर्तमान प्रक्रिया और नियमों से उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं की जांच करके विभिन्न प्रकार के गलत तरीकों की प्रभावपूर्ण रोकथाम के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए संसद् सदस्यों की एक समिति का भी गठन कर दिया गया है।

दिल्ली में तीसरा रेलवे स्टेशन

2924. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में तीसरे रेलवे स्टेशन के निर्माण के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अब तक किए गए कार्य की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली क्षेत्र में सफदरजंग और निज़ामुद्दीन में तीसरा टर्मिनल स्टेशन बनाने के स्थान के लिए प्रस्तावों पर विचार किया गया लेकिन जनता की अन्य आवश्यकताओं और परिस्थितियों से सामजस्य न होने के कारण इन प्रस्ताव को छोड़ दिया गया। इस टर्मिनल को बार स्क्वायर में बनाने के बारे में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। जब स्थान के बारे में अंतिम निश्चय कर लिया जाएगा, उसके बाद ही निर्माण-कार्य शुरू किया जाएगा बशर्ते कि उसके लिए धन उपलब्ध हो।

पेट्रोल के आयात के लिए बंगला देश से समझौता

2925. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पेट्रोल के आयात के बारे में बंगला देश सरकार से बातचीत की है; और

(ख) क्या इस मामले पर कोई समझौता हुआ है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला और पानी की कमी के कारण महाराष्ट्र और गुजरात में रेलगाड़ियों का रद्द किया जाना

2926. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त सितम्बर और अक्तूबर, 1974 के दौरान कोयला तथा पानी की कमी के कारण महाराष्ट्र और गुजरात में अनेक रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में कुल कितनी रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई थीं;

(ग) इन रेलगाड़ियों को कब तक रद्द रखा जाएगा;

(घ) क्या रेलगाड़ियों को रद्द करने से राज्य परिवहन पर भारी प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) क्या इन राज्यों में माल के लाने-ले जाने का कार्य रुकने से सभी उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) इन महीनों के दौरान कोयले की कमी के कारण महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में कोई भी नयी सवारी गाड़ियां रद्द नहीं की गईं। परन्तु गुजरात में पानी की कमी के कारण 11-9-1974 से एक जोड़ी सवारी गाड़ी रद्द की गई थी।

गुजरात में भाप इंजनों से चलने वाली कुछ मालगाड़ियां रद्द की गईं थीं जिनका तीन महीनों के दौरान औसत प्रतिदिन लगभग एक जोड़ी गाड़ियों का था।

(ग) माल गाड़ी सेवाएं पहले ही सामान्य स्थिति में आ चुकी हैं। सवारी गाड़ियां जो इससे पहले कोयले की कमी और मई, 1974 की अखिल भारतीय रेल कर्मचारी हड़ताल के कारण रद्द कर दी गई थीं, हड़ताल के बाद धीरे-धीरे पुनः चालू की जा रही थीं। जुलाई, 1974 के अन्त तक सभी गाड़ियां फिर से चालू नहीं की जा सकीं जबकि और गाड़ियों के पुनः चालू करने के काम को स्टीम कोयले की कमी के कारण रोकना आवश्यक हो गया। अपेक्षित सवारी गाड़ियां केवल तब ही पुनः चालू की जाएंगी जब कोयले के स्टाक की स्थिति सुधरेगी और उपयुक्त स्तर पर स्थिर होगी। पानी की कमी के कारण रद्द की गई गाड़ियां पुनः तब ही चालू की जाएंगी जब पानी की उपलब्धता में सुधार हो जाएगा।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जी नहीं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उद्योग प्रभावित न हों, डीज़ल रेल इंजनों को लगाया गया था।

रेलवे के कार्यकरण में सामान्यता लाना

2927. **श्री नूरुल हुडा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1974 के दौरान अखिल भारतीय रेल हड़ताल के कारण कुल कितने जन-घंटों की क्षति हुई; और

(ख) सरकार रेलवे के श्रमिक प्रतिनिधियों से आशयपूर्ण बातचीत के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ताकि रेलवे के कार्यकरण में सामान्यता लाई जा सके।

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) मई, 1974 में रेल कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा हड़ताल किए जाने के परिणामस्वरूप लगभग 573.06 लाख जन-घंटों अथवा 71.63 लाख जन-दिनों की हानि हुई।

(ख) स्थायी वार्तातंत्र एवं संयुक्त परामर्शतंत्र ऐसे उपयुक्त मंच हैं जहां एक साथ बैठकर सभी विवाद निपटाए जा सकते हैं और इस बात के सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि कर्मचारियों की शिकायतें शीघ्र निपटाई जाएं।

लड़कियों तथा लड़कों की विवाह आयु बढ़ाने हेतु विधान

2928. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके पास परिवार नियोजन के उद्देश्य से लड़कियों की विवाह-आयु को बढ़ा कर 18 वर्ष और लड़कों की विवाह-आयु को बढ़ा कर 21 वर्ष करने के संबंध में विधान लाने के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) बालक विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 में संशोधन करके, विवाह के लिए न्यूनतम आयु को बढ़ा कर पुरुष के मामले में 21 वर्ष और महिला के मामले में 18 वर्ष करने के प्रस्ताव पर सरकार ध्यान दे रही है। इस विषय पर अन्तिम विनिश्चय किए जाने में समय लग सकता है।

विशिष्ट ग्रेड के कृत्रिम रबड़ का गलत वितरण

2929. **श्री बी० बी० नायक** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी भारत के रबड़ गुड्स मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन ने मैसर्स सैनथेटिक्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, बरेली (उत्तर प्रदेश) के विरुद्ध साइनाप्रीन, 1958 जसे विशिष्ट ग्रेड के कृत्रिम रबड़ के गलत वितरण का आरोप लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो आरोप में क्या कहा गया है;

(ग) क्या आरोपों की जांच कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य आरोप ग्राहकों को माल सप्लाई न किए जाने, मूल्यों में वृद्धि तथा सिनाप्रीन 1958 ग्रेड रबर को जिसके मूल्य निर्धारित हैं; सिनाप्रीन 1941 मूल्य निर्धारित नहीं हैं, में विवधीकरण करने से संबंधित हैं।

(ग) और (घ) मामले पर सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है।

संसद सदस्यों द्वारा रेलवे बोर्ड की आलोचना

2930. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या संसद् सदस्यों ने रेलवे बोर्ड की कार्यवाहियों के बारे में जो आलोचना की है, उस पर रेलवे बोर्ड भली-भांति विचार कर रहा है तथा दोषों को दूर करने के लिए उनका विश्लेषण कर रहा है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : जी हां। रेलवे बोर्ड द्वारा यह अनिवार्य रूप से किया जाता है।

कर्नाटक राज्य में फास्फेटी उर्वरक कारखाने की स्थापना

2931. **श्री पी० ग्रार० शिनाय :** क्या **पेट्रोलियम ग्रौर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य ग्रौद्योगिक विकास निगम ने दक्षिण कनारा ज़िले में संयुक्त क्षेत्र में एक फास्फेटी उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिए ग्राशय-पत्र प्राप्त कर लिया है;

(ख) यह ग्राशय-पत्र कब प्राप्त किया गया था;

(ग) कारखाने को स्थापित करने की दिशा में ग्रग्रेतर कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या कोई ग्रन्य पार्टियां संयुक्त क्षेत्र में ग्रथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में कारखाना स्थापना करने हेतु इस ग्राशय-पत्र का उपयोग करने में इच्छुक हैं; ग्रौर

(ङ) क्या कर्नाटक राज्य में फास्फेटी उर्वरक कारखाना स्थापित करना नितांत ग्रावश्यक है ग्रौर यदि हां, तो उसको स्थापित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० ग्रार० गणेश) : (क) से (ग) मैसर्स मैसूर स्टेट इंडस्ट्रीयल इन्वैस्टमेंट एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० को मंगलौर में संयुक्त क्षेत्र में एक फास्फेटी उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए 20-4-74 को एक ग्राशय-पत्र दिया गया था। संयंत्र स्थापित करने के संबंध में ग्रागामी कदम 12 महीनों की ग्रवधि के भीतर पार्टी द्वारा उठाए जाने हैं।

(घ) सरकार को इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुग्रा है।

(ङ) उस राज्य में फास्फेटी उर्वरक संयंत्र की ग्रावश्यकता को ध्यान में रख कर ही ग्राशय-पत्र जारी किया गया था।

सिंधी जिला (मध्य प्रदेश) में नया उर्वरक कारखाना

2932. **श्री ग्रार० बी० बड़े :** क्या **पेट्रोलियम ग्रौर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : विशाल सिंगरौली कोयला क्षेत्रों का उपयोग करने हेतु सिंधी ज़िला, मध्य प्रदेश में एक नया उर्वरक कारखाना स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है ?

पेट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० ग्रार० गणेश) : मध्य प्रदेश के सिंधी ज़िले में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के बारे में इस समय कोई योजना नहीं है।

Incidents of Dacoities, Thefts and Looting during the last three months

2933. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of incidents of dacoities, thefts and looting on various zones of Indian Railways during the last three months; and

(b) the concrete steps taken by Government to check them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) 28 cases of dacoities, 1685 cases of thefts of passengers property and 55 cases of looting (roberies) occurred in trains during the last 3 months (August, September, October 1974) on various zones of Indian Railways.

(b) Such cases come within the purview of law and order. 'Police including Railway Police, being a State subject, the State Governments are taking necessary steps to control such crimes in railway trains within the means available at their disposal by way of escorting

important trains at night, shadowing suspects by armed police in plain clothes, posting of regular beat patrols at station platforms and waiting halls, keeping surveillance over criminals and known bad characters, prosecuting criminals for specific offences under the preventive laws.

Ticketless Travelling during the last six months

2934. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of ticketless travellers detected all over the country, zone-wise during the last six months; and

(b) the amount realised from the persons so apprehended ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a)&(b) The number of passengers detected travelling without tickets or with improper tickets and the amoun realised from them as fare and excess charges during the six months, i.e. April, 1974 to September, 1974, are given in the attached statement. [Placed in Library. See. No. L.T. 8643/74] Figures for October, 1974 and November, 1974 are awaited from Zonal Railways.

Late running of trains in North Bihar

2935. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether after the last Railway strike the trains running in North Bihar, especially the trains running from Bagaha and Narkatiaganj do not reach Pahleza Ghat and Samastipur in time ;

(b) whether step motherly treatment is being given to this line; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) The punctuality performance of trains running between Bagaha/Narkatiaganj and Pahlezaghat/Samastipur during the period June to October, 74 has, by and large, been satisfactory and is also showing an improving trend.

(b) No.

(c) Does not arise.

Trains Cancelled in North Bihar due to weak Railway Tracks

2937. **Shri Bibhuti Mishra:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of times trains have been cancelled due to weakness of railway tracks on the North Eastern Railway in North Bihar during the current year; and

(b) the scheme being formulated by Government to strengthen the railway tracks there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railway (Shri Buta Singh): (a) There has been no case of cancellation of trains due to weak tracks in North Bihar during the current year.

(b) Does not arise.

मारुति लिमिटेड का नवीनतम तुलन-पत्र

2938. **श्री मधु लिमये :**

श्री भगीरथ भंवर :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति लिमिटेड के नवीनतम तुलन-पत्र में प्राधिकृत अभिदत्त पूंजी और प्रदत्त पूंजी के बारे में जानकारी दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) कंपनी के 31 मार्च, 1974 तक के नवीनतम तुलन-पत्र में यथा प्रदर्शित इसको प्राधिकृत, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी के ब्यौरे निम्न प्रकार है :—

प्राधिकृत :

10 रु० की दर के 75,00,000 साम्य हिस्से . . .	7,50,00,000
100 रु० की दर के 9.5 प्रतिशत 2,50,000 निःक्षेय अधिमान हिस्से	2,50,00,000
योग	10,00,00,000

निर्गमित या अभिदत्त :

10 रु० की दर के नकद पूर्ण प्रदत्त 15,43,345 साम्य हिस्से	1,54,33,450

राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता परामर्शदाती परिषद् के लिए चुनाव और नामांकन

2939. **श्री धामनकर :**

श्री बसन्त साठे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता परामर्शदाती परिषद् जो, देश के रेल परामर्शदाती संगठनों में सर्वोच्च संस्था है, जून 1972 से कार्य नहीं कर रही है, हालांकि उसके लिए चुनाव और नामांकन दो वर्ष पूर्व ही पूरे कर लिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसी परिषद् को रेल प्रशासन को मार्गदर्शन प्रदान करने में अधिक उपयोगी बनाने और देश के हित में उसकी कार्य कुशलता में सुधार करने के लिये उपाय सुझाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद् 1-7-1972 से 30-6-1974 तक की अवधि में कार्य न कर सकी क्योंकि उसके स्वरूप को और अधिक व्यापक और प्रतिनिधि बनाने के लिए किन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा था। परिषद् के लिए नामांकनों का अन्तिम निर्णय नहीं हुआ था यद्यपि कुछ रेलों ने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर लिया था।

(ग) 1-7-1974 से 30-6-1976 तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद् का पुनर्गठन शीघ्र किया जायेगा।

रेल कर्मचारियों का अभी तक दमन किया जाना

2940. **श्री धामनकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि रेल कर्मचारियों की विभिन्न यूनियनों के प्रवक्ताओं के अनुसार नैमित्तिक श्रमिकों की जबरी छुट्टी करके रेल कर्मचारियों का अभी तक दमन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) नैमित्तिक श्रमिक दिन-प्रतिदिन के आधार पर आवधिक कार्यों या परियोजना पर लगाये जाते हैं और उनको लगातार काम पर लगाये रखना कार्य की आवश्यकता और साधनों की स्थिति पर निर्भर करता है।

न्यायालय फीस में कमी

2941. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री वी० मयावन :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने न्यायालय फीस में कमी करने का प्रश्न राज्य सरकारों के साथ उठाया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गुजरात राज्य में इसमें कितनी कमी की गई है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) जी नहीं। "न्यायालय फीस", उच्चतम न्यायालय और संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में छोड़कर, राज्य विधान मंडल की अनन्य अधिकारिता के भीतर आने वाला विषय है। फिर भी, विभिन्न राज्यों में न्यायालय फीसों के संबंध में कुछ आंकड़े इस बात पर विचार करने की दृष्टि से इकट्ठे किए जा रहे हैं कि क्या न्यायालय फीस में एकरूपता के बारे में कोई मतैक्य तैयार किया जा सकता है।

हावड़ा और पुरी के बीच मेल और यात्री गाड़ियों में आपराधिक घटनाएं

2942. **श्री समर गुह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा और पुरी के बीच मेल और यात्री गाड़ियों में अक्सर लूट, चोरी और डकैती जैसी आपराधिक घटनाएं होती हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973-74 में ऐसी किस प्रकार की घटनायें घंटित हुईं तथा कितनी संख्या में हुईं ;

(ग) क्या चावल की तस्करी करने वाले व्यक्ति अक्सर रास्ते में इन गाड़ियों को रोक लेते हैं, और

(घ) यदि हां, तो उक्त आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) उड़ीसा स्थित रेलमार्ग से चावल की तस्करी और जांच के लिए गाड़ियों के रोकने के प्रश्न पर उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव द्वारा 21-8-1974 को आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में विचार किया गया था। उड़ीसा राज्य सरकार ने प्रभावित डाक/एक्सप्रैस गाड़ियों में गश्ती दलों की व्यवस्था करने के बारे में सुझाव मान लिया है। अनुवर्ती कार्रवाई के तौर पर, खतरे को जंजीर खींचकर गाड़ी ठहराने की घटनायें न होने देने के उद्देश्य से भेद्य खंडों पर सभी प्रमुख गाड़ियों में खतरे की जंजीर के उपकरण नाकारा कर दिये गये हैं।

बरौनी रेल यार्ड को सेना को सौंपने के बारे में रेलवे मंत्री के साथ बातचीत

2943. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री पी० ए० स्वामिनाथन् :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने रेल बरौनी यार्ड को सैनिक अधिकारियों को सौंपने के बारे में रेलवे मंत्री के साथ नवम्बर, 1974 में बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) रेलवे यार्ड सैनिक अधिकारियों को सौंपने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) गरहारा, बरौनी पर रेलवे बाड़े पर पेट्रोलियम उत्पादों के छुटपुट चोरी तथा दुरुपयोग के बारे में सूचना मिली है। चूंकि यह मामला रेलवे प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है अतः उचित कार्यवाही करने के लिए पेट्रोलियम और रसायन मंत्री द्वारा रेलवे मंत्री को इस बारे में कहा गया है।

अधिकारियों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि देना

2944. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवेवार, कितने रेलवे कर्मचारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि दी गई है ;

(ख) क्या अधिकारियों को ऐसी वेतन वृद्धि दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो कुल निष्ठावान कर्मचारियों में, अधिकारी, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में अलग-अलग, ऐसे कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 31-12-1974 से पूर्व विभिन्न रेलों को जितनी अग्रिम वेतन वृद्धियां आवंटित की जायेंगी उनकी संख्या इस प्रकार है :—

रेलवे	आवंटित संख्या
मध्य	44,200
पूर्व	72,200
उत्तर	69,200
पूर्वोत्तर	59,200

रेलवे	आवंटित संख्या
पूर्वोत्तर सीमा	18,500
दक्षिण	60,200
दक्षिण मध्य	55,200
दक्षिण पूर्व	99,200
पश्चिम	88,200

(ख) जी हां।

(ग) अब तक दी गयी अग्रिम वतन वृद्धियों की कुल संख्या में केवल एक प्रतिशत अधिकारी रहे हैं और बाकी 99 प्रतिशत तीसरी और चौथी श्रेणी के कमचारी लगभग 50:50 के आधार पर प्राप्त किये हैं।

निष्ठावान रेलवे कर्मचारियों को प्रोत्साहन

2945. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या निष्ठावान रेलवे कमचारियों को प्रोत्साहन तथा शाबासी देने के लिए उनके पुत्रों तथा पुत्रियों को नौकरियों में नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ अधिकारियों के पुत्रों तथा पुत्रियों को भी रोजगार में नियुक्त किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जो कर्मचारी सेवाकाल में मर जाते हैं उनके संरक्षितों को, अनुकम्पा के आधार पर नौकरी में रखने के बारे में एक प्रक्रिया रेलों पर थी। रेलों पर काफी कुछ आन्दोलनों और काम रोक देने की घटनाओं के होने पर, सरकार ने यह फैसला किया है कि इस प्रक्रिया का विस्तार कर उसमें ऐसे कर्मचारियों के लड़के और लड़कियों को भी शामिल कर लिया है जिन्होंने उत्कृष्ट कर्त्तव्य-निष्ठा दिखायी हो।

(ख) जी हां, लेकिन बहुत ही प्रतिबंधित संख्या में ।

(ग) जारी किये गय आदेशों में श्रेणी III और श्रेणी IV सेवाओं में होने वाली रिक्तियों के भरने की व्यवस्था है और उनमें श्रेणी III और श्रेणी IV के पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों के संरक्षितों के मामलों पर विचार करने पर कोई मनाही नहीं है।

उच्च ग्रेडों में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के तथा अन्य निष्ठावान कर्मचारियों के सेवा काल में वृद्धि

2946. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्च ग्रेडों में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के तथा अन्य निष्ठावान कर्मचारियों के सेवा काल में दी गयी वृद्धि की पेचदगियों पर विचार किया है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे मामलों पर पुनर्विचार करने तथा ऐसे सेवा काल की वृद्धि के आदेश को रद्द करने का है जो गलती से दिए गए थे ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी हां, केवल आपवादिक मामलों में कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दी गयी है। इसलिए, इस प्रकार सोच समझ कर बढ़ाये गये कार्यकाल का पुनरीक्षण करने या उसे रद्द करने का प्रश्न नहीं उठता।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में लम्बित मामले

2947. **श्री नारायण चन्द पराशर : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अपीलों सहित ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जो उच्चतम न्यायालय तथा देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में (क) पांच वर्ष और (ख) तीन वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : विवरण संलग्न है।

विवरण

विभिन्न उच्च न्यायलयों में तीन वर्षों और पांच वर्षों से अधिक समय । त मामले दर्शाने वाला विवरण

उच्च न्यायालय का नाम	30-6-1974 को तीन वर्षों से अधिक के मामले	31-12-1973 को पांच वर्षों से अधिक के मामले
इलाहाबाद	30,398	13,766
आंध्र प्रदेश	354	33
मुम्बई	18,704	8,035
कलकता	31,006	19,526
दिल्ली	6,962	2,633
गौहाटी	636	307
गुजरात	3,515	561
हिमाचल प्रदेश	134	256
जम्मू-कश्मीर	217	76
कर्नाटक	530	29
केरल	307	41
मध्य प्रदेश	5,330	2,395
मद्रास	3,577	959
उड़ीसा	749	219
पटना	5,682	2,507
पंजाब और हरियाणा	8,995	5,889
राजस्थान	2,170	942
उच्चतम न्यायालय	3,392	628

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक की मैसर्स जान वाइल लिमिटेड में नियुक्ति

2948. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के भूतपूर्व प्रबंध निदेशक को मैसर्स जान वाइल लिमिटेड में सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है ; और

(ख) क्या तत्संबंधी सहयोग करार मैसर्स जॉन वाइल लिमिटेड के अत्यधिक में हैं तथा उक्त सरकारी उपक्रम के हित में नहीं है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां, वह मैसर्स वेयथ लेबोरेटरीज डाइज कोरिया प्लांटेशन, बंगलौर में सलाहकार के पद पर नियुक्त हो गए थे। कम्पनी ने सूचना भेजी है कि वह अब उनके पास कार्य नहीं कर रहे हैं।

(ख) विदेशी सहयोग की शर्तों का एच० ए० एल० के निदेशक बोर्ड और बाद में सरकार ारा अनुमोदन तब किया गया था जब विदेशी निवेश बोर्ड द्वारा इन पर विचार किया जा चुका था।

कतिपय भत्तों की संशोधित दरों को परिचालित किया जाना

2949. **श्री भोला मांझी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन को लोक सभा के एक सदस्य से ऐसा अभ्यावेदन मिला है कि प्रथम जनवरी, 1973 से संशोधित हुए वेतनमान के आधार पर रात्रि ड्यूटी भत्ते, राष्ट्रीय भोजन भत्ते और यात्रा भत्ते की दरों को परिचालित किया जाए;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने अभी तक उक्त दरों को परिचालित नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और ये दरें कब तक परिचालित की जायेंगी।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अभी नहीं।

(ग) इन भत्तों की दरों का संशोधन विचाराधीन है और आशा है इस संबंध में शीघ्र ही अनुदेश जारी कर दिये जायगे।

गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के आपरेटरों के ड्यूटी रोस्टर में परिवर्तन

2950. **श्री भोला मांझी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गजियाबाद रेलवे स्टेशन, दिल्ली डिवीजन के पैनल आपरेटरों के ड्यूटी रोस्टर में बिना वास्तविक कार्य विश्लेषण के 6 घंटे किया गया है ;

(ख) क्या लोक सभा के एक सदस्य ने ड्यूटी रोस्टर में 8 घंटे को 6 घंटे करने के बारे में अभ्यावेदन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) लाइन क्लीयरिंग का कार्य केन्द्रित करके, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर नया बिजली केबिन खोलने के परिणामस्वरूप उस स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टरों की, जो उस समय के कार्यभार के आधार पर, बड़े वर्गीकरण के अंतर्गत ईस्ट केबिन पर पहले 6 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी करते थे अब परिवर्तित परिस्थितियों में 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी करनी होती है।

(ख) जी हां।

(ग) संबंधित कर्मचारियों पर वर्तमान वास्तविक कार्यभार का आवश्यक मूल्यांकन यथासंभव शीघ्र किया जायेगा।

Damage to trains and property due to Agitation in Bihar during the last six months

2951. **Shri Nathu Ram Ahirwar:**
Shri S. R. Damani:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of trains stopped and the number of trains damaged after stopping them during the agitation going on in Bihar for the last six months and the value of the Railway property destroyed there;

(b) the number of persons punished for having committed acts of sabotage; and

(c) the arrangements made by Government for the safety of the life and property the passengers there ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railway (Shri Buta Singh): (a) Running of 212 passenger carrying trains were interfered with and damage caused to almost all these trains. The damage to rolling stock and other fixtures connected with train running has been estimated to an approximately Rs. 26.00 lakhs.

(b) The Police have registered cases in respect of these incidents reported to them and they are under investigation.

(c) Railway Administration keeps close liaison with the Executive and Intelligence Branches of the State and Central Police and exchange information for planning measures for effectively protecting the property and person of instalations including railway track and escorting of important trains.

Railway Accidents during the last three months

2952. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of Railway accidents occurred during the last three months;

(b) the number of persons killed and the value of property lost as a result thereof ;

(c) the amount of compensation paid by Government to the families of the persons killed in those accidents; and

(d) the causes of those accidents ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railway (Shri Buta Singh): (a) During the period 1-8-74 to 31-10-74, there were 272 train accidents in the categories of collisions, derailments level crossing accidents and fires in trains on the Indian Government Railways.

(b) In these accidents 120 persons were killed. The cost of damage to railway property involved therein has been estimated at approximately Rs. 61,49,499/-.

(c) No compensation has so far been paid under the Indian Railways Act and the Workmen's Compensation Act to the dependants of the persons killed in these accidents

(d) The causes of these accidents are as under :

Cause	No. of accidents
(i) Human Failure . .	155
(ii) Failure of Equipment . . .	45
(iii) Sabotage	1
(iv) Accidental	15
(v) Cause could not be established . . .	4
(vi) Cause not yet finalised . . .	52
TOTAL	272

Late running of Jhansi-Manikpur Passenger Train

2953. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Jhansi-Manikpur passenger train has not been reaching in time for the last one year;

(b) whether all the connecting mail and express trains bound for Manikpur and Allahabad are missed by passengers of that train because of late arrival of both these Up and Down trains ; and

(c) if so, whether his Ministry have considered the question of running an express train between Jhansi and Varanasi ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) and (b) While it is correct that the punctuality performance of 521/522 and 523/524 Jhansi-Manikpur passenger trains has not been very satisfactory mainly due to a high incidence of alarm chain pulling, maintenance of connection with main line trains at Manikpur has been good. This has been possible since sufficient margin is avialbe between the arrival of these trains and departure of Mail/Express trains at Manikpur.

(c) Introduction of a direct train between Jhansi and Varanasi via Manikpur not been found feasible for want of traffic justification and lack of line capacity on Manikpur Allahabad section and terminal facilities at Varanasi.

मीराज-हुबली ब्राड गेज लाइन पर गोगाक कस्बे को रेलवे की लाइन से मिलाना

2954. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि मीराज-हुबली के बीच मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलने के बाद गोगाक कस्बे को उससे जोड़ा जाये; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मीराज-हुबली-हास्पेट की मोटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने से संबंधित परियोजना की सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और उसकी जांच की जा रही है। आमान परिवर्तन संबंधी परियोजना के बारे में विनिश्चय करते समय, इस लाइन को गोगाक के रास्ते ले जाने के अनुरोध पर समुचित विचार किया जायेगा।

नई रेलवे लाइनों के निर्माण के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार का अनुरोध

2955. **श्री रानेन सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई रेलवे लाइनों का निर्माण न करने के सरकार के निर्णय का पश्चिम बंगाल पर बुरा प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस पर पुनः विचार करने के बारे में राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ग) क्या मार्टिन बर्न पर कार्य रोक दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उस पर कार्य कब तक पुनः आरम्भ होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस तरह का कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भूतपूर्व मार्टिन बर्न लाइट रेल लाइनों के स्थान पर हावड़ा-आमता-बड़गाछिया-चम्पाडांगा और हावड़ा-शियाखालय बड़े आमान की नयी लाइनों के निर्माण के लिए संसद् द्वारा निर्माण की पूंजीगत लागत को राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत वहन करने के आधार पर मंजूरी दी गयी थी। तदनुसार राज्य सरकार को अपने हिस्से का खर्च वहन करने की सहमति प्रदान करने के लिए लिखा गया है। राज्य सरकार से मंजूरी मिल जाने के बाद इन परियोजनाओं पर निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पदों का दर्जा बढ़ाने के बारे में निर्णय लेना

2956. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार रेलवे में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पदों का दर्जा बढ़ाने के बारे में अन्तिम निर्णय इस बीच ले लिया गया है :

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) तीसरे वेतन आयोग ने तीसरी श्रेणी और चौथी श्रेणी के रेल कर्मचारियों के पदों का दर्जा बढ़ाने के बारे में कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं

की हैं। तथापि श्रेणी III और श्रेणी IV के विभिन्न संवर्गों में मदों के ग्रेडवार वितरण की समीक्षा की जा रही है। इस समय यह नहीं बताया जा सकता है कि इस समीक्षा को अंतिम रूप देने के लिए कितना समय लगेगा।

"बंगाल की खाड़ी में अमरीकी जहाज द्वारा तेल के निक्षेपों के लिए सर्वेक्षण"

2957. **श्री गजाधर मांझी :**

श्री के० मालन्ना :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की भू-भौतिकी फर्म का भूचाल विषयक जहाज बंगाल की गाड़ी में तेल के निक्षेपों की संभावना का भूचाल-विषयक सर्वेक्षण करने हेतु हाल ही में उड़ीसा तट के पास पहुंचा है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या परिणाम निकले हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) और (ख) जी, हां। भूकम्पीय सर्वेक्षणों का पहला क्रम समाप्त हो चुका है और उपलब्ध सामग्री की प्रक्रिया तथा व्याख्या की जा रही है। पश्चिमी बंगाल के तट से दूर के जलमग्न तटीय क्षेत्रों तथा उड़ीसा के कुछ भागों में भी सर्वेक्षण किया गया था।

ओखला (दिल्ली डिवीजन) स्थित इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी साइडिंग की माल चढ़ाने-उतारने की क्षमता में वृद्धि

2958. **श्री कमल मिश्र मधुकर :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन को ओखला (दिल्ली डिवीजन) स्थित इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी साइडिंग की माल चढ़ाने उतारने की क्षमता बढ़ाने के बारे में लोक सभा के किसी सदस्य से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) क्या माल चढ़ाने उतारने की क्षमता 23 अगस्त, 1974 से 9 से 13 वैगन (चार पहियों वाले) तक बढ़ा दी गई है।

(ग) जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर 1974 के दौरान ओखला स्थित इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी पर कितनी राशि का विलम्ब शुल्क लगाया गया है;

(घ) साइडिंग अधिकारियों से कितनी राशि वसूल की गई है तथा कितनी बकाया है; और

(ङ) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी साइडिंग के अधिकारियों से विलम्ब शुल्क की बकाया राशि वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) जितना विलम्ब शुल्क लगाया गया और वसूल किया गया तथा जितना बकाया रहा वह रकम नीचे दी गयी है :—

महीना	विलम्ब शुल्क की रकम		
	लगायी गयी	वसूल की गयी	शेष
	रु०	रु०	रु०
जून, 74	7012.10	126.50	6885.60
जुलाई, 74	2748.80	661.50	2087.30
अगस्त, 74	1007.50		1007.50
सितम्बर, 74	5152.70		5152.70
अक्तूबर, 74	1376.50		1376.50
जोड़	17297.60	788.00	16509.60

(ङ) मैसर्स आई० आई० एस० क० को बकाया विलम्ब शुल्क की शीघ्र अदायगी का नोटिस दे दिया गया है। लेकिन उन्होंने मंडल प्राधिकारियों को छूट देने के लिए अनेक अभ्यावेदन दिये हैं। रेल प्रशासन उनकी अपीलों पर विचार कर रहा है।

भागलपुर बरारी और साहबपुर कमल जंकशन—मुंगेर घाट (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच ब्रांच लाइनों का बन्द किया जाना

2959. **श्री कमलमिश्र मधुकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में भागलपुर—बरारी और साहबपुर कमल जंकशन-मुंगेर घाट के बीच ब्रांच लाइनों को 1 जनवरी, 1975 से बन्द कर दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या उन क्षेत्रों के, जिनकी आवश्यकताएं इन ब्रॉच लाइनों द्वारा पूरी होती हैं, पिछड़ेपन को ध्यान में रखा गया है ;

(ग) क्या 28/29 अक्तूबर, 1974 को पटना में बिहार उद्योग एसोसिएशन के सदस्यों के समक्ष दिया गया उनका वक्तव्य ब्रांच लाइनें बन्द करने के बारे में रेलवे बोर्ड के निर्णय के अनुरूप है; और

(घ) क्या रेलवे मंत्रालय का विचार फिलहाल इन ब्रॉच लाइनों को बन्द करने का निर्णय स्थगित करने का है क्योंकि उस क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

महेन्द्रघाट और पहलेजाघाट के बीच ट्रकों का गुजरना

2960. श्री कमल मिश्र मधुकर : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे ने महेन्द्रघाट और पहलेजाघाट के बीच ट्रकों के गुजरने की व्यवस्था करने के बारे में निर्णय लिया था ;

(ख) क्या ट्रकों के गुजरने की व्यवस्था करने की योजना को इस बीच रद्द कर दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो वहां पर ट्रकों के गुजरने संबंधी योजना को कब से लागू करने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के कोचीन डिवीजन में उर्वरकों का जमा हो जाना

2961. श्री वयालार रवि :

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के कोचीन डिवीजन में बड़ी मात्रा में उर्वरक का स्टाक जमा हो गया है और उसको उठाने के लिये कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी मात्रा में उर्वरकों का स्टाक जमा हो गया है और उक्त एकक में स्टाक जमा होने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त स्टाक को उठाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) यह रिपोर्ट प्राप्त की गई थी कि फैक्टरी के कोचीन डिवीजन में लगभग 24,000 मीटरी टन यूरिया एकत्रित हो गया है। यह एकत्रण मुख्य रूप से श्रमिक संबंधी कठिनाइयों जिसका यूरिया को बोरों में भरने तथा उसके लदान कार्य पर कुप्रभाव था तथा रेलवे वेंगनों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण हो गया था। अब श्रमिक समस्याओं को निपटा लिया गया है और एकत्रित स्टाक को रेल तथा सड़क परिवहन द्वारा भेजने की व्यवस्था की जा रही है।

भारतीय साम्यवादी दल के प्रदर्शनकारियों द्वारा बिहार में बिना टिकट यात्रा

2962. श्री मधु दंडवते : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्राधिकारियों ने 11 नवम्बर, 1974 को बिहार आंदोलन विरोधी प्रदर्शन में भाग लेने पटना जाने के लिए भारतीय साम्यवादी दल के प्रदर्शनकारियों को बिना टिकट यात्रा करने की अनुमति दी थी; और

(ख) क्या छात्रों द्वारा की गई 'जनता चेकिंग' में बहुत से भारतीय साम्यवादी दल के प्रदर्शनकारी बिना टिकट यात्रा करते पाये गये थे ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) रेल प्रशासन की इसकी कोई जानकारी नहीं है।

औषधियों के उत्पादन के लिए नए लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र

2963. **श्री भालजी भाई परमार** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भेषजों और औषधियों के उत्पादन के लिये औद्योगिक लाइसेंसों 'नये उपक्रमों' के लिये कितने नये आवेदन प्राप्त हुए; आवेदन पत्रों में उल्लिखित वस्तुओं और उनकी मात्राओं का ब्यौरा क्या है; उनमें से कितने आवेदन पत्रों को स्वीकृत/अस्वीकृत/स्थगित किया गया तथा अस्वीकृत किये जाने/स्थगित किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) "बल्क औषधि" की शर्त के साथ 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी वाली विदेशी फर्मों को किस तिथि तक के लिये विस्तार लाइसेंस जारी किये गये थे, गत तीन वर्षों में जारी किये गये ऐसे लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) "बल्क औषधि" उत्पादन के संबंध में 2 करोड़ रुपये के मूल्य के उत्पादन की शर्त कब लागू की गई तथा इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) एक विवरण-पत्र, जिसमें नये यूनिट स्थापित करने के लिये वर्ष 1971, 1972 तथा 1973 के दौरान प्राप्त हुए आवेदन पत्रों, निर्माण की जाने वाली मदों, मांगी गई वार्षिक क्षमता तथा प्रत्येक पर सरकार द्वारा किये गये निर्णय का उल्लेख है, संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 8644/74]

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) औद्योगिक विकास के दिनांक 16 फरवरी, 1973 के प्रैस नोट के अनुसार सरकार द्वारा घोषित की गई औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में ऐसी कोई शर्त नहीं है। औषधों के क्षेत्र में देश को आत्म निर्भर बनाने तथा इसमें और वृद्धि करने और आयात के लिये विदेशी मुद्रा व्यय में कमी करने के लिये प्रपुंज औषधों के देशीय उत्पादन का अधिकतम किया जाना आवश्यक है। 2 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री करने वाली औषधों का निर्माण करने वाली संगठित क्षेत्रीय कंपनियों से भी इसमें योगदान दिये जाने की अपेक्षा की जाती है।

लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक फारमूलेशनों का उत्पादन

2964. **श्री भालजी भाई परमार** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी विदेशी फर्में लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक फारमूलेशनों का उत्पादन कर रही हैं, फारमूलेशन का नाम क्या है तथा तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में इसका मूल्य क्या है;

(ख) क्या इन फारमूलेशनों का उत्पादन इन फर्मों द्वारा अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादित (बल्क) औषधियों में से किया जाता है और यदि हां, तो इस स्थिति में दिनांक 27 मई, 1969 को अधिसूचना का औचित्य क्या है; और

(ग) इन विदेशी फर्मों के विरुद्ध स्थिति का अनुचित लाभ उठाने के कारण क्या कार्यवाही की जा रही है क्योंकि इससे भारतीय औषध उद्योग की हानि हो रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) संगठित क्षेत्र में अधिकांश विदेशी इक्विटी वाले 36 एककों सहित औषध निर्माण करने वाले 116 एकक हैं जो सूत्रयोग बना रहे हैं जिनकी हजारों में संख्या है। इनमें से बहुत-सी कम्पनियों को स्वीकृत क्षमताओं में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटों, अनुज्ञा/अनापत्ति पत्रों और उनको जारी किए गए लाइसेंसों के अन्तर्गत उनको जारी किए प्राधिकार विविधीकरण की योजनाओं के अन्तर्गत किए गए उत्पादन और सी० ओ० बी० लाइसेंसों आदि के अन्तर्गत स्वीकृत क्षमताएं शामिल हैं। अतः उनका मूल्य आंकना या सूत्रयोगों के लिए एक निश्चित लाइसेंस प्राप्त क्षमता, ऐसे सूत्रयोगों के अधिक उत्पादन या उनके मूल्य को नियत करना या फर्मों द्वारा निर्मित प्रपुंज औषधों के साथ सूत्रयोगों के निर्माण को सम्बद्ध करना सम्भव नहीं है। इसके अलावा हरेक अलग सूत्रयोग/औषध की विपण्यता पर निर्भर करने वाले सूत्र योग का निर्माण वर्ष प्रति वर्ष बदलता रहता है जबकि सूत्रयोग कार्यकलाप में पिछले अधिक दो दशकों से तीव्र वृद्धि हुई है। प्रपुंज औषध निर्माण में वृद्धि करने की आवश्यकता थी और अब भी आवश्यकता है। उत्पादन एकक सूत्रयोग कार्यकलाप की तुलना में प्रपुंज औषध उत्पादन करने में पूंजी निवेश के लिए कम इच्छुक थे। यह इस संबंध में था कि सरकार ने अनुभव किया था कि प्रपुंज औषधों के उत्पादकों को भी इस बात की अनुमति मिलनी चाहिए कि प्रपुंज औषध उत्पादन वृद्धि की सफलता के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन के रूप में उनके द्वारा निर्मित प्रपुंज औषधों का एक भाग तैयार करें। तदनुसार दिनांक 27-5-69 को अधिसूचना जारी की गई थी।

औषध एवं भेषज उद्योग के बारे में श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में गठित समिति औषध उद्योग के शीघ्रगामी विकास को प्रोत्साहन देने सहित विशेषरूप से भारतीय और लघु उद्योग क्षेत्रों को तथा मूल औषधों और कच्चे माल का समान वितरण सुनिश्चित करने हेतु औषध उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। उपरोक्त समिति की रिपोर्ट मिलने पर उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी।

तेल के खोज कार्य को तेज करने के लिये अतिरिक्त संसाधन

2965. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अन्दर तेल स्रोतों की खोज की बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कोई मूर्त परिणाम प्राप्त करने हेतु वर्तमान नियतन को पर्याप्त रूप से बढ़ाये जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने तेल के उन अतिरिक्त स्रोतों का पता लगाने का कोई प्रयास किया है, तेल जो खोज की वर्तमान प्रक्रिया को तेज करने और देश के अन्दर तेल उत्पादन बढ़ाने के लिये आवश्यक होंगे; और

(ग) क्या उक्त प्रयास के अतिरिक्त तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के ढांचे में मालवीय समिति द्वारा सुझाया गया संगठनात्मक परिवर्तन पर भी विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की पांचवीं पंचवर्षीय योजना कुछ वास्तविक लक्ष्यों के अनुसार तैयार की गई है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये समय-समय पर आन्तरिक संशोधनों में जो कमी होती है उसको पूरा करने के लिए सरकार यह प्रयास करेगी कि वह आयोग को वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

(ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

रेलगाड़ियों का समय पर आना-जाना

2966. **श्री रामसहाय पाण्डेय :**

श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में रेलगाड़ियों के समय पर आने-जाने की स्थिति अग्रेतर बिगड़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) अप्रैल से सितम्बर, 1974 की अवधि के दौरान, गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, गाड़ियों के समय-पालन में कुछ गिरावट आई है जो मुख्यतः मई, 1974 में रेलवे हड़ताल और उसके पश्चवर्ती प्रभाव, जन-आन्दोलनों, शरारती-तत्वों की गतिविधियों और खतरे की जंजीर खींचने की अधिक घटनाओं आदि के कारण है।

मितव्ययता के कारण नैमित्तिक श्रमिकों की छंटनी

2967. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने मितव्ययता के नाम पर हजारों नैमित्तिक श्रमिकों की छंटनी कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) निर्माण-कार्यों के पूरा हो जाने या उनकी गति धीमी हो जाने के कारण कुछ हद तक नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या में कमी करना अपरिहार्य हो जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत में तेल की खोज के लिए विदेशी तेल कंपनियों के साथ बातचीत

2968. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री वीरभद्र सिंह :

श्री अनादि चरण दास :

श्री बनमाली बाबू :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय इस समय तेल की खोज हेतु समुद्र तट से दूर कुछ बेसिन पट्टे पर देने के लिए कुछ विदेशी तेल कम्पनियों से बातचीत कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) कौन-कौन से क्षेत्रों को पट्टे पर दिया जायेगा;

(घ) क्या अनुबन्ध की शर्तें सरकार द्वारा इस वर्ष पहले सम्पन्न कच्छ और बंगाल की अनुबन्धों की शर्तों से भिन्न होंगी; और

(ङ) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) जी हाँ।

(ख) से (ङ) ब्यौरे बताना जनहित में नहीं है।

पूर्वोत्तर रेलवे में बर्खास्त किए गए/सेवा से हटाए गए कर्मचारियों का बहाल किया जाना

2969. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपाण्डे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में डिवीज़न-वार तथा वर्कशाप-वार स्थायी, अस्थायी, मासिक वेतन पर नैमित्तिक और दैनिक मजूरी पर नैमित्तिक उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें मई, 1974 की हड़ताल के कारण बर्खास्त कर दिया गया था, सेवा से हटा दिया गया था अथवा जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी;

(ख) प्रत्येक वर्ग के कितने कर्मचारी सेवा में वापस लिये जा चुके हैं;

(ग) प्रत्येक वर्ग के कितने कर्मचारी अभी सेवा में वापस लिए जाने हैं; और

(घ) उनको बहाल करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे के चारों मण्डलों में से प्रत्येक से संबंधित सूचना दी गयी है। कारखानों से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(घ) कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत अपीलों में से प्रत्येक मामले पर अलग-अलग विचार किया जाता है। यह प्रक्रिया जारी है और रेल प्रशासन इन मामलों की समीक्षा यथासंभव शीघ्र करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। नैमित्तिक श्रमिकों को फिर से लगाना, काम की अपेक्षाओं और संसाधनों पर भी निर्भर करता है।

विवरण

मण्डल/कारखाना	बर्खास्त/हटाये गये स्थायी कर्मचारी			अस्थायी कर्मचारियों की संख्या			सेवा मुक्त एवज़ी/नैमित्तिक श्रमिक		
	जितने बर्खास्त/हटाये गये	जितने वापस लिये गये	शेष	जितनों की सेवा समाप्त की गयी	जितने वापस लिये गये	शेष	जितने सेवा मुक्त किये गय	जितने वापस लिये गये	शेष
आइज़ट नगर	240	206	34	102	99	3	366	132	234
लखनऊ	77	50	27	11	1	10			
वाराणसी	112	70	42	4	1	3			
समस्तीपुर	54	3	51	—	—	—			

उत्तर रेलवे के बर्खास्त किए गए और सेवा से हटाए गए कर्मचारियों का बहाल किया जाना

2970. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में डिवीजन-वार तथा वर्कशाप-वार स्थायी, अस्थायी, मासिक वेतन पर नैमित्तिक और दैनिक मजूरी पर नैमित्तिक उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें मई, 1974 की हड़ताल के कारण बर्खास्त कर दिया गया था, सेवा से हटा दिया गया था अथवा जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी;

(ख) प्रत्येक वर्ग के कितने कर्मचारी सेवा से वापस लिये जा चुके हैं;

(ग) प्रत्येक वर्ग के कितने कर्मचारी अभी सेवा में वापस लिये जाने हैं; और

(घ) उनको बहाल करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री. बूटा सिंह) :(क) से (ग) एक विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 8645/74]

(घ) कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत अलग-अलग अपीलों पर हर मामले के आधार पर पुनर्विचार किया जा रहा है। यह प्रक्रिया जारी है और प्रशासन इन मामलों पर यथाशीघ्र पुनर्विचार करने का भरसक प्रयास कर रहा है। नैमित्तिक श्रमिकों को दुबारा काम पर लगाना काम की आवश्यकता और साधनों की स्थिति पर भी निर्भर करता है।

नया अद्यतन रेलवे कोड

2971. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यातायात की आधुनिक आवश्यकताओं और स्वरूप और मात्रा के अनुरूप एक नया अद्यतन रेलवे कोड संसद में प्रस्तुत करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में बिस्तरों (बेड रोल्ज) की सप्लाई

2972. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बी दूरी की मेल रेल गाड़ियों के द्वितीय श्रेणी के सवारी डिब्बों के शयन यानों में यात्रा करने वाले यात्रियों को बिस्तर सप्लाई किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो कहां और किन दरों पर; और

(ग) क्या सरकार का विचार पूरे देश की लम्बी दूरी की सभी रेलगाड़ियों में इस सुविधा को लागू करने का है; और यदि हां; तो कब?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) केवल जयन्ती जनता एक्सप्रेस और पंडयान एक्सप्रैस गाड़ियों के द्वितीय श्रेणी शयन यान में यात्रा करने वाले यात्रियों को बिस्तर सुलभ किए जाते हैं ।

(ख) गाड़ी सेवा	प्रति रात्रि प्रति विस्तर प्रभार
	रुपये
131/132 जयन्ती जनता एक्सप्रेस मंगलौर/कोचीन पत्तन टर्मिनस—नई दिल्ली के बीच	1.50 (समूची दो रातों की यात्रा के लिए 2.50 रुपये)
153/154 जयन्ती जनता एक्सप्रेस-समस्तीपुर जंकशन—नई दिल्ली के बीच	1.50 रुपये (गर्मियों में)
131 (एन आर)/121 (डब्लू आर) 232 (एन आर)/32(डब्लू आर) जयन्ती जनता एक्सप्रेस दिल्ली-अहमदाबाद के बीच	2.00 रुपये (सर्दियों में)
117/118 पंडमान एक्सप्रेस मद्रास एगमौर—मदुराई के बीच	1.25 रुपये

(ग) जी नहीं।

ग्लिवैन क्लैमाइड का उत्पादन

2973. **श्री पी० जी० मावलंकर : क्या पेट्रोलियम और रसायन** क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आधारभूत औषधि, पिलवेन क्लैमाइड (खाने वाली मधुमेह निरोधक औषधि) का उत्पादन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादक का ब्यौरा और प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है;

(ग) क्या उक्त उत्पादक ने ग्लिवेन क्लैमाइड के आयात पर रोक लगाने हेतु, कोई आवेदन पत्र दिया है और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस आवेदन पत्र पर कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि उक्त आयात पर रोक लगा दी जाए तो क्या विदेशी मुद्रा की कोई बचत होगी और यदि, हां, तो विदेशी मुद्रा की वार्षिक बचत कितनी होगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) मैसर्स काडीला कैमीकल्स अहमदाबाद, एक लघु उद्योग एकक, ने दावा किया है कि वे प्रपुंज ग्लाइवेनालेक्माइड का उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने उत्पाद का बिक्री मूल्य 9,800 रु० प्रति किलोग्राम बताया है जब कि इसकी तुलना में आयातित माल का लागत बीमा भाड़ा मूल्य 10,000 रु० प्रति किलोग्राम है। पार्टी ने ग्लाइवेनक्लेमाइड के आयात पर रोक लगाने के लिए अभ्यावेदन दिया है और इस अभ्यावेदन की डी० जी० टी० डी० और डी० जी० एच० एस० के परामर्श से जांच की जा रही है।

विभिन्न जोनों में समय पर आरक्षण प्राप्त करने में विलम्ब

2974. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न जोनों में गाड़ियों में आवश्यक तथा समय पर आरक्षण प्राप्त होने में अनावश्यक असाधारण विलम्ब के कारण शैक्षिक दौरों अथवा यात्रा पर जाने वाले अनेक ग्रुपों तथा पार्टियों को यात्रा रद्द अथवा स्थगित करने के लिए बाध्य होना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं। शैक्षिक यात्राओं और तीर्थयात्राओं पर जाने वाले क्रमशः छात्रों और यात्री दलों को उनके द्वारा अपेक्षित स्थान उपलब्ध करने के लिए सभी संभव सहायता दी जाती है। लेकिन, कभी-कभार ऐसा अवसर आ जाता है जब अल्पकालिक नोटिस पर पार्टियों को उनके यात्राक्रम के अनुसार बुक करना संभव नहीं होता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को सुविधाएं

2975. **श्री एम० सी० सामन्त** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं जिससे वे विभिन्न रेलवे जोनों में तथा रेलवे बोर्ड में और मंत्रालय में राजभाषा के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए विभिन्न निदेशों, आदेशों और अनुदेशों की क्रियान्विति के संबंध में हो रहे कार्य की प्रगति का मूल्यांकन कर सकें;

(ख) क्या हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को परिचय-पत्र भी नहीं दिए गए हैं जिनके आधार पर वे विभिन्न कार्यालयों और कार्य स्थानों में प्रवेश कर सकें, यहां तक कि उन्हें रेल भवन में भी प्रवेश के लिए स्वागत कार्यालय में लम्बी लाइन में खड़ा होना पड़ता है जहां प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं दी जाती जब तक भीतर स्थित अधिकारियों से इस बारे में अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती; और

(ग) मंत्रालय ने कार्यालय के कार्य तथा पत्र व्यवहार में, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां हिन्दी राजभाषा है, हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग में क्या प्रगति की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) रेल कार्यालयों का दौरा करके हिन्दी के प्रयोग से संबंधित निदेशों के कार्यान्वियन की प्रगति का मूल्यांकन करने की कोई सुविधा फिल-हाल रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को नहीं दी गयी है। सुविधाएं देने का प्रश्न उन अन्य मंत्रालयों से भी संबंधित है, जहां इस तरह की समितियां स्थापित की गयी हैं। अतः इस विषय पर गृह मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जायेगा।

(ग) रेल कार्यालयों के जिन अनुभागों में 80 प्रतिशत या अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है, उन चुने हुए अनुभागों में टिप्पणियां हिन्दी में लिखी जाती हैं और प्रारूप (ड्राफ्ट) भी हिन्दी में तैयार किये जाते हैं। जिन राज्य सरकारों ने हिन्दी को राज-भाषा के रूप में स्वीकार किया है या केन्द्र के साथ हिन्दी में पत्र व्यवहार करने का फैसला किया है, उनके साथ पत्र-व्यवहार में यथा-सम्भव हिन्दी का अधिक-से-अधिक प्रयोग करने के भी प्रयास किये जाते हैं।

बम्बई और पूना के बीच डेक्कन क्वीन का प्रथम श्रेणी का किराया

2976. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई और पूना के बीच डेक्कन क्वीन का प्रथम श्रेणी का किराया कितना है;

(ख) प्रथम श्रेणी के सीजन टिकट का महीने का किराया कितना है; और

(ग) इस विषमता के क्या कारण है; और पांच वर्ष पूर्व की विषमता की तुलना में इस विषमता की क्या स्थिति है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) डेक्कन क्वीन का बम्बई वी० टी० से पूना तक का पहले दर्जे का वर्तमान यात्री किराया 5 रु० के पूरक प्रभार सहित 48.00 रुपये है।

(ख) बम्बई वी० टी० और पूना के बीच पहले दर्जे का वर्तमान मासिक आवधिक किराया 229.00 रुपये है।

(ग) मासिक आवधिक टिकटधारी को यह अधिकार है कि वह एक माह के दौरान चाहे जितनी बार यात्रा करे। व्यवसायी व व्यापारियों आदि की सुविधा के लिए जो कि अपने कारोबार के सिलसिले में दो स्टेशनों के बीच लगातार आते जाते हैं मासिक आवधिक टिकट बहुत कम दरों पर जारी किए जाते हैं। वर्ष 1969 में बम्बई से पूना तक पहले दर्जे का किराया 19.25 रुपये और मासिक आवधिक किराया 155.00 रुपये था।

नई बोंगईगांव-रंगिया तथा रंगिया-गोहाटी पर नई रेल लाईनें खोलने संबंधी कार्य

2977. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी पांच वर्षों में ब्राड गेज तथा मीटर गेज वार बिछाई जाने वाली तथा वास्तव में कार्य रूप में परिणत की जाने वाली प्रस्तावित नई रेल लाइनों संबंधी योजनाओं की मोटी रूप रेखा क्या है;

(ख) क्या बोंगईगाँव-रंगिया तथा रंगिया-गोहाटी ब्राड गेज पर काम पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो इस लाइन को खोलने के परिणामस्वरूप आसाम में उसके पड़ोसी राज्य को बढ़ाये जाने वाले माल यातायात की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) इस लाइन पर यातायात कब से आरम्भ किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नयी लाइनों के निर्माण संबंधी प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। निम्नलिखित नयी लाइनों को अनुमोदित करके (1974-75) की वार्षिक योजना में शामिल कर लिया गया है। इनकी अनुमानित लागत और कार्य पूरा होने की निर्धारित तारीख प्रत्येक के सामने दी गयी है :—

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	लाइन खोलने की निर्धारित तारीख
1.	रोहतक-भिवानी (बड़ी लाइन)	6.13 करोड़ रु०	मार्च, 1979
2.	हसनपुर-सकरी (मी०ला०) . .	5.96 करोड़ रु०	मार्च, 1978
3.	मुरादाबाद और रामपुर से रामनगर और काठगोदाम तक बड़ी लाइन रेल सम्पर्क .	15.00 करोड़ रु०	मार्च, 1979
4.	झांझरपुर-लौकहा बाजार (मी०ला०)	2.93 करोड़ रु०	अप्रैल, 1976
5.	बीबीनगर-नादीकुडे (ब०ला०)	13.47 करोड़ रु०	1-4-79
6	बाँसपानी-झाखापुर (ब०ला०) . . .	39.00 करोड़ रु०	1-4-80

(ख) नया बंगोईगाँव से गवाहाटी खण्ड को मीटर लाइन से वड़ी लाइन में बदलने के लिए वर्ष 1974-75 में बजट व्यवस्था की गयी है। इस खण्ड पर अनिवार्य अवरुद्ध कार्यों को हाथ में लेने के लिए विचार हो रहा है और अनिवार्यता प्रमाण-पत्र की स्वीकृति जारी होने वाली है।

(ग) असम से देश के अन्य भागों को बड़ी लाइन के सीधे रेल सम्पर्क मिल जाने के फलस्वरूप जूट, चाय, इमारती लकड़ी और बाँस के बढ़े हुए यायातात की माँग को पूरा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त असम से उर्वरक और पी० ओ० एल० यातायात के बढ़े हुए संचलन में भी सुविधा होगी।

(घ) क्योंकि उपर्युक्त बदलाव-कार्य को 1974-75 के बजट में शामिल कर लिया गया है और इसके पूरा होने में कुछ समय लगेगा। अतः इस लाइन पर यातायात कब शुरू होगा अभी कहना संभव नहीं है।

मैसर्स फाइजर द्वारा इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को कुछ दवाइयां बनाने के लिए औद्योगिकी की पेशकश

2978. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कुछ दवाइयां बनाने हेतु एक प्राइवेट फर्म फाइजर द्वारा की गयी प्रौद्योगिकी संबंधी पेशकश पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) मैसर्स इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लि० को प्रतिवर्ष 5000 कि० यू० की क्षमता के साथ डोक्सीसाइक्लीन के उत्पादन के लिए 22-2-74 को एक आशय पत्र जारी किया गया है बशर्ते कि अन्य बातों के साथ-साथ-विदेशी सहयोग की शर्त यदि कोई हो, सरकार की स्वीकृति से तय की जाय। उन्होंने डोक्सीसाइक्लीन के उत्पादन तथा टैट्रासाइक्लीन एवं ओक्सी टैट्रासाइक्लीन के उत्पादन में सुधार करने के लिए मैसर्स रोचले लैबोरेटरीज आफ यू० एस० ए० से जानकारी प्राप्त करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मैसर्स फाइजर लि०, भारत में पहले से कार्य कर रही एक कम्पनी, ने भी डोक्सी-साइक्लीन के उत्पादन तथा ओक्सी टैट्रासाइक्लीन एवं टैट्रासाइक्लीन के उत्पादन में सुधार करने के लिए अपनी जानकारी देने के प्रस्ताव दिये हैं।

भट्टी तेल तथा डीजल तेल की अनुपलब्धता के कारण पंजाब में औद्योगिक एककों को जबरन बन्द करवाया जाना

2979. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मिट्टी तेल, डीजल तेल तथा अन्य तेल उत्पादों की अनुपलब्धता के कारण में बहुत-से मध्यम तथा छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों को जबरन बन्द करवाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए गए है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार वर्तमान आवंटन प्रणाली में परिवर्तन करने का है और यदि हां, तो तो तत्सम्बन्धी मोटी रूपरेखा क्या है ।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी): (क) और (ख) सरकार द्वारा इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है। वर्तमान में तेल कम्पनियों के फुटकर बिक्री केन्द्रों से डीज़ल तेल की बिक्री खुले रूप से की जाती है। तथा पि कम्पनियों द्वारा भट्टी के तेल की सप्लाइयों उपभोक्ताओं द्वारा वर्ष 1973 में माल उठाये जाने के आधार पर की जाती है। समस्त उपभोक्ताओं के लिए भट्टी के तेल की सप्लाइयों पर एक 10 प्रतिशत की दक्षता बचत कटौती लगाई जाती है। महत्वपूर्ण क्षेत्र के 33 निर्दिष्ट उद्योगों को छोड कर, औद्योगिक उपभोक्ताओं को की जाने वाली सप्लाइयों पर एक 10 प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती भी लगाई जाती है। लघु उद्योग एककों तथा उन राज्य प्रतिष्ठानों जो किसी केन्द्रीय प्राधिकरण से सम्बद्ध नहीं है, को भट्टी के तेल की सप्लाईयों करने हेतु राज्यों को कोटे, भी आवंटित किए गए हैं।

(ग) वर्तमान में विद्यमान आवंटन प्रणाली में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं हैं।

गुजरात में रेलवे स्टेशनों पर पेय जल की कमी

2980. **श्री अरबिन्द एम० पटेल :**

श्री वेकारिया :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गुजरात राज्य में कच्छ तथा सौराष्ट्र क्षेत्र में कई स्टेशनों पर पेय जल की अत्यधिक कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे स्टेशनों पर मीठे पेय जल की व्यवस्था करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) लगातार तीन वर्षों तक गुजारात राज्य के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में वर्षा कम होने के कारण इन क्षेत्रों में कई स्टेशनों पर पानी सप्लाई की स्थिति कठिन है। फिर भी, सभी स्टेशनों पर यात्रियों और कर्मचारियों के लिए पानी की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने के लिए प्रशासन द्वारा आवश्यक कदम उठाये गये हैं। जिन स्टेशनों पर पानी के स्त्रोत सूख गये हैं, वहां आसपास के स्टेशनों से रेल द्वारा या निजी स्त्रोतों अथवा नगरपालिका से पानी लाया जा रहा है।

गुजरात राज्य विधि आयोग

2981. **श्री वेकारिया :**

श्री अरबिन्द एम० पटेल :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य विधि आयोग ने किन्हीं राज्य अधिनियमों की जांच की है और यदि हां तो जिन अधिनियमों की जांच की गई है उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या अयोग द्वारा जांचें गये अधिनियमों संबंधी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रेलवे वर्कशाप, गोल्डन राक में भर्ती किए गए तथा वहां प्रशिक्षण दिए गए 'ट्रेड एप्रेन्टिस'

2982. **श्री बी० मायावन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे वर्कशाप, गोल्डन राक में गत तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष अब तक एप्रेन्टिस एक्ट, 1961 के अन्तर्गत कितने ट्रेड एप्रेन्टिसों को भर्ती किया गया और प्रशिक्षण दिया गया ;

(ख) कारीगरों तथा गैर-कारीगरों के पदों पर अब तक कितने व्यक्तियों को वर्षवार खपाया गया तथा शेष प्रशिक्षित एप्रेन्टिसों को खपाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ;

(ग) क्या एप्रेन्टिसों, मैकेनिकों के प्रशिक्षण की योजना तथा उन्हें रेलवे वर्कशाप के सुपरवाइजरी संवर्ग में सीधे भर्ती रैंकों तथा रेलों में से पदोन्नति करके खपाने की प्रथा पिछले कुछ वर्षों से प्रचलित है और यदि हों, तो पर्याप्त रूप से शिक्षित तथा तकनीकी रूप से प्रशिक्षित एप्रेन्टिसों को खपाने में सरकार को क्या कठिनाई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार प्रशिक्षित ट्रेड एप्रेन्टिसों को एप्रेन्टिस मैकेनिकों के समान खपाने की नीति अपनाने का है क्योंकि प्रशिक्षण योजना का आशय एक जैसा है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) श्रम संगठनों के कहने पर व्यावसायिक प्रशिक्षुओं की भर्ती करने की प्रणाली बंद कर दी गयी हैं क्योंकि रेलों की आवश्यकताएं कम हो गयी हैं और पदोन्नतियों में स्थिरता ही सी आ गयी है । लेकिन प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 में यह एक सांविधिक दायित्व है कि बिना किसी नियोजन की दायिता के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाये । इसी के अनुरूप गोल्डन राक कारखाने में निम्नलिखित को प्रशिक्षण दिया गया है :--

1971------------कोई नहीं

1972------------204

1973------------54

पहले वाक्य में उल्लिखित कारणवश इन्हें रेल में समाहित नहीं किया गया है ।

(घ) चार्जमैंन के पर्यवेक्षकीय पदों को भरने के लिये रेलें प्रशिक्षु यांत्रिकों की भर्ती करती हैं । देश में विभिन्न उद्योगों के लिए कुशल कर्मकारों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से प्रशिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जाता है । दोनों का अभिप्राय एक नहीं है ।

गोल्डन राक वर्कशाप के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति

2983. **श्री बी० मायावन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गोल्डन राक वर्कशाप के चतुर्थ श्रेणी के अनेक कर्मचारियों (वर्कशाप आर्टिजन स्टाफ) की 10-15 वर्ष से पदोन्नति नहीं की गयी है ;

(ख) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने किन उपायों का प्रस्ताव किया है ; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि रेलवे वर्कशाप गोल्डन राक में श्रमिकों में लगातार अशान्ति और असंतोष विद्यमान है तथा क्या उनकी समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान गया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि करने की दृष्टि से अकुशल और अर्ध कुशल कर्मचारियों को अर्धकुशल और कुशल कर्मचारियों के ग्रेड में पदोन्नति करने के लिये पदोन्नति की एक संशोधित सारणी बनायी गयी है ।

(ग) जी हां ।

उर्वरक एककों में विद्युत की कमी

2984. **श्री नवल किशोर शर्मा : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार विभिन्न एककों में उर्वरकों के उत्पादन के लिये देश में विद्युत की कमी सम्बन्धी ब्यौरो की जांच करने के लिए विद्युत विकास परामर्शदाता, कुलजियन को नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो परामर्शदाताओं का निवेदन कब तक मिलने की सम्भावना है ;

(ग) क्या उर्वरक निगम आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उत्पादन जारी रखने के लिए गोरखपुर उर्वरक कारखाने में एक टर्वो आल्टरनेटर स्थापित करने के बारे में विचार कर रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और उसे कब तक स्थापित किया जायेगा तथा उसके परिणाम स्वरूप कितनी क्षमता बढ़ने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी नहीं । तथापि स्टीम बैलैंसों की समीक्षा करने के लिए: स्टीम बैलैंसों को ध्यान में रखते हुए अनुकूलनतम मात्रा में विद्युत जनन के लिए सुझाव देने तथा तदनुसार ट्राम्बे, गोरखपुर एवं दुर्गापुर कारखानों के लिये वायलरों एवं टर्वो आलटरनेटर की विशिष्टियां तैयार करने हेतु, भारतीय उर्वरक निगम ने मैसर्स डिवैलपमैंन्ट कन्सलटैंट प्रा० लि० (पूर्व में कुलजैन) को वाष्प एवं विद्युत सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है ।

(ख) भारतीय उर्वकर निगम को यह आशा है कि सलाहकार की रिपोर्ट 3 महीने में प्राप्त हो जायेगी ।

(ग) और (घ) जी हां । गोरखपुर कारखाने के लिये एक 12.5 एम डब्ल्यू टर्वोलटर्नेटर सैट के लिए आदेश दे दिये हैं । इस सैट के लगभग 24 महीने के समय में स्थापित किये जाने की आशा है । यह सैट आवश्यक रूप से फैक्ट्री के अत्याधिक महत्व वाले उपकरणा/अनुभाग की शक्ति की अवश्यकताओं को पूरा करने के लिये है तथा यह सैट उस उपकरण के लिये सुरक्षित रखने का कार्य करेगा जिससे कि वाध्य विद्युत सप्लाई में बार बार रुकावटे के कारण खराब होने का भय रहता है ।

दक्षिण मध्य रेलवे के एक्स-ग्रेन शाप विभाग के कर्मचारियों की वरिष्ठता और वेतन

2985. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे में एक्स-गृन शाप विभाग के कर्मचारियों की वरिष्ठता और वेतन 30 जनवरी, 1974 को दिये गए उच्चतम न्यायालय के निर्णयों ,जो 1972 की सिविल अपील संख्या 1937 और 1938 में दिए गए हैं, निर्देशों के अनुसार पुनः निर्धारित किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे ही आदेश तक्षिण पूर्व रेलवे, पूर्व रेलवे तथा रेलवे के अन्य जोनों के एक्स-ग्रेन शाप कर्मचारियों के संबंध में जारी किये गए हैं जहां कर्मचारिगण ऐसे ही अभ्यावेदन देते रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कार्यरूप दिया जा रहा है ।

(ख) जारी किये जाने वाले आदेशों पर सभी रेलों पर अनाज की दूकानों के भूतपूर्व कर्मचारियों पर लागू होंगे ।

ईरान को बिटूमन बेचने के लिए भारतीय तेल निगम द्वारा करार पर हस्ताक्षर

2986. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा ईरान को विटूमन बेचने के लिये एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी)) : (क) और (ख) जी हां । करार में, ईरान को, दो वर्षों की अवधि से ऊपर विटूमन के 300,000 एम टी एस ड्रमों में, निर्यात किये जाने की व्यवस्था है।

सितम्बर के अन्त में मद्रास में माल डिब्बों (वैगनों) की उपलब्धता

2987. **श्री एस० आर० दामाणी :**
श्री मोहम्मद शरीफ :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित गेंहूं और उर्वरकों को उठाने के लिये सितम्बर के अन्त में मद्रास में मालडिब्बे उपलब्ध नहीं कराये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण्र हैं और इसके परिणाम स्वरूप कितनी हानि हुई ; और

(ग) माल उठाने हेतु अपेक्षित संख्या में माल डिब्बे उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यबाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रेल लाइन को जम्मू तवी से श्रीनगर तक बढ़ाना

2988. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मंत्री यह बता की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल लाइन को जम्मू तवी से श्रीनगर तथा कश्मीर घाटी के अन्य भागों तक अथवा उनके निकट तक बढ़ाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है अथवा किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे बढ़ाने सम्बन्धी निर्माण-समय सीमा सहित तथ्य क्या है

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री श्री (बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) श्रीनगर के रास्ते काज़ीगन्द से बारामूला तक एक बिजली-चालित रेलवे लाइन और जम्मू तवी से ऊधमपुर तक बड़ी लाइन के विस्तार के लिये संर्वेक्षण पूरे किये जा चुके हैं और सर्वेक्षण-रिपोर्ट हाल ही में मिली हैं । सर्वेक्षण-रिपोर्टों के अनुसार काज़ीगन्द बारामूला रेल सम्पर्क की लम्बाई 122- .35 कि० मी० होगी और रेलवे निर्माण कार्य के रूप में यहां मीटर लाइन बनाने की लागत 71.35 करोड़ रुपये तथा बड़ी लाइन बानने की लागत 78.62 करोड़ रुपये आयेगी । जम्मू-ऊधमपुर बड़ी रेल लाइन की लम्बाई 56.10 कि० मी० होगी और इसके निर्माण पर 40.65 करोड़ रुपये की लागत आयगी। ये दोनों रेलवे लाइनें वित्तीय दृष्टि से अत्यल्त अलाभप्रद होंगी । रिपोर्टों की सभी पहलुओं से जांच कर लेने के बाद और धन के उपलब्ध होने पर इन रेलवे लाइनों के सम्बन्ध में अन्तिम विनिश्चय किया जाएगा

पूर्व रेलवे को देय राशि का भुगतान न किये जाने के कारण सरकारी/गैर-सरकारी फर्मों को माल डिब्बों की सप्लाई निलम्बित करना

2989. **श्री ज्योतिमय बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे ने सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की 16 फर्मों को सूचित किया है है कि अगर वे 30 सितम्बर, 1974 तक रेलवे को देय राशि का भुगतान नहीं करेंगे तो उन्हें कोयला तथा अन्य कच्चा माल ले जाने के लिये 1 नवम्बर, 1974 से माल डिब्बों की सप्लाई निलम्बित कर दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो इन 16 फर्मों में से प्रत्येक फर्म ने रेलवे को कितना कितना भुगतान करना है:।

(ग) क्या देय राशि का भुगतान निर्धारित तिथि तक कर दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उर्वरक की अधिष्टापित क्षमता तथा उसका वास्तविक उत्पादन

2990. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उर्वरक संयंत्रों में गत तीन वर्षों में वर्ष-वार विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी तथा उनका वास्तविक उत्पादन कितना हुआ ; और

(ख) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार पृथक-पृथक सरकारी तथा गेर सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयत्रों को कितना लाभ अथवा कितनी हानि हुई ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) विवरण-पत्र-1, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 8646/74]**

(ख) विवरण-पत्र 11, जिसमें उपलब्ध सीमा तक अपेक्षित सूचना दी गई है, संलग्न है। शेष सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी। **[ग्रंथालय म रखा गया। देखियें संख्या ल० टी० 8646/74]**

वर्ष 1971-72 से 1974-75 तक रेल मालडिब्बों के लिए मालडिब्बा उद्योग को क्रयादेश

2991. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 से 1974-75 तक वर्षववार मालडिब्बा उद्योग की कुल कितनी रेल माल-डिब्बों के लिए क्रयादेश दिये गये ;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने आगामी वर्षों में मालडिब्बों के क्रयादेशों में भारी कमी करने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संम्बधी तथ्य क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री श्री (बूटा सिह) : (क) 1971-72 से 1974-75 तक माल डिब्बा उद्योग की मालडिब्बों के लिए जो आर्डर दिये गये, वे इस प्रकार हैं :--

(चौपहियों के हिसाब से)

1971-72	14,353
1972-73	17,389
1973-74 . . .	16,122
1974-75 (30-11-74 तक)	1,485*

*चौपहियों के हिसाब से 13,461 मालडिब्बों की खरीद की कार्यवाई की जा रही है, जिसे इसी वित्तीय वर्ष में अन्तिम रूप दिये जाने की संम्भावना है।

(ख) जी नहीं। माल डिब्बों के आर्डर में कटौती करने का अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया गया है। वैसे आगामी वर्षों में मालडिब्बों के आर्डर यातायात की प्रत्पाशाओं पर निर्भर करता है, जिन की समीक्षा वर्षानुवर्ष आधार पर की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कुछ विदेशी नौवहन फर्मों द्वारा कोचीन तेल शोधक कारखाने को ठगा जाना

2992. **श्री ज्योतिमय वसु** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पैट्रियट" फारेन्स चोट कोचीन रिफाइनरी शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) (क) और (ख) पैट्रियट समाचार पत्र के 8 सितम्बर, 1974 के अंक में प्रकाशित समाचार दो विदेशी कम्पनियों, अर्थात् अशोधित तेल की सप्लाई के लिए टोटल इन्टरनेशनल कम्पनी कौम्पैने फैन्चाइज बेस पैट्रोल-सी०एफ०

पी० सरकारी भागेदारी वाली एक फ्रांसीसी कम्पनी तथा अशोधित तेल के परिवहन के लिये मैसर्स ट्रिटोन पिग इन्क आफ यू०ए० एस०ए० द्वारा कोचीन रिफाइनरी के साथ किये गये संविदा को समाप्त करने के बारे में था। टोटल इन्टरनेशनल कम्पनी के साथ किये गये संविदा में व्यवस्था थी कि इसे प्रत्येक वर्ष नवीकरण किया जायेगा। 1 जनवरी, 1974 से विश्व बाजार में अशोधित तेल की जटिल समस्या को ध्यान में रखते हुए टोटल इन्टरनेशनल कम्पनी ने संविदा को नवीकरण नही करवाया। किन्तु टोटल इन्टरनेशनल कम्पनी ने संविदा का उल्लंघन नही किया था। मई 1973 में मैंवर्स ट्रिटोन शिपिंग इन्क ने कोचीन रिफाइनरी के साथ संविदा को एक तरफा समाप्त कर दिया। अतः कोचीन रिफाइनरीज को उच्चत्तर दरों पर अन्य टैंकरों को कार्य पर लगाना पड़ा था संविदा का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में कैंडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोचीन रिफाइनरीज ने ट्रिटोन के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की है।

कलकत्ता में महानगर परिवहन परियोजना पर लागत

2993. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकता में महानगर परिवहन परियोजना पर कुल कितनी लागत आयेगी ;

(ख) क्या महानगर परिवहन परियोजना को चलाने के लिए भर्ती के कार्य को अभी पूरा किया जाना है ; और

(ग) अब तक कार्य में कितनी प्रगित हुई है तथा परियोजना के पूर्ण होने की प्रस्तावित तिथि क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) मंजूर की गयी परियोजना की लागत 1970 के मूल्यों के आधार पर 140-.3 करोड़ रुपये है और अब इसमें संशोधन किया जा रहा है।

(ख) परियोजना प्राधिकारियों ने अब तक बाहर से भर्ती करना आवश्यक नहीं समझा है क्योंकि क्षेत्रीय रेलें कार्मियों की भर्ती करने में सक्षम रही हैं।

(ग) अद्यतन प्रगति 5.35 प्रतिशत है। प्रारम्भ में इसे पूरा करने का लक्ष्य 1979 था लेकिन अब इसकी समीक्षा की जा रही है।

नियुक्ति संबंधी घोटाले

2994. **श्री चन्द्र शखर सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय का ध्यान दिनांक 13-10-74 के पीपुल्स डेमोक्रेसी में "नाव दि अपायन्ट मैन्ट स्केन्डलस, दि मिनिस्टर इज दि सैम —एल०एन० मिश्र" शीर्षक अंक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है :

(ख) यदि हां, तो उन पत्र व्यवहारों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं जिनके आधार पर उनमें निर्दिष्ट नियुक्तियां की गयी हैं ; और

(ग) नीति निदेशन और मंत्री महोदय के स्वार्थ की न्याय संगतता क्या है जैसे कि उनके निजी सचिव ने अपने पत्र में उल्लेख किया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) प्रारम्भिक जांच पड़ताल से इस बात का सन्देह हुआ कि एवजी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कुछ रेलवे अधिकारियों को लिखे गये कुछ पत्रों में जाली हस्ताक्षर बनाये गये हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकौर लिमिटेड के कोचीन यूनिट में यूरिया का उत्पादन लक्ष्य

2995. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के कोचीन यूनिट में उत्पादन ठप्प हो गया है ; और

(ख) सितम्बर, 1974 में वहां यूरिया का उत्पादन लक्ष्य कितना था तथा वास्तव में उत्पादन कितना हुआ ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी नहीं।

(ख) सितम्बर, 1974 के अन्तर्गत कोचीन डिवीजन में, 8500 मीटरी टन यूरिया के उत्पादन लक्ष्य की तुलना में, 3326 मीटरी टन यूरिया का उत्पादन किया गया ।

Inferior Quality of Coal Supplied to Railways

2996. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether after the nationalisaion of coal mines, the supply of coal of inferior quality increased by 128 percent : and

(b) if so, the steps taken by the Railway Board to save the boilers from being damage by inferior coal ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) The percentage of wagons found inferior to the total wagons inspected at loading points rose to 9.1% in the post nationalised period February, 1973 to August, 1973 against 4.2% in the corresponding period of the previous year before nationalisation. Thus the increase in supply of inferior quality of coal is by 4.9%.

(b) No damage to the boilers is reported or apprehended due to deterioration in the quality of coal supplied since the deterioration is by way of increase in ash percentage slack and pickable shale. However, as this deterioration affects fuel economy, Railways have intensified inspection at the loading points and deductions of Rs. 20 Lakhs were mape in 1973-74 for inferior supplies. The matter has also been taken up with the Department of Coal, who are taking steps to set up a Technical Service Unit to control the quality of coal loaded by the nationalised Coal Mines.

आरा-ससराम लाइट रेलवे को बड़ी लाइन में बदलना और उसका विस्तार

2997. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम रेलवे के मुगलसराय जंक्शन पर रेल-यातायात ठप्प रहता है और थोड़ी सी गड़बड़ से ही गाड़ियां रुक जाती हैं जिससे यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है तथा रेलवे को भारी हानि होती है ।

(ख) क्या पूर्व रेलवे पर मेन लाइन और ब्राड कोर्ड को जोड़ने वाली लाइट रेलवे अर्राह से ससराम तक चलती है ;

(ग) क्या उन्होंने यह कहा था कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में रेल लाइनों के निर्माण की योजना बनाते समय पिछड़े राज्यों को प्राथमिकता दी जायेगी चाहे वे अलाभप्रद ही क्यों न हों, और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अर्राह-ससराम लाइट रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलकर उसे पोचन-चुनार शाखा लाइन पर चुरक तक बढ़ाने का है जिससे चुनार जाने के लिए मुगलसराय को छोड़ते हुए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो जाये और साथ हो उस क्षेत्र का औद्योगिक विकास भी हो जाये ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां :

(घ) फिलहाल-आरा-सासाराम लाइट रेलवे को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मैरीन एस्टेब्लिशमेंट का नियंत्रण पूर्वोत्तर रेलवे से पूर्व रेलवे को दिया जाना

2998. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैरोन एस्टेब्लिशमेंट पर नियंत्रण का कार्य पूर्वोत्तर रेलवे से पूर्व रेलवे को स्थानान्तरित कर दिया गया है और उसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को उनके पदों पर पूर्व रेलवे में स्थानांतरित कर दिया गया है;

(ख) क्या मैरोन एस्टेब्लिशमेंट पर नियंत्रण का कार्य अब पुनः पूर्व रेलवे से पूर्वोत्तर को दे दिया गया है और सभी पद भी स्थानान्तरित कर दिये गये हैं किन्तु कुछ कर्मचारियों को दानापुर डिवीजन में रख लिया गया है हालांकि उनके पद स्थानान्तरित हो गये हैं जिससे दानापुर डी० पी० ओ० के कार्यालय के कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे कर्मचारियों को पूर्वोत्तर रेलवे (मूल रेलवे) वापस भेजने का विचार है जिनके पद वहां पहले ही स्थानान्तरित किये जा चुके हैं, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) जब पूर्वोत्तर रेलवे का समुद्री संगठन 1961 में पूर्व रेलवे को हस्तान्तरित किया गया था, तब सम्बन्ध कर्मचारियों को पूर्वोत्तर रेलवे में रहने या पूर्व रेलवे में स्थानान्तरित होने का विकल्प दिया गया था। जिन कर्मचारियों ने पूर्व रेलवे के लिये विकल्प दिया था, उन्हें स्थाई रूप से उस रेलवे में आमेलित कर लिया गया और वे सभी दृष्टियों एवं प्रायोजनों के लिये पूर्व रेलवे के कर्मचारी बन गये। इसी प्रकार अब समुद्री संगठन का नियंत्रण 1973 में पूर्व रेलवे से पूर्वोत्तर रेलवे को हस्तान्तरित किया गया, तब भी सम्बन्ध कर्मचारियों से इसी प्रकार विकल्प मांगा गया। जिन कर्मचारियों ने पूर्व रेलवे में बने रहने का विकल्प दिया, उन्हें उसी रेलवे में रखा गया है। नियमों के अनुसार जब किसी रेल कर्मचारी को एक रेलवे से दूसरी रेलवे में प्रशासनिक हित में स्थानान्तरित किया जाता है, तब ग्रेड में सेवावधि के आधार पर उसे नये संवर्ग में वरिष्ठता का संरक्षण देना होता है। इस मामले में अपनाई गई प्रक्रिया स्वीकृत सिद्धान्तों के अनुरुप ही है।

अनुसचिवीय कर्मचारियों के विभिन्न ग्रेडों में पदों का वितरण

2999. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री श्रेणी III के अनुसचिवीय कर्मचारियों के पदोन्नति कोटे में वृद्धि के बारे में 30 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8702 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्रेडवार पुनरीक्षण इस बीच पूरा कर लिया गया है और यदि हां, तो अनुसचिवीय कर्मचारियों के विभिन्न ग्रेडों में पदों के वितरण की प्रतिशतता क्या है और दर्जा (ग्रेड) बढ़ाने सम्बन्धी आदेश किस तारीख से लागू किये जायेंगे?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : श्रेणी III के विभिन्न संवर्गों, जिनमें लिपिक वर्गीय कर्मचारी भी शामिल हैं, पदों के ग्रेडवार वितरण की समीक्षा की जा रही है। परन्तु यह अभी पूरी नहीं हुई है। अतः इस स्थिति में यह बताना संभव नहीं है कि लिपिकवर्गीय कर्मचारियों के विभिन्न ग्रेडों में पदों के वितरण का संशोधित प्रतिशत क्या होगा और वह किस तारीख से लागू होगा।

Amount of levy due to Railways from owners of Tea Stalls and Refreshment Trolleys

3000. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the Division-wise amount of levy due to the Railways from the owners of tea stalls and refreshment trolleys; and

(b) the reasons for not realising the same ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) A statement is attached. [Placed in Library. See No. L.T. 8647/74].

(b) Non-realization of dues is mainly on account of representations from contractors for reduction in the levy and also on account of cases being subjudice due to disputes.

मैसर्स फिजर्स द्वारा अपनी इक्विटी पूंजी का परिसमापन

3001. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968 में मैसर्स फिजर्स से अपनी इक्विटी पूंजी को 75 प्रतिशत से 60 प्रतिशत करने के लिये कहा गया था और वह आज तक ऐसा करने से बचती आ रही है; और

(ख) उनके विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख) सरकार ने मैसर्स फाइजर्स लि० बम्बई को 3-12-1970 को इस बात की इजाजत दे दी थी कि उन्हें 10 जून 1975 तक कम्पनी भारतीय पूंजी को 40 प्रतिशत तक, बिना निवेश रहित किये बढ़ा ले। अतः विदेशी इक्विटी में कमी किये जाने के बारे में 1968 का निर्णय इस सीमा तक संशोधित है।

निर्वाचनों में धांधली को रोकने के लिये प्रस्ताव

3002. **श्री समर गुह**: क्या **विधि न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने भविष्य में लोक सभा और विधान सभा निर्वाचनों के लिये निर्वाचन में धांधली को रोकने के लिये उपाय करने हेतु सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) देश के विभिन्न भागों से निर्वाचनों में धांधली किये जाने के बारे में सरकार को प्राप्त हुई शिकायतों का व्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) तथा (ख) विद्यमान निर्वाचन विधि में भी प्रभावकारी विधिक उपबन्ध हैं और इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग ने संबंधित प्राधिकारियों को आवश्यक अनुदेश जारी किये हैं कि वे निर्वाचनों में धांधली को रोकने के लिये पर्याप्त और प्रभावकारी कदम उठायें। इसके अतिरिक्त, निर्वाचन आयोग की सिफारिशों, और निर्वाचन विधि में संशोधन सम्बन्धी संयुक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में, जो 13 मार्च, 1972 को संसद में रखी गई थी, की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये, 20 दिसम्बर, 1973 को लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयक में उपयुक्त संशोधन कर दिये गये हैं जिससे कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के विद्यमान उपबन्धों को (विशेषकर विधेयक के खंड 36 और 37 को) इस सम्बन्ध में अधिक प्रभावकारी बनाया जा सके।

(ग) 1971 में लोक सभा के लिये हुये पांचवें साधारण निर्वाचन के बाद से ही जब तब ऐसी कुछ शिकायतें प्राप्त होती रही हैं जिनमें निर्वाचनों में धांधली किये जाने के आरोप लगाये गये हैं।

इन शिकायतों का सम्बन्ध इन आरोपों से होता है—जैसे सरकारी अधिकारियों द्वारा सत्ताधारी दल के पक्ष में निर्वाचन प्रचार करना, मतपेटियों में गड़बड़ी करना, सत्ताधारी दल द्वारा शासकीय मशीनरी का उपयोग करना, निर्वाचनों के ठीक पूर्व परियोजनाओं और कल्याणकारी स्कीमों का उद्घाटन करना, मतदाताओं को अभित्रास देना और डराना, सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा मतदान बूथों पर कब्जा किया जाना आदि।

आयात लाइसेंस बोर्ड के बारे में
Re. Import Licences Case

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, I want to raise a point of order; I want to make a submission and seek a clarification.

अध्यक्ष महोदय : जहां तक मेरे विनिर्णय का सम्बन्ध है, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं चाहता।

श्री मोरारजी देसाई (सूरत) : मैं आपके विनिर्णय के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपके विनिर्णय को चुनौती नहीं देता मुझे वह स्वीकार्य है। किन्तु मेरा आप से अनुरोध है कि आप स्वयं उसका पालन करें। विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में आपने यह कहा था कि मन्त्रियों के बारे में आश्वासन पूर्ति के विषय को लेकर विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उनका यह इरादा नहीं होता कि आश्वासन पूरा न किया जाये। आपने यह भी कहा था कि इस बारे में विवाद हो सकता है कि आश्वासन पूर्णतः पूरा नहीं किया गया है या ठीक समय पर पूरा नहीं किया गया है। आपने भी उसे स्पष्ट शब्दों में आश्वासन माना था कि जांच पूरी होने पर आगे कार्यवाही करने से पूर्व वे सभा को सूचित करेंगे। परन्तु बिना सभा को स्थिति की जानकारी दिये सरकार सीधे न्यायालय में चली गई। विशेषाधिकार के प्रस्ताव से बचने के लिये ऐसा किया गया है। यह आपकी सभा की और हमारी सबकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। जब सरकार द्वारा दिया गया आश्वासन पूरा नई किया गया है तो हम आपकी सहायता किस प्रकार करें। मैं चाहता हूं कि हम से जो वायदा किया गया था उसे पूरा किया जाये। सी० बी० आई को रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाये, जिसे पर वे सभा को विश्वास में लेना चाहते थे। बिना उक्त

रिपोर्ट को सभा पटल पर रखे सभा का विश्वास कैसे लिया जा सकता है। श्री तुलमोहन राम के विरुद्ध प्रत्यक्षतः मामला बनना है और वह सी० बी० आई० की रिपोर्ट के आधार पर है। श्री तुलमोहन राम के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव आप व्यवहार्यतः स्वीकार कर चुके हैं। अतः इसके लिये भी सी० बी० आई० की रिपोर्ट सभा में प्रस्तुत की जानी आवश्यक है ।

विपक्ष का अपना दायित्व होता है और इस मामले पर सभी विरोधी दल एकमत हैं। अतः इस मांग को नहीं ठुकराया जा सकता। यदि यह मांग नहीं मानी गई तो विपक्ष के सामने सभा. में सत्याग्रह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा :

Shri Madhu Limaye: Sir, You did not give any ruling on the issue of mala fide. Our submission was that marking the case sub judice by giving the chargesheet on 11th November was a mala fide act. About Tul Mohan Ram you gave a ruling that the matter was not sub judice and for having a fruitful discussion on misconduct of Tul Mohan Ram the C.B.I. report would be necessarily required. So, I request that the C.B.I. report with all the con nected papers should be made available to us.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमर्ड हार्बर) : श्रीमान्, मैंने आपको एक पत्र लिखा था जिसमें मैंने आपसे यह पूछा था कि श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी द्वारा जो वक्तव्य दिया गया था वह उस कापी से कितना मिलता है जो आपके पास है। मुझे उसका उत्तर नहीं मिला और इससे सन्देह बढ़ता है । मैं श्री मोरारजी देसाई को इस मामले में आगे आने के लिये बधाई देता हूं। सी० बी० आई की रिपोर्ट 9 नवम्बर को आई और 11 नवम्बर को मामला न्यायालय में भेज दिया गया जिससे कि सभा को मामले की जानकारी से वंचित रखा जा सके। सी० बी० आई० की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि सर्वश्री तुलमोहन राम योगेन्द्र झा, मुत्तुकुमार स्वामी और श्री नायर चारों संसद भवन गये थे और पहले दोनों संसद भवन में गये जबकि दो अन्य बाहर ही रहे। वे दोनों कुछ देर बाद संसद भवन से बाहर आये और कहा कि दस्तखत हो गये हैं। उन्होंने नकली हस्ताक्षर बनाने के लिये संसद भवन या केन्द्रीय कक्ष को ही क्यों चुना। इससे सन्देह पक्का होता है कि हस्ताक्षर जाली न होकर असली हैं। अब ऐसा लगता है कि जो रिपोर्ट सी०बी०आई० ने दी हैं वह प्रधान मंत्री के सचिवालय में श्री गोखले के आदेशानुसार तैयार की गई है।

हमें आपका वह विनिर्णय स्वीकार्य नहीं है जिससे ये सब लोग मुक्त हो जाते हैं।

मैंने श्री एल० एन० मिश्र और श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रस्ताव दिये हैं। उनमें से एक को मैं आज सभा में उठाना चाहता हूं।

श्री बसन्त साठे (अकोला) : आप ने श्री तुलमोहनराम से संबंधित मामले पर सभा में चर्चा की अनुमति तो पहले ही दे चुके हैं: परन्तु जहां तक सी० बी० आई की रिपोर्ट की बात है, उसके बारे में आपने कोई विनिर्णय नहीं दिया है, जैसा कि आप कई बार कह चुके हैं। यह मामला सरकार पर छोड़ दिया गया था कि वह रिपोर्ट देना चाहती है या नहीं । सरकार स्पष्टीकरण पहले ही दे चुकी है कि उसने सी० बी० आई० की रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने का वचन कभी भी नहीं दिया। केवल यह कहा गया था कि सी० बी० आई की जांच पूरी होने पर सभा को विश्वास में लिया जायेगा और ऐसा पर्याप्त रूप से किया जा चुका है। मेरा श्री मोरारजी भाई से यहां मतभेद है, कि सभा को विश्वास में लेने के लिय रिपोर्ट को सभा पटल पर रखना अनिवार्य है।

जहां तक तुलमोहनराम से संबंधित मामला है, उसके विरुद्ध जो आरोप पत्र हैं वह न्यायालय और सभा में भी पेश किया जा चुका हैं । श्री तुलमोहनराम के चरित्र के बारे में चर्चा के लिये यह

पर्याप्त है। अतः सी० बी० आई० की रिपोर्ट को सभा में पेश किये जाने के मामले को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना और श्री मोरारजी देसाई जैसे नेता द्वारा सभा में सत्याग्रह करने की धमकी देना शोभा नहीं देता।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : श्री मोरारजी देसाई ने स्वयं ही कहा है कि सी० बी० आई० की रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने का आश्वासन अन्तर्निहित था, स्पष्ट नहीं। सरकार ने केवल यह कहा था कि सभा को विश्वास में लिया जायेगा और यह किया जा चुका है। दूसरी बात यह है कि जो रिपोर्ट कानून सभा में पेश की जा सकती थी, वह कर दी गई है। अपराध दंड प्रक्रिया की धारा 173 के अन्तर्गत रिपोर्ट न्यायालय में पेश कर दी गई है। और वह सभा पटल पर भी रखी जा चुकी है। अतः यह कहना गलत है कि सी० बी० आई० की रिपोर्ट सभा पटल पर नहीं रखी गई है। सभा में सत्याग्रह करने की धमकी राजनीति से प्रेरित है और ऐसा लोकतन्त्र को नष्ट करने के लिये किया जा रहा है।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : अब सी० बी० आई० को एक ऐसी पवित्र संस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिसकी आलोचना न की जाये। मुझे सी० बी० आई० का एक अधिकारी, जो इस जांच से सम्बद्ध था, मिला था और उसने बताया था कि केवल दो हस्ताक्षर असली हैं, यह कहानी झूठी है। वस्तुतः सभी हस्ताक्षर असली हैं। दूसरी बात यह है कि मेरे पास सी० बी० आई० की रिपोर्ट की एक प्रति है, यदि आप चाहें तो मैं इसे सभा पटल पर रख सकता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मुझे सबसे बड़ी चिन्ता यह है कि संसद की प्रतिष्ठा और गरिमा लोगों की दृष्टि में गिरती जा रही है। क्या संसद को यह सुनिश्चित करने का अधिकार नहीं है कि वह उन आश्वासनों को पूरा करा सकें जो मंत्रियों द्वारा संसद में दिये गये हैं। यह एक गम्भीर मामला है और भारत की संसदीय संस्थाओं का भविष्य इससे जुड़ा है। आपके विनिर्णयों से स्पष्ट है कि सभा के सदस्यों को यह हक प्राप्त है कि वे प्रस्ताव पेश करके ऐसे मामलों पर सभा में चर्चा कर सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि यह वांछनीय नहीं है कि सी० बी० आई० की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाये। मेरा निवेदन है कि यदि इस बारे में सरकार द्वारा आश्वासन न दिया गया होता तो यह प्रश्न ही नहीं उठता। तत्कालीन गृह मंत्री श्री उमाशंकर दीक्षित ने सभा में ऐसा आश्वासन दिया था कि पहले हम संसद को बतायेंगे कि हम कहां तक पहुंचें हैं और इसके पश्चात् संसद की इच्छा के अनुसार मामले पर आगे कार्यवाही की जायेगी। हम संसद द्वारा जांच किये जाने का मार्ग बन्द नहीं कर रहे हैं। ऐसे आश्वासन के बावजूद सरकार मामले को न्यायालय में ले गई जबकि उसे ऐसा करने से पूर्व सभा में इस बारे में वक्तव्य देना चाहिये था। अतः इस मामले में सरकार बचकर निकल नहीं सकती और उसे रिपोर्ट सभा को उपलब्ध करनी पड़ेगी। इसके लिये हमारा सुझाव है कि सभी दलों की एक संसदीय समिति बनाई जा सकती है जो उसकी जांच कर ले। दूसरी ओर यदि श्री शमीम सी० बी० आई० को रिपोर्ट की जो प्रति उनके पास है उसे वह हस्ताक्षर करके सभा पटल पर रख देते हैं जो कि सभा की सम्पत्ति बन जायेगी, तब क्या स्थिति होगी। अतः सभा में दिये गये आश्वासनों को पूरा कराने के संसद के अधिकारों तथा संसद की प्रतिष्ठा और गरिमा को ध्यान में रखते हुए आप अपने विनिर्णय के अनुसार सी० बी० आई० की रिपोर्ट सभा को उपलब्ध करायें, आपसे यह अनुरोध है। इससे संसद की सर्वोच्चता सिद्ध होगी। इसके अतिरिक्त श्री तुलमोहनराम के चरित्र आदि के बारे में सभा में चर्चा के दौरान भी उक्त रिपोर्ट उपयोगी सिद्ध होगी।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतुल) : श्रीमन्, संसद की प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिये एक शान्त और निष्पक्ष दृष्टिकोण की आवश्यकता है। प्रश्न यह नहीं है कि सी० बी० आई० की रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जाये अथवा नहीं, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या आज तक चली आ रही सुस्थापित प्रक्रियाओं और परम्पराओं को त्याग दिया जाये अथवा क्या संसद को धमकी के अधीन चलाया जाये। मेरे विचार से संसद की प्रतिष्ठा को बट्टा इस बात से लगेगा कि उसकी सुस्थापित परम्परायें और प्रक्रियायें त्याग दी जायें, न कि सी० बी० आई० की रिपोर्ट सभा पटल पर रखने या न रखने से। आपका निर्णय स्पष्ट है और यदि विपक्ष के सदस्य उसका उल्लंघन सत्याग्रह की धमकी देकर करना चाहते हैं, तो वह अपनी इस चाल में कभी भी सफल न हो सकेंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Sir, you expressed the view that the House can discuss the conduct of Shri Tul Mohan Ram, because there was a *prima facie* case against him. The basis of it was the C.B.I. Report, which has not been disclosed to this House. Now the question is how could the House discuss the conduct of a Member so long as the full report of the C.B.I. investigation was not made available. I have earlier levelled a charge and I want to repeat it that Shri Tul Mohan Ram is being made a scapegoat in order to shield some Ministers and Government Officers. Is it not the duty of the Speaker as the Presiding Officer of this House to see that justice is done to Shri Tul Mohan Ram ?

The Minister has stated that the officers are not involved in this matter. This cannot be taken for granted on the basis of the statement of the Home Minister absolving them of the charge of involvement in the commission of the offence. For reaching a definite conclusion in this matter we require the C.B.I. report and that should be made available to us.

The Law Minister gave an assurance in the words "After the results of the investigation are available we shall take the House into confidence. The whole matter will be open to the house to consider at that time." Now, inspite of this assurance it is being said that the matter is sub-judice and Parliament can do nothing about it. Is it the way of fulfilling the assurance ? Is there no remedy before us ? The only remedy for it is the laying of the C.B.I. report on the Table. If it is not done, we will be compelled to take resort to *satyagraha*. In the end I congratulate Shri Morarji Desai, who as a leader of the opposition has expressed the feeling what we entertain.

श्री सी० एम० स्टीफन (मवत्तुपजा) : मेरे विचार में यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस मामले पर इतनी लम्बी चर्चा हुई और फिर आप ने अपना विनिर्णय भी दे दिया परन्तु अब फिर इसे इस ढंग से उठाया जा रहा जो संसदीय प्रक्रिया के विरुद्ध है। अब यह कहा जा रहा है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा ही जाना चाहिये अन्यथा गैरसंसदीय कार्यवाही की जायेगी। आपने भी अपने विनिर्णय में कहा था कि सरकार द्वारा जानबूझकर आश्वासन न पूरा करने की कोई बात नहीं है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आश्वासन का अंग नहीं है। यही समझ कर आपने उपरोक्त विनिर्णय दिया। लोकतन्त्र में यदि कोई समस्या हल नहीं होती उसे वादविवाद करके हल की जा सकती है। सर्वप्रथम बात यह है कि क्या इस सभा में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन का अंग है। आपने इस पर और श्री तुलमोहनराम के मामले पर चर्चा करने की अनुमति दे दी है। विरोधी पक्ष इस अवसर का उपयोग नहीं करना चाहते। वे इस विषय पर चर्चा करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये तैयार नहीं हैं। सरकार किसी बात को छिपाना नहीं चाहती। इसका स्पष्ट प्रमाण है कि सरकार ने वहां प्रतिवेदन आपको दे दिया है और आप से कह दिया है कि यदि नियम अनुमति देते हैं तो आप निदेश दे दें और उसे प्रस्तुत कर दिया जायेगा। परन्तु अध्यक्ष इस बात का निर्णय नहीं कर सकता कि इसे प्रस्तुत किया जाना चाहिये या नहीं। श्री मोरार जी देसाई द्वारा

कही गई बात अधिक महत्वपूर्ण है। दोनों पक्षों की राय अलग-अलग है। श्री देसाई का कहना है कि वह इस काम के लिये दबाब डालने और विवश करने का मार्ग अपनायेंगे। प्रश्न यह है कि क्या लोकतन्त्र में कोई ग्रुप संसद में आकर कहता है कि वहां सत्याग्रह करके आपको कोई बात स्वीकार कराने के लिये मजबूर कर सकता है। इस चुनौती का सामना करना ही पड़ेगा।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : इस सभा की कार्यवाही चलाने में परम्पराओं प्रक्रिया के नियमों, विशेषाधिकार के मामलों और औचित्य के मामलों का भी महत्व है। लोकतन्त्र तभी पूर्ण है जब संसदीय प्रक्रियाओं के पीछे भी सत्याग्रह की भावना हो। गांधी जी की भी लोकतन्त्र के बारे में यही मान्यता थी। इसीलिये मैंने कहा था कि परम्पराएं महत्वपूर्ण हैं । आपका कहना ठीक है कि सभा में इस विषय पर चर्चा की जा सकती है। परन्तु यदि आपके विनिर्णय को कारगर ढंग से क्रियान्वित किया जाता है तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन को आधार बनाये बिना कोई कारगर चर्चा नहीं की जा सकती। अब एक नई बात सामने आई है श्री शमीम ने कहा है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन उनके पास है। इस मामले में शासक दल के सदस्यों ने औचित्य का उल्लंघन किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि औचित्य का कितनी बार उल्लंघन करने से विशेषाधिकार का उल्लंघन समझा जाना चाहिये। इस मामले पर खुलकर चर्चा करने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन उपलब्ध किया जाना चाहिये। यदि आपके विनिर्णय की क्रियान्वित करने के लिये भी उक्त प्रतिवेदन को उपलब्ध नहीं किया जाता तो विरोधी पक्ष के लिये क्या विकल्प रह जाता है? यदि लोकतन्त्र में संसदीय तरीके सफल नहीं होते तो गांधी जी के अनुदेशों के अनुसार सत्याग्रह का मार्ग अपनाया जा सकता है । उन्होंने कहा है कि यदि शासक बुरा बर्ताव करते हैं कि सत्याग्रह किया जाना चाहिये। सत्याग्रह की बात केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन पर चर्चा करने के सम्बन्ध सत्याग्रह की बात की गई है । अतः मेरा आप से अनुरोध है कि आप विरोधी पक्ष और शासक दल के सभी नेताओं से कोई ऐसा तरीका निकाले जिससे उक्त प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया जा सके और उस पर चर्चा की जा सके। यह बहुत खराब बात है कि एक वरिष्ठ सदस्य ने इस बात की धमकी दी है कि यदि कोई दस्तावेज सभा पटल पर नहीं रखा जाता तो वह सत्याग्रह करेंगे जिससे सभा की कार्यवाही रुक जाये। वह बात संसदीय लोकतन्त्र के लिये खतरनाक है और यह एक चुनौती है जिसका सामना करने के लिये हम तैयार हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : माननीय सदस्य श्री शमीम के वक्तव्य के बाद निश्चय ही यह मामला बहुत गम्भीर बन गया है और सरकारी पक्ष को हमारी बातों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री शमीम के पास केन्द्रीय जांच ब्यूरो का पूरा प्रतिवेदन है। मूल विषय ज्यों का त्यों है और वह यह कि क्या ये 21 सदस्य वास्तव में उक्त दस्तावजों से संबंधित है या नहीं और क्या एक सदस्य ने जालसाजी की है या 21 सदस्यों ने की है। इन में से अधिकांश सदस्यों ने इस बात से इन्कार किया है कि उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किये । अतः संसद का यह मुख्य कर्तव्य है कि वह इस तथ्य का पता लगाये कि क्या इन सदस्यों का सम्बन्ध उस ज्ञापन के साथ है या नहीं।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इस मामले में कोई अनुसचिवीय एवं शासकीय जिम्मेदारी है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के इस मामले से संबंधित मंत्री के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये हैं। अतः यह भी पता लगना चाहिये कि इस मामले के बारे में कोई अनुसचिवीय या शासकीय जिम्मेदारी थी या नहीं। हमारे विचार में संबंधित मंत्री को सारी जिम्मेदारी अपने पर लेनी चाहिये। उन्हें अधिकारियों पर यह जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिये। हमारा अनुभव यह है कि मंत्री महोदय ने सभा में कहा था कि वह

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच के निष्कर्ष प्राप्त होने पर उन्हें सभा में प्रस्तुत करेंगे परन्तु वह उस मामले को न्यायालय में ले गये। सभा को आश्वासन दिये जाने के बाद यह धोखा किया गया है। अध्यक्ष महोदय ने सरकार की कार्यवाही को अनुचित बताया है। यदि और कोई सरकार होती तो वह विनिर्णय के आधार पर तत्काल त्यागपत्र दे देती।

फिर सभा में दो विकल्प रखे गये। एक विकल्प यह था कि सभा को दिये गये आश्वासन के अनुसार वह दस्तावेज सभा में प्रस्तुत कर दिया जाय। दूसरा विकल्प यह था कि यदि आप चाहते हैं कि सारा मामला न खुले तो उस दस्तावेज को सभा की समिति के विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया जाये। अब सरकार दोनों में से एक भी विकल्प मानने के लिये तैयार नहीं है। अब तो विनिर्णय दिया गया है उसके अनुसार दो विषयों पर चर्चा की जा सकती है एक तो सप्लाई की गई जानकारी की पर्याप्त और अपर्याप्तता पर और दूसरी एक माननीय सदस्य के आचरण पर। हमारा निवेदन यह है कि उक्त दस्तावेज को प्रस्तुत किये बिना चर्चा नहीं की जा सकती। यदि उसके बिना चर्चा की जाती है तो हम श्री तुल मोहन राम पर आरोप लगा सकते हैं परन्तु यदि कोई व्यक्ति उनके पक्ष में कुछ कहना चाहे तो वह उसके लिये सामग्री कहां से लायेगा ? सम्भव है कि उपरोक्त प्रतिवेदन में श्री तुलमोहन राम के पक्ष में भी कुछ लिखा हो।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : यदि उनका इरादा श्री तुलमोहनराम को बचाने का है तो वह उनको बुला कर सब बातें पूछ सकते हैं और केन्द्रीय जांच ब्योरा के प्रतिवेदन से भी अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : वह समाज के कमजोर वर्ग से संबंधित है अतः हम उनके बचाव के लिये सामग्री चाहते हैं। कुछ मानीय सदस्यों को सत्याग्रह करने पर आपत्ति है। सत्याग्रह कोई धमकी नहीं है, सत्याग्रह का अर्थ सत्य का आग्रह करना है। वह भी कहना गलत है कि हम कोई काम कराने के लिये मजबूर कर ऐसा कर रहे हैं। यह सुझाव दिया गया है कि वाद विवाद के माध्यम से इस समस्या को हल किया जाये। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि प्रत्येक मामले पर मतदान करवा के निर्णय नहीं कराया जा सकता। यदि सभा में किसी माननीय सदस्य की पिटाई या हत्या कर दी जाती है तो उस का निर्णय बहुसंख्या के आधार पर नहीं किया जा सकेगा। अतः मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप स्व-विवेक से काम लें। यह कहना अनुचित है कि अध्यक्ष महोदय निदेश नहीं दे सकते। अध्यक्ष महोदय निश्चय ही निदेश दे सकते हैं और यह एक ऐसा अवसर है जब अध्यक्षपीठ के निदेश की आवश्यकता है। शासक दल के सदस्यों को पता होना चाहिये कि विरोधी पक्ष के सदस्यों की संख्य, चाहे कम हो परन्तु 56 प्रतिशत मतदाताओं के प्रतिनिधि है। अतः इस मामले में हमारी उपेक्षा नहीं की जा सकेगी।

Mr. Speaker: This should not be made an everyday practice.

Shri Madhu Limaye: You set right the Government and everything will be alright

Mr. Speaker: I have given my ruling.

Shri Madhu Limaye: I want a supplementary ruling.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं.....

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता। इन सभी बातों पर हम कल विचार करेंगे। अब सभा मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित होती हैं।

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बज कर 15 मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बज कर 18 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at eighteen minutes past Fourteen of the Clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये।

Mr. Deputy Speaker in the Chair

उपाध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जायें....

Mr. Madhu Limaye: I want to raise a point of order regarding sick textile undertakings........

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर कल चर्चा की जायेगी, अतः आप कल ही अपना प्रश्न उठा लीजियेगा।

Shri Madhu Limaye: I do not know when the Bill is likely to come up but I have not got your ruling on the issue raised by me............

उपाध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि कल जब विधेयक पर चर्चा होगी तो आप यह प्रश्न उस समय उठा लीजियेगा।

Shri Madhu Limaye: I do not know whether Speaker or Deputy Speaker will be there. Ruling is given by the elected Officers and not by Chairman. I fail to get justice. Shri K. Raghu Ramaiah should be asked to make Shri Dikshit present in the House.

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad): I have already given a notice on a news item of 'Statesman' dated 2nd December, 1974. It has been stated that Smt. Sucheta Kriplani died because she could not get a particular medicine. Lately this medicine was said to be available in President House. I want that the hon. Minister should give a statement in this regard.

श्री एस०एम० बनर्जी : मैं अपना स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही नियमों के अनुसार स्थगन प्रस्ताव प्रश्नकाल के तुरन्त बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी : प्रश्नकाल के बाद प्राथमिकता विशेषाधिकार प्रस्ताव की आती है।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष के निदेश अनुसार सबसे पहले शपथ ग्रहण उसके बाद निधन सम्बन्धी उल्लेख, फिर प्रश्न तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आते हैं। इनके बाद सभा द्वारा विशेषाधिकार के प्रस्ताव आदि लिये जाते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं यह कल भी प्रस्तुत करना चाहता था परन्तु मुझे इसकी अनुमति नहीं दी गई। मेरा स्थान स्थगन प्रस्ताव सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की चार किश्तों की अदायगी के बारे में है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई नई बात नहीं है। इसे तो आप हर रोज उठाते रहे हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : आप वित्त मंत्री महोदय से इसके बारे में वक्तव्य देने के लिये कहिए।

47LSS/74—10

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है तथा इस का प्रभाव 24 लाख कमचारियों पर पड़ने वाला है। आप मंत्री महोदय से वक्तव्य देने के लिये कहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास इसका क्या उपचार है।

श्री एस० एम० बनर्जी : आप मुझे स्थगन प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार ने आपकी बात सुन ली है। अगर उसकी सरकार पर कोई प्रक्रिया नहीं हुई, तो अध्यक्षपीठ उसके बारे में क्या कर सकता है?

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ऐसी परिस्थिति में प्रक्रिया नियमों के अनुसार स्थगन प्रस्ताव किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा तभी हो सकता है यदि अध्यक्ष ने उसकी अनुमति दे दी हो।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह तत्कालीन लोक महत्व का विषय है जिसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों से है। आप वित्त मंत्री महोदय से वक्तव्य देने को कहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee: If you do not want to ask the Minister for making a statement, you may accept my calling attention.

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव के बारे में विचार अध्यक्ष के चैम्बर में किया जाता है। यही एक नहीं अपितु अन्य अनेक नोटिस भी वहां होते हैं। उनके बारे में यहां निर्णय करने की कोई प्रथा नहीं है। श्री बनर्जी आपने उनकी सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की बात उठा कर अपना कर्त्तव्य निभा दिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार भी अपने कर्त्तव्य का पालन कर रही है?

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार ने आपकी बात सुन ली है मैं सरकार की ओर से कसे कुछ कह सकता हूं।

Shri Madhu Limaye: We are simply asking for a statement by the Minister.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : संसदीय कार्य मंत्री केवल यह तो कह दें कि वह वित्त मंत्री तक हमारी मांग पहुंचा देंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय इसके बारे में कुछ तो कहें।

श्री मधु लिमये : वह तो केवल हंस रहे हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे यह आशंका है कि सरकार मंहगाई भत्ते का भुगतान करना नहीं चाहती और वह न केवल 50 प्रतिशत बल्कि सभी राशि को जब्त करना चाहती है। वित्त मंत्री को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्रालय में उप मंत्री यहां उपस्थित हैं। उन्होंने आप सब की बातें सुनी हैं। संसदीय कार्य मंत्री भी सभा में उपस्थित हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : यदि इस मामले को हल नहीं किया जाता है तो हम एक और सत्याग्रह करेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE

परिसीमन अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत परिसीमन आयोग के आदेश

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के०रघुरमैया) : मैं डा० सरोजिनी महिषी की ओर से परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परिसीमन आयोग के निम्नलिखित आदेशों (हिन्दी) तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:——

(1) त्रिपुरा राज्य के बारे में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 24 जो दिनांक 7 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 633 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) मेघालय राज्य के बारे में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 25 जो दिनांक 7 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 634(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(3) आसाम राज्य के बारे में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 26 जो दिनांक 7 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 635 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 8630/74]

श्री नूरुल हुडा (कछार) : परिसीमन आयोग के प्रस्तावों सम्बन्धी आपत्तियों को दाखिल करने की अन्तिम तिथि 7 दिसम्बर, 1974 निर्धारित की गई है । मैं चुनाव आयोग तथा अन्य स्थानों पर गया था लेकिन 30 नवम्बर तक इन प्रस्तावों की कोई प्रति प्राप्त नहीं कर सका। मैं आसाम में सिलचर, कछार जिलों में गया था । मुझे पता लगा कि वहां 26 नवम्बर तक चुनाव कार्यलय में अधिसूचना तथा प्रस्ताव नहीं पहुंचे थे। वहां के अधिकारी ने गोहाटी, आसाम से एक प्रति प्राप्त करने के लिये एक विशेष दूत भेजा था।

ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस बारे में टाल-मटोल कर रही है । जबकि आपत्तियों को दाखिल करने में केवल चार दिन रह गये हैं । अतः आपत्तियों को दाखिल करने की अन्तिम तिथि 7 दिसम्बर की बजाय 20 या 21 दिसम्बर तक बढ़ाई जानी चाहिये । अन्यथा लोग प्रस्ताव संबंधी आपत्तियों को दाखिल करने से वंचित रह जायेंगे। प्रस्ताव में आसाम निर्वाचन क्षेत्रों में, जिसमें मेरा निर्वाचन क्षेत्र सिलचर, कछार जिला भी शामिल है, भारी परिवर्तन किये गये हैं । इसीलिये मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आपत्तियों को दाखिल करने की तिथि को बढ़ाया जाना चाहिये।

पुनर्वास विभाग सम्बंधी मांग संख्या 83 के बारे में विवरण

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : मैं 1974-75 के बजट (सामान्य) संबंधी अनुदानों की अनुपूरक मांगों, जो 18 नवम्बर, 1974 को लोक सभा में प्रस्तुत की गयीं थीं, में सम्मिलित पुनर्वास विभाग से संबंधित मांग संख्या 83 के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8631/74]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance

महाकाली नदी के रज्जु पुल का कथित गिरना

Shri Nawal Kishore Sharma (Dausa): I Call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of Urgent Public Importance and I request that he may make a statement thereon:

> "to the reported collapse of the hanging rope bridge over the Mahakali river on the Indo-Nepalese border as a result of which more than 140 persons, mostly Indians, were killed."

विदेश मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : 27 नवम्बर, 1974 को अखबारों में जब इस आशय की खबर छपी कि भारत-नेपाल सीमा पर महाकाली नदी पर जौलजीबी का झूला-पुल गिर गया है और उसमें 140 व्यक्तियों के मारे जाने की आशंका है, तो मेरे सहयोगी, जहाजरानी एवं परिवहन मंत्री ने 28 नवम्बर को राज्य सभा में इस आशय का वक्तव्य दिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार से इस दुर्घटना के बारे में सारे तथ्य एकत्रित किये जा रहे हैं । नेपाल स्थित हमारा राजदूतावास भी नेपाली प्राधिकारियों से सम्पर्क बनाये हुए था।

2. मुझे इस बात की खुशी है कि मैं सदन को यह सूचना दे सका हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने और नेपाल की सरकार ने भी हमें सूचित किया है कि अखबारों में पहले जो खबरें दी हैं वे बहुत बढ़ा-चढ़ाकर दी गई हैं । उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुमायुं के कमिश्नर को घटनास्थल पर भेजा था और दौरा करने के बाद उन्होंने यह रिपोर्ट दी है कि हमारी तरफ किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है ।

3. नेपाल की सरकार ने भी 2 दिसम्बर 1974 को काठमांडू में हमारे राजदूतावास को सूचित किया कि उन्हें भी इस दुर्घटना के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मिल गई है । इस रिपोर्ट के अनुसार इस दुर्घटना में एक नेपाली महिला की मृत्यु हो गई है और दो बच्चे लापता हैं। आठ भारतीयों को साधारण चोटें आई थीं जिनकी तुरन्त मरहम-पट्टी कर दी गई थी । इसके अतिरिक्त दोनों में से किसी ओर कोई और हताहत नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में राज्य सभा में अन्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य का उल्लेख किया है । सदन का नियम है कि जब तक अन्य सदन में कोई नीति सम्बन्धी निश्चित वक्तव्य नहीं दिया गया हो, अन्य सदन के बारे में इस सदन में उल्लेख नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा करने से अन्य सदन की कार्यवाही का उल्लेख करने का अवसर मिलता है जो एक अरवस्थकर परम्परा होगी । नियम 354 में कहा गया है कि :

> "राज्य सभा में दिया गया कोई भाषण सभा में उद्धृत नहीं किया जायेगा जब तक कि वह किसी मंत्री द्वारा दिया गया कोई नीति संबंधी निश्चित वक्तव्य न हो।"

Shri Nawal Kishore Sharma: It is a matter of pleasure that many people have not died in this accident as stated in the newspapers. Only 8 Indians have got minor injuries.

The present accident occurred on 17th November, whereas on 27th November in a statement in Rajya Sabha it was stated that our Embassy in Kathmandu was in touch with the Nepalese authorities in that regard. I want to draw the attention to this fact

that inspite of our friendly relations with Nepal it cannot be denied that some elements in Nepal are propagating against India and sometimes the attitude of the Government of Nepal is very irresponsible.

In 'Rising Sun', a Government of Nepal's own paper it was published that 140 Indians were killed in that accident. The Government of Nepal gave the information in this regard on 2nd December and that too after the matter was raised in the other House. I think the attitude of the Nepalese Government was not satisfactory in this matter. I want to know whether the attention of the Government of Nepal will be drawn this matter ?

Our Embassy established in Nepal showed great irresponsibility in obtaining facts in the matter. The information in the matter could have easily be obtained by visiting the spot. I want to know whether the hon. Minister consider it a serious lapse on the part of our Embassy and if so what actions he proposes to take in this matter ?

Taking into consideration the importance of that bridge, I want to know whether the Government of India will draw the attention of the Government of Nepal to maintain this properly because this is a matter of mutual relations between both the Countries.

श्री विपिनपाल दास : दुर्घटना स्थल नेपाल की राजधानी से बहुत दूर है । यह उत्तर प्रदेश की की राजधानी से भी बहुत दूर है । नेपाल सरकार द्वारा इस बारे में हमारे दुतावास को सूचना भेजने में जितना समय लगा उतना ही समय हमारे अधिकारियों को हमें सूचना भेजने में लगा । यह एक सुदूर स्थान है अतः समय लगना स्वाभाविक ही था । अतः इस मामले में नेपाल सरकार द्वारा दी जाने वाली सूचना की आलोचना नहीं की जानी चाहिये ।

यह कहना अनुचित है कि हमारे दूतावास के लोग सक्रिय नहीं हैं । हमारे लोगों को जानकारी प्राप्त करने में समय लगा है । उन्होंने इस बारे में नेपाल सरकार से जानकारी प्राप्त की । हमने नेपाल सरकार का ध्यान ऐसे पुलों को उचित स्थिति में रखने की ओर दिलाया था ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । दूसरे सदन में इस मामले का उत्तर नौवहन और परिवहन मंत्री ने दिया था . . . ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस व्यवस्था के प्रश्न को स्वीकार नहीं करता क्योंकि राज्य सभा में हुई कार्यवाही के बारे में इस सदन् में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : तब तो मंत्री महोदय का वक्तव्य भी सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है । इसे सभा की कार्यवाही में शामिल न करने की कोई आवश्यकता नहीं । इस बारे में और अधिक उल्लेखल नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : यह एक बहुत गम्भीर मामला है । लेकिन सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया है ।

सरकार का वक्तव्य अविश्वसनीय प्रतीत होता है । सरकार ने अपने वक्तव्य में बताया है कि जिस समय पुल गिरा उस समय उस पर केवल 11 व्यक्ति थे, जिनमें 2 बच्चे थे । मैं माननीय मंत्री और सदन् से यह विचार करने को कहूंगा कि क्या 11 व्यक्तियों के पुल पर रहने से पुल गिर सकता है ।

अतः नेपाल के समाचार-पत्रों में प्रकाशित यह समाचार, जो भारतीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुए थे, कि उस दुघटना में 140 से अधिक व्यक्ति मारे गये ठीक प्रतीत होता है ।

सरकार ने पहले यह तर्क दिया था कि पुल को बनाये रखने का दायित्व नेपाल सरकार का है और नेपाल सरकार द्वारा पुल की उचित देखभाल न किये जाने के कारण पुल गिर पड़ा।

उपमंत्री ने अपने वक्तव्य में बताया है कि "उत्तर प्रदेश सरकार ने कुमायुं के आयुक्त को दुर्घटना स्थल पर भेजा था। दुर्घटना स्थल का दौरा करने के बाद उसने सूचना दी है कि किसी भी ओर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई ।

इससे यह साबित होता है कि पुल बीच में से टूटा था । अतः इस स्थिति में भारत की ओर अथवा नेपाल की ओर किस प्रकार लोगों की मृत्यु हो सकती थी ।

18, नवम्बर, 1974 को नेपाल सरकार के गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने यह दावा किया था कि पुल भारत की ओर टूटा था । इस बात का मंत्री महोदय के वक्तव्य में कोई खंडन नहीं किया गया है । भारत और नेपाल के बीच पुलों को बनाये रखने के बारे में क्या समझौता हुआ है । उक्त पुल की देखभाल का दायित्व किसका था ?

उक्त पुल का निर्माण किस वर्ष हुआ था तथा उसका ठेकेदार कौन था और क्या उस पुल की आधारशिला **स्वीकृत** ढंग से रखी गई थी । और पुल का निर्माण स्वीकृत डिजाइन के अनुसार किया गया था और क्या भारत सरकार ने इस बात का आश्वासन दिया था कि पुल का निर्माण विशिष्ट स्वीकृति के अनुसार सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क पर किया गया था ।

इस ध्यान आकर्षण प्रश्न का उत्तर वास्तव में रक्षा मंत्री द्वारा दिया जाना चाहिये था लेकिन समझ में नहीं आता कि इसका उत्तर विदेश मंत्रालय में उपमंत्री से क्यों दिलवाया गया ।

क्या सरकार ने इस दुर्घटना में हताहत हुए व्यक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की है और सरकार ने मृतकों के परिवारों के सदस्यों को कोई मुआवजा दिया है ।

श्री बिपिनपाल दास : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सरकार ने इस मामले में उचित कार्यवाही नहीं की । सीमा सड़क संगठन का मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि उक्त पुल किसी राज पथ पर नहीं टूटा था । यह एक छोटा पुल है जिसका निर्माण नेपाल की धाड़चूला जिले की पंचायत ने किया था अतः इसके रखरखाव का दायित्व नेपाल सरकार पर है ।

माननीय सदस्य ने उस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 11 बताई है लेकिन मैंने वास्तविक स्थिति बताई है । पुल महाकाली नदी पर है जो दोनों ओर की सीमा पर है स्वभावतया आध पुल के रखरखाव की जिम्मेवारी हमारी है तथा आधे पुल के रखरखाव की जिम्मेवारी नेपाल सरकार की है। जब हमारी ओर पुल डूबने लगा तो इस ओर जो लोग थे वे दूसरी ओर कूद गये और इसके परिणामस्वरूप नेपाल सरकार की सूचना के अनुसार एक महिला की मृत्यु हो गई और दो बच्चे लापता हैं । कुछ लोगों को मामूली चोटें आई थीं और आठ व्यक्तियों का जो इस ओर गिरे थे प्रथमोपचार किया गया । हमारी जानकारी के अनुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार सही नहीं है ।

पुल के रखरखाव की जिम्मेवारी नेपाल की है क्योंकि इसका निर्माण धाड़चूला पंचायत ने किया था। इस पुल के रखरखाव के बारे में भारत और नेपाल के मध्य कोई करार नहीं है। यह पुल नेपाल ने बनवाया था और वही देश इसके रखरखाव का जिम्मेवार है। जहां तक इस दुर्घटना की जांच का संबंध है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी विस्तृत जांच का प्रबन्ध किया है तथा इसके परिणाम आने पर सारी बातों का पता लगेगा। इस पुल को जोड़ने वाली सड़क की जिम्मेवारी भी राज्य सरकार की है, केन्द्र सरकार की नहीं। मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हमारी तरफ कोई आदमी नहीं मरा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह पुल तो नेपाली सीमा में है फिर उत्तरप्रदेश सरकार जांच कैसे कर सकती है ?

श्री बिपनपाल दास : महाकाली नदी पर बने इस पुल का आधा भाग भारतीय क्षेत्र में है तथा शेष आधा भाग नेपाल में है। इस पुल के रस्से ढीले हो जाने के कारण हमारे क्षेत्र में इस पुल का एक भाग नीचे धंसना शुरू हो गया था और इसीलिये इसकी जांच जरूरी हो गई थी तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश दे दिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस संबंध में बड़ा भ्रम है। माननीय सदस्यों ने विदेश मंत्रालय, सिंचाई कृषि मंत्रालय, निर्माण व आवास मंत्रालय तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय को पत्र भेजे हैं। मैं स्वयं भी असमंजस में हूं कि यह पुल तो नेपाल ने बनवाया इसका एक भाग भारत में है। उत्तर प्रदेश सरकार जांच कर रही है। यह सब कुछ क्या है ?

खैर हम तो इसमें रुचि रखते हैं कि हमारे आठ व्यक्ति घायल हुए हैं। आप स्थिति स्पष्ट कीजिये।

श्री प्रसन्नभाई मेहता (भावनगर) : भगवान का धन्यवाद है कि यह समाचार अतिश्योक्ति पूर्ण पाया गया। हमारी तरफ नहीं बल्कि नेपाल की ओर के कुछ व्यक्ति मारे गये...।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर भी शुक्र क्यों करते हैं। हमें अपने नेपाली भाइयों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिये।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : जी हां, हमें उन से सहानुभूति है।

मैं जानना चाहूंगा कि विदेश मंत्रालय को उत्तर प्रदेश सरकार से इसकी सूचना कब मिली तथा नेपाल सरकार से कब मिली तथा विदेश मंत्री ने इस बारे में यहां सभा में वक्तव्य क्यों नहीं दिया ? क्या उन्होंने इस घटना को इतना सामान्य समझा कि वक्तव्य देने की आवश्यकता ही नहीं समझी ? अब बतायें कि तथ्य क्या है ? क्या इस पुल के स्तम्भ गिर पड़े थे तथा भारत या नेपाल की ओर पुल धराशायी हो गया था ? फिर इस पुल को अधिक भार से बचाने के लिये कोई यातायात नियंत्रण की व्यवस्था अथवा चेतावनी देने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी ? उनका कहना है कि पुल की जिम्मेवारी नेपाल पर है, तो क्या भारत का इस संबंध में कोई दायित्व नहीं है। क्या पुल के रखरखाव के बारे में यथोचित जांच होती रही है ? क्या यह सच है कि इस पुल की यथोचित देखभाल न होने के कारण ही यह घटना घटी ?

श्री बिपिनपाल दास : हमें कल ही अपने दूतावास से जानकारी मिली है । फिर इस बारे में विदेश मंत्री द्वारा कोई वक्तव्य दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । हम लखनऊ तथा काठमांडू से सूचना प्राप्त होने की प्रतीक्षा में थे तथा कल इसके मिलते ही आज हम वक्तव्य दे रहे हैं । पुल का रस्सा ढीला हो गया था और पुल का एक भाग नीचे धंस गया था । यह सच है कि इस पुल पर यातायात नियंत्रण के कोई नियम नहीं हैं । ऐसे अनेक पुल नेपाल ने बनाये हैं और दोनों देशों के लोग उनमें होकर आते जाते हैं । आज तक ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी । रस्सा ढीला न होता तो यह दुर्घटना भी नहीं होती । जहां जिम्मेवारी की बात है, यह पुल नेपाल ने बनवाया था और इसकी देख-भाल भी उसने ही की है । हमारे द्वारा इसकी जिम्मेवारी लेने का कोई प्रश्न नहीं है ।

Dr. Laxminaraia Pandey (Mandsaur): It is a very painful mishap and due to Government's lackness we could not get the information in time although the papers had repeated on 28th Nov., 1974 under the caption "U.P. probe into bridge collapse." May I know the names of the Officers appointed to make investigations and also whether any Official of our Embassy in Nepal visited the site. If not, that amounts to negligence of duty.

The papers have reported that the bridge which had the load capacity of 150 persons only, collapsed because of much more load of many people who were coming and going over it on the occasion of the festival. So, was it not our duty to keep a check on that ? Could not we have a joint responsibility with Nepal in such a matter ? We know that the bridge collapsed due to pillars on our side, giving way and the accident occurred Press quotes 142 persons getting involved in this mishap whereas you say that only on woman and two children are missing. Afterall what are the bare facts ? Cann't you set up a joint-exercise to avoid such mishaps in future ? Then, by what time the outcome of the inquiry set up by U.P. Government whould be known and whether a report thereof, would be placed on the Table of this House ?

श्री बिपिनपाल दास : मैं यह स्पष्ट कर दूं कि हम इस दुर्घटना के लिये नेपाल सरकार को दोषी नहीं मानते हैं । मैंने तो यही कहा था कि पुल का दायित्व नेपाल सरकार का है क्योंकि यह उस देश न ही बनाया था । परन्तु किसी सरकार को इस दुर्घटना का दोषी नहीं मानता हूं । जहां तक हताहत व्यक्तियों की संख्या की बात है सो मैं यह कह चुका हूं कि एक महिला मारी गई तथा दो बच्चे लापता हैं । आठ व्यक्ति घायल हुए थे और उनको प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की गई ।

माननीय सदस्य यह जान लें कि लटकने वाले पुल पर स्तम्भ नहीं होते हैं । पुल की क्षमता को जहां तक बात है उसको बढ़ाने के लिये हम नेपाल सरकार से सम्पर्क किये हुए हैं ।

Shri Bhagat Ram Raja Ram Manhar: What are provisions in respect of the maintenance of bridges on rivers flowing between the two Countries ? Secondly, when this particular bridge was repaired ? Also whether there is any hand of some foreign agency or anti-social element behind this accident since our relations with Nepal are a bit strained on the Sikkam issue ? May I also know about the medical aid etc. given to the injured Indians ?

श्री बिपिनपाल दास : ऐसे पुलों के रख-रखाव के बारे में मैं स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं । हां, ऐसी दुर्घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिये दोनों देशों की सरकारें विचार तो करेंगी ही । भारत नेपाल संबंधों पर उनकी टिप्पणी का उत्तर यह है कि हमारे नेपाल के साथ बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं, तथा साथ ही उन संबंधों का इस घटना से कोई तुक नहीं जुड़ता ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के तय्यूर ड्रिलिंग प्लेटफार्म, सागर सम्राट के बारे में वक्तव्य

Statement Re: ONGC's Offshore drilling Platform, Sagar Samrat

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 27 नवम्बर, 1974 को सागर सम्राट पर गया था और बम्बई हाई अपतटीय ड्रिलिंग कार्यों के बारे में संसद को सूचित करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं ।

माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि बम्बई हाई संरचना में सागर सम्राट द्वारा पहले कुंए की खुदाई इस वर्ष फरवरी मास में की गई थी और उससे हुई तेल की प्राप्ति को "महत्वपूर्ण" संज्ञा दी गई थी । दूसरा कुंआ 7 अक्तूबर, 1974 को खोदा गया था जिसका मुख्य सैस्तर तक व्यधन किया गया था प्रारम्भिक परीक्षणों से पहले कुएं से प्राप्त परिणामों की पुष्टि हुई थी फिर साधारण उत्पादन परीक्षण 18 से 23 नवम्बर तक किये गये और उनमें तेल की प्रचर मात्रा दिखाई दी । बम्बई हाई संरचना की चूने के पत्थर की परतों में तेल पाया गया है । भारत में तेल अन्वेषण की यह एक नई विशेषता है कि चूने के पत्थर की परतों में पहली बार तेल पाया गया है । चूने के पत्थर के प्राकृतिक क्षेत्र (पे० जोन्स) मध्य पूर्व में तेल के लाभप्रद उत्पादक हैं । इसलिये तेजाबीकरण परीक्षण (एसिडाईजेशन टेस्ट) करने का निर्णय किया गया था क्योंकि तेजाबीकरण चूने के पत्थर के भंडारों में कार्य की गति तीव्र करने का एक प्रमाणित तरीका है। ये परीक्षण 25 नवम्बर, से शुरू किये गये थे और 30 नवम्बर तक जारी रहे । इन परीक्षणों से पहले की इन परिकल्पनाओं का सत्यापन होता है कि तेजाबीकरण से उत्पादन में काफी वृद्धि हो जायेगी । यह हमारी बहुत बड़ी खोज है और इससे हम आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकेंगे ।

मुझे विश्वास है कि इस कुंए से प्रतिदिन 1500 से 2500 बैरल का उत्पादन हो सकेगा हालांकि इस समय कोई निश्चित मात्रा बताना संभव नहीं है । सागर सम्राट को अब दूसरे स्थल पर भेजा जा रहा है ।

परन्तु अपतटीय खोज तथा उत्पादन का कार्य बड़ा किलष्ट तथा समय लेवा तथा खर्चीला होता है । बम्बई हाई संरचना पर तेल अन्वेषण कार्य में तेजी लाने के लिये सरकार ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को फिलहाल एक व्यधन पोत (ड्रिलिंग वैसल) किराये पर लेने तथा साथ ही साथ दो अन्य व्यधन पोतों को प्राप्त करने और इस प्रकार अपने अपतटीय व्यधन बेड़े की संख्या तीन तक बढ़ाने के लिये प्राधिकृत किया है । चौथे कूप का व्यधन वर्तमान कूप से दक्षिण दिशा में लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर किया गया है । हम इन दोनों स्थानों के कूपों द्वारा ही संरचना की सही-सही रूप रेखा अंकित कर सकेंगे और इसी अवस्था में बम्बई हाई संरचना के संभाव्य उत्पादन के बारे में सही अनुमान लगाया जा सकेगा ।

वर्ष 1975 की मानसून ऋतु में सागर सम्राट को कार्य में लाया जायेगा जिसके फलस्वरूप हमारे कार्यकुशल विशेषज्ञों को अधिक विश्वास तथा मानसून के दौरान कार्य करने का अनुभव प्राप्त होगा ।

यद्यपि बम्बई हाई संरचना की पूर्ण रूपरेखा को अंकित करने तथा क्षेत्र का पूरा विकास करने में कुछ वर्ष लग सकते हैं तथापि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से इस क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास

कार्य पूरा होने तक उत्पादन के प्रथम चरण की स्थापना करने के बारे में जांच करने को कहा गया है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग इस प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहा है और आशा है कि वर्ष 1976 के मध्य तक उत्पादन के प्रथम चरण का कार्य आरम्भ किया जा सकेगा ताकि प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख मीटरी टन तेल का उत्पादन हो सके।

हम अपने अपतटीय क्षेत्रों को अब अपरीचित क्षेत्र नहीं कह सकते। कच्छ बैसिन से लेकर बंगाल बैसिन तक और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों के आस-पास अपतटीय क्षेत्रों में पैट्रोलियम के भंण्डार मिलने की काफी संभावना है। हम विश्व भर में उपलब्ध सर्वोत्तम इंजीनियरी और परामर्श सेवाओं को लेकर तेजी से इस कार्य को आगे बढ़ायेंगे। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को उसके उत्तरदायित्वों में अत्याधिक वृद्धि हो जाने के कारण सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है और इसके पुनर्गठन और पुनः सरचना के लिये जो कदम उठाने का मेरा प्रस्ताव है, उन्हें मैं संसद के सम्मुख शीघ्र ही प्रस्तुत करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ समय के बाद हमें यह एक अच्छा समाचार प्राप्त हो रहा है।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

Committee on absence of members from the sitting of the House

17 वां प्रतिवेदन

श्री चन्द्रिका प्रसाद (बलिया) : मैं प्रस्ताव पेश करता हूं

"कि यह सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 17वें प्रतिवेदन से जो 23 नवम्बर, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

18 नवम्बर, 1974 को जब अध्यक्ष महोदय ने छुट्टियों की स्वीकृति के बारे में सभा की स्वीकृति मांगी थी तब छुट्टियां देने के आधार पर कुछ आपत्तियां यहां उठाई गई थी तथा कतिपय सिद्धांत अपनाने का सुझाव दिया गया था। अध्यक्ष महोदय ने कुछ टिप्पणियां करते हुए समिति से कहा था कि वह यह निश्चित करे कि किस किस आधार पर सभा में अनुपस्थित रहने पर सदस्यों की छुट्टियां स्वीकृत की जा सकती हैं। समिति ने इस संबंध में काफी विचार किया है और इस 17वें प्रतिवेदन में उन आधारों की सिफारिश की है जिन पर छुट्टियां स्वीकृत की जा सकती हैं तथा जिन पर छुट्टियां नहीं दी जा सकती हैं। इस प्रतिवेदन की प्रतियां पहले ही वितरित की जा चुकी हैं तथा सभी माननीय सदस्य इस प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों से अवगत हैं। मुझे आशा है कि सभा इन आधारों को अनुमोदित करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सेकैरा ने एक संशोधन की सूचना दी है।

श्री इराज्मुद सेकैरा (मारमागोआ) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :—

इस रूप भेद के साथ कि प्रतिवेदन के पैरा 6 में अनुपस्थिति की अनुमति 'नहीं दी जानी चाहिये' शब्दों के स्थान पर 'सामान्यतया अनुपस्थिति की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये' शब्द प्रतिस्थापित किये जायें।"

सामान्य परिस्थितियों में तो इन आधारों पर किसी को भी आपत्ति नहीं होगी परन्तु कभी कभी असाधारण परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। अतः इस बारे में समिति को नियमों के विवश नहीं कर दिया जाना चाहिये।

Shri Ramavatar Shastri (Patna): Shri Tulmohan Ram has been absent for so many days and a lot of time of the House has been wasted. May I know whether he has sent any applications for grant of leave; if not, why has he been absent and not attending the House? Let Shri Chandrika Prashad enlighten us about that if he can.

उपाध्यक्ष महोदय : सभा तथा अध्यक्ष महोदय के निदेशों के अनुसार इस समिति ने सदस्यों को छुट्टियां देने के प्रश्न पर विचार किया था तथा उसने अब अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है । अब श्री सेक्वैरा अपने संशोधन द्वारा एक पैरा में संशोधन चाहते हैं । इस पैरा में 'अनुमति नहीं दी जानी चाहिये' शब्दों के स्थान पर 'सामान्यतः अनुमति नहीं दी जानी चाहिये' शब्द रखना चाहते हैं।

जहां तक श्री तुलमोहन राम का मामला है, सो कोई भी सदस्य सभा-कक्ष में आये बिना भी सभा में उपस्थित माना जा सकता है । वह लोबी में आकर हस्ताक्षर करके वापस जा सकता है । अतः हमें यह नहीं समझ लेना चाहिये कि श्री तुलमोहन राम सभा में आते हैं अथवा नहीं जबकि हमें कुछ मालूम नहीं है ।

अब मैं श्री सेक्वैरा का संशोधन सभा के समक्ष रखता हूं। प्रश्न यह है :—

"कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें :—

'इस रूपभेद के साथ कि प्रतिवेदन के पैरा 6 में "अनुमति नहीं दी जानी चाहिये" शब्दों के स्थान पर "सामान्यतया अनुमति नहीं दी जानी चाहिये" शब्द प्रतिस्थापित किये जायें' ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के 17वें प्रतिवेदन से, जो 25 नवम्बर, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, इस रूपभेद के साथ कि प्रतिवेदन के पैरा 6 में 'अनुपस्थिति की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये' शब्दों के स्थान पर 'सामान्यतया अनुपस्थिति की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये' शब्द प्रतिस्थापित किये जायें, सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अधीन नजरबन्दी आदेशों के संबंध में किसी न्यायालय में जाने के नागरिक अधिकारों को निलम्बित किये जाने संबंधी राष्ट्रपति के आदेश के निरनुमोदन के बारे में प्रस्ताव और विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण विधेयक

Statutory Resolution Re. Disapproval of Maintenance of Internal Security (Amendment) Ordinance and Motion Re. Disapproval of Presidential Order Suspending Citizens' Right to move a Court against detention orders under MISA and Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Bill

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) अध्यादेश पर सांविधिक संकल्प तथा राष्ट्रपतीय अध्यादेश और विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधि निवारण विधेयक के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे । श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपना भाषण जारी रखेंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): My demand is that a high powered Commission under the Chairmanship of a Supreme Court Judge be constituted to investigate into the collusion of political leaders and Government Officers with the Smugglers. Although the Prime Minister and her Government took a daring step against the Smugglers but the truth remains that they have rather concealed their crimes. Government's evasive replies in the House, refusal to institute inquiries against political leaders, giving undue facilities to the smugglers are enough proof thereof.

On April 1, 1970, Shri George Fernandez had asked in the House whether Hazi Mastan was given a passport in 1966 despite his being in the custody on charges of smuggling; and the then Deputy Foreign Minister Shri Surendra Pal Singh had replied that on the basis of a certificate of good conduct by the Governor of Gujarat, Hazi Mastan was given a passport for one year on 7-11-66. But on 23-11-69 the Revenue Intelligence Directorate reported the seizure of smuggled goods from Mastan's house by the Bombay Customs Officers on 19-7-1969. And on July 20 he was arrested but was released on bail later.

Shri Nityanand Kanungo was the Governor of Gujarat at that time and he had issued the following certificate alongwith his recommendation for the grant of a passport to Hazi Mastan.

> "Through Shri Akhtar Sayyad I know Shri Hazi Mastan of Bombay as an Indian Citizen of a very good conduct. He wants to go to Aden to look after his relatives and he needs to go urgently. Necessary documents may be granted to him."

When Shri Madhu Limaye on 18th March, raised this question, the Government said that the investigations were going on. Later Shri Kanungo declared that his signatures were forged. Therefore, there was a demand in this House to prosecute Hazi Mastan on the charges of forgery, but in the meantime the Presidency Magistrate's verdict as also that of the Bombay High Court was that the signatures were not forged one and were real. Now, how could a notorious smuggler became successful in getting a Governor's certificate ? Not only that Hazi Mastan was allotted a telephone under special category.

In reply to a question of Shri George Fernandez on 2nd April, 1970, the then Communication Minister Prof. Sher Singh had enumerated the names of certain big personalities who had recommended for this special telephone for Hazi Mastan.

Also a Congress Member Shri Nitiraj Singh Chowdhry, who has been a Minister until recently, had asked whether the very Government Officers who were responsible for checking smuggling were encouraging this crime. He had also asked to confirm wheth r the Directors of Revenue Intelligence, on 30-11-1967, had made substantial alterating in the Original report and a small report and that again the Report was rewritten by them. No reply has given to that.

Thus if then so on giving protections to the smugglers and till the smugglers would take part in the electing of the political leaders, and also that if the smugglers continue getting good character certificates from highly placed personalities, no action against the smugglers would being any result.

A 67 years old smuggler Shri Krishna Budh has filed a certificate in the Bombay High Court against his detention . The certificate is from Shri H. R. Gokhale.

"मुझे यह बताते हुए अत्याधिक प्रसण्नता होती हैं कि श्री के० बी० गावड़े ने मरे लिए मध्यावधि चूनाव मे काम किया वह एक मेहनती और वफादार कार्यकर्ता है। उन्होंने गत चूनाव में मदद की मै उनकी शूभकामना चाहता हूं।

This certificate was given to him after the election. The Customs had tried to apprehend him when he was unloading smuggled goods from a boat but he managed to escape. Murder charge was levelled against him but it was not proved in the Court. Thus he was acquitted by the Court. The question is how the smugglers were able to amassed such enormous property and are living a King's life. Is it not the work of Income Tax Officials to find out from where they have amassed such property. Ramu Narang became rich through dubious means but nobody tried to know the source of his income. The famous smuggler of Kerala, Kasar Gowda has built a mosque and erected a tower on it to see boats in the Sea The Government of India stopped the showing of a documentary film based on smuggling when scene of this mosque was also filmed on the objections raised in Kerala. In fact the smugglers are not only running the Kerala Government but are also influencing the Indian Government. The Western Sea Coast is lying unguarded. Cannot the Central Reserve Police and Border Security force be deployed there to check smuggling ?

The detention grounds of smugglers are produced in the Courts in the vague and indefinite manners so that the Courts may release them. The President's Ordinance is no answer to this. Has any Officer been asked why vague grounds were produced before the Courts. The Supreme Court acquitted many persons for want of sound evidences. We should strengthen the law but the Government should not be given such vast Powers. Today the powers are being misused. Individual freedom is being violated on mere suspicion. Does not it is the responsibility of the Government to prove the person guilty in the Court ? I want to say in clear terms that we are in favour of taking deterrent action against smugglers. That is why we have demanded that a high powered Commission should be instituted to find out the relations between smugglers and bureaucracy and suggest drastic remedies to solve this problems. The Ordinances issued by the President should be withdrawn and a comprehensive bill be brought in which stringent action is provided for all sorts of economic offences. We will support any measure of the Government regarding attaching of property of smugglers. We want that the Chief Minister of Punjab should throw light on the suspected involvement of a political leader in smuggling in Punjab. It is my submission that this matter should not be taken lightly and strong action should be effected to check smuggling.

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत करता हूं कि विदेशी मुद्रा के संरक्षण एवं संवर्धन और तस्करी की गतिविधियों के निवारण के प्रयोजनों के लिए कुछ मामलों में निवारक निरोध और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

माननीय सदस्य यह जानते होंगे कि विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं संवर्धन और तस्करी की गतिविधियों का निवारण हमारे जैसे देश के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इन समाज विरोधी तत्वों की, जो अपने आपको अमीर बनाने के लिए स्थिति का लाभ उठा रहे हैं, गविविधियों को विफल करने के लिए सरकार ने समय-समय पर विभिन्न विधायी तथा प्रशासनिक कदम उठाए हैं।

[डा० हेनरी आस्टिन पीठासीन हुए]
[Dr. Henry Austin in the Chair]

तस्करी तथा विदेशी मुद्रा के नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए बंबई और मद्रास में निवारक केन्द्रों और अहमदाबाद, बम्बई, कोचीन, मदुरै में केन्द्रीय आबकारी कलक्टरी का पुनर्गठन किया गया है तथा बम्बई, अहमदाबाद और पटना में निवारक कलक्टरों को नियुक्त किया गया है। तस्करी रोकने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर अतिरिक्त व्यक्ति लगाए गए हैं। पश्चिम समुद्री तट और तमिलनाडु के समुद्री तट पर वायरलैस लगाए गए हैं। समुद्र में तस्करी रोकने के लिए नार्वे से 20 तीव्रगामी नौकाएं मंगाई गई हैं जिसमें से दो ऐसी नौकाएं यहां पहुंच गई हैं।

हमारे देश में बहुत विस्तृत समुद्री तटीय क्षेत्र और लम्बी स्थलीय सीमाएं होने के कारण तस्करी को रोकने के लिए विधायी तथा प्रशासनिक कार्यवाहियां अपर्याप्त रही हैं। असली अपराधी पीछे से काम करते हैं और पकड़े जाने वाले केवल उनके एजेंट होते हैं। यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां होने के बावजूद भी तस्करी कार्य निर्बाध गति से चल रहा है। इसके अलावा सबूत उपलब्ध न होने के कारण ऐसे व्यक्ति न्यायालय से छूट जाते हैं। विदेशी मुद्रा विनियमन और सीमा शुल्क के बढ़ते हुए उल्लंघन को देखते हुए विधि आयोग ने सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। उसी के अनुसरण में आन्तरिक सुरक्षा (संशोधन) बनाए रखने वाला अध्यादेश 1974 लाया गया और यह 17 सितम्बर, 1974 में लागू किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा विनियमनों का उल्लंघन करने वाले विभिन्न श्रेणियों के तस्करों को लाया गया है। माननीय सदस्यों के लिए विवरण पहिले ही सभा-पटल पर रखा गया है जिसमें अध्यादेश द्वारा कानून बनाने के कारण दिए हुए हैं। इस बात से तो सभी सहमत हैं कि ऐसा विधेयक लाया जाना चाहिए जो तस्करों और विदेशी मुद्रा विनियमनों का उल्लंघन करने वाले गिरोहों के मामलों को निबटाए। श्री वाजपेयी ने तस्करी पर अच्छा प्रकाश डाला है पर दुख की बात है कि उन्होंने अपने वक्तव्य में राजनीतिक आक्षेप भी लगाए हैं। जहां तक संभव होगा, मैं उनके वाद-विवाद का अवश्य ही उत्तर दूंगा। अब मैं विचारार्थ के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

कि विदेशी मुद्रा के संरक्षण एवम् संवर्धन और तस्करी की गतिविधियों के निवारण के प्रयोजनों के लिए कुछ मामलों में निवारक निरोध और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री नुरुल हुडा : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। इस विधेयक को पुरःस्थापित करने और 17 सितम्बर, 1974 को अध्यादेश लागू करने के क्या उद्देश्य हैं? 1974 के अध्यादेश संख्या 11 में कहा गया है कि सरकार सलाहकार बोर्ड की सलाह लिए बिना संबंधित व्यक्ति को तीन महीने से अधिक समय तक, परन्तु एक वर्ष से अधिक नहीं, नजरबंद कर सकती है और इसी प्रकार सरकार तस्करी करने के शक में किसी व्यक्ति को भी नजरबंद कर सकती है। 16 नवम्बर, 1974 के अध्यादेश में राष्ट्रपति ने निरुद्ध व्यक्ति से अदालत में जाने का अधिकार भी छीन लिया है जैसा कि सर्वविदित है हमारा दल इस प्रकार के आर्थिक अपराधों के सख्त खिलाफ है परन्तु सवाल यह है कि बिना मुकदमा चलाए नजरबंद करने के लिए मीसा और ऐसे कानूनों को लाने का क्या औचित्य है? मीसा के अन्तर्गत दण्ड नहीं दिया जा सकता है। यह निवारक नजरबंद अधिनियम है। सरकार ऐसा कोई विस्तृत विधेयक नहीं लाई है जिसमें तस्करों जैसे आर्थिक अपराधियों को दंड देने की व्यवस्था है। सरकार के पास सीमाशुल्क अधिनियम तथा नियम और विनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947, जिसे 1953 में संशोधित किया गया है, जैसे असाधारण अधिकार हैं परन्तु उसने उसका उपयोग नहीं किया है। इसी प्रकार आयकर अधिनियम हैं। हम नहीं जानते हैं कि आर्थिक अपराधियों के खिलाफ ऐसे अधिनियमों नियमों और विनियमनों का प्रयोग किया गया है। हमारे देश में वर्तमान कानून अन्य देशों की तुलना में अधिक कठोर है। यदि इनका ईमानदारी से पालन किया जाए तो भारत रक्षा नियम या मीसा जैसे नियमों को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालयों ने अभी हाल में कुछ तस्करों को इस कारण से रिहा कर दिया है क्योंकि नजरबंदी के आधार प्रभावी और तर्कसंगत नहीं थे। सरकार ने कहा है कि यदि आपातकालीन स्थिति समाप्त कर दी जाती है तब यह अधिनियम स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। आपातकालीन स्थिति तब

लागू की जाती है जब देश को बाहरी आक्रमण का खतरा होता है। हमें चीन और पाकिस्तान से इस समय कोई खतरा नहीं है तब क्यों नहीं आपातकालीन स्थिति समाप्त कर दी जाती है ताकि भारत रक्षा नियम और मीसा का दुरुपयोग न किया जा सके। विदेशी मुद्रा की हेराफेरी रोकने के लिए एक सरकारी समिति ने अपनी जो सिफारिशें प्रस्तुत की थीं, उसे लागू नहीं किया गया है। हम इस प्रकार की कार्यवाही का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि मीसा और निवारक नज़रबंदी अधिनियम का उपयोग राजनीतिक विरोधियों का दमन करने में किया जा रहा है। कांग्रेसी शासकों ने देश के नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया है। केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने मीसा का उपयोग मई, 1974 में हुई रेलवे हड़ताल में शामिल रेलवे कर्मचारियों तथा अध्यापकों, विद्यार्थियों, बिजली इंजीनियरों तथा अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध किया है। रेल हड़ताल के दौरान रेलवे कर्मचारियों को मीसा के अन्तर्गत नज़रबंद किया गया और उसके लिए बड़े ही अस्पष्ट कारण दिए गए। सरकार किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को तस्कर बता कर उसे छह महीने तक नज़रबंद कर सकती है। यह मीसा हाल ही में लाया गया है। यदि उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा किसी भी राज्य में हड़ताल होती है तो सरकार ज़िला मजिस्ट्रेट को मीसा के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद करने का अधिकार दे सकती है। यदि आप किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को नज़रबंद करना चाहते हैं तो उसे तस्कर बता कर नज़रबंद किया जा सकता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की ओर से मैं सरकार को कहना चाहूंगा कि तस्करी तथा अन्य आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए सरकार की किसी कार्यवाही का हम समर्थन करते हैं परन्तु तस्करी रोकने के नाम पर मीसा का इस प्रकार लाए जाने का हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। इसका एक ही समाधान है कि सरकार वर्तमान कानूनों को सुदृढ़ बनाने के लिए एक विस्तृत विधेयक लाए। इस कार्य में हम सरकार के साथ हैं परन्तु हम नए सत्र में मीसा को लाए जाने का समर्थन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह राजनीतिक प्रेरित है और हम इसका पूरा विरोध करेंगे।

Shri Nawal Kishore Sharma (Dhausa) : This Bill can be described as a right step towards improving the deteriorating economy of the country. Luxury items, which are brought by smuggling are not at all necessary items and in return we are sending out those things which we want to preserve. Smuggling not only deprives the Government of Custums Duty but it also causes loss of valuable foreign exchange. Today the smuggler have establish parallel economy in the country. On the basis of their financial position smugglers have earned social status. This is irony of fate. But it can be atributed to Capitalistic set up of the Society. Views expressed by opposition on this Bill are contradictory in nature. There is difference in their sayings and their actions. They raise vioces against smuggling but steps are taken by the Government to check smuggling those are opposed on the plea that comprehensive law should be brought forward. In fact laws are already there and action had been taken against persons during 1971, 1972 and 1973 but even then smuggling could not be checked. The reasons for this are that the present laws of the country are as such that they provide equality to every body and on the basis of jurisprudence no body can be punished without any concerete evidence against him. And this situation has compelled the Government to acquire more rights. These efforts of the Government are being opposed on political grounds. No case can be cited where MISA could have been used for political purposes. (*Interruptions*).

This Bill has been appreciated by the public but opposition has alleged that smugglers are enjoying political patronage. Opposition has said that Ordinance should not have been issued and instead a comprehensive law should have been brought forward. It appears that they are in fact in league with smugglers and are getting money from them. I warn them not to play with fire. Shri Ganesh, Minister of State in the Ministry of Finance had clearly stated that smugglers can not be arrested under ordinary laws. Then

there are some other difficulties. There are about 55,000 people engaged in smuggling activities and then there is a long stretched west Coast. Activities are masterminded by ring leaders and operations are carried out by others. In these circumstances it becomes difficult to apprehend those who mastermind the whole operation. It is not only the view of the Government alone but views of the law Commission also that steps like special Preventive Detention should be used to check their activities.

Some decisions have been given by certain High Courts setting free the smugglers. These decisions are not due to lacunaes of law only. The Government therefore, wants to equip itself with unfattered powers. I, therefore, feel that this is a measure which should be welcomed by all in this House as well in the Country at large. But it is a pity that such a Bill is being opposed and opposition is importing politics into it.

Recent arrests made by the Government had brought about some stability to the economy of the country. But recently there has been some slackness in this regard. I therefore request the Government to take effective measures. I also feel that there should be a provision to forefeit the properties of smugglers, which would cripple them.

श्री योगेन्द्र झा (जय नगर) : इस बात में कोई मतैक्य नहीं है कि तस्करी तथा विदेशी मुद्रा की गड़बड़ी ने हमारी अर्थ-व्यवस्था तथा राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित किया है। हमें बताया गया है कि प्रतिवर्ष 4 करोड़ रु० के लगभग मूल्य की तस्करी हो रही है। समाचार-पत्रों में यह भी छपा है कि 12 बड़े तस्करों की मासिक आय 2 करोड़ रु० प्रति मास है।

अतः इस राष्ट्र-विरोधी कार्यवाही के विरुद्ध उठाए जाने वाले उपायों का सबको समर्थन करना चाहिए। यह सारी कार्यवाही सरकारी अफसरों की सांठगांठ से हो रही है और सरकार इसके उत्तर-दायित्व से पीछे नहीं हट सकती। इन परिस्थितियों में यदि सरकार तस्करी और कालाबाजारी अथवा विदेशी मुद्रा की गड़बड़ी को रोकने के लिए कोई छोटा-सा भी कदम उठाती है तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए।

सरकार ने अब भी जो कदम उठाया है वह अधूरा है। इससे हमें आशंका है कि सरकार तस्करी तथा विदेशी मुद्रा की गड़बड़ी को रोकना नहीं चाहती अथवा इस बारे में पर्याप्त रूप से सशंक्त नहीं।

यह विधेयक, इस रूप में, तस्करी रोकने तथा विदेशी मुद्रा के संरक्षण तक ही सीमित है। अध्या-देश के दुरुपयोग की आशंका थी परन्तु इस विधेयक से वह समाप्त हो गई है।

परन्तु मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इसके व्यापक स्वरूप को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि सरकार इस बारे में गम्भीर है तो उसे इस संशोधन को भी वापस लेना चाहिए जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर 6 मास पश्चात् उन्हें छोड़ दिया जाएगा। इस विधेयक के द्वारा इस विधेयक को व्यर्थ सा बनाया जा रहा है। तस्करों की सम्पत्ति को जब्त करने के बारे में विधेयक में कोई उपबन्ध न होने के कारण भी यह अपर्याप्त कदम है। इस समाज में धन से सब कुछ किया जा सकता है। अतः जब तक उन्हें धन से वंचित नहीं किया जाता तो कोई भी कार्यवाही कारगर नहीं हो सकती।

इसका एक अन्य पहलू भी है। एक ओर सरकार द्वारा कहा जाता है कि हमारा तट क्षेत्र बहुत बड़ा है। उससे निपटने के लिए हमारे पास पुलिस एवं मजिस्ट्रेटों की कमी है परन्तु दूसरी ओर जनता पर पुलिस एवं मजिस्ट्रेटों की सहायता से अत्याचार किए जा रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मधुबनी के छोटे-से जिले में पिछले कुछ दिनों से पुलिस के 122 विशेष कैम्प स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार जनता पर

दमन चक्र चलाने के लिए सरकार के पास पुलिस व मजिस्ट्रेटों की कमी नहीं रहती। परन्तु तस्करों से निपटने के लिए कमी है। अतः मेरे विचार से विपक्षी सदस्य यदि तस्करी के विरुद्ध हैं तो उन्हें इस विधेयक का अवश्य समर्थन करना चाहिए। मैंने इसके बारे में एक संशोधन की भी सूचना दी है कि तस्करी अथवा विदेशी मुद्रा की गड़बड़ी के कारण पकड़े गए व्यक्ति पर एक वर्ष व्यतीत होने से पूर्व मुकदमा अवश्य चलाया जाना चाहिए। इस मुकदमे से पता चल जाएगा कि उन्हें अधिकारियों व राजनैतिक नेताओं द्वारा प्रश्रय प्राप्त हो रहा है। लोक सभा के एक भूतपूर्व सदस्य ने एक वक्तव्य में कहा है कि जब वह सदन के सदस्य थे तो उन्होंने प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा था कि श्री यूसुफ पटेल को कानूनी संरक्षण दिया जाए। उस पत्र की तथा प्रधान मंत्री द्वारा उसके उत्तर की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाए जिससे कि हमें पता चले कि उसे किस आधार पर रद्द किया गया था।

न्यायालयों द्वारा बहुत से तस्करों को इस आधार पर बरी कर दिया है कि उन्हें अस्पष्ट आधार पर नजरबन्द किया गया था। इसके लिए अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। उनके द्वारा ऐसा जानबूझ करके किया जाता है।

बिहार के जय नगर शहर में, जो नेपाली सीमा के निकट स्थित है, सीमाशुल्क विभाग के एक निरीक्षक को जनता ने तस्करी के सामान के साथ पकड़ा उसका मुह काला किया गया और उसे दरभंगा के मंडलायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किया गया। उन्होंने उसे पुलिस के हवाले करने को कहा। बाद में उस निरीक्षक ने झूठा मामला दायर कर दिया कि कुछ लोगों ने उससे तस्करी का सामान छीन लिया है। इस मामले में व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं कि उस निरीक्षक को तस्करी के सामान के साथ पकड़ा गया था। इस संदर्भ में सरकार से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वास्तव में जनता का सहयोग चाहती है?

सरकार ने नए सी० पी० सी० में यह उपबन्ध रखा है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, आवश्यक वस्तुएं अधिनियम आदि का उल्लंघन करने वालों पर धारा 110 के अधीन मुकदमा चलाया जाएगा। परन्तु सरकार ने एक भी मामले में सम्पूर्ण भारत के किसी भी राज्य में अभी तक ऐसा नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि कानूनी उपबन्धों को लागू नहीं किया जाता। इससे मन में प्रश्न उठता है कि वर्तमान शक्तियों के होते हुए भी इस प्रकार के विधेयक की क्या आवश्यकता है?

जहां तक वर्तमान विधेयक का सम्बन्ध है, हम इसका स्वागत करते हैं परन्तु यह पूर्णतया अपर्याप्त है। परन्तु आवेश में आकर हम तस्करों तथा विदेशी मुद्रा का अवैध धंधा करने वालों का समर्थन नहीं कर सकते। यदि सरकार इस मामले में कुछ करने में हिचकिचाएगी तो लोग स्वयं तस्करों को पकड़ेंगे तथा उन्हें अधिकारियों के हवाले कर देंगे। लोग उनका घेराव करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सरकार द्वारा अभी तक इस सम्बन्ध में जो कदम उठाए गए हैं, वे दबाव तथा जन आन्दोलनों के कारण उठाए गए हैं। हिचकिचाहट तथा अनमने भाव से सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं तथा मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूं। यदि सरकार वास्तव में जनता को संतुष्ट करने की इच्छुक है तो उसे ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिएं जिनसे कि तस्करी और विदेशी मुद्रा के अवैध धंधे की बुराइयों को सदा के लिए समाप्त किय जा सके।

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur): A very important issue is being discussed by the House and the entire nation is vigilant about it. A few of my friends have said that it should not have come in the form of an ordinance. But my submission in this regard is that it is as a result of pressing people's demand that strict action has been taken against the smugglers at the earliest. It is the smuggling which has ruined our economy. It is high time that we take stern action against undesirable elements and their activities. Now, the Government has taken the initiative to plug the loopholes which were there in the original Act. But, it appears that the opposition, instead of supporting such a popular measure, is opposing this measure. I personally feel that strict action should be taken against the smugglers and the people engaged in anti-social activities. But, at the same time, I am also in agreement with my friends who have said that this measure should not be used for political ends. At the same time, I feel that no politically motivated arrest has been made so far.

[श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए]

[Shri Vasant Sathe in the Chair]

An attempt has been made to plug the existing loopholes and the Government will make further provision to plug the loopholes, if any. But the people who are directly pleading for the loopholes of the measure, are, as a matter of fact, indirectly pleading for the smugglers' cause. Some of my friends have said that very strict action should not be taken against the smugglers but I am of the view that Government should not hesitate to take any stern action against smugglers and that too at the earliest.

The Government should strengthen its campaign against smuggling. The anti-smuggling neet should be enlarged. It should be well equipped with modern equipments for the detection of crimes. All the people who are engaged in this trade, should be arrested. Some of the smugglers are still at large. A serious attempt should be made to arrest them. We must do away with all the capitalists and their capital.

My submission is that it is an all India issue and it should not be justified or unjustified on party, lines only. I think the people of the entire country should join hands to fight against all such nefarious activities. When once we have placed our confidence in socialism, we must work hard to implement the same. The Bill is a welcome measure and we should strengthen the hands of the Minister by supporting it.

The purview of MISA is not being restricted to smugglers only but it is being enlarged to cover hoarders, anti-social elements, foreign spies and such other organisations as are using foreign money against the national interests.

***श्री जें० माता गौडर** (नीलगिरी) : राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में तो कोई दो मत नहीं हैं। हमारे समक्ष मुख्य विवादास्पद प्रश्न यह है कि वर्तमान अध्यादेश के अन्तर्गत की गई कार्यवाही का मुख्य लाभ सत्ताधारी दल को अधिक होगा या देश की बिगड़ती हुई अर्थ-व्यवस्था को ? मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान अध्यादेश से अधिक लाभ सत्ताधारी दल को ही होने वाला है।

स्वतन्त्रता के 27 वर्ष बाद अब अचानक हमारी सरकार को तस्करों तथा तस्करी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का ज्ञान प्राप्त हुआ है। उनके इस ज्ञान की तुलना भगवान बुद्ध के ज्ञान से ही की जा

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर।

*Summarised translated version based on the English translation of the speech delivered in Tamil.

सकती है। क्या कोई व्यक्ति यह विश्वास कर सकता है कि सरकार इन 27 वर्षों के दौरान तस्करों की इन गतिविधियों से अवगत नहीं थी ? भारत सरकार द्वारा तस्करों को पकड़ने का अभियान चलाया गया परन्तु तस्करों ने न्यायालयों की शरण लेकर अपने आपको छुड़ा लिया। इसका क्या कारण है ? कारण यही है कि सरकार के कानून में खामियां हैं। अतः सरकार इस समस्या से निपटने में असमर्थ रही है। इसका एक कारण यह भी है कि सत्तधारी दल के अग्रणी नेता तस्करों के साथ मिले हुए हैं। सरकार को भलीभांति मालूम था कि हाजी मस्तान तस्कर है परन्तु फिर भी उसे विदेश जाने का पासपोर्ट दिया गया। इसी प्रकार यूसफ पटेल प्रायः सत्ताधारी दल के सदस्यों के साथ देखे गए हैं। उनके सम्बन्ध में एक सचित्र समाचार इस शीर्षक के अन्तर्गत छपा है :

"यूसफ पटेल (कैमरे की ओर देखते हुए) अब 'आंसुका' के अन्तर्गत बंदी बनाए गए.........*

सभापति महोदय : शांति, शांति। बिना पूर्व अनुमति के सदस्य महोदय को उनके नामों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। यह कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा ....**(व्यवधान)**

श्री गौडर, किसी ऐसे सदस्य का नाम लेने से पहले, जो सदन का सदस्य न हो, आपको पूर्व सूचना देनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : यह तो एक समाचार है।

सभापति महोदय : यह आरोप नियम 353 के अन्तर्गत लगाया जाता है। हमें नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए।

Shri Janeshawar Mishra (Allahabad): If we can quote the names of Haji Mastan and Patel, why cannot quote the other names ?

Mr. Chairman: Their case is different. They have already been arrested. Even Government has placed them and that is not a secret. You see rule 353.

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : ऐसा कई बार हुआ है कि सदस्यों द्वारा ऐसे नामों का उल्लेख किया गया है।

सभापति महोदय : मैं सभापति होने के नाते केवल अपने दायित्व का पालन कर रहा हूं। श्री गौडर, आप कृपया ऐसा मत कीजिए।

श्री जे० माता गौडर : यह कोई नया आरोप नहीं है, यह तो समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो चुका है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। किसी भी प्रकाशित पत्र या समाचार-पत्र में छपने वाले समाचार को उद्धृत करना तथा किसी सदस्य की निजी कब्जे की जानकारी को उद्धृत करने में अन्तर है। श्री गौडर तो केवल वही उद्धृत कर रहे हैं जो कि पहले ही समाचार-पत्रों में छप चुका है।

सभापति महोदय : नियम का सम्बन्ध समाचार-पत्रों या अन्य ऐसी चीजों से नहीं है। इस सदन में सदस्यों के कुछ विशेषाधिकार होते हैं। हमें स्वस्थ परम्पराएं स्थापित करनी चाहिएं। जिन लोगों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर नहीं मिलता, हमें उनका नाम जरा अधिक सोच-समझ कर लेना चाहिए। मैं श्री गौडर से निवेदन करता हूं कि वह अपने शब्द वापिस ले लें।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

श्री वयालार रवि : ....*

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि कोई सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बिना पूर्व अनुमति के लेगा, जो सदन का सदस्य न हो, तो वह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।...... (व्यवधान)

श्री जे० माता गौडर : कांग्रेस दल गत 27 वर्षों से लगातार केन्द्र में सत्तारूढ़ रहा है। सरकार भलीभांति तस्करों की गतिविधियों से वाकिफ रही है। जिस दिन श्री राम लाल नारंग नामक तस्कर को बंदी बनाया गया, उस दिन तक वह महाराष्ट्र टेलीफोन मंत्रणा समिति का सदस्य था। केन्द्र तथा राज्य सरकार की अनुमति के बिना भला कोई व्यक्ति मंत्रणा समिति का सदस्य कैसे बन सकता है? इसी तरह से यूसुफ पटेल को कांग्रेस स्तम्भ की उपाधि दी गई है। जब उसे 'मांसुका' के अधीन बंदी बनाया गया तो उसने अपने आपको दिवालिया घोषित कर अपनी सम्पत्ति का बेनामी अन्तरण कर दिया है। हाजी मस्तान भी ऐसा ही कुख्यात तस्कर है जिसे सत्ताधारी कांग्रेस दल का संरक्षण प्राप्त रहा है। उसने एक भेंटवार्ता में श्री शमीम अहमद शमीम, संसद् सदस्य को बताया कि यदि मैं उन कांग्रेसजनों का नाम बता दूं जो कि चुनावों के लिए मुझसे पैसा मांगते हैं तो इससे सनसनी फैल जाएगी।

यह स्पष्ट है कि सरकार तस्करों के मामलों को न्यायालयों में ले जाने से हिचकिचाती है। उसका भय है कि न्यायालयों में जाने पर कांग्रेस दल की कलई खुल जाएगी। यही कारण है कि सरकार तस्करों को अनिश्चित काल के लिए "मांसुका" के अन्तर्गत अवरुद्ध रखना चाहती है। वास्तविकता तो यह है कि देश की बिगड़ती हुई अर्थ-व्यवस्था के लिए हमारी केन्द्र सरकार तथा उसकी गलत नीतियां ही उत्तरदायी हैं।

Shri M. C. Daga (Pali): Mr. Chairman Sir, it is correct that the disease of smuggling is quite old in our country. It is correct that smugglers were not inactive during the last 27 years but at the same time, it is also correct that no political party in the country came forward to launch an operation against them. It is only after 17th September when Government had promulgated an ordinance against smuggling that the opposition broke the ice by saying that smugglers are in league with the Government Officials. My submission is that there should be such a law that whosoever is found in possession of smuggled goods after a particular date, he should be punished.

The smugglers are continuing their anti-social and anti-national activities under the garb of religious priests and pandits. Under the pretext of religious activities, the smugglers are actively carrying on their smuggling activities. Now, when an attempt is being made to curb their activities, some of my friends are asking as to why these smugglers have been arrested under MISA ? Now, when thousands of smugglers have been arrested under MISA, some of them have managed to escape and succeeded in getting release also. To plug such kind of loopholes, the legislation was enacted, so that smugglers could not escape any legal action. That is why, now I am submitting that there should not be any opposition to the enactment of such laws which are meant for curbing smuggling. I am sure the people of India will fully support the Government in their efforts to check smuggling activities in the country. The political parties in India should lend

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

their support to the Government instead of making any political capital out of it. They should come forward to point out the deficiencies of this legislation. The existing legislation should be made quite comprehensive so as to include various definitions of terms like customs, foreign exchange, etc. under a single legislation.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : श्री वाजपेयी ने अपना सांविधिक संकल्प प्रस्तुत करते हुए बहुत सुदृढ़ तथा सराहनीय ढंग से इस बात पर बल दिया है कि तस्करों तथा तस्करी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। परन्तु जिस ढंग से सरकार ने वर्तमान अध्यादेश जारी किया है या जिस प्रकार यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, वह असंतोषजनक है।

कांग्रेस दल के बहुत-से सदस्यों ने यह कह कर हमारी आलोचना की है कि हम तस्करों के मूलभूत अधिकारों की पैरवी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा कहना तो एक तरफ, कोई भी समझदार व्यक्ति तस्करों का समर्थन करने की बात नहीं सोच सकता। हमारे देश में तस्करी सत्ताधारी दल के कारण ही चल रही है। सत्ताधारी दल को ही इनकी गतिविधियों से लाभ हो रहा है, परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि ऐसा सब कुछ होने के बावजूद भी सत्ताधारी दल के सदस्य हमें तस्करों के अधिकारों की पैरवी करने जैसे अपशब्द कह रहे हैं। हम तो वास्तव में नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा कर, अपने लोकतांत्रिक कर्त्तव्य का पालन कर रहे हैं। प्रश्न तो यह है कि क्या सरकार सांविधिक उपबन्धों के प्रति वफादार है?

सभापति महोदय : आप अपना भाषण अगले दिन जारी रखिएगा।

इसके पश्चात लोक-सभा बुधवार, 4 दिसम्बर 1974 (13 अग्रहायण, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 4th Deccember, 1974/Agrahayana 13, 1896 (Saka)

MGIPPRND—47 LSS/74—II—N—23-2-75—200.